हमीरपुर तहसील का समन्वित क्षेत्रीय विकास -एक प्रतीक अध्ययन

(Integrated Area Development of Hamirpur Tahsil - A Case Study)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
की
पी-एच.डी. (भूगोल) उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध

शोध निर्देशक
डॉ0 आर.ए. चौरसिया
रीडर, भूगोल विभाग,
अतर्रा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अतर्रा (बाँदा)

शोधार्थिनी
सितारा बानो शेख

भूगोल विभाग
अतर्रा स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
अतर्रा (बाँदा)

2006
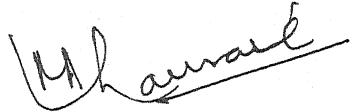
<u>प्रमाण-पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सितारा बानो शेख पी-एच0डी0 डिग्री हेतु बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी में **''हमीरपुर तहसील का समन्वित क्षेत्रीय विकास- एक प्रतीक अध्ययन''** विषय पर मेरे निर्देशन में आपके पत्रांक संख्या-बु0वि0/प्रशा0/शोध/2003/9352-54/दिनाँक-18.10.2003 द्वारा पंजीकृत हुई थीं। इन्होंने मेरे निर्देशन में आर्डिनेन्स-7 द्वारा वांछित अवधि तक कार्य किया है तथा इस अवधि तक विभाग में उपस्थित रही हैं। मेरे पूर्ण संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार शोध-ग्रन्थ अभ्यर्थिनी का स्वयं का कार्य है। शोध-ग्रन्थ में दिये तथ्य एवं उपलब्धियाँ मौलिक हैं।

मैं इनकी पूर्ण सफलता एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

दिनाँक
दिसम्बर 09, 2006

(डॉ0 आर0ए0 चौरसिया)
शोध निदेशक

प्राक्कथन

(PREFACE)

आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति किसी भी नियोजन प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य होते हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति भू–क्षेत्रीय संसाधन सर्वेक्षण एवं सेवाओं के वैज्ञानिक नियोजन से की जा सकती है। समन्वित क्षेत्रीय विकास का दर्शन नियोजित आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। इस उपागम को लागू करने के लिए तकनीकी सुधारों एवं नवीन प्रवर्तनों की आवश्यकता होती है। इसके अन्तर्गत भू–मानव सम्बन्ध, विभिन्न वर्गों के मध्य सामाजिक सम्बन्ध, संसाधनों का समानता पूर्ण वितरण तथा विभिन्न आर्थिक, सामाजिक वर्गों तथा व्यक्तियों के मध्य इन संसाधनों और आय का वितरण सम्मिलित है। समन्वित उपागम में संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक अवरोधों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये, जो विकास के मार्ग एवं गति को रोकते हैं। अनेक वृद्धि बिन्दुओं से बहुमुखी प्रभाव वाली विकास की तरंगें निकलनी चाहिये, जो अपने संलग्न क्षेत्र को विकसित एवं प्रकाशित कर सकें।

इस संकल्पना में निहित तत्व कृषि एवं संयुक्त प्रखण्ड; लघु, कुटीर एवं गृह उद्योग; सामाजिक सुविधायें जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, विद्युत एवं बैंक सम्मिलित हैं। इसके अन्तर्गत विकास दर को गति प्रदान करने वाले संस्थागत परिवर्तन भी सम्मिलित हैं। इस उपागम के द्वारा स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों की क्षमता का पूर्णतम उपयोग करके पूर्णतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकेगा। कृषि एवं उद्योग का घनिष्ठ सम्बन्ध है, यह सम्बन्ध कच्चे पदार्थों की आपूर्ति का ही नहीं है, बल्कि यह उपभोग, बाजारों, श्रम आदि से भी सम्बन्धित है। यह पारस्परिक अन्तनिर्भरता एवं उत्पादकता तभी सम्भव है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और अनेक सामाजिक सुविधाओं का एक न्यूनतम स्तर ग्रामीण जनसंख्या के लिए उपलब्ध हो। इस दिशा में राज्य को चाहिये कि ग्रामीण जनसंख्या की न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही सामाजिक आर्थिक विकास की और पुर्ननिर्माण की योजना बनाते समय ध्यान रखें।

शोध छात्रा ने इस शोध ग्रन्थ में संसाधनों की वर्तमान उपलब्धता, परिसंरचनात्मक सुविधायें तथा अध्ययन क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए एक योजना प्रस्तुत की है।

विगत अनेक पंचवर्षीय योजनओं में निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है–

1. बेरोजगारी एवं अर्धबेरोजगारी को दूर करना,
2. सामाजिक निर्धनतम व्यक्तियों का जीवन–स्तर समुन्नत करना, और
3. लोगों को आधारभूत सुविधायें जैसे– स्वच्छ पेयजल, प्रौढ़ एवं प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवायें, ग्रामीण सड़के, भवन तथा परिवहन एवं संचार की सुविधायें प्रदान करना।

हस्तगत योजना उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चार क्षेत्रों पर विशेष बल देती है, यथा– कृषि, कुटीर एवं लघु उद्योग, समन्वित ग्रामीण विकास के लिए भू–क्षेत्रीय नियोजन और न्यूनतम आवश्यकताओं का प्राविधान। हस्तगत समन्वित क्षेत्रीय विकास की योजना के अन्तर्गत इन सभी पक्षों को सम्मिलित किया गया है। समन्वित क्षेत्रीय विकास का मॉडल सामाजिक–आर्थिक शक्तियों और राजनैतिक परिवर्तन का संयुक्त अध्ययन करता है। इसलिये बहुअनुशासनिक उपागम और क्रियान्वयन की आवश्यकता है। इस बिन्दु पर एक बहुस्तरीय आर्थिक विकास योजना परिवार एवं ग्राम से लेकर तहसील स्तर तक बनायी जानी चाहिये। तत्पश्चात् इस योजना का उचित क्रियान्वयन एवं जन सहभागिता का विकास करना महत्वपूर्ण पक्ष बन जाते हैं। पंचायतीराज एवं बहुस्तरीय तथा बहुअनुशासनिक तन्त्र को भी पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। यह कार्यक्रम उत्साहपूर्वक क्रियान्वित किया जाना चाहिये, जिससे कि सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

ग्रामीण समाज में किसी भी विकास प्रक्रिया का महत्वपूर्ण सामाजिक आयाम समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य असमानता को दूर करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में भू–आवंटन असमान है। वे कृषक, जिनकी पहुँच कृषि सुविधाओं तक है, वे धनी हैं। कृषि अन्तर्निवेश जैसे–बीज एवं उर्वरक, सिंचाई, बाजार आदि उनकी पहुँच में है, जबकि निर्धन कृषक इन सुविधाओं से वंचित हैं। इस प्रकार से प्रभावी/निर्भर ग्रामीण सामाजिक चरित्र स्पष्ट रुप से दिखाई देता है। धनी एवं निर्धन किसानों के मध्य आत्मनिर्भरता का सम्बन्ध पाया जाता है, क्योंकि धनी कृषक श्रम शक्ति के रुप में निर्धनों का उपयोग करता है, किन्तु सामाजिक समीकरण अत्यन्त असमान दिखाई देता है। यह धनी लोग हैं, जो निर्धन के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न करने की शक्ति रखते हैं। रोजगार के अवसरों को पकड़कर अपने पास रख लेते हैं और निर्धन वंचित रह जाता है। यह परिदृश्य विपणन केन्द्रों और सहकारी समितियों में भी दृष्टिगत होता है। इस प्रकार से यह विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग निर्धनों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं, साथ ही तकनीकी, नवीनतम प्रवर्तनों एवं संचार के साधनों पर एकाधिकार कर लेते हैं। अगर हम दलित ग्रामीण लोगों का पुनरुत्थान करना चाहते हैं, तो हमें निर्धनोंन्मुख योजना तैयार करनी होगी न कि विशेषाधिकृत वर्गोन्मुख।

हस्तगत अध्ययन में लेखिका ने हमीरपुर तहसील के कृषि औद्योगिक विकास की योजना प्रस्तुत की है, जिसमें अप्रयुक्त भूमि तथा असन्तुलित भूखण्डों के उचित वितरण एवं औद्योगिक इकाईयों की स्थापना का सुझाव दिया गया है, जिससे कि अध्ययन क्षेत्र का सन्तुलित एवं तीव्रतर गति से आर्थिक विकास किया जा सके।

सितारा बानो

अतर्रा पी0जी0 कॉलेज, अतर्रा

सितारा बानो शेख

दिसम्बर 09, 2006

आभारोक्ति
(OBLIGATORY-NOTE)

प्रस्तुत शोध कार्य परमपूज्यनीय **डॉ0 आर0 ए0 चौरसिया जी** के श्रद्धा विश्वास की वट वृक्ष छाया में स्वरुप ले सका। संस्कारित पृष्ठभूमि के धनी, लेखन के महारथी, कर्मयोद्धा **डॉ0 चौरसिया जी** अपने कुशल निर्देशन में सदैव मेरा उत्साह वर्धन करते रहे कार्य को उत्कृष्ट बनाने के लिए समय और श्रम का अमूल्य योगदान दिया उनके असीम स्नेह का मैं आजीवन ऋणी रहूँगी। ममता की प्रतिमूर्ति, **वात्सल्यमयी गुरुमाता** और **प्रियदर्शी भ्रातृजन** अपने पारिवारिक स्नेह से सृजन के लिए नवगति प्रदान करते रहे, उनके प्रति मैं हृदय से आभारी रहूँगी।

आदरणीय भाई साहब **श्रीयुत् श्री नन्दन चक्रवर्ती जी (उपजिलाधिकारी कर्वी)** ने इस विषय व्यवस्था के लिए पद और व्यक्ति दोनों रूपों में सदैव मेरा मार्गदर्शन किया, अध्ययन के लिए विभिन्न कार्यालयों से सामग्री प्राप्त करने के लिए पद प्रभाव से लाभ प्रदान करते रहे, मैं उनकी ऋणी रहूँगी।

मुझे पुत्री के समान चाहने वाले कार्यालयाध्यक्ष (मृदा परीक्षण) एवं कार्टोग्राफर जनपद हमीरपुर के **श्री हबीब खान साहब**, जिन्होने लेखन और कार्य उत्कृष्ट बनाने के लिए सदैव सजग किया एवं विषय व्यवस्था की कठिनाइयों का निदान किया, सहायक पाठ्यसामग्री उपलब्ध करायी मैं उनकी शुक्रगुजार रहूँगी।

मैं अपने भाई श्री **मो0 असलम** एवं बहन कु0 **सन्नो शेख** की हमेशा आभारी रहूँगी, जो अपने भौगोलिक ज्ञान से समय समय पर सहयोग प्रदान करते रहे।

अध्ययन कार्य में भूगोल विभाग अतर्रा पी0 जी0 कॉलेज के गुरुओं, **डॉ0 आर0 सी0 द्विवेदी जी, डॉ0 आर0 के0 शुक्ला जी, डॉ0 आर0 एस0 त्रिपाठी जी, डॉ0 के0 के0 मिश्रा जी, डॉ0 आर0 सी0 अग्निहोत्री जी** एवं **पुस्तकालयाध्यक्ष महोदय** तथा श्री **आई0 जे0 सिंह जी, श्री मंगल सिंह जी चन्देल**, (पं0जे0एन0 कॉलेज, बाँदा) का सहयोग रहा, उन्हें हार्दिक आभार ज्ञापित करती हूँ।

मैं भाई जैसे देवरों **श्री इलियास अली, मुराद अली** एवं **मो0 शफी** की हमेशा आभारी रहूँगी, जिन्होने हमेशा गृह कार्यों से समय बचाने में मेरी मदद की।

श्री अम्बिका दीक्षित जी, श्री गौरव त्रिपाठी जी एवं **श्री शिवम् शुक्ला जी – प्रो0– श्री राकेश शुक्ला जी, शुक्ला ग्राफिक्स,** बाँदा के अहर्निश प्रयत्न और समर्पण को भुलाना कृतघ्नता होगी, जिनके अथक परिश्रम से यह शोध ग्रन्थ स्वरुप ले सका। उन सभी जाने अनजाने स्नेहीजनों की मैं आभारी रहूँगी, जिन्होने शोध कार्य प्रणयन में अप्रतिम सहयोग प्रदान किया।

अन्त में मैं पूज्यनीय श्वसुर साहब **श्री बलवान शेख** एवं ममतामयी माँ **श्रीमती शकीना बेगम** को कोटि–कोटि नमन करती हूँ, जिन्होने मुझे हमेशा गृहस्थी के कार्यो से दूर रख पढ़ाई के लिए समय निकालने में मदद की, इनके सहयोग के बिना कार्य को अन्जाम देना असम्भव था।

शोधार्थिनी

सितारा बानो

सितारा बानो शेख

विषय-सूची
(CONTENTS)

मानचित्र/आरेख सूची

(LIST OF MAPS/DIAGRAMS)

34

तालिका-सूची

(LIST OF TABLES)

अध्याय-1

परिचय

INTRODUCTION

अध्याय- 1 परिचय
(CHAPTER-1 INTRODUCTION)

1(अ) प्रादेशिक विकास नियोजन-सैद्धान्तिक अभिव्यंजना
(Regional Development Planning - Theoretical Explanation)

वर्तमान व्यवस्था में किसी भी देश में प्रादेशिक नियोजन, उसके वैज्ञानिक एवं तीव्र विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय नियोजन वृहद्, मध्यम तथा सूक्ष्म स्तर का हो सकता है। वृहद् और मध्यम स्तरीय नियोजन में क्षेत्रीय असमानतायें बनी रहती हैं। इन क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए सूक्ष्म स्तरीय नियोजन अनिवार्य एवं आवश्यक हो जाता है।

इतिहास स्पष्ट करता है कि वृहद् स्तरीय नियोजन अन्तःक्षेत्रीय एवं अन्तरा क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए शायद ही सफल होता हो। यह अनुभव किया गया है कि नियोजन इकाई जितनी ही छोटी होगी, उतनी ही नियोजन की व्यापकता होगी तथा योजना उतनी ही समन्वित होगी।

प्रादेशिक नियोजन एक अनुशासन के रूप में अनेक दार्शनिक उपागमों, नियमों, रणनीतियों और तकनीकों से सम्बन्धित है। इस प्रकार से क्षेत्र के बहुमुखी विकास में राष्ट्रीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण सम्बन्धी विकास के पहलुओं को समन्वित करने का प्रयास करता है। क्षेत्रीय नियोजन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न खण्डों एवं विकास प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक समन्वयन करना है, जिससे कार्यों एवं क्षेत्रों में पूरकता प्राप्त की जा सके तथा उपलब्ध साधनों का उचिततम् उपयोग किया जा सके।

प्रादेशिक नियोजन विभिन्न इकाइयों, जो ग्राम स्तर से बड़े क्षेत्र से जुड़ी होती हैं, से सम्बन्धित होता है। प्रदेश का आकार इसके भूगोल, अर्थशास्त्र, सामाजिक संरचना और इतिहास पर निर्भर करता है। इस सैद्धान्तिक अभिव्यंजना को स्पष्ट रूप से समझने के लिए नियोजन प्रक्रिया, समन्वित क्षेत्रीय विकास की संकल्पना, परवर्ती योगदान, शोध समस्या, क्षेत्रीय विकास के लिए रणनीतियाँ, उद्देश्य एवं विधितन्त्र का विश्लेषण आवश्यक है।

(i) नियोजन प्रक्रिया (Planning Process) :-

नियोजन प्रक्रिया के अन्तर्गत पांच उपतन्त्र हैं– सूचना– संग्रहण, लक्ष्य निर्धारण, योजना निर्माण, मूल्यांकन एवं निर्णय तथा क्रियान्वयन। ये पांचों उपतन्त्र एक सतत प्रक्रिया में लगे रहते हैं। यह प्रक्रिया तीन अवस्थाओं से होकर गुजरती है।

(अ) नीति की तैयारी (ब) नीति निर्माण और (स) नीति का क्रियान्वयन।[1]

संचार मार्ग एवं नियोजन प्रक्रिया की अवस्थायें
समस्या
सूचना संग्रह एवं भावी प्रक्षेप रूपान्तरण A
लक्ष्य निर्माण B
योजना निर्माण C
मूल्यांकन एवं निर्णय प्रक्रिया D
क्रियान्वयन E
पुनरीक्षण एवं नवीन समस्यायें
→ मार्ग एवं परिवहन निर्देश तथा पश्चपोषण
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Fig. - 1.1

चित्र संख्या 1.1 से यह स्पष्ट होता है कि सभी उपतन्त्रों का आधार सूचना संग्रहण है, जिसका उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र के वर्तमान लक्ष्यों की पहचान करना तथा भविष्य के विकास के लिए प्रक्षेप तैयार करना है। इसके अन्तर्गत सर्वेक्षण, विश्लेषण और भविष्यवाणी सम्मिलित होती है। यह दोमुही प्रक्रिया होती है, जो वर्तमान क्षेत्रीय आवश्यकताओं और क्षमताओं की तस्वीर प्रस्तुत करती है तथा दूसरी ओर भविष्य में आने वाली कठिनाइयों को व्यक्त करती है।[2]

इस अवस्था में क्षेत्रीय आंकड़ा–आधार की पर्याप्तता और विश्वसनीयता अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। वास्तविकताओं का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात लक्ष्य निर्माण होता है, जो लोगों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। लक्ष्य निर्माण के लिए जनसहभागिता का बहुत महत्व है। यह उपतन्त्र सम्पूर्ण नियोजन तन्त्र के लिए ढांचा प्रस्तुत करता है। एक बार लक्ष्य सुनिश्चित हो जाने के पश्चात अनेक निर्णय एवं उप निर्णय लेने होते हैं। यदि ये लक्ष्य एवं उद्देश्य स्पष्ट नहीं होते तो नियोजन प्रक्रिया स्वैच्छिक एवं उद्देश्यहीन हो जाती है।

इस प्रक्रिया में अगला उपतन्त्र नियोजन निर्माण है, जो व्यापक रूप से समन्वयन और नीतियों के समन्वयन में महत्वपूर्ण यन्त्र का काम करता है।[3] लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्रियान्वयन पथ विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए संकल्पनात्मक आधारों पर आधारित होता है।

नीति निर्माण के बाद चतुर्थ उपतन्त्र मूल्यांकन एवं निर्णय है। चूंकि अनेक वैकल्पिक सुझाव होते हैं, इसलिए उत्तम हल प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट उपतन्त्र की आवश्यकता होती है। इसकी सहायता से वांछित रणनीति प्राप्त करने की अन्तर्दृष्टि प्राप्त होती है। विकल्पों का मूल्यांकन लोगों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को सन्तुष्ट करने की दक्षता पर निर्भर करता है। निःसंदेह समाज के परिवर्तनशील व्यवहार से उत्पन्न जटिलताओं को क्रियान्वित करना एक अत्यन्त कठिन कार्य है।

अन्तिम महत्वपूर्ण उपतन्त्र क्रियान्वयन का है। यह नीतियों को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने का एक तरीका है। यह नियोजन का एक स्थायी लक्ष्य है तथा इसमें सतत् गम्भीर निरीक्षण की आवश्यकता होती है। यह मानव एवं पर्यावरण के बीच सम्बन्धों को संयत करता है तथा पर्यावरण में यथासम्भव परिवर्तन करता है।

उपरोक्त पांच उप नियोजन तन्त्र अन्तःसम्बन्धित हैं। ये अन्तःसम्बन्ध सूचना तन्त्र के विविध मार्गों के कारण होता है तथा अन्तःनिवेश एवं उत्पादों के कारण होता है।[4] जैसा कि चित्र संख्या– 1.1 में प्रदर्शित किया गया है। पाँचों उपतन्त्र A, B, C, D, E पेटियों द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। यह जानने के लिए कि यह तन्त्र कैसे काम करता है। हमें निर्णय से प्रारम्भ करना होगा तथा ऐसी समस्या जो मार्ग एक का उपयोग करती हो, को लेना होगा तथा इसके उद्देश्यों को A तक ले जाना होगा। A का विशिष्ट लक्षण B, C और D को 2, 3 और 8 मार्गों से सूचना प्रदान करता है। इसकी विषय वस्तु में B, C और D के प्रभाव और निवेदन पर प्रभावित हो सकते हैं,

जो मार्ग 4, 5 और 9 से प्रवाहित होते हैं। A, B और C से 8, 12 और 13 मार्गों से होकर आने वाली सूचनाओं और प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के पश्चात ही D अपना निर्णय प्रस्तुत करता है। यह सूचना प्रदान करने के लिए A, B और C को D से उचित निर्देश प्राप्त होने चाहिए, जो 9, 10 और 11 से होकर आते हैं। C भी B से निर्देश प्राप्त करता है, जो मार्ग 6 से आते हैं और मार्ग 7 के द्वारा वह सुझाव देता है। इस प्रकार से A, B, C और D में सीधा सम्बन्ध होने के कारण सूचना संग्रह करने वाले संगठन और नियोजन अभिकरणों का अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य करने में सहायक होता है।

नीति के क्रियान्वयन के निर्देश C, D और E से मार्ग 14 से होकर तथा पश्च प्रभाव मार्ग 15 से होकर प्रवाहित होते हैं। E को आवश्यक सूचना A, B और C से मार्ग 16, 17 और 19 से प्राप्त होती है तथा मार्ग 17 से C को आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव देता है। मार्ग 20 और 21 योजना के पुनरीक्षण के लिए सूचना ले जाते हैं ओर नई समस्याओं का मूल्यांकन करते हैं।

संक्षेप में सम्पूर्ण नियोजन प्रक्रिया की प्रभाविता एक ओर संचार मार्गों की क्षमता पर निर्भर करती है और दूसरी ओर उपतन्त्रों के अन्तःसम्बन्धों पर निर्भर करती है।

(ii) समन्वित क्षेत्रीय विकास की संकल्पना (Concept of integrated Area Development) :-

आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक स्वतन्त्रता भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए समन्वित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की आत्मा है। विशेष रूप से इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास है। विगत कुछ दशकों में हमारे रीतिबद्ध भारतीय ग्रामों को, जो सामुदायिक और सहकारी जीवन पद्धति अपनाए हुए हैं पहचाना गया है, पुनर्जीवित किया गया है तथा विशेष महत्व दिया गया है। प्राचीन रीतिबद्ध भारतीय अर्थव्यवस्था मूल्य तन्त्र का अभ्यास करती थी, इसमें पूरक बौद्धिक दक्षता, आर्थिक स्वतन्त्रता आदि महत्वपूर्ण घटकों को समन्वित क्षेत्रीय विकास रणनीति में महत्व प्रदान किया गया है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि प्राचीन रीतियों को पूरी तरह से उलट दिया जाएगा। वस्तुतः यह महात्मा गाँधी की आदर्श ग्राम संकल्पना की पुनः खोज है। गाँधी जी ने भारतीय ग्रामों की आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक स्वतन्त्रता की वकालत की थी तथा गाँवों के व्यापक भारतीय दृश्यावली का एक समन्वित अंग माना था।[5] वे ग्रामों को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। भोजन, वस्त्र आदि जीवन की मौलिक आवश्यकताओं में आत्मनिर्भर देखना चाहते थे, क्योंकि ऐसी मौलिक सुविधाओं के लिए कच्चे पदार्थ ग्रामीणों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तथा उनका प्रसंस्करण नगरीय केन्द्रों में होता है। ग्रामों की आत्मनिर्भरता की वकालत करते समय गाँधी जी चाहते थे, कि उनके कच्चे पदार्थों का प्रसंस्करण यथासम्भव उन्हीं के द्वारा किया जाए।

आत्मनिर्भरता की यह गाँधीवादी संकल्पना आज भी सार्थक है, जबकि तकनीकी ज्ञान

की परिस्थितियाँ विद्यमान हैं। छोटे पैमाने और कुटीर उद्योगों, विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी तकनीक उपलब्ध है। इसलिए कोई कारण नहीं है कि अनेक उपभोक्ता वस्तुएं लघु और कुटीर उद्योगों के रूप में चयनित वृद्धि केन्द्रों एवं बिन्दुओं में स्थानीय कच्चे पदार्थों और दक्षता का उपयोग करके नहीं उत्पन्न की जा सकतीं, ऐसे केन्द्र और बिन्दु उपेक्षित ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए केन्द्रकों का काम करेंगे।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार ने इस दिशा में अगुवाई की और समन्वित क्षेत्रीय विकास के लिए अपनी रणनीति की घोषणा समन्वित ग्रामीण विकास के रूप में 1966–1967 में की तथा वार्षिक योजना में इसके लिए 15 करोड़ रु0 का प्राविधान किया। यह रणनीति बजट के एक अंग के रूप में जारी की गई थी, जिसमें रणनीति को सबसे अधिक महत्व दिया गया था। भारत सरकार का विश्वास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण, नहर निर्माण, फसलों के उत्पादन में वृद्धि आदि ग्रामीण समाज को समानता के उद्देश्य तक नहीं ले जाती। समन्वित क्षेत्रीय विकास की संकल्पना कृषि का, उद्योग का और सामाजिक सेवाओं का समन्वित विकास की रणनीति रखती है, जिससे गांवों में रहने वाले लोगों के लिए क्रमबद्ध वैज्ञानिक, समन्वित और संयुक्त रूप से उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का उपयोग लोगों की भलाई के लिए किया जाए। तत्कालीन वित्त मंत्री सी0 सुब्रमण्यम् ने निम्नलिखित शब्दों में समन्वित ग्रामीण विकास रणनीति पर बयान दिया था "संक्षेप में हमारा उद्देश्य प्रति इकाई भू–क्षेत्र के कुछ फसलों के उत्पादन में सुधार मात्र ही नहीं है अथवा निर्धन लोगों को रोजगार प्रदान करना मात्र नहीं है, इसमें जो अधिक और मौलिक हैं, वह एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक और सभी प्राकृतिक संसाधनों का समन्वित उपयोग तथा प्रत्येक व्यक्ति को उत्पादक एवं सामाजिक रूप से उपयोगी व्यवसाय योग्य बनाना है तथा इतनी आय पैदा करना है कि कम से कम आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सकें।"[6]

इस नवीन रणनीति में गैर कृषि क्षेत्र के विकास को अधिक महत्व दिया गया है। साथ ही कृषि खण्ड नियोजित रूप से विकास करें। गैर कृषि खण्ड के अन्तर्गत उद्योगों का विकास तथा अन्य परिसंरचनात्मक सुविधाओं पर जोर दिया गया है। इस पर इस उद्देश्य से जोर दिया गया है कि वर्तमान कृषि को मजबूत औद्योगिक सुधार और कुशल वितरण व्यवस्था की आवश्यकता है। सुविधाओं के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों का उचिततम उपयोग, कृषि उद्योगों का विकास जैसे क्षेत्र रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर रखते हैं। ग्रामीण औद्योगीकरण द्वारा असंगठित विनिर्माण इकाइयों के विकास का परिणाम यह होता है कि वे स्थानीय तकनीकी प्रतिभाओं को रोजगार प्रदान करती हैं। अतः तकनीकी कुशलता की मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय प्रतिभाओं का ही प्रयोग किया जाना चाहिए।

इसलिए इस रणनीति से आशा है कि नीति निर्माताओं एवं विकास नियोजकों के समक्ष कुछ चुनौतियां एवं समस्याएं रखेंगी, जो जनशक्ति के रोजगार और अन्य सामाजिक सुविधाओं

से सम्बन्धित होगी। नीति निर्मताओं को जिस मुख्य समस्या का मुकाबला करना होगा वह यह है कि प्रतिभाओं की संरचना एवं विकास बहुत अधिक भिन्न है। इसके अतिरिक्त यह भी समस्या है कि परम्परागत कलाकार, शिल्पकार, टेक्नीशियन और ग्रामीण श्रमिक आदर्श तकनीक की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं है। दूसरी समस्या यह है कि मध्य वर्गीय टेक्नीशियनों को प्रशिक्षण देने के लिए, जो सुविधाएं विद्यमान हैं, उन पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाओं को आयात करना होगा।

उपरोक्त बिन्दुओं के प्रकाश में अल्पविकसित ग्रामीण क्षेत्रों के विकास नियोजन के लिए एक नई दृष्टि की आवश्यकता है।

इस नई रणनीति की सफलता के लिए हमें स्कूली शिक्षा को बदलना होगा। स्कूली शिक्षा की 10+2 प्रणाली, जिसको सारे देश में फैलाना है, से आशा की जाती है कि स्कूली पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन लाएगी। इस शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि अनिवार्य कार्यानुभव तथा माध्यमिक स्तर के 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा सामयिक सुविधाएं प्रदान करती हैं।[7]

इस स्कूली शिक्षा प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि कार्यानुभव एवं व्यावसायीकरण इस प्रकार से नियोजित किए गए हैं कि स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इस सन्दर्भ में हायर सेकेण्डरी शिक्षा के व्यावसायीकरण पर हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में यह अनुशंसा की गई है कि प्रशिक्षण आवश्यकताओं को ज्ञात करने के लिए जिलेवार सघन सर्वेक्षण किए जाएं, साथ ही उभरती हुई तकनीकी प्रतिभाओं का सर्वेक्षण किया जाए, जिससे व्यावसायिक शिक्षा के कोर्स और संरचना में नवीन परिवर्तन किए जा सकें। इस सम्मेलन में यह भी अनुशंसा की गई कि भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न कोर्स होने चाहिए। क्योंकि स्थानीय आवश्यकताओं में भिन्नता होती है। इस प्रकार से कृषि एवं गैर कृषि प्रखण्डों से जुड़ी हुई समस्याओं के निराकरण की महती आवश्यकता है। इसके अनुसार सामाजिक सेवाओं से जुड़ी हुई समस्याओं का भी अन्वेषण किया जाए तथा व्यावसायिक शिक्षा, वैज्ञानिक एवं तीव्रतर समन्वित क्षेत्रीय विकास में अपना योगदान प्रस्तुत कर सके।

इस प्रकार से इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश में विद्यमान संसाधनों का क्रमबद्ध, विवेकपूर्ण, वैज्ञानिक और समन्वित उपयोग इस प्रकार से किया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने को उत्पादक एवं सामाजिक रूप से उपयोगी आर्थिक क्रियाओं में संलग्न कर सके तथा ऐसी आय प्राप्त कर सकें कि उसकी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी हो सकें। 1976–77 के बजट में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्रामीण खण्ड का विकास, जिसमें कमजोर तबका रहता है बहुत पिछड़ गया है। इस बजट सत्र में यह अनुभव किया गया कि ग्रामीण जनसंख्या, जिसमें सीमान्त कृषक, भूमिहीन कृषक एवं ग्रामीण शिल्पकार हैं, ने सन्तोषजनक विकास प्रस्तुत नहीं किया। इस सत्र में यह भी अनुभव किया गया कि हमारे समाज के सबसे कमजोर तबके को वरीयता देकर

विकसित किया जाना चाहिए।

इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारी सरकार ने समाज के इस कमजोर तबके की दशा सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किए हैं। गाँधीवादी समन्वित ग्रामीण विकास की संकल्पना आत्मनिर्भर एवं आत्मशासित ग्रामीण समुदाय अधिक अन्न उपजाओ अभियान, सहकारी कृषि, पंचायतराज, सघन कृषि विकास, भूदान, ग्रामदान आदि कार्यक्रम ग्रामीण विकास की रणनीति के रूप में पहले से ही सक्रिय थे। कमजोर वर्ग द्वारा इन कार्यक्रमों से बहुत कम लाभ प्राप्त किया गया। यह बड़ी गम्भीर स्थिति है। इसी बजट में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम स्वीकृत किया गया तथा 18 राज्यों में 20 जिले पायलट योजनाएं प्रारम्भ करने के लिए चुने गए। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित पक्षों पर ध्यान देना था–

1. उपलब्ध स्थानीय संसाधनों का उचिततम उपयोग।
2. स्थानीय क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अल्प रोजगार वाले ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करना।
3. पूंजी और जनशक्ति का उचित उपयोग।
4. व्यवसायों में लोगों को कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षण सुविधाओ की व्यवस्था।
5. ग्रामीण क्षेत्रों का रूपान्तरण करके जीवन स्तर में सुधार लाना।
6. परिसंरचनात्मक संरचनाओं में सुधार लाना, जिसके अन्तर्गत निम्न बातें सम्मिलित हैं–
   (क) ग्रामीण और संयोजक सड़कों का विकास।
   (ख) परिवहन व्यवस्था में सुधार।
   (ग) ग्रामीण आवास सुविधा प्रदान करना।
   (घ) ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरणीय नियन्त्रण।
   (ड.) ग्रामीण विद्युतीकरण।
   (च) ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति।
   (छ) अधोभौमिक जल विकास सहित जल प्रबन्धन।
   (ज) ग्रामीण उद्योगों की स्थापना।
   (झ) स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग।
   (ञ) कृषि उत्पादों का संग्रह।
   (ट) व्यर्थ उत्पादों का पुनश्चक्रण।

समन्वित क्षेत्रीय विकास की संकल्पना की उत्पत्ति लगभग दो दशक पहले की है। समन्वित क्षेत्रीय विकास की विधा दो आयामी है– कार्यात्मक और क्षेत्रीय– ये दोनों अन्तःसम्बद्ध हैं। कार्यात्मक समन्वयन के अन्तर्गत सभी आर्थिक सामाजिक क्रियाएं, जो मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, सम्मिलित हैं– स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार तथा अन्य अनेक सेवाएं एक–दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती हैं और समन्वित होती हैं। एक क्रिया में परिवर्तन, दूसरी क्रिया में स्वतः परिवर्तन लाता है। इस प्रकार से इस संकल्पना के अन्तर्गत इन

अन्तःसम्बन्धों का किसी क्षेत्र की विकास नीति में अध्ययन किया जाता है।

पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेकानेक क्रियाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग आदि को समन्वित करने का प्रयास किया गया। यह कार्य व्यापक स्तर पर किया गया, किन्तु इन क्रियाओं के मध्य अन्तर्क्रिया की कमी थी, इसलिए उचित विकास प्राप्त नहीं हो सका। इस असफलता का मुख्य कारण क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक समन्वय का अभाव था। विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्रियाओं में पारस्परिक सम्बन्ध उनकी क्षेत्रीय स्थिति पर निर्भर करता है। यदि सामाजिक आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रीय सम्बन्धों का अध्ययन किया जाए तो एक सुनिश्चित क्रिया प्रतिरूप का अभ्युदय होता है। अन्य कार्य के सम्बन्ध में किसी खास कार्य की स्थिति अनेक कारकों जैसे– सड़कें और परिवहन, समय, दूरी, यात्रा, प्रति व्यक्ति आय तथा इन कार्यों का मूल्य पर निर्भर करती है। इन कारकों की अनुपलब्धता के कारण बहुसंख्यक ग्रामीण जीवन अनेक आधारभूत सुविधाओं से वंचित रह जाता है।

इस प्रकार से विकास नीति में जिसमें नवीन कार्यों को समाहित करना होता है। इन कार्यों के अवस्थापनात्मक पक्ष महत्वहीन हो जाते हैं। नए कार्य की उचित स्थिति से प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला प्रारम्भ होती है, जिसके दूरगामी परिणाम प्राप्त होते हैं। भू–सतह पर कार्यात्मक सम्बन्ध का बोध किसी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। समन्वित क्षेत्रीय विकास संकल्पना के पीछे यह निहित सिद्धान्त है।

इस प्रकार से समन्वित क्षेत्रीय विकास का अर्थ सामाजिक, आर्थिक क्रियाओं के भौतिक धरातल पर वैज्ञानिक एवं उचित स्थापन से है, जिससे सम्बन्धित क्षेत्र का सन्तुलित विकास होता है। वैज्ञानिक एवं उचित स्थिति की अवधारणा बहुत अधिक चयनात्मक है। प्रत्येक अधिवास में प्रत्येक कार्य नहीं हो सकता। विविध स्तर के कार्यों के और सेवा क्षेत्रों के आधार पर अधिवासों का एक पदानुक्रम होगा, इसलिए विभिन्न क्रम के कार्य सबसे उचित स्थानों पर स्थित होने का प्रयास करते हैं। हमारी वर्तमान आर्थिक दशाओं में चयनात्मक स्थिति का विचार बहुत अधिक तर्कसंगत है। हमारे पास सीमित संसाधन हैं, जो सभी सेवाओं और अधिवासों को प्रदान नहीं किए जा सकते। इसके अतिरिक्त हम अपने विनिवेश की तुरन्त वापसी चाहते हैं, इसलिए कार्यों का चयन और उनकी स्थिति, क्षेत्रीय विकास के लिए किए जाने वाले विनिवेश में एक मार्गदर्शक सिद्धान्त होना चाहिए।

समन्वित क्षेत्रीय विकास की संकल्पना का सम्बन्ध पिछड़े क्षेत्रों के विकास से भी है, यदि विकास योजना तैयार करने में केवल अधिवासों के पदानुक्रम का विचार किया गया तो दूर–दराज के क्षेत्र जो महत्वपूर्ण केन्द्रों से काफी दूर हैं, वे दीर्घकाल तक अल्पविकसित ही बने रहेंगे। इसलिए विकास की धड़कनों को पिछड़े क्षेत्रों में महसूस किया जाना बहुत जरूरी है। विकास के लिए किया जाने वाला विनिवेश पिछड़े क्षेत्रों की संसाधन क्षमता पर निर्भर करता है। इसलिए औद्योगीकरण का विचार स्वतः ही समन्वित क्षेत्रीय विकास की संकल्पना के दायरे में

आ जाता है। इस प्रकार से समन्वित क्षेत्रीय विकास एक ओर चयनात्मक और दूसरी ओर विकेन्द्रीकरण की अवधारणाओं को समेटे हुए है।

विकेन्द्रीकरण और कार्यों का पुनःस्थापन प्रादेशिक ढांचे के अन्तर्गत, जिसमें नगरीय और ग्रामीण दोनों तरह के लक्षण हों, किया जाना चाहिए। ये दोनों ही प्रखण्ड सन्तुलित आर्थिक विकास एवं प्रादेशिक विकास में एक दूसरे के पूरक हैं।

संक्षेप में समन्वित क्षेत्रीय विकास की संकल्पना सामाजिक, आर्थिक क्रियाओं को उचित स्थानों पर स्थापित करके विविधीकरण के लिए एक ढांचा प्रस्तुत करती है। इस प्रकार से उत्पन्न संजाल एक सार्थक परिसंरचना प्रदान करता है, जो वैविध्यपूर्ण विकासशील अर्थव्यवस्था उत्पन्न करता है।

(iii) परवर्ती योगदान (Previous Contributions) :-

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् से अर्थशास्त्री, नियोजक और भूगोलवेत्ता आर्थिक वृद्धि और विकास की विवेचना करते रहे हैं। वे आर्थिक वृद्धि की दर एवं उसकी गति बढ़ाने के लिए रणनीतियां विकसित करने के प्रयास करते रहे हैं। क्षेत्रीय विकास के विषय में बहुत कम उचित विचार किया गया है। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थार्द्ध में वॉनथ्यूनेन[8] ने समाज विज्ञानियों के लिए शोध एवं सामाजिक आर्थिक विकास भू–सतह पर करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

लगभग 100 वर्ष पश्चात् क्रिस्टॉलर[9] ने अपनी शास्त्रीय केन्द्रीय अवस्थान सिद्धान्त (Contrial Place Theory) की नगरीय, व्यापार और संस्थान की अवस्थापना के लिए स्थापना की। कुछ अवधारणाएं लेकर क्रिस्टॉलर ने यह प्रतिपादित किया कि अनेक सामाजिक, आर्थिक क्रियाएं कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं के चारों ओर केन्द्रित होती हैं। इन्हें हम केन्द्र स्थल कहते हैं। ये केन्द्र स्थल एक क्रमबद्ध कार्यात्मक पदानुक्रम रखते हैं और एक तन्त्र का विकास करते हैं, जिसमें सभी सदस्य केन्द्रक, केन्द्र बिन्दु पर निर्भर करते हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं का सबसे बड़ा परास (Range) प्रस्तुत करते हैं। इन केन्द्रों के बाजार क्षेत्र षटभुज प्रतिरूप में गुम्फित होते हैं, इसमें से प्रत्येक व्यापार क्षेत्र, दूसरे छः केन्द्रों से घिरा होगा। प्रत्येक क्रमिक निम्नस्तरीय बाजार क्षेत्र अपने निकटतम उच्चस्तरीय बाजार क्षेत्र का एक तिहाई होगा, इसे K=3 सिद्धान्त कहते हैं।

लॉस[10] ने अधिक व्यावहारिक दृष्टि और लचीलापन रखते हुए आर्थिक भू–दृश्य की संकल्पना प्रदान की, जिसमें केन्द्र स्थलों का कोई सुनिश्चित पदानुक्रमणीय विस्तार नहीं होता, बल्कि स्थितियों में सन्तुलन होता है।

क्रिस्ट्रॉलर और लॉस के अवस्थापनात्मक सिद्धान्त समाज विज्ञानियों पर गहरा प्रभाव डालते हैं, जो सामाजिक, आर्थिक विकास की समस्याओं का निरूपण करते हैं। एक ओर ये सिद्धान्त प्रादेशिक क्षेत्रीय परिसंरचना के ढांचे को समझने का अवसर प्रदान करते हैं तथा दूसरी

ओर भविष्य में नियोजन के लिए केन्द्रों का एक आदर्श तन्त्र प्रस्तुत करते हैं। इनकी विकास नियोजन के लिए सार्थकता का विश्व के अनेक क्षेत्रों में परीक्षण किया जा चुका है। उदाहरणार्थ घाना[11] (Grove, 1964), हालैण्ड और इजराइज (Jackson, 1970)[12] ऐसे उदाहरण हैं जहां इस सिद्धान्त का प्रयोग किया जा चुका है।

इस विकास तकनीकी के विश्लेषण में गुन्नार मिरडल[13] ने दो नवीन शब्दों प्रसार प्रभाव (Spread effects) और पश्च प्रभाव (Back Wash Effects) जो हर्षमैन[14] द्वारा बतलाए गए (Trickle Down Effects) तथा ध्रुवीकरण से मिलते जुलते हैं। मिर्डल और हर्षमैन ने प्रसार प्रभाव और (Trickle Down Effects) का विश्लेषण किया है, कि जब वृद्धि तरंगें वृद्धि ध्रुव से बाहर की ओर फैलती हैं, तो यह निर्धन क्षेत्रों में वृद्धि ध्रुव से क्रय और उसमें विनिवेश प्रारम्भ कर देती हैं। यदि दोनों क्षेत्रों में किसी सीमा तक सुनिश्चित पूरकता विद्यमान होती है तो यह प्रक्रिया सबलतर हो जाती है। पश्चप्रभाव अथवा ध्रुवीकरण प्रभाव तब घटित होते हैं, जब बहिर्मुखी शक्तियां केन्द्राभिमुखी शक्तियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती हैं। उदाहरणार्थ प्रतिस्पर्धाजन्य वृद्धि ध्रुवों पर आर्थिक इकाइयों का ध्रुवीकरण। प्रसार प्रभाव निर्धन क्षेत्रों के लिए उपयोगी हैं तथा इन्होंने प्रादेशिक नियोजकों एवं नीति निर्माताओं का ध्यान आकृष्ट किया है, जबकि पश्च प्रभाव दुर्भाग्यशाली क्षेत्रों के पिछड़ेपन की वृद्धि करता है। अतः पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए इसे तटस्थ होना चाहिए।

किन्तु बोडेबॉयल (Boudeville)[15] ने भौगोलिक आयाम को सम्मिलित करके मूल सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। बोडेबॉयल के अनुसार आर्थिक क्षेत्र (Economic space) भौगोलिक क्षेत्र से सम्बद्ध होता है। यह सम्बद्धता कार्यात्मक रूपान्तरण के रूप में होती है जो आर्थिक प्रक्रियाओं के तर्कसंगत लक्षणों का विवेचन करती है। हैन्सन[16] और कुकलिंस्की[17] ने भी अनेक संकल्पनात्मक तत्वों और क्रियात्मक पक्षों का क्षेत्रीय विकास नियोजन के लिए विश्लेषण एवं निबन्धन किया।

फ्रेडमैन (1961)[18] ने इस बात को मान्यता दी कि यह नगरों से बाहर की ओर फैलने वाला प्रभाव होता है, जो परम्परागत सामाजिक प्रतिरूपों को बिगाड़ता है और समाज के मौलिक रूप को चारों ओर समन्वित करता है। मगर एक समन्वयकारी क्षेत्र जो शक्ति उत्पन्न करता है, के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय आयामों में यह उपयुक्त होता है। एक दूसरे स्थान पर फ्रेडमैन ने केन्द्र और सीमान्त के सम्बन्धों को भी मान्यता दी है, जिसमें एक केन्द्र जो प्रभावशाली कार्य करता है, वह सीमान्त को निर्देश प्रदान करता है।

हैगर स्ट्रैण्ड (1967)[19] ने नवीन प्रवर्तनों के क्षेत्रीय प्रसार (Spatial Diffusion), जो आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, को महत्वपूर्ण माना है। इस संकल्पना को रोजर्स और शूमेकर (1968)[20], मौरिल (1968)[21], पीटरसन (1970)[22] ने भी विवेचन किया है। प्रसार सिद्धान्त का नियोजन के लिए प्रयोग को ध्यान में रखते हुए एल्वेस और मौरेल ने 1975

में बहुत अच्छे ढंग से विवेचित किया है।

ग्रामीण विकास और समन्वित क्षेत्रीय विकास की समस्या का भारतीय विद्वानों ने भी अध्ययन किया है। पाठक[23], खाटू[24] और साहा[25] राय और पाटिल[26] ने समन्वित सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय नियोजन, जो विकास खण्ड के सामुदायिक विकास के लिए हैं, की मार्ग निर्देशक बातें बतलाई हैं। इनके ये प्रयास पायलट शोध परियोजना, जो सामुदायिक विकास विभाग द्वारा वृद्धि केन्द्रों को ध्यान में रखकर तैयार की गई थीं, पर आधारित हैं। आर्थिक क्षेत्रों का क्षेत्रीयकरण राय[27] द्वारा किया गया है, जो कुछ अवनत क्षेत्रों को अभिव्यक्त करता है। वह ढांचा जिसके, अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों की नीति भारत में कार्य करती है तथा इसके प्रभाव के विषय में माथुर[28] ने विवेचना की है।

वर्तमान समय के विकासशील देशों की प्रमुख समस्या नियोजित विकास लाना है। इसके लिए आवश्यक है कि विभिन्न सिद्धान्तों और रणनीतियों का क्षेत्र में परीक्षण किया जाए, जिससे सघन प्रतीक अध्ययन किए जा सकें।

राष्ट्रीय विकास संस्थान ने अनेक प्रतीक अध्ययन करके महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।[29] ये अध्ययन सामाजिक सुविधाओं के नियोजन के लिए एक परिष्कृत विधि तन्त्र प्रदान करते हैं। मिरियालगुडा तालुका[30] पर किए गए शोध मोनोग्राफ, जो समन्वित क्षेत्रीय विकास के लिए सशक्त आधार प्रस्तुत करता है, एक प्रशंसनीय कार्य है। सूर्यापित तालुका[31] के अध्ययन में भविष्य में कृषि विकास के लिए विद्युत, उद्योग एवं सामाजिक सुविधाओं का अनुमान लगाया गया। रायचूर में वृद्धि केन्द्र[32] जिला नियोजन के लिए विधि तन्त्र सम्बन्धी सुझाव देने के लिए एक अग्रणी प्रयास है। इस संस्थान से अन्य महत्वपूर्ण अध्ययन, जो समन्वित क्षेत्रीय विकास से सम्बन्धित हैं। खान और त्रिपाठी[33], पटनायक और बोस[34] सेन और ताहा[35] तथा खान और रमेश[36] द्वारा प्रस्तुत किए गए।

पूर्वोक्त योगदानों के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक अध्ययन किए गए हैं। सत्यनारायन[37] द्वारा तेलंगाना प्रदेश की समस्याओं और क्षमताओं पर विवेचना की गई है। उन्होंने विकास और आर्थिक वृद्धि के लिए अनेक सुझाव दिए हैं– बरठाकुर[38] द्वारा आसाम के प्रतीक अध्ययन में औद्योगिक एवं प्रादेशिक विकास की रणनीति प्रस्तुत की गई है। सरकार[39] ने ग्रामीण विकास की समस्याओं का पश्चिमी बंगाल के बांकुडा और पुरूलिया जिलों का अध्ययन किया। ब्राह्मे[40] ने महाराष्ट्र के पिछड़े हुए क्षेत्र मराठबाड़ा के आर्थिक विकास के लिए एक डिजाइन का सुझाव दिया। शाह[41] और भट्‌ट[42] ने अपने प्रतीक अध्ययनों द्वारा गुजरात के तलाला ब्लाक और हरियाणा के करनाल क्षेत्र का अध्ययन किया। करनाल क्षेत्र का अध्ययन विशेष ध्यान देने योग्य है, क्योंकि केन्द्रीय स्थान सिद्धान्त का यह एक संदर्श विश्लेषण है, जो हरियाणा के एक विकासशील कृषि प्रदेश का अध्ययन है तथा इसके विकास के लिए मार्ग निर्देश प्रस्तुत करता है।

1970 के दशक में अनेक महत्वपूर्ण अध्ययन मिनोचा[43], मुखजी[44], अग्रवाल[45], कायस्थ और प्रसाद[46] और रेड्डी[47] ने किए हैं। सिंह[48] ने अपने अध्ययन में समन्वित प्रादेशिक विकास के लिए एक आदर्श क्षेत्रीय संगठन का मॉडल प्रस्तुत किया है।

(iv) शोध समस्या (Research Problem) :-

कृषि प्रधान अर्थ व्यवस्था वाले पिछड़े क्षेत्रों के अध्ययन के लिए उपरोक्त शोध अध्ययनों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समस्याओं एवं सम्भावनाओं का अध्ययन समीचीन एवं उपयोगी होगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर आर्थिक दृष्टि से पिछड़े तथा कृषि प्रधान अर्थ व्यवस्था वाले क्षेत्र हमीरपुर तहसील में समन्वित ग्रामीण विकास के अन्तर्गत किए जा रहे कार्यों का अध्ययन तथा प्राप्त सफलताओं का मूल्यांकन करना तथा विद्यमान समस्याओं के निराकरण के लिए नवीन तकनीकों की खोज और यहां के क्षेत्रीय विकास की दर में वृद्धि करना तथा इस क्षेत्र को एक सुदृढ़ अर्थ व्यवस्था वाले क्षेत्र के रूप में विकसित करने के उपाय खोजना शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। इस क्षेत्र के सन्तुलित विकास के लिए एक समन्वित विकास योजना प्रस्तुत करके उसका क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है।

(v) क्षेत्रीय विकास के लिए रणनीतियाँ (Strategies for Area Development) :-

उपरोक्त सैद्धान्तिक आधारों के अनुसार अनेक प्रादेशिक विकास रणनीतियाँ ग्रामीण क्षेत्रीय विकास के लिए विकसित हुई हैं। नगोया जापान में 23 से 26 अगस्त 1950 में हुई विशेषज्ञ समूह की प्रादेशिक विकास– प्रमुख रूप से ग्रामीण समाज में विकल्प विषय पर हुई बैठक में रणनीतियों के मुख्य वर्ग निम्नवत् हैं–

1. नगरीय औद्योगिक उपागम एवं वृद्धि ध्रुव।
2. कृषि विकास रणनीति और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष अन्तर्निवेश।
3. आधारभूत आवश्यकतायें एवं लक्ष्य वर्ग उपागम।
4. कृषि राजनैतिक उपागम।

उपरोक्त रणनीतियों में से प्रथम दो केन्द्रीय रणनीतियाँ हैं तथा शेष सतही रणनीतियाँ हैं। प्रथम रणनीति अर्थात नगरीय औद्योगिक रणनति की जड़ें, वृद्धि ध्रुव सिद्धान्त में है तथा इसका सम्बन्ध औद्योगिक महानगरीकरण की समस्याओं के उन्मूलन से है, लेकिन यह रणनीति ग्रामीण निर्धनता को दूर करने में असफल हो गई। अतः कृषि विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष अन्तर्निवेश की रणनीति अस्तित्व में आई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को उन्नत करना था। सघन कृषि विकास, ग्रामीण औद्योगीकरण, परिसंरचना का प्राविधान तथा भूमि सुधार इस रणनीति के मुख्य घटक हैं। इसका उद्देश्य बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन में आत्म निर्भरता प्राप्त करना है।

लक्ष्य समूह उपागम का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के लिए जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति तथा क्रमिक विकास के लिए अन्तर्निवेश करना है। यह उपागम अनेक क्रियात्मक रूपों में जैसे– "अन्त्योदय" (अन्तिम व्यक्ति का विकास, लघु कृषक विकास, पिछड़े समूह अथवा जनजातीय विकास, आधारभूत आवश्यकता रणनीति आदि)।

कुछ समय पूर्व ही समन्वित क्षेत्रीय विकास की अवधारणा शिक्षाविदों और कार्यकर्ताओं के विचार में आई है। इसका सम्बन्ध वृद्धि केन्द्र संकल्पना से है। समन्वित ग्रामीण विकास के मुख्य बिन्दु इस प्रकार से हैं–

1. कृषि का सघनीकरण।
2. कृषि आधारित लघु पैमाने का औद्योगीकरण।
3. स्वायत्त सहायता।
4. सेवा केन्द्रों एवं विपणन केन्द्रों की पदानुक्रमणीय क्रमबद्धता।

रिहूविट स्कूल भी समन्वित ग्रामीण विकास का इसी प्रकार से उपागम मानता है, लेकिन वह कृषि के क्रमिक रूपान्तरण पर विशेष बल देता है, वह निर्वहन कृषि को वाणिज्यिक कृषि में परिवर्तित करने पर जोर देता है। दोनों ही उपागम ऊपर से नीचे और नीचे से उपागमों का समन्वयन करते हैं।

कृषि राजनैतिक उपागम वास्तव में वृद्धि ध्रुव के विरुद्ध बात कहता है। इस उपागम में मुख्य रूप से आत्मनिर्भरता, सहकारिता, स्वयं सहायता जैसे– बिन्दुओं पर विशेष बल देता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता स्ववित्त सामाजिक ज्ञान भी इस उपागम के अंग हैं। आत्मनिर्भरता का विचार पूर्णतया नया नहीं है। यह विचार पहले ही महात्मा गाँधी द्वारा दिया जा चुका है।

(vi) उद्देश्य एवं विधि तन्त्र (Objectives and Methology) :-

छठवीं पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मूल उद्देश्य प्रस्तावित किए गए थे तथा उन्हें एक दशक में पूरा करना था। इस योजना में उक्त कार्यक्रम के तीन प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए थे–

1. बेरोजगारी दूर करना और अर्धरोजगारी को कम करना।
2. निर्धनों का जीवन स्तर उन्नत करना।
3. आधारभूत आवश्यकताओं जैसे स्वच्छ पेयजल, आधारभूत शिक्षा, प्रौढ़ साक्षरता, स्वास्थ्य, ग्रामीण सड़कें, भूमिहीनों एवं निर्धनों के लिए मकान आदि का प्रावधान।

इसके अतिरिक्त इन योजनाओं में इन लक्ष्यों पर भी जोर दिया गया यथा– कृषि विकास, कुटीर एवं लघु उद्योग, समन्वित ग्रामीण विकास तथा न्यूनतम आवश्यकताओं का प्रावधान समन्वित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत यह सभी पक्ष सम्मिलित थे।

हस्तगत अध्ययन में हमीरपुर तहसील का समन्वित क्षेत्रीय विकास नियोजन के लिए

चयन किया गया है, जिसके विकास के लिए लक्ष्यों की रचना की जाएगी, तथा उनके प्राप्ति के लिए योजना तैयार की जाएगी। वर्तमान अध्ययन आर्थिक शक्तियों, सामाजिक और राजनैतिक विकास के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उचित केन्द्रों का 'स्विच बोर्ड' के रूप में चयन किया जाएगा, जो पिछड़े क्षेत्र को उचित शक्ति प्रदान करेंगे। समन्वित ग्रामीण विकास नियोजन के अन्तर्गत कृषि लघु एवं कुटीर उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, संचार, शक्ति, परिवहन के विकास हेतु समन्वित विकास योजना तैयार की जाएगी।

विधि तन्त्र (Methology) :-

अध्ययन का विधि तन्त्र दो भागों में विभक्त है–

1. समुचित इकाइयों का चयन।
2. उनके उत्पादों की पूरकता और मांग तथा परिसंरचना।

प्रथम भाग के अन्तर्गत न्याय पंचायत को आधारभूत नियोजन इकाई के रूप में लिया गया है, जिसमें आर्थिक विकास के लिए कुछ अधिवास चुने जाएंगे यह चयन उनके जनसंख्या आकार तथा वर्तमान कार्यात्मक आकारिकी के आधार पर चिन्हित किए जाएंगे।

द्वितीय भाग प्रत्यक्ष रूप से अनेक कृषि उत्पादों की औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपयोग हेतु आपूर्ति के आंकलन से सम्बन्धित है। यह आकलन खाद्यान्नों की उपलब्धता, भौतिक दशाओं तथा विविध विकास कार्यक्रमों के आधार पर किया जाएगा।

1 (ब) क्षेत्र का भौगोलिक व्यक्तित्व (Geographical Personality of the Area) :-

(i) नामकरण (Nomenclature) :-

वर्तमान तहसील मुख्यालय हमीरपुर यमुना और बेतवा नदियों के बीच सामरिक आस्थान पर एक कलचुरी राजपूत हमीरदेव द्वारा 11वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था।[49] यह कहा जाता है कि जब वह अलवर से मुसलमानों द्वारा निष्कासित कर दिया गया तब उसने यहां शरण ली थी और एक छोटा सा किला बनवाया हमीरदेव के नाम पर ही इसका नाम हमीरपुर पड़ा। सन् 1182ई0 में यह पृथ्वीराज चौहान के आकर्षण का केन्द्र था। सामरिक अवस्थिति के कारण यह मुगल राजाओं के लिए भी आकर्षण का केन्द्र था। किला और कुछ मुस्लिम मकबरे इसकी प्राचीनता को जानने में मदद करते हैं।

(ii) स्थिति एवं विस्तार (Location and Extent) :-

अध्ययन क्षेत्र (तहसील हमीरपुर) उत्तर प्रदेश के चित्रकूटधाम मण्डल (बुन्देलखण्ड प्रदेश) के जनपद हमीरपुर का एक मुख्य अंग है। इसका अक्षांशीय विस्तार $25^0 40' 40''$ से $26^0 6'$ उत्तरी अक्षांश तक एवं देशान्तरीय विस्तार $79^0 47' 50''$ से $80^0 22'$ पूर्वी देशान्तर तक है। यह

HAMIRPUR TAHSIL
ADMINISTRATIVE UNITS
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 KM.
INDIA
LOCATION
MAP
U.P.
HAMIRPUR
STUDY AREA
TAHSIL KALPI
TAHSIL BANDA
TAHSIL MAUDAHA
INDEX
DISTRICT BOUNDARY
VIKASKHAND BOUNDARY
NYAYPANCHAYAT BOUNDARY
DISTRICT & TAHSIL H.Q.
VIKASKHAND HEAD QUARTER
NYAYPANCHAYAT HEAD QUARTER
RIVER

FIG- 1.2

जनपद हमीरपुर के दक्षिणी मैदान एवं यमुना नदी के मध्य स्थित है। इसके पूर्व में बांदा का मैदान और उत्तर–पश्चिम में जालौन का मैदान है। तहसील की 60 किमी0 उत्तरी सीमा यमुना नदी द्वारा निर्धारित होती है, जो इसे कानपुर देहात एवं फतेहपुर जनपदों से अलग करती है। तहसील की पश्चिमी सीमा पर जनपद जालौन की कालपी तहसील का मैदान है। पूर्वी सीमा केन नदी द्वारा निर्धारित होती है,जो बांदा जनपद को अलग करती है। तहसील की दक्षिणी सीमा तहसील मौदहा को अलग करती है। तहसील की उत्तर–दक्षिण अधिकतम लम्बाई 25 किमी0 तथा पूर्व–पश्चिम चौड़ाई 50किमी0 है। तहसील हमीरपुर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1072.19 वर्ग किमी0 है।

(iii) प्रशासनिक ढांचा (Administrative Structure) :-

प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह तहसील दो विकास खण्डों में विभक्त है। ग्राम विकास की दृष्टिकोण से 16 न्याय पंचायतों, 106 ग्राम सभाओं एवं 192 गांवों (144 आबाद ग्राम एवं 48 गैर आबाद ग्राम) में इसे विभाजित किया गया है। (तालिका संख्या– 1.1), मानचित्र– पूर्व में सुमेरपुर विकास खण्ड तथा पश्चिम में कुरारा विकास खण्ड स्थित है। तहसील का सबसे बड़ा विकास खण्ड सुमेरपुर है, जिसका क्षेत्रफल 631.11 वर्ग किमी0 तथा जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार) 175870 व्यक्ति हैं। इससे लघु विकास खण्ड कुरारा है, जिसका क्षेत्रफल 461.5 वर्ग किमी0 है तथा इसकी जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार) 130863 व्यक्ति हैं। निम्न तालिका हमीरपुर तहसील के प्रशासनिक ढांचे का विवरण प्रस्तुत करती है–

तालिका संख्या- 1.1

तहसील हमीरपुर का प्रशासनिक ढांचा

क्र0सं0	विकास खण्ड	न्याय पंचाय	ग्रामसभा	कुल ग्राम	आबाद ग्राम	गैर आबाद
1.	सुमेरपुर	10	63	108	84	24
2.	कुरारा	6	43	84	62	22
योग		16	106	192	146	46

स्रोत– जनगणना हस्त पुस्तिका जनपद– हमीरपुर, सन् 1981।

(iv) भौगर्भिक संरचना (Geological Structure) :-

किसी भी क्षेत्र का भौगोलिक व्यक्तित्व वहां के संविकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अतः उसकी भौगर्भिक संरचना का उसके अध्ययन एवं विकास में महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि यह धरातलीय उच्चावचन, जल प्रवाह एवं मृदा संरचना को नियन्त्रित करने के साथ ही भौतिक पर्यावरण का भी एक विशिष्ट तत्व होती है, जिसके कारण यह मनुष्य की समस्त आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाओं को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। अधिवासों की अवस्थापना एवं विसरण पर तो इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। अध्ययन क्षेत्र

की भौगर्भिक संरचना का निर्माण मुख्य रूप से आधुनिक निक्षेप द्वारा हुआ है।

हमीरपुर तहसील का लगभग सम्पूर्ण भाग आधुनिक निक्षेप से निर्मित है। ये जलोढ़क नदियों द्वारा लाए गए बालूकण, मिट्टी एवं उप क्षेत्रीय शैलों के समूहों से प्राप्त गाद आदि से निर्मित है। यमुना का जलोढ़ मैदान निश्चित रूप से अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है जो इस क्षेत्र की कृषि के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तहसील के दक्षिणी पठारी क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियाँ– बेतवा, धसान, वर्मा एवं चन्द्रावल अपने साथ पर्याप्त मात्रा में लाल, बालुकाश्म एवं मिट्टी बहाकर लाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप इन नदियों के किनारे की मिट्टी लाल रंग की बलुई एवं दोमट प्रकार की है। नदियों के उच्चवर्ती भाग जहां नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता बांगर कहलाता है।[50] बांगर में छोटे कंकड़ से लेकर बड़े कंकड़ तक पाए जाते हैं। खादर में नदियों का जल प्रतिवर्ष पहुंचता रहता है और नवीन मिट्टी का जमाव होता रहता है। बेतवा नदी अपने साथ पर्याप्त मात्रा में मोटे लाल कणों की बालू (मोरम) प्रवाहित कर मैदानी भाग में निक्षेपित करती है, जिससे हमीरपुर कस्बे से लेकर यमुना नदी के संगम तक इसी का प्रसार दृष्टिगोचर होता है। परिणाम स्वरूप बेतवा के इस क्षेत्र में लाल बालू कणों से युक्त मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में लाल बालू (मोरम) निकालने का कार्य किया जाता है। नवीन निक्षेप बेतवा नदी के पश्चिमी किनारे पर हमीरपुर, कुसमरा, पतारा, डांडा, बेरी तथा यमुना नदी के किनारे पत्योरा, कुसमरा, शेखूपुर और मिश्रीपुर न्याय पंचायतों में पाए जाते हैं।

(v) उच्चावचन (Relief) :-

किसी क्षेत्र के भौतिक स्वरूप का निर्धारण मुख्यतया दो कारकों– ढाल एवं उच्चावचन के आधार पर होता है। ये कारक भौगर्भिक संरचना एवं इतिहास द्वारा निश्चित होते हैं। अध्ययन क्षेत्र का ढाल दक्षिण–पश्चिम से उत्तर–पूर्व की ओर है। सुमेरपुर 113 मी0 (सागर–कानपुर सड़क मार्ग के आधार पर) एवं कुरारा 121.8 मी0 समुद्रतल से ऊंचा है। पश्चिमी क्षेत्र के ढाल की अपेक्षा दक्षिणी भाग का ढाल (औसत ऊंचाई 210 मी0) तीव्र है। हमीरपुर तहसील के उच्चावचन को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है–

(अ) उत्खात पट्टी (Ravine Belt) :-

हमीरपुर तहसील में यमुना, बेतवा, वर्मा और केन नदियां प्रवाहित हैं। इन नदियों के किनारे–किनारे वर्षा ऋतु में प्रवाहित होने वाले नालों और छोटी–छोटी जल धाराओं ने नदियों से संलग्न क्षेत्र को काट–पीट दिया है। यमुना का दक्षिणी किनारा खड़े ढाल वाला है इसलिए इसके निकटवर्ती क्षेत्र में गहरे बरसाती नाले पाए जाते हैं, जिन्होंने यमुना के दक्षिणी तटीय क्षेत्र को कृषि अथवा अन्य आर्थिक क्रियाओं के योग्य नहीं छोड़ा। वर्मा के दोनों किनारों पर अनेक छोटे–छोटे नाले, जिनमें कई उपनाले प्रवाहित होते हैं। वर्षा ऋतु में ये तटवर्ती क्षेत्रों को बहुत अधिक काट–पीट देते हैं, जिससे ये क्षेत्र कृषि कार्यों के लिए अप्रयोज्य एवं अनुपयुक्त हो जाते

HAMIRPUR TAHSIL
RELIEF
N
79°47'50''E
80°22'E
26°6'N
26°6'N
25°40'40''N
79°47'50''E
80°22'E
25°40'40''N
YAMUNA RIVER
BETWA RIVER
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 KM.
INDEX
ABOVE 125 METRES
BELOW 125 METRES

FIG- 1.3

हैं।

तहसील के पश्चिमी भाग में बेतवा नदी के किनारे–किनारे पतली पट्टी के रूप में अनेक छोटे–बड़े नाले विकसित हो गए हैं। इन्होंने तटीय क्षेत्र को काट दिया है। परिणाम स्वरूप ऊँचे–नीचे टीले विकसित हो गए हैं। इनमें कृषि करना असम्भव होता है। सघन वृक्षारोपण करके उत्खात पट्टियों को कटाव से बचाया जा सकता है।

(ब) हमीरपुर मैदान (Hamirpur Plain) :-

इस क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 14.5% भाग सम्मिलित है। हमीरपुर तहसील के दोनों विकास खण्ड कुरारा एवं सुमेरुपर इसमें सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र को यमुना पार मैदान भी कहा जाता है। यमुना की मुख्य सहायक नदी बेतवा, हमीरपुर कस्बे के पूर्वी भाग में दोआब बनाती हुई ग्राम बड़ागांव के पास मिलती है। यह दोआब यमुना एवं बेतवा नदियों द्वारा बहाकर लाए गए कोमल तथा असंगठित पदार्थों द्वारा निर्मित है। कृषि उत्पादन की दृष्टि से यह सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। यहां नहरों एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। इस क्षेत्र में अधिवास सघन एवं अर्धसघन पाए जाते हैं।

(vi) जलप्रवाह (Drainage) :-

हमीरपुर तहसील का जल प्रवाह सामान्य ढाल की दिशा में दक्षिण–पश्चिम से उत्तर–पूर्व की ओर है। नदियों, नालों एवं अन्य जलाशयों में वर्षा ऋतु में पर्याप्त जल एकत्रित हो जाने के कारण प्रवाह–तन्त्र विस्तृत हो जाता है। इस क्षेत्र की मुख्य नदी यमुना है तथा इसकी सहायक नदियां बेतवा एवं वर्मा हैं। चित्र सं0– 1.4 जो उत्तरी भारत की अनुवर्ती अपवाह प्रणाली का अनुसरण करते हुए मुख्य नदी यमुना में मिलती हैं।

1. यमुना नदी (Yamuna River) :-

यमुना नदी जनपद जालौन को पार करती हुई अध्ययन क्षेत्र के कुरारा विकास खण्ड के ग्राम मिश्रीपुर को स्पर्श करती है। आगे प्रवाहित होती हुई ग्राम जमरेही के पास वक्राकृति विसर्प बनाती है। दक्षिण में ग्राम सिकरोही को पार करती हुई हमीरपुर कस्बे के उत्तरी भाग से बहती हुई 8 किमी0 पूरब दिशा में ग्राम बड़ागांव के पास बेतवा नदी को मिलाती है। बेतवा यमुना की मुख्य सहायक नदी है। अन्य छोटे–छोटे नालों में रोहाइन नाला मुख्य है। यमुना नदी से पत्योरा पम्प नहर तथा सुरौली पम्प नहर निकाली गई है।

2. बेतवा नदी (Betwa River) :-

इस नदी को बेत्रवती नाम से भी जाना जाता है। बेतवा यमुना की प्रमुख सहायक एवं अध्ययन क्षेत्र की सबसे उपयोगी एवं बड़ी नदी है। यह नदी तहसील के पश्चिमी भाग कुरारा विकास खण्ड के ग्राम बेरी के पास सीमा में प्रवेश करती है। वर्मा इसकी मुख्य सहायक नदी

HAMIRPUR TAHSIL
DRAINAGE SYSTEM
N
79°47'50''E
80°22'E
26°6'N
25°40'40''N
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 KM.
YAMUNA RIVER
BETWA RIVER
ROHAIN NALA
CHUVARD NALA
MAHILA NALA
KARORAN NALA
LARHAR NALA
INDEX
NALA

FIG- 1.4

है। वर्मा नदी जैतपुर के पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर सुमेरपुर विकास खण्ड के ग्राम रूरी पारा के पांस अध्ययन क्षेत्र में प्रवेश करती है, आगे कुछ दूरी पर बेतवा में मिल जाती है। यह नदी शीत एवं ग्रीष्मकाल में मन्द गति से प्रवाहित होती है। परन्तु वर्षाकाल में अपनी विनाशलीला से तटीय अधिवासों को जल प्लावित कर देती है। क्षेत्रीय नदियों में बेतवा आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। इसके द्वारा बहाकर लाए गए लाल रंग के मोटे कणों वाली बालू का भवन निर्माण में अधिक महत्व है एवं अधिकांश लोगों की जीविका इसके द्वारा चलती है। तटीय भाग अधिक उपजाऊ है, जिसे 'तरी' एवं 'कछार' कहते हैं।

(vii) जलवायु (Climate) :-

मानव अधिवासों एवं क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों में भौगर्भिक संरचना तथा उच्चावचन के बाद जलवायु का ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। हमीरपुर तहसील का सम्पूर्ण क्षेत्र मानसूनी जलवायु के अन्तर्गत आता है। कोपेन के अनुसार यह अध्ययन क्षेत्र (Cwg) जलवायु प्रदेश में आता है। तहसील हमीरपुर संक्रमण स्थान पर स्थित है। क्षेत्र के उत्तर में गंगा का मैदान एवं दक्षिण में विन्ध्य श्रेणियाँ हैं। इस प्रकार की स्थिति होने के कारण ग्रीष्मकाल में भयंकर गर्मी एवं शीतकाल में कठोर ठण्ड अध्ययन क्षेत्र में जून सबसे गर्म महीना होता है, जिसका तापमान 48.2^0 सें0ग्रे0 से भी अधिक हो जाता है। जनवरी सबसे ठण्डा माह होता है, जिसका तापमान 2.9^0 सें0ग्रे0 से भी नीचे चला जाता है। कभी–कभी यह तापमान ऋणात्मक भी हो जाता है। इस तरह वार्षिक तापान्तर लगभग 45.3^0 सें0ग्रे0 पाया जाता है।

अधिकतम वार्षिक वर्षा 153.6 सेमी0 अंकित की गई है। अप्रैल तथा नवम्बर महीनों में वर्षा नगण्य रहती है। अनियमिता यहां की वर्षा का मुख्य लक्षण है। अतिवृष्टि के कारण वर्षा ऋतु में विनाशकारी बाढ़ की विभीषिका का सामना भी घाटी क्षेत्रों में, निवासियों को करना पड़ता है। कभी–कभी भयंकर सूखा पड़ता है। जुलाई एवं अगस्त महीनों में 50% से भी अधिक वार्षिक वर्षा हो जाती है। वार्षिक वर्षा का 80% भाग जून से सितम्बर तक चार महीनों में ही प्राप्त हो जाता है। जनवरी एवं फरवरी माह में पश्चिमी चक्रवातों से लगभग 2 सेमी0 वर्षा प्राप्त हो जाती है। औसत सापेक्षिक आर्द्रता 72% रहती है। लेकिन उसमें उतार–चढ़ाव होते रहते हैं। जाड़े के मौसम में 71%, गर्मी में 51% एवं वर्षा ऋतु में सापेक्षिक आर्द्रता बढ़कर 88% हो जाती है। फरवरी से जून तक सापेक्षिक आर्द्रता में लगातार ह्रास होता है। हवाओं द्वारा अकस्मात दिशा परिवर्तन के कारण जुलाई से सापेक्षिक आर्द्रता में काफी वृद्धि हो जाती है। यहां तीन ऋतुयें पाई जाती हैं–

ग्रीष्म ऋतु (मध्य मार्च से मध्य जून तक) :-

अध्ययन क्षेत्र में मार्च माह से तापमान में वृद्धि होने लगती है और शीघ्र ही गर्म मौसम पूरे क्षेत्र पर व्याप्त हो जाता है। इस ऋतु में झुलसाने वाली गर्म हवायें चलती हैं, जिन्हें 'लू'

कहते हैं। इस क्षेत्र में 'लू' का प्रभाव असहनीय होता है। मई एवं जून में दोपहर के समय यह तींव्रता से चला करती है। इसी समय धूल भरी आंधियाँ उत्तर–पश्चिमी शुष्क क्षेत्रों से आती रहती हैं। दोपहर में तापमान 48^0 सें0ग्रे0 से भी ऊपर चला जाता है। रात के समय तापमान काफी घट जाता है, जिससे रातें सुखद एवं आरामदेह होती हैं। इस ऋतु में अधिकांश नाले, झीलें और तालाब सूख जाते हैं, जिससे जल की न्यूनता पूरे क्षेत्र में एक समस्या बन जाती है।

वर्षा ऋतु (मध्य जून से मध्य सितम्बर तक) :-

ग्रीष्मकालीन मानसून के अकस्मात आगे बढ़ने से सापेक्षित आर्द्रता में एकाएक वृद्धि तथा तापमान में ह्रास हो जाता है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली वाष्प भरी हवायें, जो बंगाल एवं बिहार प्रान्त से होती हुई आती हैं, इस क्षेत्र में भारी वर्षा करती हैं। वार्षिक वर्षा का लगभग 80 से 85 प्रतिशत ग्रीष्मकालीन मानसून से ही प्राप्त होता है।

शीत ऋतु (मध्य दिसम्बर से मध्य मार्च तक) :-

मध्य सितम्बर से दिसम्बर तक मानसून प्रत्यावर्तन के बाद पश्चिमोत्तर भारत में उच्च वायु भार के निर्माण के कारण उत्तर–पश्चिमी हवाओं की गति में ह्रास हो जाता है। नवम्बर से जनवरी तक तापमान निरन्तर घटता जाता है।

जनवरी सबसे ठण्डा महीना होता है, जिसमें अधिकतम तापमान 28.5^0 सें0ग्रे0 एवं न्यूनतम 2.9^0 सें0ग्रे0 से भी कम हो जाता है। अतः इस ऋतु में सर्वाधिक दैनिक तापान्तर मिलता है। स्वच्छ आकाश, सुहावना मौसम, निम्नतम् तापक्रम तथा धीमी चलने वाली उत्तर–पश्चिमी हवायें शीत ऋतु की प्रमुख विशेषतायें हैं।[51] इस ऋतु में शीतकालीन चक्रवातों द्वारा हल्की वर्षा हो जाती है, जो रबी की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। चक्रवातों के आकाश में आ जाने से कभी–कभी 8 से 10 दिनों तक बदली छायी रहती है। इन चक्रवातों से कभी–कभी ओले की भी वृष्टि होती है, जो कृषि के लिए अत्यन्त हानिकारक होती है। फरवरी के अन्त तक हवा की गति तीव्र होने लगती है।

(viii) प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन (Flora and Fauna) :-

वनस्पतियों का विकास, वृद्धि एवं उनके प्रकार कई कारकों पर निर्भर करते हैं। वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक स्थिति, मृदा, तापमान, वर्षा, पवन, ऊँचाई, समुद्र से दूरी, ढलान की अभिमुखता तथा सूर्य का प्रकाश है। इन कारकों में विविधता होने के कारण ही विभिन्न भागों में अलग–अलग प्रकार के वृक्ष एवं पौधे पाए जाते हैं। भौगोलिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से वनस्पतियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है।

ट्रिवार्था[52] के शब्दों में "जंगल मानव एवं पशुओं के जीवन से सम्बन्धित रहे हैं, जो कृषि विकास के पूर्व मानव खाद्य वस्त्र आदि संसाधनों के रूप में प्रयुक्त होते रहे हैं।" वन किसी भी देश, प्रान्त तथा जनपद के प्राण रूप होते हैं।[53] वनस्पतियों के वितरण में भौतिक अवयवों जैसे–

वर्षा, तापमान, मिट्टी एवं भू–आकृति का प्रभाव पूर्णरूपेण परिलक्षित होता है। अध्ययन क्षेत्र का दक्षिणी भाग ऊबड़–खाबड़ एवं पठारी तथा उत्तरी भाग मैदान के साथ तरंगित रूप में विस्तृत है। राज्य सरकार ने वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में वृक्ष लगाने एवं उनकी सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित किया है। अनुपजाऊ भू–भाग, बंजर, रेलवे तथा सड़कों के किनारे के क्षेत्रों में वनस्पतियां लगाई जा रही हैं। वर्तमान समय में वानस्पतिक क्षेत्रों एवं बागानों पर नियन्त्रण लगा दिया गया है। तहसील में 4453.00 हेक्टेयर भूमि अर्थात कुल भौगोलिक क्षेत्र के 4.14 प्रतिशत भाग पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जो देश के वन क्षेत्रफल 22.8% तथा प्रान्त के वन क्षेत्रफल 11.9% के औसत से बहुत ही कम है। इसका प्रमुख कारण तहसील का अधिकांश भाग ऊबड़–खाबड़ एवं पठारी होना है। तहसील में वनस्पतियों के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल कुराना विकास खण्ड 8.81% एवं सबसे कम सुमेरपुर विकास खण्ड में 0.77% पाया जाता है। अध्ययन क्षेत्र की मुख्य वनस्पतियाँ बबूल, ढाक, सेज, तेन्दू, महुआ, सेमल, नीम, पीपल, आम, जामुन, आंवला, बेर आदि हैं। वर्षा के दिनों में मुख्य रूप से मूसल, उरा, गुन्ना, कराट, पसही, डुला, कांस तथा गाउर–घासें उग आती हैं। वर्षा ऋतु के पश्चात कांस को छोड़कर लगभग समस्त घासें सूख जाती हैं। कांस ही एक ऐसी घास है, जो बारहों महीने हरी–भरी रहती है। इसे बड़ी कठिनाई के साथ खोदकर उन्मूलन किया जाता है। यह घास जिस क्षेत्र में होती है वह भाग अनुपजाऊ हो जाता है। क्षेत्र के अनुपजाऊ भू–भाग एवं नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में वनस्पतियों का रोपण करके वन क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है।

वन्य जीवन के अन्तर्गत गैर पालतू पशु एवं पक्षी सम्मिलित हैं। हमीरपुर तहसील के वन विरल हैं। केवल यमुना, बेतवा के किनारे कटे–पिटे एवं ऊबड़–खाबड़ क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं, जिनमें हिरन, चिंकारा, तेन्दुआं, जंगली सुअर, वनरोज (नीलगाय) पाए जाते हैं तेंदुआ, सियार मांसाहारी जीव हैं, जबकि हिरन, चिंकारा, नीलगाय, जंगली सुअर आदि शाकाहारी हैं। सेही और गिलहरियाँ जो कृन्तक (Rodentia) वर्ग के हैं, यहां के वनों और खेतों में प्रायः दिखाई देते हैं। तहसील के वन्य क्षेत्रों में कोबरा, करैत और बाइपर जैसे जहरीले सर्प, रंगीन सर्प तथा विषहीन सर्प, पनिहा, विषखोपरा, बिच्छू आदि जहरीले जीव पाए जाते हैं। गोह भी यहां के वनों में दिखाई देता है। नदियों में कहीं–कहीं मगर और घड़ियाल दिखाई देते हैं। अनेक प्रकार की मछलियाँ इन नदियों में पाई जाती हैं।

हमीरपुर तहसील के वनों में पाए जाने वाले पक्षियों में से मोर, तोता, कौवा, गिद्ध, कबूतर, तीतर, सारस, कोयल, पपीहा, कठफोड़वा, नीलकण्ठ, गलगलिया, डौंकी तथा गौरैया मुख्य हैं। यमुना, बेतवा और वर्मा नदियों में अनेक प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। भन्सीर और फुलाबी मछलियाँ प्रायः सभी नदियों में पाई जाती हैं। बचुवा, नैनी, बैकरी, रोहू, टेंगन, गिगरा, सिंही, शौर, तुआली, बाजी, अनवरी, पढ़िन और चितला मछलियाँ भी यहां की नदियों में पाई जाती हैं। हमीरपुर तहसील में वन्य जीवन संरक्षण की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए यहां

पाया जाने वाला वन्य जीवन अत्यन्त विरल है। तहसील के वन क्षेत्रों में वन कानून एवं वन्य जीवन संरक्षण कानून को कठोरता से लागू किया जाना बहुत आवश्यक है, जिससे वन क्षेत्र में वृद्धि एवं सघनता प्राप्त होगी और विलुप्त हो रहे वन्य जीवन का संरक्षण होगा। हिरन, चीतल, सांभर तेंदुआ, सियार, लकड़बग्घा जैसी स्थानीय वन्य प्रजातियों की संख्या में वृद्धि होगी। साथ ही साथ यहां की कृंतक प्रजातियों जैसे– सेही और गिलहरी, गोह और नेवला आदि की संख्या में भी वृद्धि होगी। मोर, गिद्ध, तोता, तीतर गौरैया जैसी स्थानीय पक्षी प्रजातियों की संख्या में भी वृद्धि होगी। पर्यावरण सन्तुलन बनाए रखने के लिए हमीरपुर तहसील के वनों और वन्य जीवन का संवर्धन अत्यन्त आवश्यक है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय तथा शोध विषय की विषयवस्तु का अध्ययन करने के पश्चात् अध्ययन क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का आंकलन आवश्यक हो जाता है क्योंकि संसाधन ही किसी क्षेत्र के विकास के मूल आधार होते हैं।

REFRENCES

1- Milhorst J.C.M. : Regional Planning: A system approach, Rottordam University Press 1971 P.121.

2- Glasson, J, An Introduction to Regional Planning, Hutchinson of London, 1978 P.261.

3- Friedmann, J. The Concept of a Planning Region, The evolution of an idea in the united states, Reprinted in J. Friedmann and W.Alosno (ed.) 1956 Regional Development and Planning. A Reader, the M.I.T. Press:1964.

4- op.cit, fin. 1., P. 121.

5- Ram K., vepa.: The village of my dreams in New Technology: A Gandhian Concept, Ghandi Book House, New Delhi, Chap.5, 1975, P.65.

6- Subramanian, c.: Strategy for Integrated rural development, Presented to the budget session of the Parliament of India, march 1976.

7- A Major change in school Education, Ministry of Education and Social welfare, Govt. of india; New Delhi, 1975.

8- Thunen, J.H.von, : Der isolierts streat in bezichung outland wirtschaft and national okonomie. Hamburg Translated by c.m. wartenberg,vonthunen's isolated state 1826, edited with an introduction by petar hall, pergamon press 1976.

9- Christaller, N.: Die zentralen orte in suddeutsch land jana 1933, G. Fisher. Translated by C.N.W. Baskin, englewood cliffs, N.J. 1966.

10- Losch, A.: Die Raumliche ordung der wirschaft Jena 1940.

11- Grove, D. and L. huszar,: The Application of Central place theory in the planning of a developing Country. town and Country planning School exeter 1964.

12- Jackson, G.: Regional Policy and Planning in Israel, Oxford polytechnic o.p 1970.

13- Myrdal, G.: Economic theory and under devloped regions London 1957.

14- Hirschmann, A.O. : strategy of Economic development. New Haven: yale university press 1958.

15- Boudeville, J.R. : Problems of regional Economic planning Edinburgh university press 1966.

16- Hansen, N.M. : Development pole theory in the regional context. kyklos 1967, xx,709-25.1 and Hansen, N.M. (ed.) : The regional economic development the free press, New York 1972.

17- Kulinski, A.R. (ed.) : Growth poles and Growth centres in regional planning , mouton, Paris and Kulinski 1972, A.R. (ed.) : regional Deveopment and Planning internatioanl perspective, the Netherlands 1975.

18- Friedmann, J. : The Concept of a Planning region-oities in social trans formation 1961. Reprinted in J. Friedmann et. al. (ed.) 1964. P. 343.360.

19- Hagerstrand,T. : the propagation of innovation waves Lundstudies in Geography, B.Human Geography, 13,27-158. Hagerstand 1952, T. : Inno vation Diffusion as a special Process Chicago 1967.

20- Rogers, E.M. and F. Shoemaker, : Comunication of innovations, across- cultural Approach, New York, Free Press 1968.

21- Morrill,R.L. : Waves of Spatial diffusion, Jl. of reg. se., 8, 1-18 1969.

22- Pedersen, P.O. : Innovation diffusion within and between National urban system. Geographical Analysis, (2) 1970, PP.203-54.

23- Pathak, C.R. : Integrated Area Development, Geog. Rev. of India, XXXV (3), 1973, PP.221-31,.

24- Khatu, K.K. : Rural planning system. N.G.J.I. XXI (384) 1975, PP. 213-219.

25- Saha, M. : Planning Approaches for Rural development, Ind. Geog.Studies, 5, 1975 ,PP.43-49.

26- Roy, P. and B.R.Patil, : Manual for Block, Level Planning. The Macmillan company of India Ltd. 1977.

27- Roy, B.K. : Depressed Areas and Zonation of Districts to setup of physio-grephical Regions in India for Regional Development N.G.J.I. XX(2) 1974, PP. 71-78.

28- Mathur, O.P. : National Policy for Backward Area Development: a structural analysis. Ind.J.I of Reg. Sc., VI (i) 1974, P.P. 73-90.

29- Wanmali,S. : Regional Planning for Social facilitiesan examination of central

Place concept and their applications- a case study of Eastern Maharastra, N.I.C.D. Hyderabad 1970.

30- Sen,L.K., S. Wanmali, S. Bose,G.K.Mishra and K.S. Ramesh. : Planning Rural Growth Centres for integrated Area Development: a study in miryal gudu Taluka, N.I.C.D. Hyderabad 1971.

31- Sen, L.K. and G.K. Mishra, : Regional Planning for Rural Electrification- a case study in Suryapet Taluka, Nalgonda district, A.P.N.I.C.D. Hyderabad 1974.

32- Sen, L.K., R.N. Tripathi, G.K. Mishra and A.L. Thana : Growth centres in Raichur -an integrated Area development Plan for a district in Karnataka N.I.C.D. Hyderabad 1975.

33- Khan, Waheeduddin and R.N. Tripathi, : Plan for integrated Rural Devlopment in pauri Garhwal, N.I.C.D. Hyderabad 1976.

34- Patnaik, N. and S. Bose, : An integrated Tribal Development plan for Keonjhar District Prissa, N.I.S.D. Hyderabad 1976.

35- Sen, L.K. and A.L.Thana. : Regional Planning for a hill area-a case study of Pauri Tehsil in Pauri Garhwal District N.I.C.D. Hyderabad 1976.

36- Khan, Waheeduddin and K.S.Ramesh, :An integrated Area Development plan for West District Manipur N.I.C.D. Hyderabad 1976.

37- Satya Narayan, B. : Telangana's Development Problems and possibilities Ind. J.I. of Reg. Sc., v.(2) 1972, PP. 103-111.

38- Barthakur, N. :A Strategy of industrial and Regional Development of Assam.Dec. Geog., X(1) 1972.

39- Sarkar, B.B. : Problems of Rural Development in Backward District of Bankura and Purulia in West Bengal, Ind. Ji. of Reg. Sc. Vi(1)1973, PP.49-50.

40- Brahme ,S., Kumud Pore and S.H. Pore, : Regional Planning- A case study of Maharastra Region- Artha vijnana, xvii(1&2) 1975.

41- Shah, vimal, : Planning for Talala Block- A study in Micro-Level Planning. The Gujrat institute of Area Planning, Ahemdabad 1974.

42- Bhat, L.S., A.Kundu, B.N.Das., A.N.Sharma, D.R. Bhat, C.S. Shastry, R.C, Mahapatra, : Micro Level Planning- A case study of Karnal Area, Haryana,

India, K.B. Publications, New Delhi 1976.

43- Minooha, A-C. : Planning for Social services in a Backward Region: A case Study of Madhya Pradesh. Ind. J. of Reg. Sc., vi(2) 1974, PP. 181-198.

44- Mukharji, A.B. : The Chandigarh Siwalikh hill; Some aspects of Rural Development. Ind. of Reg.,Sc., vi (2)1974, PP. 206-222.

45- Agrawal, P.C. : Geography and Planning for Regional Development of Bastar District Madhya Pradesh . In V.V. Mishra et. al. (ed.) Essays in Aplied Geography, University of Sagar 1976.

46- Kayastha , S.L. and J. Prasad, : Approach to Area Planning and Development strategy: A Case study of Phulpur Block,Allahabad district, N.G.J.I. xxiv(162)1978, PP.16-28.

47- Reddy, Y.V. : Regional Development Plan for Rayalseema: a case study. In R.P.,Mishra et. al. (ed.) Regional Planning Concept, techniques Policies and ease studies Mysore, Pasaranga 1978.

48- Singh J :Central places and spatial organization in a backward economy: Gorakhpur region- a case study in Integrated Region of Development Uttar Bharat Bhoogol Parisad, Gorakhpur-1979.

49- Patrika, Hamirpur District Information Department, 1980, PP-6.

50- Shafi, Moh., Land Utilization in Eastern Uttar Pradesh, 1960, P-3.

51- Trewartha, G.T. an Introduction to climate, M.C. grewhill, London- 1954.

52- Trewartha, F. and Hammond, elements of Geography, 1974, P.-409.

53- Tripathi, M.L. Bundelkhand Darshan, Jhansi 1980, P.-495.

अध्याय-2

संसाधन आधार

RESOURCES BASE

अध्याय- 2 संसाधन आधार
(CHAPTER-2 RESOURCES BASE)

अत्यन्त प्राचीन काल से विविध संसाधन मानव की आवश्यकता पूर्ति एवं उसके विकास में सहायक रहे हैं। "जिमरमैन"[1] ने संसाधन को" वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन बतलाया है।" इस प्रकार से कोई भी वस्तु जब तक मानव उपयोग में नहीं आती संसाधन नहीं बनती। संसाधन शब्द का अर्थ किसी वस्तु से न होकर उस कार्य से है, जो किसी वस्तु के द्वारा किया जाता है। सामान्य रुप से संसाधनों को दो बड़े वर्गों में विभक्त किया जा सकता है–

1. प्राकृतिक संसाधन।
2. सांस्कृतिक या मानव निर्मित संसाधन।

प्राकृतिक संसाधनों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है–

(i) जैविक संसाधन– जिसके अन्तर्गत वन, प्राकृतिक चारागाह, वन्य जीवन, मछलियाँ और दूसरे संसाधन सम्मिलित हैं।

(ii) अजैविक संसाधन– इनके अन्तर्गत मृदा, वायु, जल, खनिज, ईंधन, इमारती पत्थर आदि सम्मिलित हैं।

वर्तमान अध्ययन में इस वर्गीकरण को संशोधित करके संसाधनों को तीन बड़े वर्गों में रखा गया है–

1. भू–संसाधन– इसके अन्तर्गत मृदा, कृषि, चट्टानें, खनिज, वन, चारागाह एवं वन्य जीवन सम्मिलित हैं।
2. जल संसाधन– जिसके अन्तर्गत जल, मत्स्य एवं समुद्री जीवन सम्मिलित हैं।
3. जैविक संसाधन– इसके अन्तर्गत मानव संसाधन, पशुधन आदि सम्मिलित हैं।

संसाधनों का विकास प्रत्यक्ष रुप से मानव विकास से जुड़ा हुआ है। प्रचुर संसाधन वाले क्षेत्रों में मानव तीव्र गति से विकास करता है, जबकि अभावयुक्त क्षेत्रों में मानव का विकास अवरुद्ध हो जाता है। जोबलर (Zobeler)[2] महोदय ने संसाधन विकास को चार अवस्थाओं में बांटा है–

(i) प्रारम्भिक अभाव।
(ii) प्रचुरता।
(iii) परिवर्तन शील प्रचुरता।
(iv) अन्तिम अभाव।

किसी भी क्षेत्र में प्रथम अवस्था प्राविधिकी के अभाव में संसाधनों का उपयोग न होने के कारण उत्पन्न होती है। द्वितीय अवस्था उपभोग में कमी होने के कारण उत्पन्न होती है। तीसरी

अवस्था प्राविधिकी के विकास के कारण उत्पन्न होती है तथा चौथी अवस्था अति उपभोग के कारण संसाधनों की कमी से उत्पन्न होती है।

उपरोक्त अवस्थाओं के प्रकाश में देखा जाये तो हमीरपुर तहसील तकनीकी विकास में पिछड़ा होने के कारण प्रथम अवस्था में गिना जायेगा। यहाँ पर भूमि, पशुधन एवं खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं, लेकिन तकनीकी सुविधाओं के अभाव के कारण इन संसाधनों का समुचित उपयोग नही हो पा रहा है। सिंचाई, खनन और डेरी उद्योग के विकास के साथ-साथ इस क्षेत्र का तीव्र आर्थिक विकास होगा।

1. भू-संसाधन (Land Resources)

कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण हमीरपुर तहसील में भू-संसाधन अत्यन्त मूल्यवान संसाधन है। हमीरपुर तहसील का अधिकांश भाग समतल हैं जिसमें कृषि फसलें उगायी जाती है। इस तहसील का कुल क्षेत्रफल 107452हे0 है, जिसका 74.56% शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मुख्य रुप से खाद्यान्न, दलहन और तिलहन उगाये जाते हैं। नदियों के निकटवर्ती क्षेत्रों में वन क्षेत्र हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र के 4.14% क्षेत्र में ही हैं। सिंचाई की सुविधाओं का अभाव होने के कारण लगभग 12.31% क्षेत्र परती छोड़ दिया जाता है। तहसील का 7.01% बंजर है जो किसी भी उपयोग में नही लाया जा रहा। तहसील के 2.89% क्षेत्र पर अधिवास, कुयें, तालाब, सड़कें, रेलवे लाइन, उद्योग आदि हैं। यदि परती क्षेत्र को कृषि योग्य क्षेत्र में मिला दिया जाये तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 86.67% क्षेत्र कृषि कार्यों में संलग्न हो जाता है। भूमि का कृषि कार्यों में अधिक प्रयोग इस बात का कतई सूचक नहीं है, कि यहां पर कृषि उन्नत दशा में है, बल्कि यह इस बात का सूचक है कि अधिकांश क्षेत्र एक फसली और असिंचित है।

निम्नलिखित तालिका में हमीरपुर तहसील का सामान्य भूमि उपयोग प्रदर्शित किया गया है, जो उक्त कथन को प्रमाणित करता है।

तालिका संख्या - 2.1

हमीरपुर तहसील का सामन्य भूमि उपयोग वर्ष 2000-2001

विकास खण्ड	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (हे0में)	शुद्ध बोया गया क्षेत्र (हे0में)	वन क्षेत्र (हे0में)	परती क्षेत्र (हे0में)	ऊसर क्षेत्र (हे0में)	कृषियेत्तर कार्यो में संलग्न क्षेत्र (हे0में)
कुरारा	45114	30610.51	3975	6103.49	3177.72	1247.28
सुमेरपुर	62338	49507.01	478	6144.94	4349.90	1858.15
योग तहसील	107452	80117.52	4453	12248.43	7527.62	3105.43
%	100%	74.56%	4.14%	12.31%	7.01%	2.89%

स्त्रोत-सांख्यकीय पत्रिका जनपद-हमीरपुर वर्ष 2001

भू-संसाधन के अन्तर्गत मृदा, वन, कृषि एवं खनिज संसाधन सम्मिलित हैं।

2 (अ) (i) मृदा संसाधन (Soil Resources)

मृदा न केवल हमीरपुर तहसील का बल्कि सम्पूर्ण विश्व का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संसाधन है। बिलकॉफ्स महोदय ने मृदा संसाधन के महत्व को व्यक्त करते हुए स्पष्ट कहा है कि "सभ्यता का इतिहास मृदा का इतिहास है और व्यक्ति की शिक्षा मृदा से प्रारम्भ होती है।"

हमीरपुर तहसील की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के कारण यहाँ के लिए मृदा का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमीरपुर तहसील में मुख्य रुप से मार, रांकर और काँप मिट्टियाँ पायी जाती हैं। इन मिटिटयों की रासायनिक संरचना एवं क्षेत्रफल निम्नवत् है–

1. मार मिट्टी :-

मार मिट्टी काले से भूरे रंग की होती है। अतः इसे काली मिट्टी (Black soil) भी कहते हैं।[3] हमीरपुर तहसील के सुमेरपुर विकास खण्ड मे मार मिट्टी पायी जाती है, मुख्य रुप से इसका विस्तार छानी बुजुर्ग, मवई जार, पौथिया, इंगोहटा, कलौलीतीर, पत्योरा, पन्धरी और मुण्डेरा न्याय पंचायतों में है। यह मिट्टी सुमेरपुर विकास खण्ड के 62338 हेक्टेअर क्षेत्र में विस्तृत है। मार मिट्टी कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे रासायनिक तत्वों में धनी है, किन्तु नाईट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस में निर्धन है। इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक है। ग्रीष्म ऋतु में यह मिट्टी सूख जाती है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इन दरारों में वनस्पतियों की पत्तियाँ और जीवाश्म भर जाते हैं। वर्षा ऋतु में वनस्पतियों के सड़ने–गलने से इससे मिट्टी को प्राकृतिक ह्यूमस प्राप्त होता है, जिससे इसकी कृषि दक्षता और उर्वरता बढ़ जाती है।[4]

यह मिट्टी 'Black Cotton soil' कहलाती है, क्योंकि यह कपास उत्पादन के लिए सर्वथा उपयुक्त है, विगत शताब्दियों में इस मिट्टी में कपास की अच्छी कृषि की जाती थी। कपास के अतिरिक्त इस मिट्टी में धान, गेहूँ और गन्ने का उत्पादन भी किया जा सकता है। इस मिट्टी में इन फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है। करोरन नाला में उपयुक्त स्थानों पर चेक डैम्स बनाकर सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है तथा इस मिट्टी से अच्छा फसल उत्पादन किया जा सकता है तथा गन्ना और कपास जैसी व्यवसायिक फसलों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। पौथिया से निकलने वाली लिफ्ट नहर सुमेरपुर विकास खण्ड के काली मिट्टी के इस क्षेत्र के उत्तरी भाग को सिंचाई प्रदान करती है। ऐसी ही लिफ्ट नहरें अन्य स्थानों से निकाल कर इस मिट्टी को सिंचाई की सुविधा प्रदान करके इसकी कृषि दक्षता में वृद्धि की जा सकती है और इस क्षेत्र को दो फसली और तीन फसली क्षेत्र में परिवर्तित करके सघन कृषि विकसित की जा सकती है, जो कृषि आधारित औद्योगिक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करेगी।

2. रांकर मिट्टी :-

रांकर कंकड़ मिश्रित मिट्टी है जो, नदी–नालों के तटीय ढ़ालों, टीलों के ढ़ालयुक्त क्षेत्रों और ऊचें–नीचे क्षेत्रों में पायी जाती है। इस मिट्टी का विस्तार कुरारा विकास खण्ड की मिश्रीपुर, शेखूपुर, कुरारा देहात, बेरी, पतारा डांडा न्याय पंचायतों में है। यह 37309 हे0 क्षेत्र में फैली हुई है। यह मिट्टी

HAMIRPUR TAHSIL
SOILS
N
79°47'50''E
80°22'E
26°6'N
25°40'40''N
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 KM.
YAMUNA RIVER
BETWA RIVER
INDEX
MAR
RANKAR
ALLUVIAL

FIG- 2.1

अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है, किन्तु सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर इसमें कृषि की जाती है। हमीरपुर तहसील में इस मिट्टी में मुख्य रुप से बाजरा,ज्वार, अरहर, मूँग तथा पशुचारा का उत्पादन होता है। यत्र–तत्र चना भी उगाया जाता है। बेतवा नदी के तटवर्ती ढालों में इस मिट्टी का विस्तार अधिक है। यह मिट्टी चरागाहों के विकास तथा पशुधन विकास के लिये उपयुक्त है। आवश्यक रासायनिक तत्वों में निर्धन होने के कारण इस मिट्टी की कृषि दक्षता न्यून है। इस मिट्टी के क्षेत्रों को समतल करके और कम्पोस्ट खाद का प्रयोग करके इसकी कृषि दक्षता में वृद्धि की जा सकती है।

3. **काँप मिट्टी :-**

काँप मिट्टी यमुना और बेतवा नदियों द्वारा प्रवाहित करके लायी गयी मिट्टी है। नदियों और नालों के संगम स्थलों और नदियों के किनारे–किनारे इसका विस्तार हुआ है। काँप मिट्टी मुख्य रुप से कुसमरां न्याय पंचायत मे 7805 हेक्टेअर क्षेत्र में विस्तृत है। इसे कछारी मिटट्ी भी कहते हैं। इसे जल धाराओं की निकटता और दूरी के आधार पर दो उपवर्गों में विभक्त कर सकते हैं– तरी और कछार। तरी जल धाराओं की निकटवर्ती पट्टी है। इस पट्टी में नदियों द्वारा लायी गयी महीन बालू और मिट्टी बिछ जाती है, जो अत्यन्त उपजाऊ होती है।

इस पट्टी में गेहूँ, जौ, चना और सरसों तथा ग्रीष्म ऋतु में खरबूजा, तरबूज आदि उगाया जाता है। शाक–सब्जी उत्पादन के लिए भी यह मिट्टी सर्वथा उपयुक्त है। कछार मिट्टी तरी क्षेत्र के ऊपरी भागों की मिट्टी है। इन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष बाढ़ का जल आता है, साथ में नई मिट्टी बिछा देता है, जिससे यह मिट्टी भी उच्च उर्वरता और कृषि दक्षता वाली मिट्टी है। इस मिट्टी में गेहूँ, चना, सरसों, जौ, मटर तथा अन्य फसलें प्रचुरता से उगायी जाती है। बेतवा और यमुना नदी के तटवर्ती क्षेत्र इस मिट्टी के क्षेत्र हैं। जायद की फसलें भी इस मिट्टी में उगायी जाती है। यमुना, बेतवा के किनारे–किनारे इस मिट्टी का विस्तार है।

निम्नलिखित तालिका में उपरोक्त मिट्टियों की भौतिक रासायनिक संरचना सम्बन्धी लक्षणों को व्यक्त किया गया है।

तालिका संख्या - 2.2

हमीरपुर तहसील की मिट्टियों की संरचनात्मक विशेषतायें

क्रम संख्या	लक्षण	मिट्टियाँ		
		मार	रांकर	काँप
1.	पार्श्व चित्र विकास	परिपक्व	परिपक्व	परिपक्व 'ब'
2.	रंग	काला से भूरा	भूरा, लाल तथा लाल–भूरा	ग्रे से ब्राउन
3.	**कणों का गठन** (Texture)	**क्ले युक्त लोम**	**खुरदरा, कंकड़युक्त**	**बालू युक्त लोम**
4.	संरचना	नुकीली, काली	न्यून	एकल कण संरचना
5.	कंकड़ों की मिलावट	मिटट्ी के नीचे.	चट्टानों के टुकड़े	निचली मिट्टी मे चूने

		कंकड़		युक्त छोटे–2 कंकड़
6.	सीमेन्टेशन	सुगठित	कोई सीमेंटेसन नहीं	कोई सीमेंटेशन नही
7.	चूना	औसत	न्यून	औसत
8.	मैग्नीशिया	औसत	न्यून	उच्च
9.	घुलनशील लवण	सामान्य	न्यून	न्यून
10.	P^H मान	तटस्थ	तटस्थ	तटस्थ
11.	क्ले	उच्च	न्यून	औसत
12.	प्रवाह	प्रतिबन्धित	अत्यधिक	अत्यधिक

स्रोत–**Soil survey and soil work in U.P. vol. vii department of Agriculture C.S.A. University, Kanpur Page-57.**

हमीरपुर तहसील की उपरोक्त मिट्टियाँ मृदा क्षरण की समस्या से ग्रस्त हैं। वर्षा ऋतु में ये मिट्टियाँ चादरी एवं अवनालिका अपरदन की शिकार हो जाती हैं। नदियों के निकटवर्ती क्षेत्रों में यह समस्या प्रतिवर्ष बहुत गम्भीर हो जाती है। हमीरपुर तहसील की यमुना और बेतवा नदियाँ प्रतिवर्ष अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में अवनालिका कटाव करती हैं, जिससे उपरोक्त सैकड़ों टन मिट्टियाँ कटकर बह जाती हैं तथा अन्य नदियों और जल राशियों में एकत्रित होकर उन्हें उथला बना देती हैं और उनकी जल धारण क्षमता को कम कर देती हैं। परिणाम स्वरुप अधोभौमिक जल का रिचार्ज भी कम हो जाता है, जिससे क्षेत्रीय कुओं और नलकूपों की क्षमता भी कम हो जाती है, जो अन्ततोगत्वा कृषि उत्पादन को प्रतिकूल रुप से प्रभावित करती है।

मृदा क्षरण हमीरपुर तहसील के कुरारा और सुमेरपुर विकास खण्डों में मिश्रीपुर, शेखूपुर, कुसमरा, कलौलीतीर, पौथिया और छानी न्याय पंचायतों में बहुत गम्भीर है इन न्याय पंचायतों में प्रतिवर्ष यमुना और बेतवा की बाढ़ें तथा इनमें गिरने वाले नाले जैसे–महिला, रोहाइन, करोरन और लरहार नाले अवनालिका कटाव द्वारा बड़ी मात्रा में उर्वर मिट्टी को काटकर बहा ले जाते हैं। रोहाइन नाला कुरारा विकास खण्ड की शेखूपुर न्याय पंचायत में मिट्टी की प्रतिवर्ष भारी क्षति करता है। इसी प्रकार से महिला नाला कलौलीतीर न्याय पंचायत में गम्भीर रुप से मृदा क्षरण करता है। करोरन और लरहार नाला मवई जार, पन्धरी और मुण्डेरा न्याय पंचायतों में अवनालिका कटाव करके क्षेत्र को ऊबड़–खाबड़ बना देते हैं। सुमेरपुर विकास खण्ड का 39896 हेक्टेअर क्षेत्र जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 64.00% है मृदा क्षरण से प्रभावित है। इसी प्रकार कुरारा विकास खण्ड का 28872 हेक्टेअर क्षेत्र, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 64.02% है मृदा क्षरण की समस्या से ग्रस्त है। इन दोनों विकास–खण्डों में अवनालिका कटाव के कारण वर्षा जल का प्रवाह तीव्र हो जाता है। जिससे चादरी कटाव की दर भी बढ़ जाती है।

(ii) वन संसाधन (Forest Resources)

किसी भी क्षेत्र के विकास में वन संसाधनों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्यावरण सन्तुलन बनाये रखने, जलवायु को नियन्त्रित करने के साथ–साथ वन औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए भी कच्ची
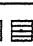
HAMIRPUR TAHSIL
NYAYA PANCHAYAT WISE FOREST COVER
(2001)
N
79°47'50''E
80°22'E
26°6'N
25°40'40''N
YAMUNA RIVER
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 KM.
INDEX
LESS THAN 1%
1% - 4%
4% - 8%
8% - 12%
MORE THAN 12%

FIG- 2.2

सामग्री उपलब्ध कराते हैं। हमीरपुर तहसील प्राचीन काल से ही वनाच्छादित थी, किन्तु बीसवीं शताब्दी में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण, ईंधन एवं मकान की आवश्यकता की पूर्ति के कारण वनावरण बहुत तेजी से घटा है। कृषि क्षेत्र प्राप्त करने के लिए भी हमीरपुर तहसील में वनों को काटा गया है। वर्तमान समय में छोटे–छोटे चप्पों के रुप में बिखरे हुए झाड़ियों और पेड़ युक्त वन पाये जाते हैं। यमुना और बेतवा के किनारे किनारे कटीली झाड़ियाँ और छोटे वृक्ष पाये जाते हैं।

हमीरपुर तहसील के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 4.14% क्षेत्र में वनावरण पाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग में वनावरण पाया जाता है। हमीरपुर तहसील में कुरारा और सुमेरपुर दो विकास खण्ड हैं, इनमें से कुरारा विकास खण्ड में वनावरण अपेक्षाकृत अधिक है। कुरारा विकास खण्ड में 3975 हे0 क्षेत्र में वनावरण पाया जाता है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र के 8.81% क्षेत्र में है। सुमेरपुर विकास खण्ड के केवल 0.77% क्षेत्र में ही वनावरण पाया जाता है। निम्नलिखित तालिका संख्या–2.3 एवं मानचित्र संख्या–2.2 में न्याय पंचायत अनुसार वनावरण का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका संख्या - 2.3

हमीरपुर तहसील में न्याय पंचायतवार वनों का क्षेत्रफल 2001[5]

क्रम संख्या	न्याय पंचायतें	क्षेत्रफल (हे0में)	वनक्षेत्र (हे0में)	वन क्षेत्र का प्रतिशत
1	मिश्रीपुर	5508.20	795.85	14.45
2	शेखूपुर	6621.00	452.86	6.83
3	कुरारा दे0	8553.71	145.32	1.69
4	बेरी	8120.34	1254.15	15.44
5	पतारा	8335.88	670.40	8.04
6	कुसमरा	7974.87	656.42	8.23
योग	कुरारा वि0खण्ड	45114.00	3975.00	8.81
7	छानी बु0	5076.25	71.23	1.40
8	मवई जार	6006.16	00.00	0.00
9	पौथिया	5502.39	100.83	1.83
10	कलौलीतीर	3908.19	00.00	0.00
11	इंगोहटा	7308.08	00.00	0.00
12	सुमेरपुर दे0	7986.30	00.00	0.00
13.	पत्योरा	7969.35	244.85	3.11
14.	टेढ़ा	8718.98	61.09	0.70
15.	पन्धरी	5320.39	00.00	0.00

16.	मुण्डेरा	4641.91	00.00	0.00
योग	सुमेरपुर वि0खण्ड	62338	478.00	0.77
योग	तहसील हमीरपुर	107452	4453.00	4.14

स्रोत– जिला जनगणना हस्त पुस्तिका एवं जिला सांख्यकीय पत्रिका, जनपद हमीरपुर– 2001

न्याय पंचायत स्तर पर अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि कुरारा विकास खण्ड की बेरी न्याय पंचायत में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है, जो 15.44% है। इसके पश्चात क्रमशः कुरारा विकास खण्ड की ही मिश्रीपुर (14.45%), कुसमरा (8.23%), पतारा (8.04%), शेखूपुर (6.83%) का स्थान है। सुमेरपुर विकास खण्ड की पत्योरा न्याय पंचायत में सर्वाधिक 3.11% वनावरण है, इसके पश्चात पौथिया 1.83% और टेढ़ा में 0.70% है।

उपरोक्त अल्प वनावरण हमीरपुर तहसील के लिए अत्यन्त चिन्ता का विषय है। इस तहसील में वन संरक्षण के व्यापक उपाय किये जाने चाहिये।

वन प्रकार (Forest Types) :-

भारत में वर्षा के वितरण, मृदा प्रकार, तापमान के विवरण एवं भूमि उपयोग पद्धतियों ने वनावरण को प्रभावित किया है। हमीरपुर तहसील में मुख्य रुप से तीन प्रकार की मिट्टियाँ पायी जाती हैं, जिसके कारण विविध प्रकार की पादप प्रजाजियाँ विकसित हुई हैं। अनेक विद्वानों ने अनेक आधारों पर वनों का वर्गीकरण किया है। 1855 ई0 में हूकर और थामसन[6] ने क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया। इसी प्रकार क्लार्क[7] ने 1898 ई0 में भारत को छः वनस्पति प्रदेशों में विभक्त किया था। 1937 ई0 मे काल्डर[8] ने भारत को छः प्रकार के वन क्षेत्रों में विभक्त किया था। 1939 ई0 में चटजी[9] महोदय ने भारत को 8 वन प्रदेशों में वर्गीकृत किया था। इसके पश्चात् अनेक विद्वानों जैसे–स्टाम्प[10], चैम्पियन[11] और पुरी[12] ने भारत के वनों का अध्ययन किया और उनका वर्गीकरण प्रस्तुत किया। 1936 में चैम्पियन ने तापमान वितरण को ध्यान में रखते हुए भारत को 15 मुख्य वन प्रदेशों और 136 उपप्रदेशों में विभक्त किया। 1960 ई0 में पुरी ने अपना वानस्पतिक संशोधन प्रस्तुत किया। चैम्पियन और पुरी के वर्गीकरणों का अध्ययन करने के पश्चात हमीरपुर तहसील के वनों को निम्नलिखित छः वर्गों में रखा जा सकता है–

1. नम साल वन (Wet Sal Forests)
2. नदी कृत वन (Riverine Forests)
3. मिश्रित शुष्क पलझड़ी वन (Mixed Dry Deciduous Forest)
4. शुष्क व्यास के क्षेत्र (Dry Glass Lands)
5. झाड़ी वन (Shrubs and Bushes)
6. कटे–फिटे क्षेत्र के वन (Dissected Forests)

1. नम साल वन :-

हमीरपुर तहसील में ये वन यमुना और बेतवा के किनारे–किनारे गहरी लोम मिट्टी में संकरी पट्टी के रुप में पाये जाते हैं। इस पट्टी में साल के वृक्षों का विकास हुआ है। सामान्यतया बेलें और घासें इन वनों में नही पायी जाती यहां के साल वृक्षों की प्रजाति दक्षिण भारत के साल वनों से भिन्न है। यमुना का दक्षिणी किनारा और बेतवा का उत्तरी किनारा साल नम वनों का प्रतिनिधित्व करते है।

2. नदी कृत वन :-

हमीरपुर तहसील में ये वन नदियों और नालों के किनारे–किनारे पाये जाते हैं। उर्वर मृदा और ज़लोपलब्धता के कारण इन वृक्षों की ऊचाईं उच्च क्षेत्रों पाये जाने वाले वृक्षों से अधिक है। यमुना, बेतवा नदियों और रोहाइन एवं करोरन नालों के किनारे–किनारे कहवा, जामुन, कठजामुन, गूलर, तेन्दू, खिरनी, खुज्जा आदि के वृक्ष पाये जाते हैं।लेकिन कहवा/अर्जुन तथा जामुन वृक्ष अधिक संख्या में पाये जाते हैं। इन वृक्षों में लतायें भी लिपटी रहती हैं, जिनमें से मुख्य हैं– भटकटइया, पाकड़ और रोहिणी। कुछ महत्वपूर्ण झाड़ियाँ, जो इन वृक्षों के नीचे उग आती हैं वे हैं–करौंदा, सिमरी, गवई, बेदासिन और मुरइन, कुश और छोटा पड़वा नाम की घासें भी नदियों के किनारे पायी जाती हैं।

3. मिश्रित शुष्क पलझड़ी वन :-

ये वन अपेक्षाकृत उच्च क्षेत्रों में पाये जाते हैं। इनमें अनेक वृक्षों की प्रजातियाँ मिश्रित रुप से पायी ज़ाती हैं। धवा, करधई, तुरहा, खैर और सलई ऊँचे टीले युक्त क्षेत्रों में पाये जाते हैं। घोंट, धवा, तेन्दू, सेझा वृक्ष भी मिश्रित रुप से पाये जाते हैं। अन्य प्रजातियों में आँवला, गुर्ज, धामिन, पाकड़, अचार, बांस, सदन, सेमल, बहेड़ा, बेल, अर्जुन, रोहिणी, साल, कैथा, कुसुम, पीपल, सागौन वृक्षों के साथ मिश्रित रुप से पाये जाते हैं। अधिवासों के निकट आम, खिन्नी और खुज्जा के वृक्ष भी पाये जाते हैं।

सहेरु, काठवेल, गुरसकरी, करौंदा, करील, इंगुवा, सखारी आदि झाड़ियाँ– चकुन्दा, नील और विलाई झाड़ियों के साथ पायी जाती हैं। इन झाड़ियों के साथ गुनेर, चिकुवा, मुसेल, मूँज आदि घासें तथा बर्रा, दांदा, मकोय, रत्ती, बद्रासिन, दूधिया, कावेरी, गुरिच, गज, रामदातून आदि बेलें भी उगती हैं। कहीं–कहीं विशेष रुप से कटे–पिटे क्षेत्रों में अमरबेल भी पायी जाती हैं।

अनियन्त्रित पशुचारण से इन वनों को बहुत हानि हुई है। पशु वृक्षों के कोपलों को चर लेते हैं, जिससे इनकी वृद्धि रुक जाती है। दोहाड़ी, आँवला, गुर्च, सेमल, रिउजा, पाकड़, आदि वृक्षों का उत्पादन सन्तोषजनक है, किन्तु इनकी मोटाई और ऊँचाई कम है अतः उपयोगी लकड़ी कम प्राप्त होती है। महुवा, अचार, कहवा, आम, बरगद, पीपल और बहेड़ा वृक्षों से पर्याप्त मात्रा में लकड़ी प्राप्त होती है। मिश्रित शुष्क पतझड़ी वनों को सलई वन, बबूल वन, छियूल वन और

शुष्क सागौन वनों में विभक्त किया गया है।

4. शुष्क घास के क्षेत्र :-

शुष्कं घास के क्षेत्र हमीरपुर तहसील के सुमेरपुर विकास खण्ड में छिटपुट रुप से पाये जाते हैं। घोंट, खैर, तेन्दू, सेझा, करौंदा और झरबेरी के वृक्ष घास क्षेत्रों के मध्य में बिरल रुप से पाये जाते हैं। इन वनों में मन्जरा, घोंट, छोटापड़वा, मुसेल, चिकुवा और सेजना घासें पायी जाती हैं।

5. झाड़ी वन :-

ये वन टीले युक्त क्षेत्रों में झाड़ियों के रुप में पाये जाते हैं। झरबेरी, थूहर, गवाड़ी और घोंट मुख्य झाड़ियाँ हैं, जो इन वनों में उगती हैं।

6. कटे-पिटे वन :-

कटे–पिटे वन यमुना और बेतवा के किनारे–किनारे छोटे वृक्षों के रुप में छितराये हुये पाये जाते हैं। रिउजा, खैर और कटइया मुख्य वृक्ष हैं। इसके अतिरिक्त बबूल, नीम, कैथा, करौंदा, धवई, झरबेरी, इंगुवा, करील, टिंसा, बांस, मदार आदि वृक्ष पाये जाते हैं। छिरेहटा, पुंखा और कुश घासें भी इनके साथ पायी जाती है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि हमीरपुर तहसील वनावरण में समृद्ध नहीं है अतः इसके लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है, जिन न्याय पंचायतों में वनावरण नहीं हैं, उनका विकास वरीयता के आधार पर किया जाना चाहिये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये स्थानीय ग्रामवासियों का सहयोग लिया जाना चाहिये, वैसे तो हमीरपुर तहसील की किसी भी न्याय पंचायत में वनावरण 20% भी नहीं है। इसलिये स्थानीय सर्वेक्षण कराकर अप्रयुक्त क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी के कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाने चाहिये। इसके साथ ही बागानी कृषि जैसे– आम, अमरुद, कटहल, आंवला, नींबू, सरीफा, बेर, इमली तथा आयुर्वेदिक महत्व के वृक्ष जैसे–अर्जुन, अश्वगंधा, जामुन सारस्वत को वरीयता के आधार पर प्रोत्साहित करना चाहिये। हमीरपुर तहसील हमीरपुर वन रेंज के अन्तर्गत है। वन विभाग ने इस रेंज में हमीरपुर, कुरारा और कुछेछा में नर्सरी का विकास किया है। हमीरपुर तहसील में अत्यल्प वनावरण होने के कारण यहाँ राष्ट्रीय वन नीति को लागू करना आति आवश्यक है।

वन नीति (Forest Policy):-

प्राचीन काल से ही वनों को पारिस्थितिक सन्तुलन बनाये रखने के लिये महत्वपूर्ण कारक माना जाता रहा है। राजमार्गों तथा सार्वजनिक स्थलों में वृक्षारोपण अच्छा कार्य माना जाता रहा है। मध्यकाल तथा ब्रिटिश काल में वनों का तेजी से विनाश हुआ, जिससे देश के अनेक क्षेत्रों में अकाल सूखा और बाढ़ की घटनायें हुईं इन दुर्घटनाओं से बचने के लिये 1864 में भारतीय वन विभाग की रचना की गयी तथा पौण्डिस महोदय को इसका मुख्य निरीक्षक बनाया गया। 1878 ई0 में वन अधिनियम और देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गयी। 1894

ई0 में राष्ट्रीय वन नीति तैयार की गयी तथा वनों को चार श्रेणियों 1. संरक्षित वन 2. गौण वन 3. लकड़ी के लिए अपयुक्त वन और 4. चरागाह में विभक्त किया गया। 1935 ई0 में वनों को राज्य सरकार के नियन्त्रण में दे दिया गया।

स्वतन्त्र भारत में वनों को जलवायु सन्तुलन, मृदा क्षरण एवं बाढ़ नियन्त्रण तथा अधोभौमिक जलस्तर के उन्नयन का महत्वपूर्ण घटक माना गया। अतः 13मई, 1952 ई0 में नवीन राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गयी जिसमें **(i)** देश के भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग में वनावरण तैयार करना। **(ii)** पर्वतीय क्षेत्रों के 60% और, **(iii)** मैदानी क्षेत्र के 20% भाग में वनावरण तैयार करना उद्देश्य रखा गया। इसके अतिरिक्त पर्वतीय भूखण्डों, नदीघाटियों, समुद्र तटीय क्षेत्रों की पारिस्थितिकी को सुदृढ़ बनाने के लिए वनों का संरक्षण करना, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में मरुस्थल प्रसार को रोकने के लिए हरित दीवालों का निर्माण करना, मुख्य और गौण वनोत्पादों के विकास वृद्धि और वैज्ञानिक उपयोग को बढ़ावा देना, जलवायु के अनुसार उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षों का विकास करना तथा वन्य जीवों का संरक्षण मुख्य उद्देश्य रखे गये।

उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये विगत पंचवर्षीय योजनाओं में वनों के विकास के लिये उपाय किये गये – औद्योगिक एवं वाणिज्यिक महत्व के शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों का रोपण करना, मिश्रित वनों का विकास करना, सड़कों रेल लाइनों और नहरों के किनारे तथा बांधों के निकट वृक्षारोपण का विकास करना तथा चकबन्दी सर्वेक्षण, अनुसंधान प्रशिक्षण, प्रशासन आदि पक्षों पर विशेष ध्यान दिया गया। ऊबड़–खाबड़ क्षेत्रों के विकास के लिए भी विशेष कार्य योजनायें बनायी गयीं।

वर्तमान में सामाजिक वानिकी, सामुदायिक वानिकी, कृषि वानिकी तथा जल विभाजक प्रबन्धन में वृक्षारोपण को विशेष महत्व मिला है। स्थानीय सर्वेक्षण करके उपयुक्त पादप प्रजातियों के विकास पर विशेष बल दिया गया है। प्रत्येक गाँव, सड़क, रेलवे लाइन, खुले क्षेत्रों आदि मे वृक्षारोपण करके निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के प्रयास किये जा रहे हैं।

वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण :-

राष्ट्रीय वन नीति के अन्तर्गत प्रशासनिक दृष्टिकोण से वनों को तीन वर्गों में विभक्त किया गया है–

1. आरक्षित वन (Reserved Forest)
2. संरक्षित वन (Protected Forest) और,
3. अवर्गीकृत वन (Unclassified Forest)

1. आरक्षित वन :-

इस वर्ग के वनों का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध वनावरण का संरक्षण करना है। देश के 51.34% वन इस वर्ग के अन्तर्गत हैं।[13] इस वर्ग के वन पूर्णरुपेण सरकारी संरक्षण में है तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति माने जाते हैं। हमीरपुर जनपद में मात्र 1.83% भौगोलिक क्षेत्र पर ही आरक्षित

वन हैं। हमीरपुर तहसील में रानी गंज, मगरेही, पारा, कुण्डौरा आदि आरक्षित वन हैं। इन वनों कां अध्ययन क्षेत्र में कुल क्षेत्रफल 378हे0 है, जिसमें से रानीगंज का 270हे0, मगरेही का 69 हे0 और कुण्डौरा का 39हे0 है।

2. संरक्षित वन :-

संरक्षित वन भी सरकारी नियन्त्रण में रहते हैं, किन्तु इन वनों में कभी–कभी पशुचारण एवं वृक्षों को काटने के लिए लाइसेंस दिये जाते हैं। भारत में ये वन 37.8% क्षेत्र में ही पाये जाते हैं, किन्तु अध्ययन क्षेत्र में इनका क्षेत्रफल नगण्य है।

3. अवर्गीकृत वन :-

इस प्रकार के वन हमीरपुर तहसील में प्रायः प्रत्येक विकास–खण्ड में पाये जाते हैं। इस प्रकार के वनों में सरकारी नियन्त्रण नहीं होता है। अध्ययन क्षेत्र में इन वनों का क्षेत्रफल 4177. 6 हे0 है। हमीरपुर तहसील में वनावरण बहुत थोड़ा है। जनसंख्या वृद्धि के साथ–साथ इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी और गौण वनोत्पादों की माँग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः अति आवश्यक है कि सामाजिक वानिकी सामुदायिक वानिकी तथा सड़क, रेल, नहर के किनारे तथा अप्रयुक्त क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण किया जाये। वनावरण का बढ़ाया जाना इसलिये भी बहुत आवश्यक है कि पशुओं के लिए पर्याप्त चारागाह उपलब्ध हो सके, जिससे कृषकों की कम्पोस्ट खाद की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। इन उद्देश्यों की पूर्ति, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के क्रियान्वयन से सम्भव हो सकती है।

सामाजिक वानिकी (Social Forestry) :-

सामाजिक वानिकी का प्रथम चरण वर्ष 1979 से 1984–85 तक अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी की सहायता से प्रदेश के 40 जनपदों में सफलतापूर्वक चलाया गया था। द्वितीय चरण में 1985–86 से 1992–93 तक प्रदेश के समस्त मैदानी जनपदों में अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी एवं यू0एस0डी0ए0 की सहायता से यह प्रायोजना संचालित की गयी, जिसमें प्रत्येक मैदानी जनपद स्तर पर एक प्रभागीय कार्यालय तथा ब्लाक स्तर पर एक रजिस्टर्ड कार्यालय स्थापित किये गये। वर्ष 1992–93 के पश्चात् बाह्य स्तर पर सहायता अनुपलब्ध होने के कारण इसका वित्त पोषण प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। दूसरी भारतीय वन नीति के अनुसार कुल भूमि के 33.3% भाग पर वन होने चाहिये।

वस्तुतः, सामाजिक वानिकी का सम्बन्ध उन वनों से है, जो परम्परागत संरक्षित वनों के बाहर वाली भूमियों में लगाये जाते हैं। ये वन हमारी राष्ट्रीय निधि हैं। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत बंजर भूमियों, पठारों, निचले क्षेत्रों, कटे–पिटे क्षेत्रों, सरकारी अथवा व्यक्तिगत एवं सामुदायिक भूमियो में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या की आवश्यकता पूर्ति के लिए तथा उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए वृक्षारोपण का लक्ष्य रखने वाली एक उपयुक्त और लाभकारी परियोजना है। हमीरपुर तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में वनों की अविवेकपूर्ण कटाई

से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के लिए लकड़ी की आपूर्ति बहुत कठिन हो गई है। ग्राम्यांचलों में इस बांत से स्थिति और भी गम्भीर हो गयी है कि वे गोबर निर्मित कण्डे ईंधन के रुप में प्रयोग करते हैं, जिसके कारण फसल उत्पादन पर प्रत्यक्ष रुप से विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जिस गोबर का उपयोग कम्पोस्ट खाद बनाकर खेतों में 5कु0 प्रति हे0 की वृद्धि करने में प्रयोग किया जा सकता है, उसे ईंधन के रुप में जला दिया जाता है। इसलिए कृषकों को हानि से बचाने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि समस्त खाली क्षेत्रों में वनावरण का विकास किया जाये, जिससे गोबर का उपयोग ईंधन के रुप में प्रयोग न करके कम्पोस्ट खाद बनाने और बायोगैस बनाने में किया जा सके। सामाजिक वानिकी को सभी समुदायों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना इसलिये भी बहुत आवश्यक है कि यह कार्यक्रम न केवल ईंधन के लिए लकड़ी, पशुओं के लिए चारा और भवन निर्माण के लिए इमारती लकड़ी प्रदान करती है, बल्कि पारिस्थितिक सन्तुलन बनाये रखने में सूखा, अतिवृष्टि, मृदाक्षरण और बाढ़ की विभीषिका से तहसील को बचाने का सशक्त माध्यम एवं उपाय है।

हमीरपुर तहसील में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना काल से ही सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तहसील की यमुना बेतवा नदियों के किनारे की भूमियों में वर्षा ऋतु में भीषण कटाव के कारण बड़े–बड़े खड्ड बन जाते हैं। इस हानि से बचने के लिए सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का सम्यक क्रियान्वयन बहुत आवश्यक है।

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हुए यह संस्तुति दी कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत उगाये जाने वाले वृक्ष, ईंधन, लकड़ी, चारा, इमारती लकड़ी और कृषि यन्त्रों की आवश्यकता की पूर्ति करें।

सामाजिक वानिकी परियोजना को सफल बनाने के लिए समस्त परती, बंजर, रेल, रोड एवं नहरों के किनारे की अप्रयुक्त भूमि में तथा निचले क्षेत्रों, नालों की अप्रयुक्त भूमियों, ग्राम पंचायत की भूमियों में ग्रामीणों के सहयोग से सघन एवं व्यापक वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है।

(iii) कृषि संसाधन (Agricultural Resources)

कृषि हमीरपुर तहसील की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। हमीरपुर तहसील की कुल कार्यशील जनसंख्या का 73.78% (2001) तथा कुल जनसंख्या का 28.64% कृषि कार्यों में संलग्न है। जनसंख्या की कृषि प्रखण्ड में यह उच्च निर्भरता इसलिये नहीं है कि कृषि अध्ययन क्षेत्र में समुन्नत अवस्था में है, बल्कि इस तथ्य का सूचक है कि यहां अन्य प्रखण्ड कम विकसित हैं।

निम्नलिखित तालिका में अध्ययन क्षेत्र के सामान्य भूमि उपयोग के विभिन्न प्रखण्डों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस तालिका से यह स्पष्ट होता है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र के

सर्वाधिक अंश में फसलों का उत्पादन किया जाता है।

तालिका संख्या - 2 .4

हमीरपुर तहसील का न्याय पंचायतवार सामान्य भूमि उपयोग प्रतिशत में, वर्ष–2001

वि0 ख0	न्याय पंचायतें	कुल भौगोलिक क्षेत्र	शुद्ध बोया गया क्षेत्र %में	वन क्षेत्र %में	परती भूमि %में	कृषि योग्य बरबाद भूमि%में	स्थाई चारा गाह %में	बंजर भूमि %में	अकृष्य कार्यों कार्यों में संलग्न क्षेत्र %में
	मिश्रीपुर	5508.20	60.33	14.45	14.31	.80	–	7.23	2.88
	शेखूपुर	6621.00	63.26	6.63	17.75	.95	–	8.61	2.58
	कुरारा	8553.71	91.27	1.69	5.35	.16	.32	.73	.47
	बेरी	8120.34	61.25	15.44	9.57	1.16	–	10.50	2.08
	पतारा	8335.88	62.53	08.04	14.01	1.33	–	12.03	2.06
	कुसमरा	7974.87	64.03	8.23	21.78	.40	–	3.67	1.89
योग	कुरारावि0ख0	45114.00	67.85	8.81	13.53	.79	.06	7.04	1.91
	छानीबुजुर्ग	5076.25	80.29	1.40	7.56	1.06	–	7.23	2.45
	मवईजार	6006.16	84.25	–	6.15	.95	–	6.53	2.12
	पौथिया	5502.39	70.28	1.83	18.43	.95	–	6.28	2.24
	कलौलीतीर	3908.19	78.17	–	13.71	.79	–	3.97	3.35
	इंगोहटा	7308.08	81.71	–	7.91	1.20	–	8.39	1.51
	सुमेरपुरदे0	7986.30	85.85	–	6.08	.80	–	5.81	1.47
	पत्योरा	7869.35	71.45	3.11	19.99	.65	–	3.35	1.45
	टेढ़ा	8718.98	77.82	0.70	5.76	1.64	–	12.63	1.45
	पन्धरी	5320.39	81.42	–	7.54	.71	–	7.44	2.89
	मुण्डेरा	4641.91	83.62	–	7.64	.95	–	5.45	2.35
योग	सु0वि0ख0	62338.00	79.42	0.77	9.86	0.99	–	6.98	1.98
योग	हमीरपुर	107452	74.56	4.14	12.31	.89	.06	7.01	1.95

स्रोतः– जिला सांख्यकीय पत्रिका एवं जनगणना पुस्तिका, जनपद हमीरपुर– 2001.

हमीरपुर तहसील में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 74.56% क्षेत्र पर फसलों का उत्पादन किया जाता है। लगभग तीन चौथाई भौगोलिक क्षेत्र पर फसलोत्पादन का अर्थ यह कदापि नहीं है कि अध्ययन क्षेत्र में कृषि उन्नत अवस्था में है। कृषि प्रखण्ड पर भारी निर्भरता के बावजूद यहां कृषि अल्प विकसित है, क्योंकि अभी भी यहाँ कृषि की परम्परागत एवं रुढ़िवादी विधियों को अपनाया

जाता है। इस तहसील की कृषि मुख्य रुप से खाद्यान्न उत्पादन की ओर उन्मुख है। औद्योगिक महत्व की फसलों का उत्पादन नगण्य है। यद्यपि कुछ धनी कृषक अब उन्नत कृषि यन्त्रों, उन्नत किस्म के बीजों और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने लगे हैं। संक्षेप में अध्ययन क्षेत्र की कृषि आज भी पिछड़ी एवं निर्धन है। इस पिछड़ेपन का मुख्य कारण यहां के कृषकों की निरक्षरता, सिंचाई के साधनों का अभाव, मृदाक्षरण की समस्या, ऊंची–नीची और कटी--पिटी भूमि तथा तकनीकी प्रवर्तनों की जानकारी का अभाव है।

हमीरपुर तहसील के सामान्य भूमि उपयोग का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि यहां के अधिकांश क्षेत्र में कृषि की जाती है। भौगोलिक क्षेत्र के 74.56% क्षेत्र में कृषि की जाती है। सिंचाई की समुचित सुविधायें न होने के कारण लगभग 12.31% कृषि योग्य क्षेत्र परती के रुप में छोड़ दिया जाता है। अध्ययन क्षेत्र की 7.01% भूमि पर बंजर होने के कारण कोई विशेष कार्य नहीं किया जाता, वन क्षेत्र अत्यल्प है, कुल भौगोलिक क्षेत्र के 4.14% क्षेत्र पर ही वन पाये जाते हैं, जो चिन्ता का विषय है। कृषि क्षेत्र प्राप्त करने के लिए यहां के वनों को साफ कर दिया गया है। लगभग 1.95% क्षेत्र कृष्येत्तर कार्यों में संलग्न है। यहाँ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बरबाद हो गये हैं और कृषि कार्यों के अयोग्य हो गये हैं, ऐसे क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र के 0.89% क्षेत्र पर हैं। वर्षा ऋतु में चादरी एवं अवनालिका कटाव के कारण ये क्षेत्र काट–पीट दिये जाते हैं, जो कृषि कार्यों के लिये अयोग्य हो जाते हैं। वनों की भाँति चरागाहों की स्थिति भी अत्यन्त सोचनीय है। चरागाह कुल भौगोलिक क्षेत्र के मात्र 0.06% क्षेत्र पर ही पाये जाते हैं।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि हमीरपुर तहसील में एक फसली क्षेत्र बहुत अधिक है। पर्याप्त जलोपलब्धि न होने के कारण लगभग 12% क्षेत्र परती छोड़ दिया जाता है। यदि इस परती क्षेत्र मे सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाये तथा मृदाक्षरण रोकने के उपाय किये जायें तो इस तहसील का शुद्ध बोया गया क्षेत्र 86.85% हो जायेगा, जो अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। तहसील की मृदायें मार और कॉप सिंचाई की सुविधा होने पर अच्छा उत्पादन दे सकती हैं, किन्तु इस तहसील में नहरों, नलकूपों तथा जलाशयों के अभाव के कारण अधिकांष कृषि क्षेत्र वर्षा जल पर ही निर्भर करता है, इसलिए एक फसली कृषि ही सम्भव हो पाती है, जो कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए भी उत्तरदायी है। सिंचाई की सुविधायें जुटाकर सघन कृषि के द्वारा बहुफसली कृषि प्रणाली का विकास किया जा सकता है।

न्याय पंचायतवार भूमि उपयोग का अवलोकन करने से बड़े ही रोचक तथ्य उभर कर सामने आते हैं। कुरारा न्याय पंचायत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 91.27% शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। इसी प्रकार से सुमेरपुर विकास खण्डकी सुमेरपुर दे0 न्यायपंचायत के 85.85% क्षेत्र पर कृषि की जाती है। हमीरपुर तहसील में कोई भी न्याय पंचायत ऐसी नहीं है, जिसके 60% से कम क्षेत्र पर कृषि की जाती हो। अध्ययन क्षेत्र के कुरारा विकास खण्ड की 5 न्याय पंचायतों में 60% से 70% के मध्य क्षेत्र पर कृषि की जाती है। ये न्याय पंचायतें हैं– मिश्रीपुर (60.3%), बेरी (61.

25%), पतारा (62.53%), शेखूपुर (63.26%) और कुसमरा (64.03%) सुमेरपुर विकास खण्ड में चारं न्याय पंचायतें ऐसी हैं, जिनका शुद्ध बोया गया क्षेत्र 70% से 80% के मध्य है। पौथिया (70. 28%), पत्योरा (71.45%), टेढ़ा (77.82%) और कलौलीतीर (78.17%) इसी कोटि की न्याय पंचायतें हैं। जिन न्याय पंचायतों का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 80% से 90% है, उनमें सुमेरपुर विकास खण्ड की छानी बुजुर्ग (80.29%), पंधरी (81.42%), इंगोहटा (81.71%), मुण्डेरा (83.62%), मवईजार (84.25%) और सुमेरपुर देहात (85.85%) हैं। इसमें कुरारा विकास खण्ड की कुरारा न्याय पंचायत में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 90% से भी अधिक है।

हमीरपर तहसील की न्याय पंचायतों में सिंचाई की समुचित सुविधायें न होने के कारण कृषि योग्य भूमि परती के रुप में छोड़नी पड़ती है, यहां की 12.31% भूमि परती के रूप में छूट जाती है। कुरारा विकास खण्ड में इसका प्रतिशत(13.53%) सर्वाधिक है, जबकि सुमेरपुर विकास खण्ड में इसका प्रतिशत मात्र (09.86%) है। न्याय पंचायतवार अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि कुरारा विकास खण्ड की कुसमरा न्याय पंचायत में परती का क्षेत्र सर्वोच्च है, जो 21.78% है। इसके पश्चात क्रमशः सुमेरपुर विकास खण्ड की पत्योरा न्याय पंचायत (19.99%) , पौथिया न्याय पंचायत (18.43%), कुरारा विकास खण्ड की क्रमशः शेखूपुर (17.75%), मिश्रीपुर (14. 31%), पतारा (14.01%), सुमेरपुर विकास खण्ड की कलौलीतीर (13.71%), कुरारा विकास खण्ड की बेरी (09.57%), सुमेरपुर विकास खण्ड की मुण्डेरा(07.64%), छानी बुजुर्ग (07.56%), पन्धरी (07.54%), इंगोहटा (07.91%), कुरारा विकास खण्ड (05.35%),सुमेरपुर विकास खण्ड की मवई जार (06.15%), टेढ़ा (05.76%), न्याय पंचायतों का स्थान है।

अध्ययन क्षेत्र में बंजर भूमि की भी समस्या है। हमीरपुर तहसील का (07.01%) क्षेत्र बंजर है। कुरारा विकास खण्ड में (07.04%) और सुमेरपुर विकास खण्ड में (06.98%) बंजर भूमियां हैं, जो सुधार के अभाव में अप्रयुक्त पड़ी रहती हैं। ये बंजर क्षेत्र पथरीले एवं कंकरीले प्रकार के हैं। कुछ जलभराव वाले क्षेत्रों में रेह उत्पन्न हो गयी है, जिसने मृदा उर्वरता समाप्त कर दी है। बंजर क्षेत्रों का सुधार करके शुद्ध बोये गये क्षेत्र का और अधिक विस्तार किया जा सकता है।

न्याय पंचायत स्तर पर बंजर क्षेत्रों का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक बंजर भूमि सुमेरपुर विकास खण्ड की टेढ़ा न्याय पंचायत में है। इस न्याय पंचायत के (12.63%) क्षेत्र पर बंजर भूमियों का विस्तार है। इसके पश्चात क्रमशः कुरारा विकास खण्ड की पतारा (12.03%), बेरी (10.50%), शेखूपुर (8.61%), सुमेरपुर विकास खण्ड की इंगोहटा (8. 39%), पन्धरी (7.44%), छानी बुजुर्ग (7.23%), कुरारा विकास खण्ड की मिश्रीपुर (7.23%), सुमेरपुर विकास खण्ड की मवई जार (6.53%), पौथिया (6.28%), सुमेरपुर दे0 (5.81%), मुण्डेरा (5.45%), कलौलीतीर (3.97%), कुरारा विकास खण्ड की कुसमरा (3.67%), सुमेरपुर विकास खण्ड की पत्योरा (3.35%), कुरारा विकास खण्ड की कुरारा (0.73%), न्याय पंचायतों का स्थान है।

कृषि भूमि उपयोग (Agricultural Land Use) :-

कृषि भूमि उपयोग फसलों तथा उनकी बारम्बारता को अभिव्यक्त करता है। अतः कृषि भूमि उपयोग के अन्तर्गत शुद्ध बोये गये क्षेत्र के अतिरिक्त फसलों और मौसमों के अनुसार कृषि कार्यों के लिए किये जाने वाले भूमि उपयोग को भी व्यक्त करता है। ऐसे अध्ययन से सकल बोये गये क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र और दो फसली क्षेत्र का भी ज्ञान होता है। अध्ययन क्षेत्र में खरीफ, रबी और जायद तीन फसलें एक वर्ष में उगाई जाती हैं। इन तीनों में रबी की फसल हमीरपुर तहसील में सर्वाधिक महत्व की फसल है। यह फसल शुद्ध बोये गये क्षेत्र के 80.73% क्षेत्र पर उत्पन्न की जाती है। गेंहूँ, चना, जौ, सरसों, लाही, मसूर, मटर आदि मुख्य रबी फसलें हैं, ये फसलें सकल बोये गये क्षेत्र का 72.49% क्षेत्र अपने लिये उपयोग में लाती है। खरीफ की फसलें अध्ययन क्षेत्र में दूसरे स्थान पर हैं, ये शुद्ध बोये गये क्षेत्र के 30.56% क्षेत्र में उगायी जाती हैं। ज्वार, बाजरा, धान, मूँग, उड़द मुख्य खरीफ की फसलें हैं। ये सकल बोये क्षेत्र के 27.43% क्षेत्र पर उगायी जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में जायद की फसलें भी तहसील के अत्यल्प क्षेत्र में उगायी जाती हैं। ये शुद्ध बोये गये क्षेत्र के मात्र 0.05% क्षेत्र में ही उगायी जाती हैं। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, कद्दू, आदि फसलें यमुना और बेतवा के किनारे–किनारे बालू युक्त क्षेत्र में उगायी जाती हैं। ये सकल बोये गये क्षेत्र का मात्र 0.04% क्षेत्र ही प्रयोग में लाती हैं।

तालिका संख्या - 2.5

कृषि क्षेत्र का विभिन्न वर्गों में उपयोग– 2001

क्र0 सं0	वर्ग	क्षेत्रफल हे0 में	शुद्ध बोये गये क्षेत्र का प्रतिशत	सकल बोये गये क्षेत्र का प्रतिशत
1.	खरीफ फसल का क्षेत्र	25855	30.54	27.43
2.	रबी फसल का क्षेत्र	68333	80.73	72.49
3.	जायद फसल का क्षेत्र	39	0.05	0.04
4.	सकल बोया गया क्षेत्र	94262	111.36	100.00
5.	दो फसली क्षेत्र	9613	11.36	10.19
6.	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	84649	100.00	89.80
7.	सिंचित क्षेत्र	23332	27.56	24.75

स्रोत– सांख्यकीय पत्रिका जिला– हमीरपुर, वर्ष 2001.

अध्ययन क्षेत्र में सकल बोया गया क्षेत्र 111.36% है। इसमें से दो फसली क्षेत्र मात्र 11.36% क्षेत्र है। दो फसली क्षेत्र अत्यल्प होने का मुख्य कारण सिंचाई के साधनों का अभाव है। इस तहसील में मार और काबर उच्च कृषि दक्षता वाली मिट्टियां हैं। समुचित सिंचाई की व्यवस्था होने पर इन क्षेत्रों को दो फसली क्षेत्र में तथा रांकर मिट्टी के क्षेत्र में उर्वरक और

सिंचाई की व्यवस्था करके दो फसली क्षेत्र में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार से दो फसली क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है। अध्ययन क्षेत्र में मात्र 27.56 शुद्ध बोया गया क्षेत्र सिंचाई प्राप्त कर पाता है। शेष लगभग 3/4 भाग वर्षा के जल पर निर्भर करता है। इस तहसील में नहरों, नलकूपों, कूपों और जलाशयों तथा चेकडेमों की व्यवस्था करके सिंचन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है तथा कृषि सघनीकरण कार्यक्रम को गति प्रदान की जा सकती है।

फसल प्रतिरूप (Cropping Pattern) :-

फसल प्रतिरूप किसी कालावधि में विभिन्न फसलों के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र के अनुपात को अभिव्यक्त करता है। हमीरपुर तहसील में गेहूं, चना, मसूर, ज्वार, बाजरा, दालें जैसी खाद्य फसलों की प्रधानता है। धान, गन्ना, कपास, आलू, तम्बाकू, मूंगफली जैसी वाणिज्यिक एवं औद्योगिक महत्व की फसलों की कमी है।

तालिका संख्या - 2.6

हमीरपुर तहसील में विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र एवं प्रतिशत वर्ष– 2001

क्र0 सं0	फसलों के नाम	कुरारा विकास खण्ड		सुमेरपुर विकास खण्ड		हमीरपुर तहसील	
		क्षेत्र हे0 में	शुद्ध बोये गए क्षेत्र का %	क्षेत्र हे0 में	शुद्ध बोये गए क्षेत्र का %	क्षेत्र हे0 में	शुद्ध बोये गए क्षेत्र का %
	1	2	3	4	5	6	7
1	धान	206	0.67	27	0.05	233	0.36
2	गेहूं	7885	25.76	16777	33.89	24662	29.83
3	जौ	186	0.61	111	0.22	297	0.42
4	ज्वार	4099	13.39	7929	16.02	12028	14.71
5	बाजरा	378	1.23	578	1.17	956	1.20
6	मक्का	–	–	01	–	01	–
	योग–	12754	41.67	25423	51.35	38177	46.51
7	उर्द	1675	5.47	4812	9.72	6487	7.59
8	मूंग	45	0.15	136	0.27	181	0.21
9	मसूर	4597	15.02	3243	6.55	7840	10.79
10	चना	9623	31.44	16737	33.81	26360	32.63
11	मटर	941	3.07	1236	2.49	2177	2.78
12	अरहर	1489	4.86	2643	5.34	4132	5.10
	योग–	18370	60.01	28807	55.19	47177	59.10

13.	सरसों/लाही	5051	16.50	4150	8.38	9201	12.44
14.	तिल	351	1.15	362	0.73	713	0.94
15.	अलसी	10321	33.72	9301	18.29	19622	26.25
16.	सोयाबीन	77	0.25	05	0.01	82	0.13
17.	मूंगफली	131	0.43	55	0.11	186	0.27
	योग	15931	52.04	13873	28.02	29804	40.03
18.	गन्ना	2687	8.78	2781	5.62	5468	7.20
19.	आलू	41	0.13	52	0.11	93	0.12
20.	तम्बाकू	15	0.05	28	0.06	43	0.06
21.	सनई	20	0.07	104	0.21	124	0.14
	योग	2763	9.03	2965	5.99	5728	7.51

स्रोत– सांख्यिकीय पत्रिका जनपद हमीरपुर वर्ष–2001.

हमीरपुर तहसील के फसल प्रतिरूप का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि हमीरपुर तहसील के 2001 के आंकड़ों के आधार पर दालें सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाती हैं, जो शुद्ध बोये गये क्षेत्र का 59.10% है। इसके पश्चात क्रमशः तिलहन, गेहूं, ज्वार तथा अन्य फसलों का स्थान है, जो शुद्ध बोये गए क्षेत्र के क्रमशः (40.03%), (29.83%) और (14.71%) क्षेत्र में बोयी जाती हैं।

कुरारा विकास खण्ड के शुद्ध बोये गए क्षेत्र के 60.01% क्षेत्र में दालें उत्पन्न की जाती हैं। इसके पश्चात सुमेरपुर विकास खण्ड का 55.19% स्थान है। दालों के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल होने का प्रमुख कारण सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। चना, मसूर, उर्द, अरहर और मटर मुख्य रूप से वृष्टि जल पर आधारित रहती है और जल की न्यून मात्रा उपलब्ध होने पर भी उत्पन्न की जाती है।

दालों की प्रमुख प्रतिस्पर्धी फसल तिलहन है। तिलहन के अन्तर्गत संलग्न क्षेत्रफल में कुरारा विकास खण्ड अग्रणी है। यहां शुद्ध बोये गये क्षेत्र के 52.04% क्षेत्र में तिलहन का उत्पादन किया जाता है। इसके पश्चात सुमेरपुर (28.02%) का स्थान है। तिलहनों में अलसी, सरसों, लाही, तिल, मूंगफली और सोयाबीन मुख्य फसलें हैं।

तिलहन के पश्चात शुद्ध बोये गए क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत गेहूं उत्पादन में संलग्न है। सुमेरपुर विकास खण्ड में 33.89% क्षेत्र में गेहूं उत्पादन किया जाता है तथा कुरारा विकास खण्ड का स्थान दूसरा (25.76%) है। सिंचाई की सुविधाएं बढ़ने के साथ गेहूं उत्पादन में संलग्न क्षेत्र के बढ़ने की आशा है।

दालों, तिलहन और गेहूं के पश्चात ज्वार उत्पादन में क्षेत्र संलग्न है। सुमेरपुर विकास

खण्ड में शुद्ध बोये गए क्षेत्र का 16.02% ज्वार उत्पादन में संलग्न है। इसके पश्चात कुरारा विकास खण्ड में 13.39% क्षेत्र संलग्न है। दालें, तिलहन और ज्वार उत्पादन में सिंचाई की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, इसलिए ये फसलें हमीरपुर तहसील में अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर उत्पन्न की जाती हैं। गन्ना और चावल जैसी अधिक जल चाहने वाली फसलें हमीरपुर तहसील में अपना महत्वपूर्ण स्थान नहीं बना सकीं। फिर भी जहां कहीं कृषक सिंचाई की व्यवस्था कर लेते हैं, वहां इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। कुरारा विकास खण्ड में जहाँ बेतवा नहर व उसकी उप शाखायें जल प्रदान करती है, वहां गन्ना और धान उगाया जाता है। कुरारा विकास खण्ड का 9.45% क्षेत्र इन फसलों के अन्तर्गत है। इसके पश्चात सुमेरपुर 5.67% का स्थान है।

फसल सघनता (Cropping Intensity) :-

फसल सघनता सकल बोये गए क्षेत्र एवं शुद्ध बोये गए क्षेत्र के अनुपात को व्यक्त करती है। जिस क्षेत्र में मृदा की उर्वरता उच्च एवं सिंचन सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, उन क्षेत्रों में फसल सघनता अधिक होती है। हमीरपुर तहसील के ऐसे क्षेत्रों में जहां नहर या नलकूप से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। वहां रबी, खरीफ और जायद तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ऐसे क्षेत्रों में फसल सघनता सूचकांक उच्च होता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं, उनमें प्रायः वर्ष में एक ही फसल उगाई जाती है, ऐसे क्षेत्रों में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल तथा सकल बोया गया क्षेत्र समान होते हैं और फसल सघनता सूचकांक 100% होता है, किन्तु जिन क्षेत्रों में दो फसली या तीन फसली क्षेत्र होता है उनमें सघनता सूचकांक 100% से अधिक होता है। सघनता सूचकांक की गणना निम्नलिखित सूत्र के आधार पर की जा सकती है–

$$\text{फसल सघनता सूचकांक} = \frac{\text{सकल बोया गया क्षेत्र}}{\text{शुद्ध बोया क्षेत्र}} \times 100$$

उपरोक्त सूत्र के आधार पर गणना करने पर यह ज्ञात होता है कि कुरारा विकास खण्ड में फसल सघनता सूचकांक 109.39% तथा सुमेरपुर विकास खण्ड में 112.54% है, जिसका अर्थ है कि इन दोनों विकास खण्डों में दो फसली क्षेत्र अत्यल्प है। सम्पूर्ण विकास खण्ड दो फसली क्षेत्र में परिवर्तित होने पर फसल सघनता सूचकांक 200% होगा।

प्रमुख फसलों का वितरण एवं उत्पादन :-

फसलों का वितरण एवं उत्पादन अध्ययन क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों का क्षेत्रफल एवं प्रति हेक्टेयर उत्पादन एवं कुल उत्पादन को व्यक्त करता है। हमीरपुर तहसील के 74.56% भौगोलिक क्षेत्र पर कृषि फसलों का उत्पादन किया जाता है। कुरारा विकास खण्ड में 67.85% क्षेत्र पर तथा सुमेरपुर विकास खण्ड में 79.42% क्षेत्र पर फसलों का उत्पादन किया जाता है। फसलों के अनुसार क्षेत्रफल एवं प्रति हेक्टेयर उत्पादन निम्नवत् है–

तालिका संख्या - 2.7

हमीरपुर तहसील में न्याय पंचायतवार प्रमुख फसलों का क्षेत्र वर्ष– 2004–05

न्याय पंचायतें	गेहूं		चना		मटर		मसूर		लाही		अलसी		अरहर		उर्द		मूंग	
	क्षेत्र हे0 में	%	क्षेत्र हे0 में	%	क्षेत्र हे0में	%	क्षेत्र हे0में	%	क्षेत्र हे0में	%	क्षेत्र हे0में	%	क्षेत्र हे0में	%	क्षेत्र हे0में	%	क्षेत्र हे0में	%
कुरारा देहात	2262	11.07	1540	5.11	607	32.07	2493	25.06	77	3.59	72	5.84	508	4.74	542	12.99	18	6.16
मिश्रीपुर	711	3.48	846	2.81	77	4.08	854	8.58	414	19.35	9	0.73	566	5.28	69	1.65	–	–
शेखूपुर	1703	8.34	1318	4.37	295	15.58	117	1.18	435	20.33	22	1.78	625	5.83	384	9.20	17	5.82
पतारा डांडा	714	3.49	2992	9.92	17	0.90	551	5.54	65	3.04	61	4.95	1492	13.91	13	0.31	123	42.12
बेरी	408	1.99	2081	6.90	10	0.53	918	9.23	167	7.80	43	3.49	711	6.63	91	2.18	4	1.37
कुसमरा	1005	4.92	2190	7.26	16	0.85	211	2.12	144	6.73	14	1.14	818	7.62	118	2.83	14	4.79
पन्धरी	1310	6.41	1656	5.49	14	0.74	604	6.07	120	5.61	185	15.00	423	3.94	179	4.29	4	1.37
मुण्डेरा	1166	5.71	1669	5.53	11	0.58	219	2.20	46	2.15	57	4.62	559	5.21	120	2.88	16	5.48
टेढ़ा	1800	8.81	2947	9.77	38	2.01	335	3.37	108	5.05	233	18.89	1372	12.79	328	7.87	6	2.05
पत्योरा डांडा	844	4.13	2184	7.24	–	–	353	3.55	32	1.49	193	15.65	224	2.08	23	0.55	10	3.42
कुछेछा डांडा (सुमेरपुर दे0)	565	2.77	1136	3.76	211	11.15	328	3.29	28	1.31	30	2.43	724	6.75	169	4.05	4	1.37
इंगोहटा	2420	11.85	2017	6.68	101	5.34	564	5.67	171	7.99	95	7.70	288	2.68	673	16.14	23	7.88
मवईजार	1643	8.04	1545	5.12	45	2.38	573	5.76	77	3.59	64	5.19	704	6.56	378	9.06	4	1.37
छानी बुजुर्ग	947	4.64	1658	5.49	21	1.10	421	4.23	48	2.24	78	6.33	470	4.38	344	8.25	2	0.68
पौथिया	1226	6.00	1794	5.94	209	11.04	667	6.70	103	4.81	41	3.33	485	4.52	506	12.13	17	5.82
कलौलीतीर	846	4.14	1070	3.54	91	4.80	306	3.07	60	2.80	6	0.49	453	4.22	201	4.82	10	3.42
सुमेरपुर दे0	855	4.19	1511	5.01	130	6.86	435	4.37	45	2.10	30	2.43	306	2.85	32	0.77	20	6.85
योग–	20425	100	30154	100	1893	100	9949	100	2140	100	1233	100	10728	100	4170	100	292	100

स्रोत– तहसील मुख्यालय हमीरपुर से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संगणित वर्ष– 2004–05.

1. गेहूं (ट्रीटिकम सैटिवम) :-

हमीरपुर तहसील में गेहूं एक लोकप्रिय फसल है तथा इसका उत्पादन व्यापक रूप से किया जाता है। गेहूं की फसल अक्टूबर–नवम्बर में बोयी जाती है तथा अप्रैल–मई में काटी जाती है। सुप्रवाह युक्त लोम एवं काली मिट्टियाँ तथा 50 सेमी0 से 100 सेमी0 तक वर्षा इसके उत्पादन के लिए आवश्यक है विशेष रूप से उन्नत किस्मों के लिए। अध्ययन क्षेत्र में नई एवं पुरानी दोनों किस्में उत्पन्न की जाती हैं। पीसी एकमात्र स्थानीय किस्म है तथा के0–68, के0–13, डब्ल्यू–47, आर0आर0–21, लारमाराजो, सोनारी–64, गेहूं की मैक्सिकन किस्में हैं, जो

HAMIRPUR TAHSIL
NYAYA PANCHAYAT WISE PRODUCTION AND AREA OF WHEAT CROPS (2004-05)
79°47`50``E
80°22`E
26°6`N
25°40`40``N
N
INDEX
EACH DOT REPRESENT 500 QUINTLE
AREA UNDER WHEAT CROP
AREA UNDER GRAM CROP
AREA UNDER SESAMUM CROP
AREA UNDER ARHAR CROP
AREA
8 %
4 %
1 %
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 KM.

FIG- 2.3

व्यापक रूप से उर्वर मिट्टी में जहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं, उगाई जाती हैं। सुमेरपुर विकास खण्ड में लगभग 34% शुद्ध बोये गए क्षेत्र में तथा कुरारा विकास खण्ड में लगभग 26% क्षेत्र में गेहूं उत्पादन किया जाता है। इंगोहटा न्याय पंचायत के अन्तर्गत सर्वाधिक 11.85% क्षेत्र गेहूं की फसल के अन्तर्गत है। इसके पश्चात क्रमशः कुरारा देहात (11.07%), टेढ़ा (8.81%), शेखूपुर (8.34%), मवई जार (8.04%), पन्धरी (6.41%), पौथिया (6.00%), मुण्डेरा (5.71%), कुसमरा (4.92%), छानी बुजुर्ग (4.64%), सुमेरपुर (4.19%), कलौली तीर (4.14%), पत्योरा डांडा (4.13%), पतारा डोडा (3.49%), मिश्रीपुर (3.48%), कुछेछा डांडा (2.77%) सबसे कम क्षेत्रफल बेरी न्याय पंचायत में (1.99%) है। (चित्र संख्या– 2.3)

हमीरपुर तहसील में गेहूं का औसत उत्पादन 23.89 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है। वर्ष 2004–05 में हमीरपुर तहसील में 20425 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं का 371326.5 कुन्तल उत्पादन हुआ, जो 2001 की तुलना में कम है। सन् 1999–2000 में गेहूं के अन्तर्गत कुल क्षेत्र 24762 हेक्टेयर था तथा उत्पादन 591564.18 कुन्तल हुआ, किन्तु विगत 3–4 वर्षों में चने के क्षेत्र में वृद्धि एवं गेहूं के क्षेत्र में कमी हो जाने के कारण हमीरपुर तहसील में गेहूं का उत्पादन अपेक्षाकृत कम हुआ है।

2. चना (Cicerartetinum) :-

चना खाद्यान्न एवं दाल दोनों है तथा यह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण रबी की फसल है, जो नवम्बर में बोयी जाती है तथा मार्च–अप्रैल में काटी जाती है। चना मुख्य रूप से हमीरपुर तहसील की पडुवा और लोम युक्त मिट्टियों के क्षेत्र में उत्पन्न किया जाता है। लगभग 31.14% शुद्ध बोये गए क्षेत्र में चना उत्पन्न किया जाता है। पतारा डांडा न्याय पंचायत में सबसे अधिक चने का क्षेत्र है, जो कुल क्षेत्र का 9.92% है। इसके पश्चात सुमेरपुर विकास खण्ड की टेढ़ा न्याय पंचायत का स्थान है, जहां कुल चना क्षेत्र का 9.77% क्षेत्र है। इसके पश्चात कुसमरा और पत्योरा डांडा न्याय पंचायतों का स्थान है, जहां क्रमशः (7.26%), (7.24%) चना क्षेत्र है। तत्पश्चात बेरी और इंगोहटा न्याय पंचायतें आती हैं, जहां क्रमशः (6.90%) तथा (6.80%) चना उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके पश्चात पौथिया (5.94%), मुण्डेरा (5.53%), पन्धरी (5.49%), छानी बुजुर्ग (5.49%), कुरारा देहात (5.11%), मवई जार (5.12%) का स्थान है। सबसे कम चना क्षेत्र मिश्रीपुर न्याय पंचायत में (2.81%) है।

उत्पादन की दृष्टि से भी पतारा डांडा न्याय पंचायत अग्रणी है। यहां कुल चना उत्पादन का 9.92% उत्पन्न होता है। इसके पश्चात टेढ़ा न्याय पंचायत का स्थान है, जहां 9.77% चना उत्पन्न होता है। इसके पश्चात कुसमरा (7.62%) तथा पत्योरा डांडा (7.24%) का स्थान है। बेरी न्याय पंचायत में (6.9%) तथा इंगोहटा न्याय पंचायत में (6.69%) चना उत्पन्न होता है। पौथिया (5.59%), मुण्डेरा (5.58%), छानी बुजुर्ग (5.51%), पन्धरी (5.49%), कुरारा देहात (5.11%) तथा

सुमेरपुर (5.01%) अन्य चना उत्पादक न्याय पंचायतें हैं। सबसे कम चना उत्पादन मिश्रीपुर न्याय पंचायत में (2.81%) होता है। हमीरपुर तहसील में प्रति हेक्टेयर चने का उत्पादन 9.6 कुन्तल है।

3. मटर (Peas) :-

मटर हमीरपुर तहसील के शुद्ध बोये गए क्षेत्र के 2.57% क्षेत्र पर बोया जाता है। कुरारा देहात न्याय पंचायत में सर्वाधिक (32.07%) क्षेत्र में मटर का उत्पादन होता है। इसके पश्चात शेखूपुर और पौथिया न्याय पंचायतों का स्थान है, जहां क्रमशः (15.04%) और (11.0%) क्षेत्र पर मटर का उत्पादन किया जाता है। पत्योरा डांडा न्याय पंचायत में मटर उत्पादक क्षेत्र शून्य है। सबसे कम मटर उत्पादक क्षेत्र मुण्डेरा (0.58%) न्याय पंचायत में है।

मटर का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन 11.76 कुन्तल है। उत्पादन की दृष्टि से भी कुरारा देहात न्याय पंचायत सबसे आगे है और बेरी न्याय पंचायत सबसे पीछे है, जहां क्रमशः (32.07%) तथा (0.53%) मटर उत्पन्न होता है। कुरारा देहात में शेखूपुर न्याय पंचायत का प्रथम स्थान है, जहां कुल उत्पादन का 15.58% उत्पादन होता है। इसके पश्चात पौथिया और कुछेछा डांडा न्याय पंचायतें अपना स्थान रखती हैं, जहां क्रमशः (11.15%) और (11.04%) मटर का उत्पादन किया जाता है।

4. मसूर (Masoor) :-

मसूर दाल के रूप में तथा नमकीन बनाने के मुख्य घटक के रूप में प्रयोग की जाती है। हमीरपुर तहसील के शुद्ध बोये गए क्षेत्र के 9.26% क्षेत्र पर मसूर का उत्पादन किया जाता है। सबसे अधिक क्षेत्रफल कुरारा देहात न्याय पंचायत पर, जो कुल मसूर क्षेत्र के 25.06% क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। इसके पश्चात बेरी 9.23% का स्थान है। इसके पश्चात मिश्रीपुर न्याय पंचायत का स्थान है जहां पर 8.58% क्षेत्र में मसूर का उत्पादन किया जाता है। इसके पश्चात क्रमशः पन्धरी (6.07%), मवई जार (5.76%), इंगोहटा (5.67%), पतारा डांडा (5.54%), सुमेरपुर दे० (4.37%), न्याय पंचायतों का स्थान है। न्यूनतम मसूर उत्पादक क्षेत्र शेखूपुर न्याय पंचायत में है।

मसूर का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 9.18 कुन्तल है। उत्पादन की दृष्टि से कुरारा देहात न्याय पंचायत में कुल मसूर का 25.06% उत्पन्न होता है। इसके पश्चात बेरी न्याय पंचायत का स्थान है, जहां 9.23% मसूर उत्पन्न होती है। इसके पश्चात क्रमशः मिश्रीपुर (8.58%), पौथिया (6.70%), पन्धरी (6.07%), मवई जार (5.76%), इंगोहटा (5.67%), पतारा डांडा (5.54%), सुमेरपुर (4.37%), छानी बुजुर्ग (4.23%), पत्योरा डांडा (3.55%), टेढ़ा (3.27%), कुछेछा डांडा (3.29%), कलौलीतीर (3.08%), मुण्डेरा (2.2%), कुसमरा (2.12%), शेखूपुर (1.18%) का स्थान है।

तालिका संख्या - 2.8

हमीरपुर तहसील में न्याय पंचायतवार प्रमुख फसलों का उत्पादन वर्ष 2004–05

न्याय पंचायतें	गेहूं		चना		मटर		मसूर		लाही		अलसी		अरहर		उर्द		मूंग	
	उत्पा0 कु0में	प्रति0	उत्पा0 कु0में	प्रति0	उत्पा0 कु0में	प्रति0	उत्पा0 कु0में	प्रति0	उत्पा0 कु0में	प्रति0	उत्पा0 कु0में	प्रति0	उत्पा0 कु0में	प्रति0	उत्पा0 कु0में0	प्रति0	उत्पा0 कु0में	प्रति0
कुरारा देहात	54039.18	11.07	14784.0	5.11	7138.3	32.07	22885.7	25.06	341.9	3.59	363.6	5.84	9255.8	4.74	175.6	12.99	50.0	6.16
मिश्रीपुर	16985.8	3.48	8121.6	2.81	905.5	4.07	7839.7	8.58	1838.2	19.35	45.5	0.73	10312.5	5.28	222.8	1.65	–	–
शेखूपुर	40684.7	8.34	12652.8	4.37	3469.2	15.58	1074.1	1.18	1931.4	20.33	111.1	1.78	11387.5	5.83	1240.3	9.21	47.3	5.83
पतारा डांडा	17057.5	3.49	28723.2	9.92	199.9	0.89	5058.2	5.54	288.6	3.04	308.1	4.95	27184.2	13.91	41.9	0.31	341.9	42.12
बेरी	9741.1	1.99	19977.6	6.90	117.6	0.53	8427.2	9.23	741.5	7.80	217.2	3.49	12954.4	6.63	293.8	2.18	11.1	1.37
कुसमरा	24009.5	4.92	21024.0	7.26	188.2	0.85	1937.0	2.12	639.4	6.73	70.7	1 14	14903.9	7.62	381.1	2.83	38.9	4.79
पन्धरी	31295.9	6.41	15897.6	5.49	164.6	0.74	5544.7	6.07	532.8	5.61	934.3	15.00	7707.1	3.94	578.2	4.29	11.1	1.37
मुण्डेरा	27855.7	5.71	16022.4	5.53	129.4	0.58	2010.4	2.20	204.3	2.15	287.9	4.62	10184.9	5.21	387.5	2.88	44.5	5.48
टेढ़ा	43002.0	8.81	28291.2	9.77	446.9	2.00	3075.3	3.37	479.5	5.05	1176.7	18.89	24997.8	12.79	1059.8	7.87	16.7	2.06
पत्योरा डांडा	20163.2	4.13	20966.4	7.24	–	–	3240.5	3.55	142.1	1.49	974.7	15.65	4081.3	2.09	74.9	0.56	27.8	3.42
कुछेछा डांडा (सुमेरपुर दे0)	13497.9	2.77	10905.6	3.77	2481.4	11.15	3011.0	3.29	124.3	1.31	151.5	2.43	13191.3	6.75	545.8	4.05	11.1	1.37
इंगोहटा	57813.8	11.85	19363.2	6.69	1187.8	5.34	5177.5	5.67	759.3	7.99	479.8	7.71	5247.4	2.68	2173.8	16.14	63.9	7.87
मवईजार	39251.3	8.04	14832.0	5.12	529.2	2.38	5260.1	5.76	341.9	3.59	323.2	5.19	12826.9	6.56	1220.9	9.06	11.1	1.37
छानी बुजुर्ग	22623.8	4.64	15916.8	5.51	246.9	1.11	3864.8	4.23	213.2	2.24	393.9	6.33	8563.4	4.38	1111.1	8.25	5.6	0.69
पौथिया	29289.1	6.00	17222.4	5.95	2457.8	11.04	6123.1	6.70	457.3	4.81	207.1	3.33	8836.7	4.52	1634.4	12.13	47.3	5.83
कलौलीतीर	20210.9	4.14	10272.0	3.55	1070.2	4.81	2809.1	3.08	266.4	2.80	30.3	0.49	8253.7	4.22	649.2	4.82	27.8	3.42
सुमेरपुर दे0	20425.9	4.19	14505.6	5.01	1528.8	6.87	3993.3	4.27	199.8	2.10	151.5	2.43	5573.3	2.85	103.4	0.77	56.6	6.97
योग–	487953.3	100	289478.4	100	22261.7	100	91331.7	100	9501.9	100	6227	100	195464.1	100	13469.1	100	811.7	100

स्रोत– तहसील मुख्यालय, हमीरपुर से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संगणित वर्ष– 2004–05.

5. लाही/सरसों (Sesamum) :-

लाही हमीरपुर तहसील का प्रमुख तिलहन है। यह खाद्य तेल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, जो अक्टूबर–नवम्बर में बोई जाती है तथा फरवरी–मार्च में काटी जाती है। लाही मुख्य रूप से हमीरपुर तहसील में पडुवा एवं मार मिट्टियों के क्षेत्र में उत्पन्न की जाती है। शुद्ध बोये गए क्षेत्र के 1.74% क्षेत्र पर लाही/सरसों उत्पन्न किया जाता है। सबसे अधिक क्षेत्रफल शेखूपुर न्याय पंचायत पर जो कुल लाही क्षेत्र के 20.33% क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती

इसके पश्चात मिश्रीपुर 19.35% का स्थान है। इसके पश्चात क्रमशः इंगोहटा (7.99%), बेरी (7.8%), कुसमरा (6.73%), पन्धरी (5.61%), टेढ़ा (5.05%), पौथिया (4.81%), कुरारा देहात (3.59%), मवई जार (3.59%), पतारा डांडा (3.04%), कलौलीतीर (2.8%), छानी बुजुर्ग (2.24%), मुण्डेरा (2.15%), सुमेरपुर (2.1%), पत्योरा डांडा (1.49%) न्याय पंचायतों का स्थान है। न्यूनतम लाही/सरसों का उत्पादक क्षेत्र कुछेछा डांडा न्याय पंचायत (1.31%) में है।

लाही का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 4.44 कुन्तल है। उत्पादन की दृष्टि से भी शेखूपुर न्याय पंचायत में सबसे अधिक लाही का 20.34% उत्पादन होता है, जिसका प्रथम स्थान है। इसके पश्चात क्रमशः मिश्रीपुर (19.4%), इंगोहटा (8.0%), बेरी (7.8%), कुसमरा (6.7%), पन्धरी (5.6%), टेढ़ा (5.1%), पौथिया (4.8%), कुरारा देहात (3.6%), मवईजार (3.6%), पतारा डांडा (3.1%), कलौलीतीर (2.8%), छानी बुजुर्ग (2.3%), मुण्डेरा (2.2%), सुमेरपुर (2.1%), पत्योरा डांडा (1.5%), कुछेछा डांडा (1.3%) आदि न्याय पंचायतों का स्थान है।

6. अलसी (Linseed) :-

अलसी भी हमीरपुर तहसील का प्रमुख खाद्य तेल है। इसे मीठे तेल के नाम से जाना जाता है। अलसी भी अक्टूबर–नवम्बर में बोई जाती है और फरवरी–मार्च में काटी जाती है। अलसी हमीरपुर तहसील के दोमट और मार मिट्टियों में पैदा की जाती है। अलसी हमीरपुर तहसील के शुद्ध बोये गए 3.08% क्षेत्र पर उन्पन्न की जाती है। हमीरपुर तहसील में टेढ़ा न्याय पंचायत क्षेत्र में सबसे अधिक 18.89% क्षेत्र पर अलसी उत्पन्न की जाती है। दूसरे स्थान पर पत्योरा डांडा न्याय पंचायत (15.65%) क्षेत्र में अलसी उत्पन्न होती है। इसके पश्चात क्रमशः पन्धरी (15.0%), इंगोहटा (7.7%), छानी बुजुर्ग (6.33%), कुरारा देहात (5.84%), मवई जार (5.19%), पतारा डांडा (4.95%), मुण्डेरा (4.62%), बेरी (3.49%), पौथिया (3.33%), कुछेछा डांडा (2.43%), सुमेरपुर (2.43%), शेखूपुर (1.78%), कुमसरा (1.14%) न्याय पंचायतों का स्थान है। सबसे कम अलसी उत्पादित क्षेत्र मात्र (0.73%) मिश्रीपुर न्याय पंचायत में है।

अलसी का उत्पादन हमीरपुर तहसील में 5.05 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है। उत्पादन की दृष्टि से टेढ़ा न्याय पंचायत (18.9%), का प्रथम स्थान है। दूसरे स्थान पर पत्योरा डांडा (15.7%), न्याय पंचायत हैं। इसी प्रकार क्रमशः पन्धरी (15.0%), इंगोहटा (7.7%), छानी बुजुर्ग (6.3%), कुरारा देहात (5.8%), मवई जार (5.2%), पतारा डांडा (4.9%), मुण्डेरा (4.6%), बेरी (3.5%), पौथिया (3.3%), कुछेछा डांडा (2.4%), सुमेरपुर (2.4%), शेखूपुर (1.8%), कुसमरा (1.2%), मिश्रीपुर (0.73%) न्याय पंचायतों का स्थान है।

7. अरहर (Arhar) :-

अरहर हमीरपुर तहसील की सबसे महत्वपूर्ण खरीफ फसली दलहन है। अरहर, ज्वार के

साथ जून–जुलाई में बोई जाती है तथा मार्च–अप्रैल में काटी जाती है। अरहर तहसील की दोमट एवं लोमयुक्त मिट्टियों में बोई जाती है। यह तहसील के शुद्ध बोये गए क्षेत्र के लगभग 4.88% क्षेत्र पर उत्पन्न की जाती है। पतारा डांडा न्याय पंचायत में सबसे अधिक (13.91%) क्षेत्र पर अरहर का उत्पादन किया जाता है। दूसरे स्थान पर टेढ़ा न्याय पंचायत (12.79%) आती है। इसके पश्चात क्रमशः कुसमरा (7.62%), कुछेछा डांडा (6.75%), बेरी (6.63%), मवई जार (6.56%), शेखूपुर (5.83%), मिश्रीपुर (5.28%), मुण्डेरा (5.21%), कुरारा देहात (4.74%), पौथिया (4.52%), छानी बुजुर्ग (4.28%), कलौलीतीर (4.22%), पन्धरी (3.94%), सुमेरपुर (2.85%), इगोहटा (2.68%), पत्योरा डांडा (2.08%), न्याय पंचायतों का स्थान है।

हमीरपुर तहसील में अरहर का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 18.22 कुन्तल है। उत्पादन की दृष्टि से भी पतारा डांडा न्याय पंचायत अग्रणी है। यहां कुल अरहर उत्पादन का 13.9% उत्पन्न होती है। दूसरे स्थान पर टेढ़ा न्याय पंचायत (12.8%) आती है। इसके पश्चात कुसमरा (7.6%) तथा कुछेछा डांडा (6.8%) का स्थान है। बेरी न्याय पंचायत में (6.6%) तथा मवई जार (6.5%) न्याय पंचायत में अरहर उत्पन्न होती है। इसके पश्चात क्रमशः शेखूपुर (5.8%), मिश्रीपुर (5.3%), मुण्डेरा (5.2%), कुरारा देहात (4.7%), पौथिया (4.5%), छानी बुजुर्ग (4.4%), कलौलीतीर (4.2%), पन्धरी (3.9%), सुमेरपुर (2.9%), इंगोहटा (2.7%), पत्योरा डांडा (2.1%), न्याय पंचायतों का स्थान है।

8. उर्द (Urd) :-

हमीरपुर तहसील में उर्द दो फसली, फसल के विकल्प के रूप में उगाई जाने लगी है। उर्द एक दलहनी खरीफ की फसल है। उर्द की फसल के तुरन्त पश्चात कृषक रबी की फसल खासकर गेहूं या चने की खेती करते हैं। उर्द जून–जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर–नवम्बर में काटी जाती है। यह पडुवा और दोमट मिट्टियों में उत्पादित की जाती है। हमीरपुर तहसील के शुद्ध बोये गए क्षेत्र के (7.66%) क्षेत्र पर उर्द उत्पन्न की जाती है। इंगोहटा न्याय पंचायत में (16.14%) क्षेत्र में उर्द की खेती की जाती है, जिसका हमीरपुर तहसील में प्रथम स्थान है। दूसरा स्थान कुरारा देहात न्याय पंचायत (12.99%) का आता है। इसके पश्चात क्रमशः पौथिया (12.13%), शेखूपुर (9.20%), मवई जार (9.06%), छानी बुजुर्ग (8.25%), टेढ़ा (7.87%), कलौलीतीर (4.82%), पन्धरी (4.29%), कुछेछा डांडा (4.05%), मुण्डेरा (2.88%), कुसमरा (2.83%), बेरी (2.18%), मिश्रीपुर (1.65%), सुमेरपुर (0.77%), पत्योरा डांडा (0.55%), पतारा डांडा (0.31%) न्याय पंचायतों का स्थान है।

हमीरपुर तहसील में उर्द का औसत उत्पादन 2.23 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है। उत्पादन की दृष्टि से भी इंगोहटा न्याय पंचायत का प्रथम स्थान है, जहां पर कुल उत्पादन का (16.2%) उर्द

उत्पन्न होता है। दूसरे स्थान पर कुरारा देहात न्याय पंचायत (13.0%) है। इसके पश्चात पौथिया (12.0%) का स्थान आता है। तत्पश्चात क्रमशः शेखूपुर (9.2%), मवई जार (9.1%), छानी बुजुर्ग (8.3%), टेढ़ा (7.9%), कलौलीतीर (4.8%), पन्धरी (4.3%), कुछेछा डांडा (4.1%), मुण्डेरा (2.9%), कुसमरा (2.8%), बेरी (2.2%), मिश्रीपुर (1.6%), सुमेरपुर (0.8%), पत्योरा डांडा (0.5%), पतारा डांडा (0.3%) न्याय पंचायतो का स्थान आता है।

9. मूंग (Moong) :-

मूंग एक दाल है, यह अधिकतर ज्वार और अरहर के साथ बोयी जाती है। यह जून–जुलाई में बोयी जाती है तथा अक्टूबर–नवम्बर में काट ली जाती है। मूंग खरीफ की फसल है। हमीरपुर तहसील में मूंग को अत्यल्प क्षेत्र में बोया जाता है। यह शुद्ध बोये गए क्षेत्र के लगभग 0.21% क्षेत्र में ही उत्पन्न की जाती है। पूरे तहसील में पतारा डांडा ही ऐसी न्याय पंचायत है, जहां पर (42.12%) क्षेत्र पर मूंग को उत्पादित किया जाता है। इसके पश्चात इंगोहटा न्याय पंचायत (7.8%) का स्थान है। इसके पश्चात सुमेरपुर न्याय पंचायत (6.85%) क्षेत्र में मूंग बोयी जाती है। कुरारा दहात न्याय पंचायत में (6.16%) क्षेत्र पर तथा शेखूपुर न्याय पंचायत (5.82%) क्षेत्र में मूंग बोयी जाती है। इसके पश्चात क्रमशः पौथिया (5.82%), मुण्डेरा (5.48%), कुसमरा 4.79%), पत्योरा डांडा (3.42%) और कलौलीतीर (3.42%), टेढ़ा (2.05%) न्याय पंचायतों का स्थान है। शेष न्याय पंचायतों में मूंग का उत्पादन लगभग नगण्य है।

हमीरपुर तहसील में मूंग का औसत उत्पादन 2.78 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है। उत्पादन की दृष्टि से भी पतारा डांडा न्याय पंचायत सर्वोपरि है, जहां पर लगभग आधी (43%) मूंग का उत्पादन होता है। पतारा डांडा के पश्चात इंगोहटा न्याय पंचायत दूसरे स्थान (7.9%) मूंग का उत्पादन करता है। इसके पश्चात क्रमशः सुमेरपुर (6.9%), कुरारा देहात (6.2%), शेखूपुर (5.8%), मुण्डेरा (5.5%), कुसमरा (4.8%), पत्योरा डांडा (3.4%), कलौलीतीर (3.4%), टेढ़ा (2.1%) न्याय पंचायतें मूंग उत्पन्न करती हैं। बेरी, पन्धरी, कुछेछा डांडा, मवई जार न्याय पंचायतों में एक समान लगभग (1.4%) मूंग का उत्पादन करती हैं। मिश्रीपुर न्याय पंचायत ऐसी न्याय पंचायत है, जहां पर मूंग का उत्पादन शून्य है।

10. चावल (Rice) :-

चावल एक लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है, जो हमीरपुर तहसील के अत्यल्प क्षेत्रफल में उत्पन्न किया जाता है। कुरारा विकास खण्ड में 206 हेक्टेयर में तथा सुमेरपुर विकास खण्ड में मात्र 27 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का प्रबन्ध करके चावल उत्पन्न किया जाता है। हमीरपुर तहसील के शुद्ध बोये गए क्षेत्र के (0.28%) भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। हमीरपुर तहसील में चावल की प्रति हेक्टेयर औसत उपज 10.87 कुन्तल है। हमीरपुर तहसील में चावल की अच्छी

सम्भावनाएं हैं, यदि इन दोनों विकास खण्डों में सिंचन क्षमता में वृद्धि कर दी जाए तो, यहां की दोमट और मार मिट्टियों में चावल के उत्पादन में आशातीत वृद्धि होगी। अभी धान का रोपण केवल वही कृषक करते हैं, जिनके पास ट्यूबवेल, पम्पिंग सेट आदि निजी सिंचाई के साधन हैं।

11. जौ (Barley) :-

जौ रबी की फसल है। जौ ज्यादातर ऐसी जगहों पर बोया जाता है जहां पर सिंचाई के साधनों का अभाव है। क्योंकि जौ की कृषि कम सिंचाई पर भी सम्भव है। यह बहुत ही कम क्षेत्र पर बोया जाता है। जौ को अक्टूबर--नवम्बर में बोया जाता है तथा मार्च--अप्रैल में काटा जाता है। यह हमीरपुर तहसील की मार और दुमट मिट्टी में उगाया जाता है। जौ हमीरपुर तहसील के शुद्ध बोये क्षेत्र के मात्र 0.35% भाग में ही पैदा किया जाता है। इसका औसत उत्पादन 16.75 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है।

12. ज्वार (Jowar) :-

ज्वार गरीबों का अनाज है। यह एक खरीफ फसल है जो ज्यादातर अरहर और मूंग के साथ बोयी जाती है। ज्वार को जून--जुलाई में बोया जाता है तथा नवम्बर--दिसम्बर में काट ली जाती है। ज्वार अधिकतर हमीरपुर तहसील के ढालयुक्त रांकर तथा दुमट मिट्टी में बोयी जाती है। ज्वार कुरारा विकास खण्ड के 4099 हेक्टेयर क्षेत्र में तथा सुमेरपुर विकास खण्ड के 7929 हेक्टेयर क्षेत्र में उत्पन्न किया जाता है। कुल मिलाकर हमीरपुर तहसील के शुद्ध बोये गए क्षेत्र के 14.21% क्षेत्र पर ज्वार का उत्पादन किया जाता है। ज्वार के पौधे का उपयोग पशुचारे के रूप में किया जाता है। ज्वार का औसत उत्पादन 8.27 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है।

13. बाजरा (Bajra) :-

मोटे अनाजों में बाजरे का प्रमुख स्थान है, किन्तु यह लोकप्रिय फसल नहीं है। बाजरा प्रायः निर्धन लोगों द्वारा भोजन के रूप में और पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से क्ले मिट्टी में पैदा किया जाता है। यह जुलाई--अगस्त में बोया जाता है और नवम्बर--दिसम्बर में काटा जाता है। यह मूंग, अरहर, तिल और रेण्डी के साथ मिश्रित फसल के रूप में उगाया जाता है। हमीरपुर तहसील के शुद्ध बोये गए क्षेत्र के 0.54% क्षेत्र में बोया जाता है। बाजरे का औसत उत्पादन 4.32 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है।

14. सोयाबीन (Beans) :-

सोयाबीन हमीरपुर तहसील में लोकप्रिय दलहन नहीं है। यहां के कृषकों द्वारा इसका उत्पादन गत कुछ वर्षों से प्रारम्भ किया गया है। सोयाबीन तहसील के मात्र 0.09% क्षेत्र में उत्पन्न किया जाता है। यह एक वाणिज्यिक फसल है, इससे सोयाबीन का तेल प्राप्त किया जाता है। अतः भविष्य में इसके क्षेत्रफल के बढ़ने की सम्भावना है। इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल

कुरारा विकास खण्ड में है, जहां 77 हेक्टेयर में सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। इसके पश्चात सुमेरपुर विकास खण्ड में मात्र 5 हेक्टेयर क्षेत्र में उत्पन्न किया जाता है।

सोयाबीन का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन 7.85 कुन्तल है। वर्ष 1999–2000 में कुरारा विकास खण्ड में 604 कुन्तल तथा सुमेरपुर विकास खण्ड में 39 कुन्तल सोयाबीन का उत्पादन किया गया।

15. गन्ना (Sugarcane) :-

हमीरपुर तहसील में गन्ना उत्पादन के लिए जल का अभाव है, इसलिए इसका क्षेत्रफल अत्यन्त अल्प है। गन्ना हमीरपुर तहसील के शुद्ध बोये गए क्षेत्र के 0.05% क्षेत्र में उगाया जाता है। वर्ष 1999–2000 में गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 537.35 प्रति कुन्तल था। हमीरपुर तहसील की काली मिट्टी गन्ना उत्पादन के लिए सर्वथा उपयुक्त है। यदि इस मिट्टी में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो गन्ने की फसल को लोकप्रिय बनाया जा सकता है।

16. आलू (Potato) :-

हमीरपुर तहसील में आलू अत्यल्प क्षेत्र पर उगाया जाता है। सम्पूर्ण आलू क्षेत्र का 65% सुमेरपुर विकास खण्ड में उगाया जाता है तथा शेष 35% भाग कुरारा विकास खण्ड में उगाया जाता है आलू एक वाणिज्यिक फसल है। हमीरपुर तहसील के शुद्ध बोये गए क्षेत्र के 0.02% क्षेत्र पर आलू उत्पन्न किया जाता है। 1999–2000 में आलू का औसत उत्पादन 225.36 कुन्तल प्रति हेक्टेयर था।

फसलों के उपरोक्त विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि हमीरपुर तहसील में खाद्यान्न फसलें प्रचुरता से उगाई जाती हैं। गन्ना, कपास, जूट, आलू, मूंगफली, तम्बाकू जैसी व्यापारिक फसलों की कमी है। खाद्यान्नों में चावल को अत्यन्त अल्प मात्रा में उत्पन्न किया जाता है। इसका मुख्य कारण यहां की कृषि अर्थ व्यवस्था का वर्षा पर निर्भर होना है। सिंचाई की समुचित सुविधाओं का अभाव है। इसलिए प्रत्येक फसल का उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। हमीरपुर तहसील में मृदा, जल और वनों का समुचित प्रबन्धन करके इस कठिनाई को दूर किया जा सकता है।

मृदा क्षरण के कारगर उपाय करके तहसील के नालों और नदियों में जलाशय बनाकर न केवल अधोभौमिक जल को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि छोटी–छोटी नहरें निकालकर तहसील की सिंचन क्षमता में वृद्धि करके खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है तथा वाणिज्यिक फसलों को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।

(iv) खनिज संसाधन (Mineral Resources)

बालू (Sand) :-

यद्यपि खनिज संसाधन अर्थ व्यवस्था के आधार होते हैं, किन्तु भौगर्भिक सर्वेक्षणों के अभाव में हमीरपुर तहसील में किसी भी महत्वपूर्ण खनिज की उपलब्धि नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश सरकार के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की उदासीनता के कारण यहां खनिजों का सर्वेक्षण नहीं किया जा सका। हमीरुपर तहसील में प्राप्त होने वाला एक मात्र खनिज संसाधन बालू है, जो बेतवा के किनारे पर प्रतिवर्ष बाढ़ के समय बिछ जाती है, और भवन निर्माण सामग्री के रूप में तहसील– जनपद एवं जनपद के बाहर कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद आदि जिलों में भेजी जाती है। बालू संग्रहण के मुख्य केन्द्र बेतवा के किनारे स्थित बेरी शीतलपुर तथा बदनपुर, मेरापुर डांडा मुख्य संग्रह केन्द्र हैं, इन केन्द्रों से प्रति ट्रक 1200 रुपए तथा प्रति ट्रैक्टर 300 रुपए की दर से ठेकेदारों द्वारा विक्रय की जाती है। बालू के खनन कार्य में लगभग 300 लोगों को मौसमी रोजगार प्राप्त होता है तथा राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त होता है।
बालू खनन में केवल हस्त श्रम का उपयोग किया जाता है यदि मशीनों का प्रयोग किया जाए तो अधिक मात्रा में बालू प्राप्त होगी तथा नष्ट हो जाने वाली बालू को बचाया जा सकेगा।

2 (ब) (i) जल संसाधन (Water Resource)

क्षेत्रीय विकास में जल संसाधन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमीरपुर तहसील में औसत वार्षिक वर्षा 85 सेमी0 होती है, जो मुख्य रूप से जुलाई, अगस्त और सितम्बर महीनों तक सीमित है। वर्षा के असमान मौसमी वितरण के कारण यहां की कृषि अर्थ व्यवस्था को सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ता है। वर्षा का यह जल नदियों, नालों और रिसकर भूगर्भ में चला जाता है। हमीरपुर तहसील के उत्तर में यमुना, पश्चिम में बेतवा मुख्य जल धारायें हैं, जिनसे नहरों द्वारा सिंचाई प्राप्त की जा सकती है।

हमीरपुर तहसील में राजकीय नहरों का अपेक्षाकृत कम विकास हुआ है। इस तहसील में बेतवा नदी से निकाली गई बेतवा नहर तथा यमुना नदी से निकाली गई लिफ्ट नहर ही मुख्य रूप से राजकीय नहरें हैं, जिनसे तहसील को सिंचाई प्राप्त होती है। राठ तहसील में वर्मा पर निर्मित मौदहा बांध से निकाली गई नहर की लघु शाखा एवं लघु उपशाखाओं (Miner Canals) से इस तहसील की छानी बुजुर्ग, मवई जार तथा इंगोहटा न्याय पंचायतों को अल्प मात्रा में सिंचाई प्राप्त होती है इसलिए राजकीय नहरों, नलकूपों, साधारण कुओं, जलाशयों और तालाबों के विकास की हमीरपुर तहसील में महती आवश्यकता है। शुद्ध बोये गए क्षेत्र का सिंचित क्षेत्र तालिका संख्या– 2.9 में प्रदर्शित किया गया है। हमीरपुर तहसील का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 80117.52 हेक्टेयर है जबकि शुद्ध सिंचित क्षेत्र मात्र 23330 हेक्टेयर है, जो शुद्ध बोये गए क्षेत्र

HAMIRPUR TAHSIL
SOURCE WISE IRRIGATED AREA
N
79°47'50''E
80°22'E
26°6'N
25°40'40''N
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 KM.
YAMUNA RIVER
BETWA RIVER
INDEX
CANALS
GOV. TUBEWELLS
PER. TUBEWELLS
WELLS
TANKS
OTHERS

FIG- 2.4

का केवल 29.12% है।

तालिका संख्या - 2.9

हमीरपुर तहसील में स्रोतानुसार सिंचित क्षेत्र वर्ष– 2000–2001

विकास खण्ड	शुद्ध बोया गया क्षेत्र (हे0में)	शुद्ध सिंचित क्षेत्र (हे0में)	प्रतिशत	नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र (हे0में)	%	सरकारी नलकूपों द्वारा सिंचाई	%	निजी नलकूपों द्वारा	%	पक्के कुओं द्वारा	%	तालाबों द्वारा	%	अन्य साधनों द्वारा	%
कुरारा	30610.51	8486	36.37	3762	59.61	2396	31.93	1823	24.92	386	23.01	56	46.3	63	19.40
सुमेरपुर	49507.01	14844	63.63	2550	40.39	5107	68.07	5493	75.08	1367	77.99	65	53.7	262	80.61
तहसील हमीरपुर	80117.52	23330	29.12	6312	7.88	75.03	9.36	7316	9.13	1753	2.17	121	0.15	325	1.5
जनपद हमीरपुर	326131	98998	30.35	48862	14.98	12141	3.72	17852	5.47	14584	4.47	645	0.19	4914	1.5

स्रोत– जिला सांख्यकीय पत्रिका, जनपद हमीरपुर– 2001, पेज– 34

तालिका संख्या– 2.9 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि नलकूप हमीरपुर तहसील में सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। शुद्ध बोये गए क्षेत्र. का 9.36% राजकीय नलकूपों से तथा 9.13% व्यक्तिगत नलकूपों से सिंचाई प्राप्त करता है। अर्थात शुद्ध बोये गए क्षेत्र का 18.49% नलकूपों द्वारा सींचा जाता है। हमीरपुर तहसील का कुल सिंचित क्षेत्रफल 23330 हेक्टेयर है, जिसका 63.52% राजकीय नलकूपों एवं व्यक्तिगत नलकूपों द्वारा सिंचित है। नहरें दूसरे स्थान पर हैं, जो शुद्ध बोये गए क्षेत्र. के 7.86% क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करती हैं। तीसरे स्थान पर पक्के कुएं हैं, जिनसे शुद्ध बोये गए क्षेत्र का 2.19% क्षेत्र सिंचित होता है। तालाबों से शुद्ध बोये गए क्षेत्र का केवल 0.15% क्षेत्र ही सिंचित होता है।

इसके अतिरिक्त पोखरों, तालाबों, नालों एवं सड़क के किनारे गड्ढों से पम्पिंग सेट आदि की सहायता से शुद्ध बोये गए क्षेत्र के लगभग 0.41% क्षेत्र में सिंचाई की जाती है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि हमीरपुर तहसील में सिंचाई के साधन अपर्याप्त हैं, जिसके कारण यहां की कृषि अर्थव्यवस्था दबी हुई एवं पिछड़ी है। सिंचाई को सुनिश्चित बनाने के लिए यमुना एवं बेतवा नदियों से लिफ्ट नहरों का विकास किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कृषकों को पम्पिंग सेट आदि क्रय करने के लिए ऋण की आसान सुविधा प्रदान की जाए।

हमीरपुर तहसील में विभिन्न फसलों के लिए जल की आवश्यकता :-

हमीरपुर तहसील की खरीफ, रबी और जायद तीनों फसलों के लिए जलाल्पता अनुभव की गई है। जलाल्पता के कारण ही इस तहसील में धान जैसी महत्वपूर्ण फसल का उत्पादन

HAMIRPUR TAHSIL
MEANS OF IRRIGATION
N
79°47'50"E
80°22'E
26°6'N
25°40'40"N
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 KM.
YAMUNA RIVER
BETWA RIVER
BHAULI LIFT CANAL
BETWA CANAL
PAUTHIYA LIFT CANAL
SURAULI LIFT CANAL
PATYORA LIFT CANAL
CHHANI BRANCH
BANDA MAVAIJAR BRANCH
INDEX
CANALS
TUBE WELLS
WELLS

FIG- 2.5

नहीं हो पा रहा है। यद्यपि यह फसल वर्षा ऋतु में रोपित की जाती है, किन्तु वर्षा पर्याप्त जलोपलब्धता सुनिश्चित नहीं करती, क्योंकि इसकी मात्रा एवं अवधि वर्ष प्रतिवर्ष परिवर्तित होती रहती है। रबी की फसल में भी गेहूं की फसल शीतकालीन अल्पवृष्टि पर, जिसे स्थानीय रूप से महावट कहते हैं, पर निर्भर रहती है। गन्ना और अरहर जैसी वार्षिक फसलों के लिए भी सिंचाई की आवश्यकता होती है, किन्तु शीत ऋतु में नगण्य वर्षा होने के कारण इनके लिए जल की आवश्यकता होती है।

निम्नलिखित तालिका विभिन्न फसलों के लिए जल की आवश्यकता को व्यक्त करती है।

तालिका संख्या - 2.10

हमीरपुर तहसील की मुख्य फसलों के लिए जल की अपर्याप्तता एवं अधिकता

फसलें फसल की अवधि	फसलों के दिनों की संख्या	जल की आवश्यकता (सेमी0 में)	वर्षा से प्राप्त जल की मात्रा (सेमी0में)	कमी / अधिकता (सेमी0 में)
ज्वार जुलाई से नवम्बर	150	75	80.5	+ 5.2
धान जून से नवम्बर	150	150	98.1	− 51.1
गेहूं अक्टूबर से मार्च	160	50	6.4	− 43.3
जौ नवम्बर से मार्च	150	50	6.4	− 43.3
सरसों नवम्बर से मार्च	150	70	65.3	− 3.5

स्रोत– तहसील मुख्यालय हमीरपुर से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संगणित– 2003–04.

उक्त तालिका यह प्रदर्शित करती है कि वर्षा के द्वारा प्राप्त जल फसलों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती है। धान, गेहूं, जौ, सरसों आदि फसलों के लिए वर्षा से प्राप्त जल अपर्याप्त है। वर्षा से प्राप्त जल खरीफ की फसल केवल ज्वार के लिए ही पर्याप्त है।

इस प्रकार से सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करना एक ज्वलन्त समस्या है। यमुना और बेतवा इस तहसील में दो सदावाही नदियां हैं, जिनसे लिफ्ट नहर एवं पम्प नहर निकालकर सिंचाई की जा सकती है। तहसील में रोहाइन, महिला तथा करोरन सदावाही नाले हैं, जिनके जल को बड़े जलाशयों अथवा चेकडेमों में संग्रहीत करके उस जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है। यद्यपि तहसील में 264 सरकारी, 509 निजी नलकूप हैं, किन्तु ये सिंचाई की आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर पाते, अतः इस बात की आवश्यकता है कि भौगर्भिक सर्वेक्षण करके नए नलकूप लगाए जाएं। इस बात की भी महती आवश्यकता है कि बेतवा कैनाल की शाखाओं तथा उपशाखाओं का विस्तार किया जाए, जिससे सम्पूर्ण कुरारा विकास खण्ड को रबी के मौसम में सिंचाई प्राप्त हो सके।

मौदहा बांध से निकाली गई नहर का विस्तार भी सुमेरपुर विकास खण्ड में आवश्यक है। समुचित सर्वेक्षण करके यमुना नदी से नवीन नहर भी निकाली जा सकती है और उसकी

शाखाओं तथा उपशाखाओं का विस्तार करके फसलों को जलाभाव से मुक्ति दिलाई जा सकती है। सिंचाई के लिए जल की कमी दूर करने तथा अधोभौमिक जल के नवोन्मेष के लिए वर्षा के जल को रोककर प्रायः प्रत्येक गांव में बड़े–बड़े 'परकोलेशन टैक्स' बनाए जाएं, जिससे बड़ी सीमा तक जलाभाव की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। तहसील के वर्तमान जलाशयों का पुनरुद्धार करके उनकी जलधारण क्षमता में वृद्धि की जा सकती है और उस अतिरिक्त जल का उपयोग पम्पिंग सेटों द्वारा रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलों में किया जा सकता है।

(ii) रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग (Use of Chemical Fer tilizers) :-

हमीरपुर तहसील में जिन कृषकों के पास सिंचाई के अपने साधन हैं अथवा जिनको सिंचाई की सुविधा प्राप्त है, वे फसलों का अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने को प्रवृत्त हो रहे हैं। यद्यपि प्रत्येक कृषक मृदा परीक्षण नहीं कराता तथा उसे यह ज्ञान नहीं होता कि उसके खेत में क्या कमी है, तथापि वे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास युक्त खादें प्रयोग में लाता है। हमीरपुर तहसील में मुख्य रूप से मार, काबर और कांप मिट्टियां पाई जाती हैं। कांप मिट्टियां तो उर्वर हैं, किन्तु काबर और रांकर मिट्टियों में अनेक तत्वों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, लौहांश, एल्युमिनियम आदि तत्वों में से कई तत्वों की कमी पाई जाती है। इसका सही ज्ञान केवल मृदा परीक्षण से होता है, जिसकी सुविधा कृषकों को प्राप्त नहीं है।

तालिका संख्या - 2.11

विभिन्न फसलों के लिए मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों के आधार पर हमीरपुर तहसील में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग

क्र0सं0	फसल	नाइट्रोजन				फास्फोरस				पोटास			
		अति	न्यून	मध्यम	उच्च	अति	न्यून	मध्यम	उच्च	अति	न्यून	मध्यम	उच्च
1.	मैक्सिकन गेहूं	180	165	145	NIL	185	160	130	100	35	30	25	20
2.	एच0वाई0वी0 धान	240	205	190	NIL	180	170	145	115	35	30	25	25
3.	एच0वाई0वी0 गेहूं	80	60	40	NIL	125	95	65	30	20	20	15	NIL
4.	गन्ना	230	180	135	135	170	115	90	60	40	40	25	NIL
5.	चना	20	15	15	10	185	140	95	45	NIL	NIL	NIL	NIL
6.	मटर	10	10	10	25	115	85	55	30	NIL	NIL	NIL	NIL
7.	ज्वार–बाजरा	60	45	30	25	115	65	50	30	25	25	25	NIL
8.	शंकर ज्वार–बाजरा	150	110	90	75	130	100	75	45	30	25	20	15
9.	शंकर मक्का	105	165	145	135	185	160	130	100	35	30	25	25
10.	आलू	145	110	75	60	200	200	105	55	55	55	40	NIL

स्रोत– क्षेत्रीय मृदा प्रयोगशाला, झांसी

हमीरपुर तहसील में सन् 2000–2001 वर्ष के दौरान नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का वितरण विकास खण्डवार निम्नलिखित तालिका के अनुसार किया गया–

तालिका संख्या - 2.12

हमीरपुर तहसील में विकास खण्डवार रासायनिक उर्वरकों का वितरण (मीट्रिक टन में) वर्ष– 2000–2001

विकास खण्ड	नाइट्रोजन	फास्फोरस	पोटास	योग
कुरारा	661	533	3	1197
सुमेरपुर	637	518	1	1156
तहसील का योग	1298	1051	4	2353

स्रोत– जिला सांख्यकीय पत्रिका, जनपद हमीरपुर– 2001, पेज– 50

तहसील के कृषक सामान्य रूप से यूरिया, डी0ए0पी0 आदि रासायनिक उर्वरकों को अधिकाधिक प्रयोग करते हैं, जो मिट्टी को मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और अमोनिया तत्व प्रदान करते हैं, किन्तु इन उर्वरकों के अवैज्ञानिक प्रयोग से वांछित उत्पादन लाभ प्राप्त नही हो पाता। कुरारा और सुमेरपुर विकास खण्ड के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग सम्बन्धी 2000–2001 के आंकड़ों का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि नाइट्रोजन का प्रयोग सर्वाधिक होता है। कुरारा विकास खण्ड में 661 मीट्रिक टन नाइट्रोजन और सुमेरपुर विकास खण्ड में 637 मीट्रिक टन नाइट्रोजन का प्रयोग सन् 2000–2001 में किया गया। नाइट्रोजन के पश्चात फास्फोरस का प्रयोग दूसरे स्थान पर है। इसी अवधि में कुरारा विकास खण्ड में 533 और सुमेरपुर विकास खण्ड में 518 मीट्रिक टन फास्फोरस का प्रयोग किया गया। पोटाश का प्रयोग अत्यल्प मात्रा में होता है। इस अवधि में कुरारा विकास खण्ड में पोटाश 3 मीट्रिक टन और सुमेरपुर विकास खण्ड में एक मीट्रिक टन का प्रयोग किया गया। भविष्य में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि की सम्भावनायें हैं। यदि सिंचन सुविधाओं के साथ रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाए तो गेहूं के उत्पादन में लगभग दोगुनी वृद्धि हो जाएगी है। सामान्यतया बिना उर्वरकों के प्रयोग से प्रति एकड़ उत्पादन 6.75 कुन्तल गेहूं उत्पन्न किया जाता है, किन्तु उसी खेत में रासायनिक उर्वरकों एवं सिंचाई का प्रयोग करके लगभग 13.50 कुन्तल गेहूं का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

अतः इस बात की महती आवश्यकता है कि किसान सहायता केन्द्रों तथा प्रसार सेवाओं द्वारा कृषकों को मृदा परीक्षण के लिए समुचित जानकारी दी जाए तथा उर्वरकों के प्रयोग की विधि का समुचित ज्ञान कराया जाए जिससे विभिन्न वाणिज्यिक एवं खाद्यान्न फसलों का अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि हमीरपुर तहसील में रासायनिक उर्वरकों के

प्रयोग की मात्रा दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है, जहां सिंचन सुविधा उपलब्ध है वहां रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके फसलों का उच्च उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है।

2 (स) जैव संसाधन (Animate Resources)

(i) मानव संसाधन (Human Resources) :-

मानव संसाधन सर्वश्रेष्ठ संसाधन है। हमीरपुर तहसील में मानव संसाधन प्रत्यक्ष रूप से मृदा और कृषि एवं पशु संसाधन से जुड़ा हुआ है। अतः इसके विभिन्न पक्षों जैसे वृद्धि, वितरण, घनत्व, व्यावसायिक संरचना, साक्षरता, आयु संरचना आदि का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है।

जनसंख्या वृद्धि (Population Growth) :-

हमीरपुर तहसील की कुल जनसंख्या सन् 1961 में 131098 थी, जो बढ़कर 2001 में 306733 हो गई। विगत 40 वर्षों में 133.97% की वृद्धि हो चुकी है। 1961 और 1971 के दशक में यह वृद्धि 25.42% थी। सतत चिकित्सीय सुविधाओं के विस्तार के कारण सन् 1981 में यह वृद्धि बढ़कर 26.12% रही। बढ़ती हुई जनसंख्या को नियन्त्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रमों में तेजी लाई गई। परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि के दशकीय वृद्धि में गिरावट आई। 1981 और 1991 के दशक में प्रतिशत वृद्धि दर घटकर 24.20% हो गई। 1991 तथा 2001 के दशक मे परिवार नियोजन कार्यक्रमों की सफलता के अधिक अच्छे परिणाम सामने आए। लोगों ने परिवार नियोजन के उपायों को अपनाने में रुचि दिखाई, परिणामस्वरूप दशकीय प्रतिशत वृद्धि 19.07 हो गई। निम्नलिखित तालिका हमीरपुर तहसील में दशकीय जनसंख्या वृद्धि को स्पष्ट करती है।

तालिका संख्या - 2.13

हमीरपुर तहसील में दशकीय जनसंख्या वृद्धि

दशक	जनसंख्या	वृद्धि	दशकीय वृद्धि (प्रतिशत में)
1961	131098	—	—
1971	164417	33319	25.42
1981	207407	42990	26.12
1991	257600	50193	24.20
2001	306733	49133	19.07

जनसंख्या वितरण (Distribution of Population) :-

हमीरपुर तहसील में मृदा उर्वरता एवं धरातलीय दशायें जनसंख्या वितरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हुई दृष्टिगोचर होती है। समतल एवं उर्वर क्षेत्रों में सघन तथा यमुना और

HAMIRPUR TAHSIL
NYAYA PANCHAYAT WISE DISTRIBUTION
OF POPULATION - 2001
N
79°47'50"E
80°22'E
26°6'N
25°40'40"N
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 KM.
YAMUNA RIVER
BETWA RIVER
INDEX
URBUN POPULATION
EACH DOT REPRESENT
50 PERSONS

FIG- 2.6

बेतवा के कटे–पिटे उत्खात क्षेत्रों में विरल जनसंख्या पाई जाती है।

तालिका संख्या - 2.14

हमीरपुर तहसील में न्याय पंचायतवार जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व– 2001

न्याय पंचायतें	क्षेत्रफल (वर्ग किमी0)	जनसंख्या	घनत्व प्रति वर्ग किमी0
मिश्रीपुर	55.08	12782	232
शेखूपुर	66.21	15923	240
कुसमरा	79.75	19436	244
कुरारा ग्रामीण	85.54	14574	170
बेरी	81.20	11684	144
पतारा डांडा	83.36	16174	190
छानी बुजुर्ग	50.76	13510	266
पौथिया	55.02	14248	259
मवईजार	60.06	13917	232
इंगोहटा	73.08	21041	288
कलौलीतीर	39.08	10944	280
सुमेरपुर ग्रामीण	79.86	18228	228
पत्योरा डांडा	78.69	16951	215
टेढ़ा	87.19	20493	235
पन्धरी	53.20	13528	254
मुण्डेरा	46.42	11955	258
	1074.50	245388	228
हमीरपर न0पा0	3.34	30664	2306
सुमेरपुर न0पा0	1.72	21055	3480
कुरारा न0पा0	0.92	9626	8996
योग तहसील	1080.48	306733	284

स्रोत– सेन्सस ऑफ इण्डिया– 2001 (डेमोग्रेफिक प्रोफाइल ऑफ विलेज).

जनसंख्या वितरण मानचित्र संख्या 2.6 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तहसील के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा जनसंख्या के पुन्ज अधिक दिखाई देते हैं। बांकी, बांक, पलरा, विदोखर मेदिनी, विदोखर पुरई, इंगोहटा, हेलापुर, कलौलीतीर, बरदहा सहजना डांडा, कीरतपुर, महमूदपुर, भकौल, दरियापुर, कुण्डौरा, बिलहड़ी, मजरा कुण्डौरा डांडा, सूरजपुर डांडा, सिडरा डांडा, पारा ओझी डांडा, कुछेछा डांडा, अमिरता, चन्दुलीतीर, चन्दौखी, सुरौली खुर्द, टिकरौली, रिंगना, सुमेरपुर ग्रामीण, पत्योरा डांडा, सुरौली बुजुर्ग, पचखुरा, टेढ़ा, कैथी, पन्धरी,

HAMIRPUR TAHSIL
DENSITY OF POPULATION - 2001
N
79°47'50''E
80°22'E
26°6'N
25°40'40''N
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 KM.
YAMUNA RIVER
BETWA RIVER
INDEX
100-150
151-200
201-250
251-300

FIG- 2.7

धुन्धपुर, मुण्डेरा आदि ग्राम ऐसे ही पुंज हैं।

इसकी तुलना में तहसील के पश्चिमी भाग में अपेक्षाकृत विरल जनसंख्या पाई जाती है। उमराहार, निरनी, सिमरा, भितरी, शंकरपुर, रघवा, कोतूपुर, पटिया, जमरेही तीर, बदनपुर, रिढौरा, मंझूपुर, कुतुबपुर, कुसौली गुजरौरा, खरेहटा, करियापुर, विन्दपुर, गुलाबगंज, इन्द्रपुरी, बैजेइस्लामपुर, नैठी डांडा, ममरेजपुर, परसनी, पौथिया, बहरौली डांडा, कुम्हऊपुर, चन्दौली जार आदि गांव 1000 से कम जनसंख्या वाले हैं। बेतवा के कटे–पिटे क्षेत्र जनसंख्या शून्य हैं।

तहसील में नगरीय जनसंख्या भी है। हमीरपुर इस तहसील का सबसे बड़ा नगर है, जिसकी जनसंख्या वर्ष 2001 के अनुसार 30664 व्यक्ति हैं। सुमेरपुर दूसरा कस्बा है, जिसकी जनसंख्या 21055 व्यक्ति है। कुरारा हमीरपुर तथा सुमेरपुर के पश्चात तीसरा बड़ा कस्बा है, जिसकी जनसंख्या 9626 है। हमीरपुर एक प्रशासनिक नगर है जबकि सुमेरपुर एक औद्योगिक एवं व्यापारिक नगर है, जबकि कुरारा एक मण्डी है।

जनसंख्या घनत्व (Density of Population) :-

जनसंख्या का घनत्व किसी भी प्रदेश के संसाधनों पर दबाव को व्यक्त करता है। अतः जनसंख्या घनत्व का अध्ययन भौगोलिक अनुसंधानों में अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। हमीरपुर तहसील में जनसंख्या का सामान्य घनत्व 284 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है, जो सम्पूर्ण जनपद के 246 से अधिक है। (तालिका संख्या– 2.14)

तहसील में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व प्रदर्शित करने वाली न्याय पंचायतें इंगोहटा (288), कलौलीतीर (280), छानी बुजुर्ग (266), पौथिया (259), मुण्डेरा (258), पन्धरी (254), कुसमरा (244), शेखूपुर (240), टेढ़ा (235), मिश्रीपुर (232) हैं। तहसील में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व प्रदर्शित करनेवाली न्याय पंचायत बेरी 144 है। इसके अतिरिक्त पतारा डांडा का जनसंख्या घनत्व 190 है। चित्र संख्या 2.7 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उच्चतम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र कलौलीतीर, इंगोहटा और छानी बुजुर्ग न्याय पंचायतों में हैं। सामान्य जनसंख्या के क्षेत्र मिश्रीपुर, शेखूपुर, कुसमरा, पतारा डांडा, पत्योरा आदि न्याय पंचायतों में हैं।

व्यावसायिक संरचना (Occupational Structure) :-

कोई भी व्यवसाय जनशक्ति द्वारा किया जाता है। जनशक्ति को दो वर्गों– क्रियाशील तथा अक्रियाशील में विभक्त किया जा सकता है। क्रियाशील जनशक्ति को चार उपवर्गों में रख सकते हैं–

1. कृषक।
2. कृषि श्रमिक।
3. उद्योग, उत्पादन और सेवाओं में लगे व्यक्ति।
4. अन्य कार्यों में संलग्न व्यक्ति।

तालिका संख्या - 2.15

हमीरपुर तहसील में न्याय पंचायतवार काम करने वाले एवं काम न करने वाले व्यक्तियों की संख्या एवं प्रतिशत– 2001

न्याय पंचायतें	कुल जनसंख्या	प्रतिशत	काम करने वाले	प्रतिशत	काम न करने वाले	प्रतिशत
मिश्रीपुर	12782	4.17	3393	3.83	9389	4.30
शेखूपुर	15923	5.19	4601	5.19	11322	5.19
कुसमरा	19436	6.34	5882	6.65	13554	6.21
कुरारा ग्रामीण	14574	4.75	3762	4.25	10812	4.95
बेरी	11684	3.81	3257	3.68	8427	3.86
पतारा डांडा	16174	5.27	4163	4.70	12011	5.50
छानी बुजुर्ग	13510	4.41	4524	5.11	8986	4.12
पौथिया	14248	4.65	4582	5.18	9666	4.43
मवई जार	13917	4.54	4553	5.14	9364	4.29
इंगोहटा	21041	6.86	6157	6.96	14884	6.82
कलौलीतीर	10944	3.57	2839	3.21	8105	3.71
सुमेरपुर ग्रामीण	18228	5.94	5934	6.70	12294	5.63
पत्योरा डांडा	16951	5.53	5024	5.68	11927	5.47
टेढ़ा	20493	6.68	5806	6.56	14687	6.73
पन्धरी	13528	4.41	4344	4.91	9184	4.21
मुण्डेरा	11955	3.89	3834	4.33	8121	3.72
योग	**245388**		**72655**		**172733**	
हमीरपुर न0पा0प0	30664	9.99	7891	8.92	22773	10.44
सुमेरपुर न0पं0	21055	6.86	5371	6.07	15684	7.19
कुरारा न0पं0	9626	3.14	2591	2.93	7035	3.22
तहसील का सम्पूर्ण योग	306733	100	88508	100	218225	100

स्रोत– सांख्यकीय पत्रिका जनपद हमीरपुर– 2001.

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार हमीरपुर तहसील की कुल जनशक्ति 30,6733 है, जिसमें से 88,508 (28.86%), वास्तविक कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। शेष 218225 (71.14%) कार्य न करने वाले हैं, कार्य करने वाले व्यक्तियों पर निर्भर है, जो इस तथ्य का सूचक है कि

A
N
79°47'50"E
80°22'E
HAMIRPUR TAHSIL
OCCUPATIONAL STRUCTURE OF POPULATION - 2001
26°6'N
26°6'N
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 KM.
B
WORKERS & NON-WORKERS
Y
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
0
1 2 3 4 5 6 7 8
X
NON - WORKERS (IN THOUSANDS)
WORKERS (IN THOUSANDS)
Ŷ=4.17 + 1.43 X
INDEX
TOTAL POPULATION
NON- WORKERS
WORKERS
1 Sq. Cm.= 2000 POPULATION
25°40'40"N
79°47'50"E
80°22'E
25°40'40"N

FIG- 2.8

स्त्री और पुरुष दोनों में गम्भीर बेरोजगारी है। पुरुष जनसंख्या मुख्य क्रियाशील शक्ति है। कुल क्रियाशील शक्ति का लगभग 91.9% पुरुष तथा 8.1% स्त्री जनसंख्या हैं। स्त्री जनसंख्या की यह अत्यल्प भागीदारी उनकी अशिक्षा, अज्ञान और कमजोर शारीरिक बनावट का सूचक है।

बेरोजगारी की समस्या :-

अध्ययन क्षेत्र में अधिकांश जनशक्ति की जीविका का आधार कृषि है। कुल कार्य शक्ति का 73.8% कृषि कार्यों में संलग्न है। इसमें 44.5% कृषक तथा 29.3% कृषि श्रमिक है। अन्य प्रखण्डों जैसे कुटीर उद्योग और व्यापार आदि में नगण्य जनशक्ति लगी हुई है। तहसील में बेरोजगारी की समस्या की गम्भीरता इस तथ्य से भी स्पष्ट होती है कि कार्यशील जनशक्ति का 16% सीमान्त कर्मकार है अर्थात इन्हें वर्ष के बहुत थोड़े दिनों तक ही रोजगार मिलता है। निम्नलिखित तालिका विभिन्न प्रखण्डों में संलग्न कार्यशक्ति का विवरण प्रस्तुत करती है।

तालिका संख्या - 2.16

विभिन्न प्रखण्डों में संलग्न कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत वर्ष– 1991

विकास खण्ड	कृषक	%	कृषि श्रमिक	%	कुटीर उद्योगों में लगे लोग	%	अन्य कर्मकार	%	सीमान्त कर्मकार	%	कुल कर्मकार	%
कुरारा	13749	50.2	7503	27.4	18	0.06	2326	8.5	3777	13.8	27373	100
सुमेरपुर	21418	41.4	15690	30.3	39	0.08	5907	11.4	8671	16.8	51725	100
तहसील	35167	44.5	23193	29.3	57	0.07	8233	10.4	12448	15.7	79098	100

स्रोत– सांख्यकीय पत्रिका जनपद– हमीरपुर 2000.

तालिका संख्या - 2.17

विभिन्न प्रखण्डों में संलग्न कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत वर्ष– 1981

विकास खण्ड	कृषक	%	कृषि श्रमिक	%	कुटीर उद्योगों में लगे लोग	%	अन्य कर्मकार	%	सीमान्त कर्मकार	%	कुल कर्मकार	%
कुरारा	10449	59.0	4916	27.8	236	1.3	1403	7.9	700	4.0	17704	100
सुमेरपुर	17192	47.9	7596	21.1	841	2.3	3895	10.8	6394	17.8	35918	100
तहसील	27641	51.5	12512	23.3	1077	2.0	5298	9.9	7094	13.2	53622	100

स्रोत– सेन्सस आफ इण्डिया– 1981.

उपरोक्त तालिका के परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि कृषि खण्ड में लगी हुई कार्य शक्ति 1981 में 51.5% थी जो ह्रास की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हुए 1991 में 44.5 हो गई। इसका मुख्य कारण गैर कृषि खण्डों में जनसंख्या की भागीदारी मानी जा सकती है। यद्यपि अन्य खण्डों

में कार्यशक्ति का प्रतिशत अत्यन्त कम है।

केवल कृषि प्रखण्ड सम्पूर्ण जनसंख्या का पोषण नहीं करता इसलिए बेरोजगारी की समस्या विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जा सकती है। हमीरपुर तहसील में बेरोजगारी के मुख्य लक्षण निम्न हैं–

1. ग्रामीण बेरोजगारी अल्प रोजगार के रूप में देखी जा सकती हैं।

2. अल्प बेरोजगारी की समस्या कृषकों तथा कृषि श्रमिकों, दोनों खण्डों में पाई जाती है। इसके मुख्य दो कारण हैं–

(i) कृषक अपने छोटे–छोटे खेतों अथवा घरेलू व्यवसायों में लगे हुए हैं, उदाहरण के लिए शिल्पकार बेरोजगार हैं।

(ii) कार्य की मौलिकता तथा काम की अनियमितता बेरोजगारी का मुख्य कारण है। कृषि श्रमिकों की मांग में मौसमी उतार–चढ़ाव, फसल प्रतिरूप, जलवायु तथा अन्य सामाजिक, आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है।

3. श्रमिक गतिशील नहीं है, क्योंकि वे अपने पर्यावरण में रहने के आदी हो चुके हैं।

4. बेरोजगारी का स्त्री–पुरुष अनुपात अति असन्तुलित है। बेरोजगारी में स्त्रियों का अनुपात पुरुषों की अपेक्षा अधिक है।

5. ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्ग बेरोजगारी एवं अर्ध–बेरोजगारी की मुख्य अंग हैं। उनकी आय अत्यन्त कम है तथा वे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं।

साक्षरता (Literacy) :-

किसी भी क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए साक्षरता एक आधारभूत कारक है। हमीरपुर तहसील एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जिसमें साक्षरता का प्रतिशत बहुत न्यून है। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार इस तहसील में कुल साक्षर व्यक्तियों की संख्या 1,10054 है, जो कुल जनसंख्या का मात्र 44.85% है। इस प्रकार से तहसील की आधी से अधिक जनसंख्या निरक्षर है। न्याय पंचायतानुसार साक्षरता का विवरण तालिका संख्या– 2.18 में दिया गया है, जिसका विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि उच्चतम साक्षरता सुमेरपुर देहात न्याय पंचायत 51.7% में पाई जाती है तथा न्यूनतम साक्षरता का प्रतिशत मिश्रीपुर न्याय पंचायत 36.5% में है। साक्षरता के आधार पर हमीरपुर तहसील की न्याय पंचायतों को चार वर्गों में रखा जा सकता है–

1. अति न्यून साक्षरता वाले क्षेत्र (40% से कम साक्षरता)।
2. न्यून साक्षरता वाले क्षेत्र (40% से 45% साक्षरता)।
3. मध्यम साक्षरता वाले क्षेत्र (45% से 50% साक्षरता)।
4. उच्च साक्षरता वाले क्षेत्र (50% से अधिक साक्षरता)।

1. अति न्यून साक्षरता वाले क्षेत्र :-

हमीरपुर तहसील में मिश्रीपुर एवं मुण्डेरा न्याय पंचायतों में साक्षरता का प्रतिशत सबसे

कम है। इन दोनों न्याय पंचायतों में अति न्यून साक्षरता का मुख्य कारण बीहड़ भू–रचना, गम्यता का अभाव तथा अपेक्षाकृत स्कूलों की अपर्याप्त संख्या है। इन दोनों न्याय पंचायतों में आधारभूत परिसंरचना अल्पविकसित है, जिसमें सुधार करके पुरवों तथा ग्रामों को स्कूलों से जोड़ा जाना चाहिए।

2.न्यून साक्षरता के क्षेत्र :-

ये वे न्याय पंचायतें हैं, जिनमें साक्षरता का स्तर 40% से 45% के मध्य है। इस वर्ग के अन्तर्गत शेखूपुर (43.72%), बेरी (43.93%), पतारा (42.86%), कुसमरा (41.54%), पत्योरा (41.31%) न्याय पंचायतें हैं। इन न्याय पंचायतों में स्कूलों की कमी तथा रोजगार सुनिश्चित न होने के कारण शिक्षा के प्रति ग्रामवासी जागरूक नहीं हैं। इन न्याय पंचायतों में प्रत्येक परिवार से सम्पर्क करके लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए।

3. मध्यम साक्षरता वाले क्षेत्र :-

इस वर्ग के अन्तर्गत वे न्याय पंचायतें हैं, जिनमें साक्षरता प्रतिशत 45% से 50% तक हैं, जो निम्न है– कुरारा देहात (48.46%), टेढ़ा (48.06%), पंधरी (47.38%), पौथिया (47.35%), कलौलीतीर (45.82%), छानी बुजुर्ग (45.60%), इंगोहटा (45.52%), मवई जार (45.78%) न्याय पंचायतें हैं। उक्त न्याय पंचायतों में लोगों की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है।

4. उच्चतम साक्षरता वाले क्षेत्र :-

ये ऐसे क्षेत्र हैं, जहां साक्षरता का प्रतिशत 50% से अधिक है। इस वर्ग के अन्तर्गत एक मात्र न्याय पंचायत सुमेरपुर देहात है, जहां साक्षरता का प्रतिशत 51.7% है। इस न्याय पंचायत में साक्षरता के उच्च प्रतिशत का मुख्य कारण आधारभूत परिसंरचना का विकास तथा ग्रामवासियों में जागरूकता का होना है, इस न्याय पंचायत के अधिकांश ग्राम गम्य मार्गों से आपस में जुड़े हुए हैं। अतः बच्चों को प्राथमिक स्तर से ही अभिभावक स्कूल भेजने का प्रयास करते हैं। इस न्याय पंचायत की भू–रचना अपेक्षाकृत समतल एवं सुगम है।

स्त्री-पुरुष साक्षरता :-

हमीरपुर तहसील में पुरुष एवं स्त्री साक्षरता का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि पुरुषों में साक्षरता का प्रतिशत स्त्रियों की अपेक्षा उच्चतर है। तालिका संख्या– 2.17 के अनुसार स्पष्ट होता है कि केवल एक न्याय पंचायत मिश्रीपुर में 50% से कम पुरुष साक्षरता है। शेष सभी न्याय पंचायतों में पुरुष साक्षरता 50% से अधिक है। सुमेरपुर देहात में पुरुष साक्षरता सर्वोच्च (63.84%) है। टेढ़ा तथा कुरारा देहात न्याय पंचायतों में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत 60 से अधिक है। स्त्री साक्षरता का स्तर किसी भी न्याय पंचायत में 40% भी नहीं है। सर्वोच्च स्त्री साक्षरता सुमेरपुर देहात न्याय पंचायत में 37.22% है। मुण्डेरा, पत्योरा, कुसमरा और मिश्रीपुर न्याय पंचायतों में स्त्री साक्षरता का स्तर 30% से भी कम है। न्यूनतम स्त्री साक्षरता

मुण्डेरा न्याय पंचायत (25.67%) में है। स्त्री साक्षरता में कमी का मुख्य कारण जनजागरूकता का अभाव तथा स्त्रियों में घर गृहस्थी का बोझ एवं स्त्री शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन का अभाव है। न्यून स्त्री साक्षरता वाली न्याय पंचायतों में कन्या पाठशालाओं का अभाव भी एक मुख्य उत्तरदायी कारण है। (चित्र संख्या– 2.9)

तालिका संख्या - 2.18

हमीरपुर तहसील में न्याय पंचायतवार साक्षरता तथा निरक्षरता का प्रतिशत वर्ष– 2001

न्याय	जनसंख्या			साक्षर						निरक्षर					
पंचायतें	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	%	पुरुष	%	स्त्री	%	कुल	%	पुरुष	%	स्त्री	%
मिश्रीपुर	12782	6835	5947	4666	36.5	2928	42.83	1738	29.22	8116	63.50	3907	57.17	4209	70.78
शेखूपुर	15923	8458	7465	6961	43.72	4706	55.63	2255	30.21	8962	56.28	3752	44.37	5210	69.79
कुसमरा	19436	10445	8991	8074	41.54	5453	52.29	2621	29.15	11362	58.46	4992	47.71	6370	70.85
कुरारा दे0	14574	7936	6638	7062	48.46	4781	60.24	2281	34.36	7512	51.54	3155	39.76	4357	65.64
बेरी	11684	6385	5299	5133	43.93	3440	53.87	1693	31.95	6551	56.07	2945	46.13	3606	68.05
पतारा	16174	8768	7406	6933	42.86	4638	52.89	2295	30.99	9241	57.14	4130	47.11	5111	69.01
छानी बु0	13510	7280	6230	6161	45.60	4231	58.11	1930	30.98	7349	54.40	3049	41.89	4300	69.02
पौथिया	14248	7707	6541	6747	47.35	4509	58.51	2238	34.21	7501	52.65	3198	41.49	4303	65.79
मवईजार	13917	7549	6368	6371	45.78	4403	59.10	1968	30.90	7546	54.22	3146	40.80	4400	69.10
इंगोहटा	21041	11362	9679	9577	45.52	6647	58.50	2930	30.29	11464	54.48	4715	41.50	6749	69.71
कलौलीतीर	10944	5936	5008	5014	45.82	3475	58.54	1539	30.73	5930	54.18	2461	41.46	3469	69.29
सुमेरपुरदे0	18228	9913	8315	9424	51.70	6329	63.84	3095	37.22	8804	48.30	3584	36.16	5220	62.78
पत्योरा	16951	9067	7884	7003	41.31	4898	54.02	2105	26.69	9948	58.69	4169	45.98	5779	73.31
टेढ़ा	20493	11050	9443	9850	48.06	6762	61.19	3088	32.70	10643	51.94	4288	38.81	6355	67.30
पन्धरी	13528	7341	6187	6410	47.38	4372	59.55	2038	32.94	7118	52.62	2969	40.45	4149	67.06
मुण्डेरा	11955	6377	5578	4668	39.04	3236	50.74	1432	25.67	7287	60.96	3141	49.26	4146	74.33
तहसील	245388	132409	112979	110054	44.85	74808	56.49	35246	31.19	135334	55.15	57601	43.50	77733	68.81

स्रोत– सेन्सस ऑफ इण्डिया– 2001, डेमोग्रेफिक प्रोफाइल ऑफ विलेजेज।

(ii) पशुधन संसाधन (Live-stock Resources) :-

पशुधन संसाधन अध्ययन क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था का एक अविभाज्य अंग है। इसके अतिरिक्त पशुधन संसाधन अनेक कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिए चमड़ा, खालें, सींगें, बाल, रोयें, दूध, मक्खन और घी जैसे अनेक कच्चे पदार्थ प्रदान करता है। हमीरपुर जैसी तहसील में जहां आज भी कृषि पद्धतियां प्राचीन एवं पिछड़ी हुई हैं, पशुधन खेतों की जुताई, भार वाहन, सिंचाई

और बैलगाड़ी खींचने में मेरुदण्ड का काम करता है।

हमीरपुर तहसील में सन् 2001 की पशुगणना के आधार पर कुल पशुधन की संख्या– 162711 है, किन्तु यहां के पशुधन की गुणवत्ता निर्धन है। अधिकांशतः देशी प्रजाति के पशु ही पाए जाते हैं। तहसील में प्रतिव्यक्ति पशुधन का अंश एक से भी कम है। निम्नलिखित तालिका पशुधन का घनत्व एवं मानव पशुधन अनुपात प्रदर्शित करती है।

तालिका संख्या - 2.19

हमीरपुर तहसील में पशुधन संसाधन का विवरण वर्ष– 2000–01

पशुधन	कुल योग योग	गोजातीय पशुओं का घनत्व	महिष जातीय पशुओं का घनत्व	कुल घनत्व प्रति वर्ग किमी0	मानव संसाधन अनुपात
गोवंशीय	75469	70.24	36.63	70.24	0.25
भैंसें	39356	–	–	36.63	0.13
भेड़ें	4218	–	–	3.93	0.01
बकरी	35517	–	–	33.05	0.12
घोड़े एवं टट्टू	217	–	–	0.20	–
सुअर	7899	–	–	7.35	0.03
कुक्कुट	9588	–	–	8.92	0.03
अन्य	35	–	–	0.03	–
योग	162711	70.24	36.63	151.43	0.53

स्रोत– सांख्यकीय पत्रिका जनपद हमीरपुर– 2001.

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गोवंशीय पशुओं की संख्या हमीरपुर तहसील में सबसे अधिक है। इसके पश्चात क्रमशः महिषवंशीय एवं बकरियों का स्थान है। गाय, भैंस तथा बकरियों का प्रति वर्ग किमी0 घनत्व क्रमशः (70.24), (36.63) एवं (33.05) है। कुक्कुट, सुअर, भेड़, घोड़े तथा अन्य पशुओं का प्रति वर्ग किमी0 घनत्व क्रमशः (8.92), (7.35), (3.93), (0.20) तथा (0.03) है। जब हम मानव पशुधन अनुपात पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि तहसील में यह 0.53 है। समस्त पशुधन का प्रतिवर्ग किमी0 घनत्व 151.43 है।

हमीरपुर तहसील में 9 पशुधन विकास केन्द्र, क्रमशः कुरारा विकास खण्ड के हमीरपुर, कुरारा, झलोखर तथा सुमेरपुर विकास खण्ड के सुमेरपुर, छानी बुजुर्ग, पौथिया, इंगोहटा, टेढ़ा, पन्धरी हैं। ये केन्द्र गोवंशीय महिषवंशीय तथा अन्य पशुओं के बहुमुखी विकास के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इन केन्द्रों में प्रजनन, पोषण, रोग नियंत्रण, प्रबन्धन विपणन आदि सेवायें प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त हमीरपुर तहसील में दो पशु चिकित्सालय भी हैं, जो क्रमशः

हमीरपुर तथा सुमेरपुर नगरों में स्थित हैं। हमीरपुर तथा सुमेरपुर में एक–एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र भी हैं। सुअर विकास के लिए कुरारा तथा सुमेरपुर विकास खण्डों में एक–एक सुअर विकास केन्द्र की स्थापना की गई है।

पशुओं की नस्ल सुधार के लिए उपरोक्त केन्द्र पशुओं का चयन, छंटाई, क्रास ब्रीडिंग सम्बन्धी नीतियां अपनाई जाती हैं, जबकि पशुओं के पोषण नीति के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए–

1. कृषकों को चाहिए कि वे अपने फसल चक्र में चारा तथा जमीन पर फैलने वाली फसलें सम्मिलित करें।

2. उच्च्य उत्पादकता प्रदान करने वाले चारे एवं फैलने वाली किस्में लोकप्रिय की जानी चाहिए तथा राजकीय फार्मों में उनका प्रदर्शन किया जाना चाहिए।

3. चारे की कटिया मशीन से कटाई करने को लोकप्रिय बनानी चाहिए, इससे चारे की बरबादी रुकती है।

4. पशुओं का सन्तुलित आहार जैसे खली, नमक एवं अन्य संचयी पदार्थ सहकारी समितियों और न्याय पंचायतों द्वारा प्रदान किए जाने चाहिए।

5. पोषण की उन्नत तकनीक जैसे चारे के साथ पुआल मिलाने को लोकप्रिय बनाना चाहिए।

उपरोक्त के अतिरिक्त पशुओं को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने तथा उन्हें रोग मुक्त रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए–

(अ) आम बीमारियों का नियंत्रण करने के लिए अनिवार्य रूप से टीकाकरण किया जाना चाहिए।

(ब) प्रत्येक घर को पशु चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए सचल चिकित्सा समितियां गठित की जानी चाहिए।

(स) पशु उत्पादों के विपणन के लिए निम्नलिखित प्रबन्ध किए जाने चाहिए–

(i) दुग्ध संग्रह एवं आपूर्ति समितियां गठित की जाएं।

(ii) क्रेताओं को आकर्षित करने के लिए पशुओं की रैलियां तथा प्रदर्शनियां लगाई जानी चाहिए।

(iii) अच्छे नस्ल के बैलों तथा अन्य पशुओं को खरीदने के लिए बैंकों द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

पशुओं की नस्ल सुधार के लिए अवांछित स्टॉक को न्यूनीकृत करना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अवांछित बैलों एवं साड़ों का बधियाकरण कर दिया जाना चाहिए।

सुअर (Pigs) का पालन :-

मांस की आपूर्ति के लिए सुअर पालन का विशेष महत्व है। सुअर उच्च्य प्रजनन एवं बरबाद पदार्थों को मांस में परिवर्तित करने की क्षमता रखने के कारण मांस उत्पादन के उत्तम

स्रोत है। सामान्यतया 10 सुकरियां और एक सुअर लगभग 160 बच्चों को प्रथम वर्ष में जन्म देते हैं। सुअर रोये के भी अच्छे स्रोत हैं। हमीरपुर तहसील में सुअर पालन को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रसार एजेन्सियों को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए–

1. स्थानीय सुअर पालकों को उन्नत बनाने के लिए उन्नत किस्मों के सुअरों का प्रयोग करना चाहिए।

2. भारतीय ग्रामों के लिए मध्य श्वेत यार्कशायर किस्म सर्वाधिक उपयुक्त है।

3. प्रत्येक विकास खण्ड में सुअर विकास योजना लागू की जानी चाहिए और सुअर विकास केन्द्र स्थापित की जानी चाहिए। इन केन्द्रों को उन्नत सुअर, सुअर पालकों को प्रदान करना चाहिए।

4. सुअरों को अच्छा पोषण प्रदान करने के लिए कृषकों को अपने फसल चक्र में एल्गी उत्पादन को सम्मिलित करना चाहिए।

मुर्गीपालन :-

भारतीय शोध परिषद् की पोषण सलाहकार समिति के अनुसार प्रत्येक वयस्क को सन्तुलित आहार के लिए प्रतिदिन एक अण्डा लेना चाहिए। वर्तमान में अण्डा उपलब्धता का अनुपालन प्रति सामिष, प्रतिवर्ष 14.1 है। इससे केवल देश की 5% कुल आवश्यकता की पूर्ति होती है। अण्डों की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए प्रसार एजेन्सियों को चाहिए कि वे कृषकों को मुर्गीपालन हेतु प्रोत्साहित करें। मुर्गीपालन विकास के लिए अच्छे किस्म के चूजों, सन्तुलित कुक्कुट आहार, तकनीकी ज्ञान, विपणन ज्ञान तथा रोग नियंत्रण की आवश्यकता है। प्रसार एजेन्सियों को चाहिए कि वे–

(i) रियायती दर पर उन्नत मुर्गियों की आपूर्ति करें।

(ii) उचित दर पर मुर्गी, मिश्रित आहार की आपूर्ति करें।

(iii) उपकरणों जैसे एन्गिल, लोहे की छड़ों, तार की जाली और विमाताओं को घटे दर पर उपलब्ध कराएं। अण्डों, मुर्गियों आदि के लिए नियमित एवं आकर्षक विपणन केन्द्र स्थापित करें तथा शीतग्रह की सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

(iv) समय से मुर्गियों का टीकाकरण एवं रोग नियंत्रण करें।

उल्लेखनीय है कि देशी मुर्गियां उष्ण दशाओं में प्रतिरोधी हैं, जबकि उन्नत किस्म की मुर्गियां अधिक गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पातीं। अतः उन्हें विशेष देख–रेख की आवश्यकता होती है।

अतः यह आवश्यक है कि देशी मुर्गियों का संरक्षण किया जाए और उनका उन्नयन किया जाए। मुर्गी पालकों को चाहिए कि वे सहकारी समितियां बनाएं, जिससे उन्हें ऋण व विपणन सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो सकें। राज्य सरकारों को चाहिए कि वे इन समितियों को अपने स्तर से मार्ग निर्देशन प्रदान करें।

वर्तमान समय में भारत सहित विश्व के अनेक क्षेत्रों में मुर्गियां बर्डफ्लू के वायरस से संक्रमित हो रही हैं। बर्डफ्लू के कहर से बचाने के लिए सुनिश्चित टीकाकरण एवं रोग नियंत्रण की चिकित्सकीय सुविधाएं प्रत्येक मुर्गी फार्म को उपलब्ध कराई जाए। बर्डफ्लू से बचाने के लिए पालकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा मुर्गी फार्मों में दस्ताने एवं मास्क पहनकर ही मर्गियों की देखभाल की जानी चाहिए।

उपरोक्त अनुच्छेदों में हमीरपुर तहसील के संसाधनों की वर्तमान स्थिति स्पष्ट होती है। ये संसाधन सामाजिक आर्थिक एवं तकनीकी विकास के लिए भू–आर्थिक आधार प्रदान करते हैं। इन संसाधनों का उचिततम उपयोग करते हुए नए प्रयोग करने चाहिए, जिससे तहसील में आर्थिक विकास की गति तीव्रतर हो सके। हमीरपुर तहसील में संसाधन सीमित हैं तथा उनका वैज्ञानिक विकास नहीं हो सका है। अध्ययन क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा अन्तर्खण्डीय विकास (Inter Sectoral Development) के लिए संसाधनों की एक समन्वित समाकलित योजना तैयार की जानी चाहिए, जिससे अध्ययन क्षेत्र का बहुमुखी एवं संतुलित विकास हो सके।

REFRENCES

1- Zimmerman, E.W. : World Resources and Industries, Harper and Roy, New York - 1961, P. 28.

2- Zobler, L. : In Economic Historical view of Natural Resources and Conservation, Economic Geography- 1962, Vol.38, PP.-191-192.

3- District Gazetteer Hamirpur 1988, Page- 94.

4- District Gazetteer Hamirpur 1988, Page- 95.

5- सांख्यकीय पत्रिका जिला– हमीरपुर, वर्ष– 2001.

6- Whooker J.D. And Thomson Introductory Essay to Indica, London- 1855.

7- Clarke, C.B.-Sub-Sub Areas Britis India Journal of Linn Society, Vol.- 34, 1898.

8- Calder C.C. A outline of the vegitation of India, an outline of the Field Science of India, Indian Congress Science Association- Calcutta- 1937.

9- Chartterjee, D-Studies on the Indemic Floura of India and Burma, Journal of Royal Asiatic Society of Bengal, vol.- 05, 1939.

10- Stamp, L.D.- Asia Twelth Edition- London, 1961.

11- Champion, H.G. - A Preliminary survey of the forest types of India and Burma, Indian Forest Records, Vol.-01, Page-286.

12- Puri, G.S. - Indian Forest Ecology, Vol.- 01, Delhi- 1960.

13- भारत: वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ 1955, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

अध्याय-3
औद्योगिक विकास

INDUSRIAL DEVELOPMENT

अध्याय- 3 औद्योगिक विकास
(CHAPTER-3 INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

(अ) वर्तमान औद्योगिक विकास का इतिहास (Chronology of Present Industrial Development) :-

हमीरपुर तहसील प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान रहा है तथा उद्योग प्रायः अनुपस्थित रहे हैं। परम्परागत शिल्प एवं गृह उद्योग ही कुछ संख्या में थे। मुगलकाल से ही इस तहसील में जुलाहे कपड़े बुनने का कार्य करते रहे हैं। सूत कातने तथा कपड़े बुनने का कार्य सम्पूर्ण तहसील में कोरी जाति के लोगों के द्वारा किया जाता था। तहसील के अनेक गांवों में ये लोग हथकरघा लगाए हुए थे तथा स्थानीय सूत को एकत्रित करके मोटा सूती कपड़ा बुनते थे, जिसे गाढ़ा[1] कहते थे। ये जुलाहे गांव–गांव फेरी करके अपने द्वारा निर्मित कपड़े को बेचते थे। प्रायः सफेद गाढ़ा ही तैयार किया जाता था। हमीरपुर कस्बे में कपड़े की रंगाई का कार्य भी रंगिया लोगों द्वारा किया जाता था, ये लोग स्थानीय जुलाहों से गाढ़ा खरीदकर उसे रंगते थे, तत्पश्चात इसे बाजारों और मेलों में विक्रय करते थे। कपास की धुनाई भी जुलाहा और कोरी परिवारों द्वारा की जाती थी तथा रजाई–गद्दे, तकिये तैयार किए जाते थे। यह कार्य धुनकी नामक स्वविकसित यंत्र के द्वारा किया जाता था।

प्राचीनकाल से ही कुम्हार गिरी का कार्य भी व्यापक पैमाने पर होता रहा है। कुम्हार चक्र की सहायता से मिट्टी के बर्तन बनाते रहे हैं, इसे कुण्डा कहते हैं। कुम्हार जाति के लोग मिट्टी के विविध प्रकार के बर्तन तैयार करते थे, जिनमें घड़ा, सुराही, डहरी, नंदवा, परइया, कुल्हड़, दिया आदि थे तथा अपने घरों के निकट 'आवा' लगाकर इन्हें पकाते थे। पके हुए बर्तनों को स्थानीय रूप से विक्रय करते थे। ये लोग मुख्य रूप से मेलों, हाटों तथा साप्ताहिक बाजारों में अपने उत्पाद ले जाकर विक्रय करते थे। गांवों के कृषकों को अनाज के बदले मिट्टी के बर्तन देते थे।

प्रत्येक गांव में एक–दो बढ़ई गिरी और चर्मकारी करते थे तथा कृषि यंत्रों और जूतों की स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति करते थे। भरुवाशाही जूती अपनी मजबूती, सुन्दरता और हल्केपन के लिए दूर–दूर तक प्रसिद्ध रही है। विगत शताब्दियों से ही भरुवा सुमेरपुर इसके उत्पादन का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है।[2]

स्थानीय इकाइयों में कृषि यंत्र निर्माण का कार्य व्यापक रूप से होता था। हल, पाटे, फावड़े, कुदाल, खुर्पी, हंसिया, अरई, उइरा, मुस्का, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के पहिये, हल्ल चढ़ाना, पाखरी बुनना, पांचा, जुआं, कुसिया, कुल्हाड़ी, सइला, बक्खर, चुंगा आदि बढ़ई और लोहारों द्वारा प्रायः प्रत्येक गांवों में तैयार किए जाते थे। कुछ कृषक स्वयं भी इन यंत्रों को तैयार कर

लेते थे। स्थानीय लकड़ी तथा हमीरपुर की बाजार से प्राप्त लोहा और टिन कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता था। बढ़ई भवन सामग्री का निर्माण भी करते थे। दरवाजों की चौखट, पल्ले, खिड़कियां, रोशनदान आदि तैयार करते थे। इसके अतिरिक्त लकड़ी का फर्नीचर, जिसमें मेज, कुर्सी, पलंग, चारपाई आदि हमीरपुर कस्बे में तैयार करते थे। इसके अतिरिक्त कोल्हू और बैल की मदद से तेलघानी उद्योग भी लोकप्रिय था, जो एक विशेष जाति के लोगों के द्वारा किया जाता था। कपड़े की रंगाई का कार्य भी बहुत समय पहले से पौथिया गांव में होता रहा है। कुछ सोनार परिवार मूर्तियों की ढलाई तथा पशुओं की मूर्तियां बनाते थे, जिन्हें स्थानीय रूप से मेलों और बाजारों में विक्रय करते थे। कुछ परिवार चांदी की जुड़ी हुई मछलियां भी बनाते थे, किन्तु स्थानीय क्रय शक्ति के अभाव के कारण यह उद्योग धीरे–धीरे बंद हो गया। छानी सोने और चांदी के आभूषण बनाने का केन्द्र रहा है। ये सभी उद्योग ग्रामीणों के मांग पर आधारित था। प्रायः अधिकांश ग्रामों में मेहतर जाति के लोग बांस की डलिया एवं हस्तचालित पंखे एवं सूपे बनाते थे। हमीरपुर कस्बे के एक–दोपरिवार चरखारी तहसील के गौरहारि स्थान से गौरा पत्थर[3] लाते थे तथा उससे चौका, मन्दिर तथा देवी–देवताओं की मूर्तियां बनाते थे।

हमीरपुर कस्बे में आयुर्वेदिक दवा बनाने का कार्य होता था। फल संरक्षण, इंजीनियरिंग कार्य, प्रिंटिंग का कार्य, स्टील का फर्नीचर, परम्परागत रूप से हमीरपुर और सुमेरपुर कस्बों में होता रहा है। सन् 1969–70 में यहां के उद्योगों से लगभग 10,00000 रुपए प्राप्त किए गए।

जिला गजेटियर[4] हमीरपुर के अनुसार सन् 1972 के अन्त तक हमीरपुर जनपद में 87 औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत थीं, जिसमें से अधिकांश हमीरपुर, सुमेरपुर और राठ कस्बों में केन्द्रित थीं। ये औद्योगिक इकाइयां दो से लेकर पांच व्यक्तियों को प्रति इकाई की दर से रोजगार प्रदान करती थीं। ये अधिकांश इकाइयां 1970 के बाद की हैं। 1960–70 के दशक में केवल 7 इकाइयां स्थापित हुई थीं। 1971 और 1972 में 27 इकाइयां स्थापित हुईं। ये इकाइयां 209 लोगों को रोजगार प्रदान कर रही थीं। इन इकाइयों में 1200000 रुपए से भी अधिक पूंजी का निवेश हुआ था। 1975 तक इनकी संख्या में और अधिक वृद्धि हो गई। हमीरपुर में एल्युमिनियम और कांसे के बर्तन भी बनाए जाते थे तथा स्थानीय बाजारों में इनका विक्रय किया जाता था। कुछ रसायन सम्बन्धी उद्योग भी घरेलू स्तर पर किए जाते थे। साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना, सोड़ा पाउडर तैयार करना, मोम तैयार करना, स्प्रिट बनाना तथा त्रिफला, लक्षार का तेल तथा कुछ अन्य आयुर्वेदिक औषधियां हमीरपुर में बनाई जाती थीं।

हमीरपुर में कुछ इंजीनियरिंग उद्योग भी विकसित हुए थे। हमीरपुर और सुमेरपुर में मशीनों की मरम्मत तथा ओवरहालिंग की जाती थी।

घरेलू स्तर पर ही आटा तैयार करना, बेसन तैयार करना, दाल तैयार करना, चावल माड़ना आदि कार्य कुरारा, हमीरपुर और सुमेरपुर में होते थे।

सन् 1975 के पश्चात हमीरपुर और सुमेरपुर में प्रिंटिंग प्रेस और जॉबवर्क का कार्य किया

ज़ाने लगा। हमीरपुर में कुछ इकाइयों द्वारा मशीनों के पुर्जे भी बनाए जाने लगे, जो स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। मुख्य रूप से नट, बोल्ट और गंड़ासा, जो कटिया मशीनों में प्रयुक्त होते थे बनाए जाते थे। यहां पर स्टील का फर्नीचर, सन्दूकें, अलमारियां तथा अन्य वस्तुएं हमीरपुर कस्बे में बनाई जाती थीं।

हमीरपुर और सुमेरपुर के निकट ईंटा निर्माण, दुग्ध उद्योग, बिस्कुट निर्माण, प्लास्टिक के खिलौने, पत्थर के बर्तन तथा चश्मे आदि बनाने का कार्य किया जाता था।

वस्तुतः हमीरपुर तहसील का औद्योगिक विकास आधुनिक उत्पत्ति का है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात योजना काल में तहसील में कुछ औद्योगिक विकास हुआ है। यहां पर जो उद्योग विकसित हैं, उन्हें प्रयुक्त संसाधनों के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है–

1. कृषि आधारित उद्योग।
2. वनाधारित उद्योग।
3. पशुधन आधारित उद्योग।
4. इंजीनियरिंग उद्योग।
5. रासायनिक उद्योग।
6. अन्य उद्योग।

अध्ययन क्षेत्र में उक्त सभी वर्गों की कुल औद्योगिक इकाइयों की संख्या 199 है। इन औद्योगिक इकाइयों में 1664 व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर रहे हैं तथा 358000000 रुपए पूंजी का विनिवेश हुआ है।[5]

उक्त सभी श्रेणी के उद्योगों का न्याय पंचायतवार अध्ययन करना सर्वथा उपयुक्त होगा।

1. कृषि आधारित उद्योग (Agro - Based Industries) :-

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि तेल घानी जैसे कृषि आधारित उद्योग प्राचीन काल से ही हमीरपुर तहसील में विकसित थे। वर्तमान समय में तहसील में दाल मिलें (सुमेरपुर), बेसन मिल (सुमेरपुर), आयल मिल (सुमेरपुर, इंगोहटा, कैथी), आटा चक्की (कुरारा), मसाला उद्योग (हमीरपुर, कुरारा) तथा फल संरक्षण (हमीरपुर) जैसे उद्योग कार्यरत हैं।

(i) दाल मिलें (Dal Mills) :-

हमीरपुर तहसील में कृषि आधारित उद्योगों में दाल मिलों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह तहसील दलहन उत्पादन में जनपद में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस तहसील में चार दाल मिलें, जो लघु पैमाने की हैं, सुमेरपुर नगर परिषद में स्थित हैं। इनमें लगभग 5268000 रुपए की पूंजी लगी हुई है तथा 40 व्यक्ति रोजगार में संलग्न हैं। इन इकाइयों में लगभग 5000 मीट्रिक टन दालें प्रतिवर्ष तैयार की जाती हैं। सुमेरपुर नगर में एक बड़ी दाल मिल लगाई जा सकती है। (तालिका संख्या– 3.1) दाल मिलों का नाम, अवस्थिति, संलग्न पूंजी, उत्पादन एवं

रोजगारों की संख्या व्यक्त करती है। (मानचित्र संख्या 3.1)

तालिका संख्या - 3.1

हमीरपुर तहसील में दाल मिलों का विवरण वर्ष– 2004–05

क्र0 सं0	दाल मिल का नाम	अवस्थिति	संलग्न भू-खण्ड वर्ग मी0 में	संलग्न पूंजी	उत्पादन मी0 टन में	रोजगार में लगे व्यक्ति
1.	मे0 एस0के0 इण्टर प्राइजेज दाल मिल	भरुवा–सुमेरपुर औद्योगिक क्षेत्र	800	12 लाख	1500मी0टन	7
2.	मे0 अशोक दाल मिल	" " "	4050	17.90 लाख	1500मी0टन	12
3.	एस0के0 इण्डस्ट्रीज	" " "	800	17 लाख	1500मी0टन	12
4.	मे0 जय दुर्गे सेवा संस्थान	" " "	800	10.78 लाख	450मी0टन	9

स्रोत– औद्योगिक क्षेत्र भरुआ–सुमेरपुर (हमीरपुर) का प्रगति विवरण– 2004–05.

(ii) आटा मिलें (Flour Milling) :-

सामान्यतया आटा–चक्की स्तर की इकाइयां तो तहसील के प्रत्येक मध्यम एवं बड़े आकार के ग्रामीण अधिवासों में स्थित हैं, किन्तु कुरारा में एक लघु पैमाने की आटा मिल कार्यरत है, इसमें दो लोगों को स्थाई रोजगार प्राप्त है। इसमें 30,000 रुपए की पूंजी लगी हुई है।[6] ऐसी ही आटा– चक्कियां हमीरपुर कुछेछा, छानी पौथिया, बेरी, झलोखर, पन्धरी, इंगोहटा, मवईजार, टेढ़ा आदि बड़े गांवों में स्थापित की जा सकती हैं, जिनमें गेहूं की अतिरिक्त मात्रा, जो निकटवर्ती जिलों के विपणन केन्द्रों में ले जायी जाती है, का उपयोग इन आटा चक्कियों में किया जा सकता है और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। आटे की पैकिंग करके इसे कानपुर जैसे बड़े विपणन केन्द्रों में विक्रय किया जा सकता है। हमीरपुर तहसील में गेहूं का कुल वार्षिक उत्पादन (2004–05) में 487953 कुन्तल हुआ।

(iii) तेल मिलें (Oil Milling) :-

सुमेरपुर नगर में तीन तेल मिलें कार्य कर रही हैं। इनमें से एक मिल मध्यम पैमाने की है। इसका नाम मे0 वृन्दावन इडिविल आयल प्रा0लि0 है, इसकी वार्षिक तेल उत्पादन क्षमता 1500 मी0 टन है तथा 2 करोड़ 52 लाख की पूंजी लगी हुई है। इसमें 40 व्यक्ति स्थायी रूप से कार्यरत हैं।[7] अन्य दो तेल मिलें अपेक्षाकृत छोटे आकार की हैं, और सुमेरपुर में स्थित हैं। इनमें 3790000 की पूंजी लगी हुई है तथा 17 लोगों को स्थायी रोजगार प्राप्त है। ये दोनों इकाइयां 1420 मीट्रिक टन तेल प्रतिवर्ष तैयार करती है। इसके अतिरिक्त हमीरपुर, भरुआसुमेरपुर, कुरारा तथा अनेक सेवा ग्रामों में ऑयल एक्सपेलर्स कार्यरत हैं, जो स्थानीय मांग की आपूर्ति करते हैं। निम्नलिखित तालिका तेल मिलों की स्थिति संलग्न पूंजी, उत्पादन एवं रोजगार की

HAMIRPUR TAHSIL
EXISTING AGRO -BASED & FOREST-BASED INDUSTRIES
N
79°47'50"E
80°22'E
26°6'N
25°40'40"N
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 KM.
YAMUNA RIVER
BETWA RIVER
INDEX
DAL MILL
OIL MILL
SPICE MILL
SPECIALISED PAPER MILL
SWEET SUPARI MILL
AGRICULTURAL INSTRUMENTAL FACTORY
FURNITURE INDUSTRY
AGARBATTI INDUSTRY

FIG-3.1

स्थिति को स्पष्ट करती है।

तालिका संख्या - 3.2

हमीरपुर तहसील में तेल मिलों की स्थिति वर्ष– 2004–05

क्र0 सं0	तेल मिल का नाम	अवस्थिति	संलग्न भू–खण्ड वर्ग मी0 में	संलग्न पूंजी	उत्पादन मी0 टन में	रोजगार में लगे व्यक्ति
1.	मे0 वृन्दावन इडिबिल आयल प्रा0लि0	भरुवा–सुमेरपुर औद्योगिक क्षेत्र	11162	2.52 लाख	1500	40
2.	पूनम आयल मेन्यू0 प्रा0लि0	" " "	1800	21.30 लाख	750	9
3.	मे0 अर्चना आयल मिल	" " "	1800	16.60 लाख	670	8

स्रोत– औद्योगिक क्षेत्र भरुआ–सुमेरपुर (हमीरपुर) का प्रगति विवरण– 2004–05.

(iv) मसाला उद्योग (Spice Milling) :-

हमीरपुर नगर मसाला उद्योग का मुख्य केन्द्र है। यहां 6 मसाला पीसने की लघु इकाइयां कार्यरत हैं। एक इकाई कुरारा नगर में तथा शेष हमीरपुर नगर में स्थित हैं। इन इकाइयों में 220000 रुपए की पूंजी लगी हुई है तथा 16 लोगों को स्थायी रोजगार प्राप्त है। ये सभी इकाइयां 1994 से 1997 के मध्य स्थापित हुईं। हमीरपुर नगर में मसाला उद्योग की लोकप्रियता का कारण स्थानीय मांग तथा भोजनालयों में अधिक खपत है। तालिका संख्या–3.3 में मसालों से सम्बन्धित इकाईयों की स्थिति स्पष्ट की गई है।

तालिका संख्या - 3.3

हमीरपुर तहसील में मसाला उद्योगों की स्थिति वर्ष– 2004–05

क्र0 सं0	उद्योग का नाम	अवस्थिति	संलग्न पूंजी	रोजगार में लगे व्यक्ति	स्थापित वर्ष
1.	मसाला उद्योग	हमीरपुर	45,000	03	1996–97
2.	मसाला उद्योग	रमेड़ी (हमीरपुर)	20,000	02	1993–94
3.	मसाला उद्योग	कुरारा	40,000	03	1994–95
4.	मसाला उद्योग	हमीरपुर	45,000	03	1996–97
5.	मसाला उद्योग	हमीरपुर	40,000	03	1996–97
6.	मसाला उद्योग	हमीरपुर	30,000	02	1996–97

स्रोत– जिला उद्योग केन्द्र, हमीरपुर।

(v) बेसन मिल (Besan Milling) :-

बेसन की दो मिलें इस तहसील में स्थापित हैं, ये दोनों मिलें सुमेरपुर में स्थित हैं। इनमें

2050000 रुपए की पूंजी संलग्न है तथा 12 लोगों को स्थायी रोजगार प्राप्त है, इनमें से एक इकाई अपेक्षाकृत बड़ी है, जो 2100 मीट्रिक टन बेसन प्रतिवर्ष उत्पन्न करती है तथा 8 लोगों को स्थायी रोजगार प्रदान करती है, इसमें 20,00000 रुपए की पूंजी संलग्न है।

(vi) फल संरक्षण (Fruit Processing) :-

फल संरक्षण अपेक्षाकृत नवीन उद्योग है, जो मुख्य रूप से नगरीय अधिवासों में केन्द्रित है। हमीरपुर नगर में फल संरक्षण की एक इकाई कार्यरत है, इसमें 50,000 रुपए की पूंजी लगी हुई है, तथा 5 लोगों को रोजगार प्राप्त है। इसकी स्थापना सन 1994–95 में सुभाष नगर हमीरपुर में हुई।

2. वनाधारित उद्योग (Forest Based Industries) :-

प्राचीन काल से ही वनाधारित उद्योग कुटीर स्तर पर हमीरपुर तहसील में कार्यरत रहे हैं, जो मुख्य रूप से फर्नीचर, भवन सामग्री और कृषि यंत्रों का निर्माण करते रहे हैं। हमीरपुर तहसील में वनावरण कम है, तथापि यहां पर 7 इकाइयां कार्यरत हैं, जो स्पेशलाइज्ड पेपर, मीठी सुपारी, कृषि यंत्र, फर्नीचर, लकड़ी का कोयला तथा अगरबत्ती बनाती हैं। सुमेरपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड पेपर बनाने की एक इकाई स्थापित है, जिसमें 14100000 रुपए पूंजी का विनिवेश किया गया है। यह इकाई सुमेरपुर के औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित है। 4500 मीट्रिक टन स्पेशलाइज्ड पेपर प्रतिवर्ष तैयार करती है तथा 125 लोगों को स्थायी रोजगार प्रदान करती है।[8] 1993–94 में रमेड़ी हमीरपुर में मीठी सुपारी बनाने की एक इकाई 20000 रुपए की लागत से स्थापित की गई। यह इकाई 3 लोगों को स्थायी रूप से रोजगार प्रदान करती है। कृषि यंत्र निर्माण की एक इकाई गुरगुज सुमेरपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1994–95 में की गई, इसमें 75000 रुपए का विनिवेश हुआ है तथा पांच व्यक्ति इसमें स्थायी रूप से कार्य करते हैं। फर्नीचर निर्माण की दो इकाइयां क्रमशः चन्दौखी तथा सुमेरपुर में स्थित हैं, जिनमें क्रमशः 50,000 रुपए तथा 30,000 रुपए की पूंजी संलग्न है, इनमें क्रमशः पांच और तीन व्यक्तियों को स्थायी रोजगार प्राप्त है। इन दोनों इकाइयों की स्थापना 1994–95 में हुई। हमीरपुर नगर में गैस गोदाम के निकट लकड़ी से कोयला तैयार करने वाली 80,000 रुपए की पूंजी से एक भट्ठी 1995–96 में लगाई गई थी, इसमें 10 व्यक्ति काम करते हैं। हमीरपुर नगर में अगरबत्ती बनाने की एक इकाई सक्रिय है, जिसमें 95,000 रुपए की पूंजी लगी है तथा 6 व्यक्तियों को स्थायी तौर पर रोजगार प्राप्त है।

वनाधारित उद्योगों की कार्यरत 7 इकाइयों में 14400000 रुपए की पूंजी लगी हुई है तथा लगभग 150 लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। तालिका संख्या 3.4 में वनाधारित उद्योगों की स्थिति स्पष्ट की गई है।

तालिका संख्या - 3.4

हमीरपुर तहसील में वनाधारित उद्योग

उद्योग का नाम नाम	इकाई	पता	वितरित धनराशि	रोजगार में लगे लोग	उत्पादन	स्थापित वर्ष
स्पेशलाइज्ड पेपर	1	सुमेरपुर औद्यो0क्षेत्र	14100000	125	450मी0टन	1993–94
मीठी सुपारी	1	रमेड़ी, हमीरपुर	20,000	3	–	1994–95
कृषि यंत्र निर्माण	1	गुरगुज सुमेरपुर	75,000	5	–	1994–95
फर्नीचर निर्माण	1	चन्दौखी हमीरपुर	50,000	5	–	1994–95
फर्नीचर निर्माण	1	सुमेरपुर	30,000	3	–	1994–95
कोयला भट्ठी	1	गैस गोदाम के पास, हमीरपुर	80,000	2	–	1996–97
अगरबत्ती उद्योग	1	रमेड़ी हमीरपुर	95,000	6	–	1996–97
योग	07		14450000	149	450मी0टन	

स्रोत– जिला उद्योग केन्द्र, हमीरपुर।

3. पशुधन आधारित उद्योग (Live-Stock Based Industries) :-

हमीरपुर तहसील में प्राचीन समय से ही पशुधन आधारित उद्योग विकसित रहे हैं, विशेष रूप से दुग्ध उद्योग एवं जूता निर्माण उद्योग। यह उद्योग नगरीय अधिवासों की अपेक्षा ग्रामीण अधिवासों में अधिक विकसित है। डेरी उद्योग, आइस्क्रीम उद्योग तथा जूता निर्माण उद्योग मुख्य उद्योग हैं। इन उद्योगों की 17 इकाइयां सुमेरपुर, हमीरपुर, कुरारा, पन्धरी, छानी, झलोखर, टिकरौली, बांकी, भौली, कलौलीतीर आदि ग्रामों में विकसित है। इन उद्योगों के विकास के लिए 690000 रुपए की राजकीय पूंजी संलग्न है तथा 44 लोगों को स्थायी रोजगार प्राप्त है। (तालिका संख्या– 3.5) में पशुधन आधारित उद्योगों की स्थिति स्पष्ट की गई है।

तालिका संख्या - 3.5

हमीरपुर तहसील में पशु आधारित उद्योग

उद्योग का नाम	इकाई	पता	वितरित धनराशि	रोजगार में लगे लोग	स्थापित वर्ष
दूध डेरी	1	टिकरौली	50,000	3	1994–95
भैंस पालन	1	झलोखर	25,000	3	1995–96
डेरी	1	कुरारा	50,000	3	1995–96
डेरी फार्म	1	खालेपुरा, हमीरपुर	40,000	2	1995–96
डेरी फार्म	1	पंधरी, सुमेरपुर	40,000	2	1995–96
आइस्क्रीम	1	मेहरपुरी, हमीरपुर	60,000	3	1995–96

HAMIRPUR TAHSIL
EXISTING LIVE-STOCK BASED, ENGINEERING
& CHEMICAL INDUSTRIES
N
79°47'50''E
80°22'E
26°6'N
25°40'40''N
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 KM.
INDEX
MILK DAIRY
ICE-CREAM FACTORY
SHOES FACTORY
STEEL FACTORY
GENERAL ENGINEERING
AGRICULTURAL ENGINEERING
DETERGENT CAKE FACTORY
CEROSILICON
CHEMICAL INDUSTRY
YAMUNA RIVER
BETWA RIVER
BHAULI DAND
KURARA
DAMAR
JHAKHOLAR
KUCHHECHHA
HAMIRPUR
TIKRAULI
SUMERPUR
BANKI
PANDHARI
CHHANI BUZURG
INGOHTA

FIG- 3.2

पशुपालन	1	डामर	50,000	3	1996–97
भैंस पालन	1	कलौलीतीर	30,000	2	1996–97
भैंस पालन	1	भौली	50,000	3	1996–97
डेरी	1	झलोखर	40,000	2	1996–97
डेरी फार्म	1	बांकी	35,000	2	1996–97
पशुपालन	1	भरुआसुमेरपुर	40,000	3	1996–97
जूता निर्माण	1	गुरगुज सुमेरपुर	40,000	3	1994–95
जूता निर्माण	1	छानी	30,000	2	1994–95
जूता निर्माण	1	सुमेरपुर	40,000	3	1994–95
जूता निर्माण	1	सुमेरपुर	30,000	2	1994–95
जूता निर्माण	1	सुमेरपुर	40,000	3	1994–95
योग	17	–	6,90,000	44	1994–95

स्रोत– जिला उद्योग केन्द्र, हमीरपुर।

4. इंजीनियरिंग उद्योग (Engineering Industries) :-

इंजीनियरिंग उद्योग अपेक्षाकृत नवीन उत्पत्ति का उद्योग है। यह प्रमुखतः सुमेरपुर नगर के औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रित है। कुछ औद्योगिक इकाइयां हमीरपुर नगर एवं कुरारा में मुख्य रूप से खराद मशीनें कार्यरत हैं। सुमेरपुर के औद्योगिक क्षेत्र में 12 इंजीनियरिंग इकाइयां स्थित हैं, जो स्टील कास्टिंग, इनगाड्र्स, कृषि यंत्र आदि तैयार करती हैं। इन औद्योगिक इकाइयों में लगभग 15 करोड़ 70 लाख रुपए की पूंजी लगी हुई है तथा 607 लोगों को रोजगार प्राप्त है। (इंजीनियरिंग उद्योगों की स्थिति तालिका संख्या– 3.6 से स्पष्ट है।)

तालिका संख्या - 3.6

हमीरपुर तहसील में इंजीनियरिंग उद्योग वर्ष– 2004–05

उद्योग का नाम नाम	इकाई	पता	वितरित धनराशि	रोजगार में लगे लोग	उत्पादन
एलमस्टील कास्टिंग	1	औद्यो0 क्षेत्र सुमेरपुर	11600000	50	10,000मी0टन
स्टील उद्योग	1	औद्यो0 क्षेत्र सुमेरपुर	14540000	50	20,000मी0टन
एलमस्टील कास्टिंग	1	औद्यो0 क्षेत्र सुमेरपुर	13300000	50	10,000मी0टन
एलमस्टील कास्टिंग	1	औद्यो0 क्षेत्र सुमेरपुर	14400000	105	3750मी0टन
लीफ स्प्रिंग स्टील फैनेट्स	1	औद्यो0 क्षेत्र सुमेरपुर	13200000	20	600मी0टन
इन्गाट्स	1	औद्यो0 क्षेत्र सुमेरपुर	98,07000	30	50000एम0टी0
इन्गाट्स	1	औद्यो0 क्षेत्र सुमेरपुर	19598000	100	40000एम0टी0

इन्गाट्स	1	औद्यो0 क्षेत्र सुमेरपुर	14814000	60	2000एम0टी0
स्टेनलेस स्टील इन्गाट्स	1	औद्यो0 क्षेत्र सुमेरपुर	23500000	60	5000एम0टी0
जनरल इंजीनियरिंग	1	औद्यो0 क्षेत्र सुमेरपुर	714000	9	225कृषियंत्र
इंजीनियरिंग कृषि	1	औद्यो0 क्षेत्र सुमेरपुर	1470000	8	20.8एम0टी0
एम0एस0 इन्गाट्स	1	औद्यो0 क्षेत्र सुमेरपुर	20000000	65	6250एम0टी0
योग	12		156943000		607

स्रोत– औद्योगिक क्षेत्र भरुआ–सुमेरपुर (हमीरपुर) का प्रगति विवरण– 2004–05.

5. रासायनिक उद्योग (Chemical Industries) :-

रसायन उद्योग भी इस तहसील में नए उद्योग हैं। ये उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र सुमेरपुर में स्थित हैं। डिटर्जेंट केक, केरोसिलिकॉन और अन्य रासायनिक पदार्थ तैयार किए जाते हैं रासायनिक उद्योगों की 5 इकाइयां 243 लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। इनमें लगभग 8 करोड़ 80 लाख रुपए की पूंजी का विनिवेश किया गया है। (मानचित्र संख्या– 3.2)

तालिका संख्या- 3.7

हमीरपुर तहसील में रासायनिक उद्योगों की स्थिति

उद्योग का नाम	इकाई	पता	वितरित धनराशि	रोजगार में लगे लोग	उत्पादन
डिटर्जेंट केक	1	औद्यो0 क्षेत्र सुमेरपुर	67500000	98	30,000मी0टन
केरोसिलिकॉन	1	औद्यो0 क्षेत्र सुमेरपुर	16500000	60	1650मी0टन
डिटर्जेंट केमि0	1	औद्यो0 क्षेत्र सुमेरपुर	1267000	50	850मी0टन
केमिकल्स	1	औद्यो0 क्षेत्र सुमेरपुर	1015000	20	300मी0टन
केमिकल्स	1	औद्यो0 क्षेत्र सुमेरपुर	1635000	15	3000मी0टन
योग	05		87917000	243	

स्रोत– औद्योगिक क्षेत्र भरुआ–सुमेरपुर (हमीरपुर) का प्रगति विवरण– 2004–05.

अन्य उद्योग (Other Industries) :-

अन्य उद्योगों के अन्तर्गत सीमेन्ट उद्योग, ग्रेनाइट, टाइल्स उद्योग, ईंट भट्ठा, ग्रिल शटर आदि सम्मिलित हैं। सीमेन्ट निर्माण की तीन औद्योगिक इकाइयां सुमेरपुर के औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित की गई हैं, जो 130 लोगों को रोजगार प्रदान करती है। प्रत्येक इकाई में लगभग एक लाख पचास हजार रुपये की पूँजी का विनिवेश किया गया है। सुमेरपुर औद्योगिक क्षेत्र में ग्रेनाइट के टाइल्स बनाने के तीन कारखाने कार्यरत हैं– इनमें क्रमशः 65 लाख, 19 लाख और 15 लाख की पूँजी लगी हुयी है तथा क्रमशः 20, 08 और 06 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किये हुये हैं।[9]

HAMIRPUR TAHSIL
EXISTING OTHER INDUSTRIES
N
79°47'50''E
80°22'E
26°6'N
26°6'N
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 KM.
Y A M U N A R I V E R
B E T W A R I V E R
HAMIRPUR
SUMERPUR
INGOHTA
INDEX
CEMENT INDUSTRY
GRENITE TILES
BEAUTY PARLER
BRICKS INDUSTRY
25°40'40''N
79°47'50''E
80°22'E
25°40'40''N

FIG- 3.3

नगरीय क्षेत्रों के बाहरी भागों में ईंट– भट्टे का उद्योग भी विकसित है जिनमें चिमनियां लगाकर ईंट का निर्माण किया जाता है। ईंट उद्योग मुख्य रुप से श्रमाधारित उद्योग है। श्रम की आपूर्ति स्थानीय स्तर पर तथा बिहार से आये श्रमिकों द्वारा की जाती है।

सुमेरपुर नगर को छोड़कर हमीरपुर तहसील का औद्योगिक आधार कमजोर है, यहां कार्यशील जनसंख्या का 0.5 प्रतिशत से भी कम लगा हुआ है। तहसील में औद्योगिक जलवायु उत्पन्न करने के लिए राजकीय प्रोत्साहन अति आवश्यक है। (तालिका संख्या– 3.8)

तालिका संख्या- 3.8

हमीरपुर तहसील में अन्य उद्योगों की स्थिति

उद्योग का नाम	इकाई	पता	वितरित धनराशि	रोजगार में लगे लोग	उत्पादन	स्थापित वर्ष
मिनी सीमेण्ट	1	औद्योगिक क्षेत्र सुमेरपुर	14900000	60	24000 मी0टन	
सीमेण्ट उद्योग	1	" "	14431000	35	45000 " "	
सीमेण्ट उद्योग	1	" "	14600000	35	15000 " "	
ग्रेनाइट टाईल्स	1	" "	6471000	20	86000 वर्ग मी0	
" "	1	" "	1850000	08	30000 वर्ग मी0	
" "	1	" "	1500000	06	20000 वर्ग मी0	
ग्रेनाइट टाईल्स	1	" "	1600000	07	20000 वर्ग मी0	
ब्यूटी पार्लर	1	जेल रोड, हमीरपुर	40000	02	———	1993–94
ईंट भट्टा	1	इंगोहटा	50000	04	———	1994–95
योग	9		55442000	177	———	

स्रोत– जिला उद्योग केन्द्र, जनपद– हमीरपुर

(ब) औद्योगिक विकास नियोजन (Planning for the Industrial Development) :-

विभिन्न वर्गों के उद्योगों के पूर्व विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि हमीरपुर तहसील में औद्योगिक विकास अभी प्रारम्भिक अवस्था में है तथा तहसील को उपयुक्त उद्योगों के लिए उपयुक्त केन्द्रों के चयन एवं नियोजन की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त केन्द्रों पर उपयुक्त उद्योगों का सुझाव, उनकी स्थिति की उपयुक्तता को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें छः महत्वपूर्ण अवस्थापनात्मक कारकों जैसे कच्चे पदार्थ की उपलब्धता, विपणन, सुविधाएं शक्ति आपूर्ति, पूंजी की आवश्यकता और परिवहन की सुविधा का अध्ययन करने के

पश्चात् इनका चयन किया गया है। स्थानीय कच्चे पदार्थों पर आधारित उद्योगों का चयन आवश्यक कच्चे पदार्थों की उपलब्धता एवं पूरकता के आधार पर चयनित किया गया है। ऐसे उद्योग मुख्य रुप से कृषि आधारित एवं वनाधारित है। अन्य उद्योग मांग पर आधारित हैं और तद्नुसार ही स्थिति निर्धारण की आवश्यकता रखते हैं।

वृद्धि केन्द्रों एवं सेवा केन्द्रों में सम्भावित औद्योगिक इकाईयों की पहचान करने के पूर्व संसाधन तथा सुविधाओं का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। हमीरपुर तहसील कृषि और पशुधन संसाधनों में पर्याप्त समृद्ध है तथा भविष्य में औद्योगिक विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। वर्तमान आद्यौगिक इकाइयों के विस्तार की भी पर्याप्त सम्भावनायें हैं। बेहतर तकनीक और उत्पादन दक्षता का प्रयोग करके हमीरपुर तहसील का औद्योगिक विकास किया जा सकता है।

(i) दीर्घकालिक नियोजन (Longterm Planning) :-

हमीरपुर तहसील के सम्यक औद्योगिक विकास के लिए एक दीर्घकालिक योजना का होना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए तहसील में उपलब्ध संसाधनों की वृद्धि का वार्षिक एवं पंचवार्षिक अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। जिन संसाधनों की वृद्धि दर संतोषजनक है, उनकी स्थापना के लिए पंचवर्षीय अथवा दसवर्षीय योजना तैयार की जानी चाहिए। विगत अध्ययन से स्पष्ट है कि हमीरपुर तहसील में कृषि आधारित, वनाधारित, पशुधन आधारित, इंजीनियरिंग एवं रसायन उद्योग विकसित हैं तथा आगामी एक दशक में इनके विकास की और अधिक सम्भावनायें हैं। कृषि उपकरण जैसे– ट्रैक्टर ट्राली, बैलगाड़ी हल, कल्टीवेटर आदि बनाने के उद्योगों का विस्तार समुचित उन्नत अवस्था में लाया जाना चाहिए। इसी प्रकार से वनाधारित उद्योगों में फर्नीचर उद्योग, भवन निर्माण सामग्री जैसे–उद्योगों के लिए भी नगरीय अधिवासों एवं बड़े ग्रामों का चयन करना चाहिए। विगत अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि हमीरपुर तहसील पशुधन में पर्याप्त धनी है। अतः पशुधन आधारित उद्योगों के लिए भी दीर्घकालिक योजना तैयार करना नितान्त आवश्यक हो जाता है। इसके लिए चमड़ा एवं खाल संग्रह केन्द्र, हड्डी संग्रह केन्द्रों की स्थापना करनी चाहिए तथा उपयुक्त अधिवासों में भावी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चर्म सामग्री निर्माण उद्योग, हड्डी चूरा उद्योग, ब्रश निर्माण उद्योग, बटन निर्माण उद्योग हेतु समुचित केन्द्रों का चयन किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से इंजीनियरिंग एवं रसायन उद्योगों के विकास के लिए पंचवर्षीय एवं दसवर्षीय योजनायें तैयार करके उपयुक्त अवस्थितियों का चयन कर लेना चाहिए तथा इन अवस्थितियों में वांछित परिसंरचना का विकास अभी से कर लेना चाहिए। इन उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए अध्याय–6 में औद्यागिक विकास हेतु नियोजन का व्यवहारिक अध्ययन किया गया है, जिसमें सभी प्रकर के उद्योगों के लिए उपलब्ध कच्चे पदार्थों की मात्रा का विवेचन उनकी संख्या और अवस्थितियों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

(ii) अल्पकालिक नियोजन (Short-term Planning) :-

हमीरपुर तहसील में समन्वित विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों के आधार पर उद्योगों तथा औद्योगिक केन्द्रों का विकास एक महती आवश्यकता है। औद्योगिक विकास में समरुपता को ध्यान में रखते हुए तहसील की सभी न्याय पंचायतों में औद्योगिक केन्द्रकों का चयन करना चाहिए। चयन करते समय औद्योगिक अवस्थापना के लिए आवश्यक 6 महत्वपूर्ण कारकों– कच्चा पदार्थ, बाजार, श्रम पूँजी, परिवहन तथा विद्युत शक्ति की उपलब्धता आदि का मूल्यांकन अवश्य कर लेना चाहिए। उक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए हमीरपुर तहसील में 52 औद्योगिक केन्द्रकों (Industrial foci) का चयन किया गया, जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

तालिका संख्या - 3.9

हमीरपुर तहसील में न्याय पंचायतवार औद्योगिक केन्द्रकों का चयन

क्रम संख्या	न्याय पंचायतें	केन्द्रकों का नाम	उपलब्ध संसाधन/ कच्चा पदार्थ	उपलब्ध अवस्था–पनात्मक कारक	प्रस्तावित उद्योग
1.	मिश्रीपुर	(i) मिश्रीपुर	दलहन,तिलहन,गेंहूँ,वन	क0,श्र0प0	आटा–चक्की, तेल, धानी
		(ii) सिवनी	दलहन, तिलहन, गेंहूँ	क0, श्र0	आटा–चक्की तेल, धानी
2.	शेखूपुर	(i) बचरौली	दलहन, गेंहूँ, तिलहन	क0, श्र0,प0	दालमिल, तेल, धानी
		(ii) भौलीडांडा	दलहन, गेंहूँ, तिलहन	क0,श्र0,प0	आटा–चक्की तेल, धानी
		(iii) शेखूपुर	गेंहूँ,दलहन,तिलहन	क0,श्र0,प0	दालमिल, तेलमिल
		(iv) भटपुराडांडा	दलहन,तिलहन,गेंहूँ	क0,श्र0,प0	आटा–चक्की
3.	कुसमरा	(i) सिकरोहीडांडा	दलहन, गेंहूँ, तिलहन	क0, श्र0,	आटा–चक्की
		(ii) कुसमरा	गेंहूँ, दलहन, तिलहन	क0,श्र0	दालमिल, तेलमिल
		(iii) मेरापुर डांडा	दलहन, तिलहन, गेंहूँ	क0,श्र0	आटा–चक्की
		(iv) रमेड़ी डांडा	गेंहूँ, दलहन, तिलहन	क0,श्र0,वि0,प0 बा0, पूं0	आटामिल, दालमिल, तेलमिल,

4.	कुरारा दे0	(i) कुतुबपुर	दलहन, गेंहूँ, तिलहन,	क0,श्र0प0	आटा–चक्की
.		(ii) खरौंज	गेंहूँ,दलहन,तिलहन,वन	क0,श्र0प0,पूँ0	आटा–चक्की, तेल, धानी
		(iii) डामर	गेंहूँ, दलहन, तिलहन	क0,श्र0प0	तेलधानी, दालमिल
5.	बेरी	(i) बेरी	दलहन, गेंहूँ, तिलहन	क0,श्र0,प0,पूं0	आटा–चक्की, दालमिल, तेलमिल
6.	पताराडांडा	(i)पारा	दलहन,तिलहन,गेंहूँ,वन	क0,श्र0प0	आटा–चक्की, फर्नीचर
		(ii)कण्डौर डांडा	दलहन,तिलहन,गेंहूँ,वन	क0,श्र0,प0	तेलधानी,
		(iii)पतारा डांडा	तिलहन,दलहन,गेंहूँ,वन	क0,श्र0,प0पूं0	आटा–चक्की, तेलधानी
		(iv)झलोखर	गेंहूँ,दलहन,तिलहन	क0,श्र0,पू0,प0	दालमिल
7.	छानी बुजुर्ग	(i) छानी खुद	गेंहूँ,दलहन,तिलहन	क0,श्र0,पूं0, बा0,वि0	दालमिल, आटा मिल, तेलमिल,
		(ii) छानी बुजुर्ग	दलहन,गेंहूँ,तिलहन	क0,श्र0पूं0, बा0,वि0	" " "
8.	पौथिया बुजुर्ग	(i) पौथिया बु0	गेंहूँ,तिलहन,दलहन	क0,श्र0,पूं.प0	दालमिल, आटामिल,
		(ii) कुम्हऊपुर	दलहन,तिलहन,गेहूं,वन	क0,श्र0,	आटा चक्की
		(iii) कलौलीतीर	गेहूं,तिलहन,दलहन	क0,श्र0,	आटा चक्की तेलधानी
9.	मवईजार	(i) मवईजार	गेंहूँ,तिलहन,दलहन	क0,श्र0प0	दालमिल, आटा–चक्की,
		(ii) अतरार	दलहन,गेंहूँ,तिलहन	क0,श्र0	आटा–चक्की, तेलधानी,
		(iii) नदेहरा	गेंहूँ,दलहन,तिलहन	क0,श्र0	तेलधानी, आटा–चक्की,
10.	इंगोहटा	(i) बांकी	दलहन,गेंहूँ,तिलहन	क0,श्र0	तेलधानी, आटा–चक्की,
		(ii)बिदोखरमेदनी	गेंहूँ,दलहन,तिलहन	क0,श्र0,प0	आटा–चक्की, दालमिल,

		(iii) बिदोखर पुरई	गेहूँ,दलहन,तिलहन	क0,श्र0,प0	तेलमिल
		(iv) इंगोहटा	गेहूँ,दलहन,तिलहन	क0,श्र0,प0, पूं0,वि0	तेलमिल, दालमिल,
11.	कलौलीतीर	(i)कलौलीतीरडांडा	गेहूँ,दलहन,तिलहन	क0,श्र0प0	आटामिल
		(ii) कुण्डौरा	गेहूँ,दलहन,तिलहन	क0,श्र0प0	आटा–चक्की, तेलधानी
12.	सुमेरपुर दे0	(i) कुछेछा डांडा	गेहूँ,तिलहन,दलहन	क0,श्र0,पूं, प0,वि0	आटामिल, दाल मिल, तेलमिल
		(ii) टिकरौली	दलहन,गेहूँ,तिलहन	क0,श्र0	आटाचक्की, तेलधानी,
		(iii) सुमेरपुर दे0	गेहूँ,दलहन,तिलहन	क0,श्र0,प0, पूं0,वि0	आटामिल,दाल मिल,तेलमिल, पेपरमिल
13.	पत्योराडांडा	(i) सिमनौड़ी	दलहन,तिलहन,गेहूँ,वन	क0,श्र0	आटाचक्की, तेलधानी,
		(ii) सुरौली बु0	दलहन,तिलहन,वन	क0,श्र0	आटा चक्की, तेलधानी
		(iii) भौंराडांडा	दलहन,तिलहन,गेहूँ	क0,श्र0	" " "
14.	टेढ़ा	(i) देवगाँव	दलहन,गेहूँ,तिलहन	क0,श्र0	" " "
		(ii) पचखुरा बु0	दलहन,गेहूँ,तिलहन	क0,श्र0,प0	" " "
		(iii) टेंढ़ा	गेहूँ,दलहन,तिलहन	क0,श्र0प0,पूं0	" " "
		(iv) मौहर	दलहन,तिलहन,गेहूँ	क0,श्र0	" " "
		(v) कैथी	दलहन,गेहूँ,तिलहन	क0,श्र0	" " "
15.	पन्धरी	(i) पन्धरी	गेहूँ,दलहन,तिलहन	क0,श्र0,पूं0, प0,वि0	" " "
		(ii) परारैपुरा	दलहन,तिलहन,गेहूँ	क0,श्र0	" " "
		(iii) चंदपुरवा बु0	दलहन,तिलहन,गेहूँ	क0,श्र0	" " "
16.	मुण्डेरा	(i) विरखेरा	दलहन,गेहूँ,तिलहन	क0,श्र0	" " "
		(ii) धुन्धपुर	दलहन,गेहूँ,तिलहन	क0,श्र0	" " "
		(iii) मुण्डेरा	गेहूँ,दलहन,तिलहन	क0,श्र0,प0	" " "

17.	हमीरपुर न0पा0प0	गेहूँ,दलहन,तिलहन, चमड़ा,लकड़ी,हड्डी, इंजी0, रासा0	क0,श्र0,प0, पूं0,वि0, बा0	आटामिल, दाल–मिल, तेलमिल, इंजी0, रासा0, चमड़ाउद्योग, पेपर मिल
18.	कुरारा न0पं0	गेहूँ,दलहन,तिलहन, चमड़ा,लकड़ी,हड्डी,	क0,श्र0,प0, पूं0,वि0,बा0	" " "
19.	सुमेरपुर न0पं0	गेहूँ,दलहन,तिलहन, चमड़ा,लकड़ी,हड्डी, इंजी0,रासा0	क0,श्र0,प0, पूं0,वि0,बा0	" " "
	योग	52		

जहाँ पर – क0 = कच्चे पदार्थ

श्र0 = श्रम

प0 = परिवहन

वि0 = विद्युत

पूं0 = पूँजी

बा0 = बाजार

इंजी = इंजीनियरिंग

रासा0 = रासायनिक

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित औद्योगिक केन्द्रकों में भविष्य में विकसित होने वाले उद्योगों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इन केन्द्रको में सम्भावित उद्योगों के लिए समुचित कच्चे पदार्थ एवं औद्योगिक अवस्थापना के कारक स्थानीय रुप से विद्यमान है। अतः इन केन्द्रकों को औद्योगिक नियोजन का आधार माना जा सकता है, जिससे भविष्य में हमीरपुर तहसील का सन्तुलित एवं समान विकास हो सके।

अध्याय–6 में वृद्धि केन्द्रों एवं सेवा केन्द्रों का संजाल प्रस्तुत किया गया है तथा व्यावहारिक अध्ययन के आधार पर उनमें विकसित किये जाने योग्य उद्योगों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।

REFRENCES

1- District Gazetteer Hamirpur - 1988, PP.-110.

2- District Gazetteer Hamirpur - 1988, PP.-115.

3- District Gazetteer Hamirpur - 1988, PP.-110.

4- District Gazetteer Hamirpur - 1988, PP.-111.

5- जिला उद्योग केन्द्र से प्रकाशित औद्योगिक क्षेत्र, भरुवा–सुमेरपुर (हमीरपुर) का प्रगति विवरण– 2004–05.

6- जिला उद्योग केन्द्र से प्रकाशित औद्योगिक क्षेत्र, भरुवा–सुमेरपुर (हमीरपुर) का प्रगति विवरण– 2004–05.

7- जिला उद्योग केन्द्र से प्रकाशित औद्योगिक क्षेत्र, भरुवा–सुमेरपुर (हमीरपुर) का प्रगति विवरण– 2004–05.

8- जिला उद्योग केन्द्र से प्रकाशित औद्योगिक क्षेत्र, भरुवा–सुमेरपुर (हमीरपुर) का प्रगति विवरण– 2004–05.

9- जिला उद्योग केन्द्र से प्रकाशित औद्योगिक क्षेत्र, भरुवा–सुमेरपुर (हमीरपुर) का प्रगति विवरण– 2004–05.

अध्याय-4

परिसंरचनात्मक सुविधायें

INFRASTRUCTURAL FACILITIES

अध्याय-4 परिसंरचनात्मक सुविधायें
(CHAPTER- 4 INFRASTRUCTRAL FACILITIES)

परिसंरचनात्मक सुविधायें किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए आधार प्रस्तुत करती हैं। इन सुविधाओं के अन्तर्गत परिवहन, विद्युत, शिक्षा, चिकित्सा, संचार एवं बैंकिंग विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हमीरपुर तहसील इन सुविधाओं में अभी भी अत्यन्त पिछड़ी है, इसमें इनके समुचित विकास की महती आवश्यकता है।

(अ) परिवहन संजाल (Transport Net-Work) :-

मानव एक विकासशील प्राणी है। वह सतत रूप् से आर्थिक विकास करता है तथा किसी न किसी कार्य में वह विशेषज्ञता प्राप्त कर लेता है। मानव क्रियाओं का जितना अधिक केन्द्रीयकरण एवं विशेषीकरण होगा उतना ही अधिक कुशल परिवहन संजाल भी होगा।[1] यही वह साधन है, जो मानव समाज के प्रत्येक वर्ग को आपस में जोड़ता है और पारस्परिकता, अर्न्तनिर्भरता, विशेषीकरण एवं संगठन को प्रोत्साहित करता है, परिवहन एक मौलिक एवं सामान्य आर्थिक संगठन है, जो समाज के सामाजिक, आर्थिक ताने बाने को बदलने में विशेष भूमिका अदा करता है। यह राजनैतिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक संगठनों से प्रभावित होता है और उन्हें प्रभावित करता है। स्पष्ट है कि किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए एक कुशल परिवहन तन्त्र की आवश्यकता होती है। अतः इसका नियोजित ढंग से विकास बहुत आवश्यक होता है।[2]

परिवहन संजाल आर्थिक विकास प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। आर्थिक विकास की जीवन्तता परिवहन संजाल की शिराओं और धमनियों से प्रवाहित होकर बहती है। परिवहन संजाल, मांग और आपूर्ति को उत्पन्न करता है तथा अतिरिक्त मांग और उत्पादन के बीच में पूरकता एवं सन्तुलन उत्पन्न करता है। यह परिवहन संजाल ही है, जो विभिन्न आर्थिक प्रदेशों के मध्य पारस्परिक अर्न्तनिर्भरता को बनाये रखता है। दूरस्थ प्रदेश अनेक वाणिज्यिक सम्बन्धों के आधार पर निकट आ जाते हैं। वस्तुओं के प्रवाह का परिमाण विभिन्न क्षेत्रों में मांग और आपूर्ति की सघनता पर निर्भर करता है। परिवहन संजाल की दक्षता में किसी भी प्रकार का परिवहन, किसी भी क्षेत्र की आर्थिक संरचना एवं आर्थिक विकास में दूरगामी परिणाम उत्पन्न करता है। अतः परिवहन के सभी पक्षों का विस्तृत अध्ययन इसलिए आवश्यक हो जाता है कि आर्थिक विकास के लिए परिवहन संजाल की सुविधाजनक वैज्ञानिक व्यवस्था प्रस्तावित की जा सके।

परिवहन संजाल की संरचना (Structure of Transport Net-Work) :-

जहां तक मानव अर्न्तक्रिया का सम्बन्ध है, परिवहन शिरायें बहुत महत्वपूर्ण हैं। परिवहन संरचना का अध्ययन मुख्य रुप से उसके प्रकार, सम्बद्धता और प्रवाह से सम्बन्धित होता है। अध ययन क्षेत्र में निम्नलिखित तीन प्रकार का परिवहन संजाल विद्यमान है–

1. रेल संजाल (Rail Net-Work)
2. सड़क संजाल (Road Net-Work)
3. जल परिवहन (Water Transport)

1. रेल संजाल (Rail Net-Work) :-

वस्तुतः हमीरपुर तहसील में रेल संजाल जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां एकमात्र रेलवे लाइन है, जिसे बांदा–कानपुर लाइन कहते हैं। यह उत्तर मध्य–रेलवे (N.C.R.) की लाइन है। यह पुरानी रेलवे लाइन है, जिसका निर्माण 1867 में हुआ था। यह लाइन तहसील के पूर्वी भाग पूर्व में इंगोहटा रेलवे स्टेशन के पास से हमीरपुर रोड तक 25कि0मी0 की लम्बाई में है। इस तहसील में इंगोहटा, सुमेरपुर, यमुना साउथ बैंक स्टेशन हैं। इस रेलवे लाइन का विशेष महत्व इसलिए है कि यह हमीरपुर तहसील जैसे पिछड़े क्षेत्र को औद्योगिक नगर कानपुर से जोड़ती है। अतः यह रेलवे लाइन आर्थिक विकास और राजनैतिक चेतना प्रवाह की महत्वपूर्ण लाइन है। यह लाइन इंगोहटा, सुमेरपुर दे0, टेढ़ा एवं पत्योरा न्याय पंचायतों से होकर गुजरती है।

2. सड़क संजाल (Road Net-Work) :-

सड़क संजाल रेल संजाल की अपेक्षा अध्ययन क्षेत्र में अधिक विकसित है। इस तहसील में मुगलकाल में कुछ सड़कों का निर्माण हुआ। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात सड़कों के निर्माण में विशेष प्रगति हुई। सन् 1977 में यमुना और बेतवा नदियों पर पुल का निर्माण हो जान से अध्ययन क्षेत्र कानपुर और उरई नगरों से जुड़ गया।

अध्ययन क्षेत्र में सड़कों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है –

(i) राज्य मार्ग (State Highways).

(ii) जनपद मार्ग (District Roads).

(iii) स्थानीय मार्ग (Local Roads).

(i) राज्य मार्ग (State Highways) :-

अध्ययन क्षेत्र में केवल एक राज्य मार्ग है, जिसे राज्यमार्ग संख्या 17 कहते हैं। यह राज्यमार्ग हमीरपुर नगर को कानपुर और महोबा नगरों से जोड़ता है। अध्ययन क्षेत्र में इसकी लम्बाई 23 कि0मी0 है। हमीरपुर तथा सुमेरपुर इस सड़क के किनारे मुख्य नगरीय अधिवास हैं।

HAMIRPUR TAHSIL
TRANSPORT NETWORK
N
79°47'50"E
80°22'E
26°6'N
25°40'40"N
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 KM.
MISRIPUR
BHAULI
BACHRAULI
SHEKHUPUR
KHARAUNJ
KUTUBPUR
KURARA
TO ORAI - KALAPI
SARSAI
DAMAR
KUSMARA
TO KANPUR
TO KANPUR
KURARA RURAL
CHAROTHI
JALLA
PATARA
KALAULITEER
PATYORA
JALALA
SURAULI BUZURG
LAHARA
RANIGUNJ
PARA
PAUTHIYA
KAKRAU
BERI
KANDAUR
SAHURAPUR
SUMERPUR RURAL
PARSANI
UJNEDI
ISAULI
TO BANDA
BANKI
SUMERPUR
TENDHA
SWASA
PANDHARI
MAVAI JAR
NADEHRA
CHHANI
TO RATH
ATRAR
MUNDERA
TO MAHOBA
TO BANDA

FIG- 4.1

(ii) जनपद मार्ग (District Roads) :-

हमीरपुर तहसील से तीन जनपद मार्ग गुजरते हैं–

(अ) हमीरपुर.राठ मार्ग :-

यह मार्ग हमीरपुर से पौथिया और छानी होता हुआ राठ को जोड़ता है। अध्ययन क्षेत्र में इसकी लम्बाई 26कि0मी0 है। यह न केवल अध्ययन क्षेत्र की बल्कि हमीरपुर जनपद की अत्यन्त महत्वपूर्ण सड़क मानी जाती है। हमीरपुर से राठ तथा कानपुर और लखनऊ के लिए प्रायः हर समय उ0प्र0 परिवहन की बस सेवा हमेशा उपलब्ध रहती है।

(ब) हमीरपुर.कालपी मार्ग :-

यह जनपद मार्ग अध्ययन क्षेत्र में हमीरपुर से कुरारा होते हुए जालौन जनपद में स्थित कदौरा और कालपी नगरों को जोड़ता है। अध्ययन क्षेत्र में इसकी कुल लम्बाई 20कि0मी0 है।

(स) बाँदा.हमीरपुर उरई मार्ग :-

यह जनपद मार्ग हमीरपुर नगर से सुमेरपुर, पन्धरी, टेढ़ा होते हुए इसौली गाँव तक अध्ययन क्षेत्र में है। इसके आगे बांदा जनपद में जसपुरा, पैलानी, पपरेंदा होते हुए बांदा तक जाता है। हमीरपुर से पश्चिम में झलोखर और कुरारा होते हुए यह उरई को जोड़ता है। अध्ययन क्षेत्र में इसकी कुल लम्बाई 30कि0मी0 है।

(iii) स्थानीय मार्ग (Local Roads) :-

(i) कुरारा.बेरी मार्ग :-

यह मार्ग कुरारा और बेरी को जोड़ता है तथा लहरा और कुरुवा गांव होते हुए बेरी तक जाता है इसकी कुल लम्बाई 18 कि0मी0 है।

(ii) कुरारा.शेखूपुर मार्ग :-

यह मार्ग कुरारा से कुतुबपुर, खरौंज होते हुए शेखूपुर तक जाता है। इसकी कुल लम्बाई 25कि0मी0 है।

(iii) कुसमरा-पतारा डांडा मार्ग :-

यह कुसमरा से होते हुए पतारा डांडा तक जाता है। इसकी कुल लम्बाई 19कि0मी0 है।

(iv) पन्धरी-मुण्डेरा मार्ग :-

यह अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण–पूर्व में पन्धरी और मुण्डेरा गावों को जोड़ता है। इस मार्ग की कुल लम्बाई 14कि0मी0 है।

3. जल परिवहन (Water Transport) :-

अध्ययन क्षेत्र में यमुना और बेतवा दो बड़ी नदियां है, जो वर्ष भर पर्याप्त जल धारण करती हैं। अतः प्राचीन काल से ही इस तहसील के कृषि एवं शिल्प उत्पादों को अन्य क्षेत्रों

में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती रही हैं। वर्तमान समय में सड़क संजाल के सुदृढ़ हो जाने के कारण इन दोनों जलमार्गों का महत्व अपेक्षाकृत कम हो गया है। विगत कुछ दशकों में यान्त्रिक नावों एवं स्टीमरों के प्रयोग से जलपरिवहन को पुनः प्रोत्साहन मिला है।[3] इन दोनों नदियों से वर्तमान नहरों का निर्माण किया गया है, जिससे इनमें जल की मात्रा में कुछ कमी आ गयी है। ग्रीष्म ऋतुओं में इन दिनों नदियों में जल कुछ हो जाता है। हमीरपुर से कलौली तीर घाट, जल्ला–चकोठी से मोराकांदर घाट आदि घाटों में नावों द्वारा आवागमन होता है।

संजाल सम्बद्धता (Network Connectivity) :-

अध्ययन क्षेत्र में रेल एवं सड़क संजाल सम्बद्धता ज्ञात करने के लिए 'बी' सूचकांक की गणना की गयी है। 'बी' सूचकांक की गणना निम्नलिखित सूत्र के आधार पर की गयी है।

$$B = \frac{\text{विकास खण्डों में दो केन्द्रों को जोड़ने वाली रेखाओं की संख्या}}{\text{विकास खण्ड में केन्द्रों की संख्या}}$$

तालिका संख्या - 4.1

हमीरपुर तहसील में संजाल संबद्धता सूचकांक

विकास खण्ड	दो केन्द्रों को जोड़ने वाली रेखाओं की संख्या	केन्द्रों की संख्या	'बी' सूचकांक
कुरारा	09	10	0.90
सुमेरपुर	13	11	1.18
तहसील योग	22	21	1.05

उक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में सम्बद्धता सूचकांक 1.05 है। सुमेरपुर विकास–खण्ड में संजाल सम्बद्धता, कुरारा विकास खण्ड की अपेक्षा अधिक है। इन दोनों विकास खण्डों में 'बी' सूचकांक क्रमशः 1.18 और 0.90 है। कुरारा विकास–खण्ड की सम्बद्धता औसत से कम है।

समस्यायें एवं सुझाव (Problems and Suggestions) :-

संजाल सम्बद्धता मानचित्र के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र परिवहन साधनों द्वारा समान रुप से सम्बद्ध नहीं है। अध्ययन क्षेत्र में प्रवाहित नदियाँ इसमें बाधा उपस्थित करती हैं। संजाल सम्बद्धता रहित क्षेत्रों में वर्तमान समय में ही परिवहन के परम्परागत साधन जैसे– बैलगाड़ी, तांगा, साइकिल, घोड़ा, टट्टू आदि का प्रयोग किया जाता है। कृषि उत्पादों, पशु उत्पादों एवं दोनों उत्पादों को विपणन केन्द्रों तक ले जाने के लिए परम्परागत बैल गाड़ियां

तथा आधुनिक ट्रैक्टरों का प्रयोग किया जाता है, जिन क्षेत्रों में सड़क सम्बद्धता उच्च है। उनमें बैलगाड़ी, ट्रैक्टर और तांगे परिवहन के मुख्य साधन हैं, किन्तु कच्ची सड़कों वाले क्षेत्रों में बैलगाड़ी, तागा, घोड़े, खच्चर और साइकिल परिवहन के मुख्य साधन हैं।

परिवहन असम्बद्धता को दूर करने के लिए परिवहन के नवीन एवं वैकल्पिक साधनों का विकास करना आवश्यक है। यमुना और बेतवा नदियों के किनारे स्थित गांवों के लिए जल परिवहन का विकास एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसी प्रकार से रेल सम्बद्धता से वंचित अध्ययन क्षेत्र का पश्चिमी भाग रेल का विकास करके विकसित किया जा सकता है। भरुआ–सुमेरपुर के निकट अनेक उद्योगपति औद्योगिक क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। अतः इसके निकट एक छोटा हवाई अड्डा विकल्प हो सकता है।

(iii) सड़क घनत्व (Density of Roads) :-

सड़क घनत्व परिवहन प्रवाह की बारम्बारता का सूचक होता है, इससे सम्पर्क की सरलता अथवा सुविधा का भी ज्ञान होता है। हमीरपुर तहसील में सड़कों का घनत्व प्रत्यक्ष रुप से भौतिक दशाओं जैसे– नदियां, नाले, प्रवाह प्रणाली एवं मैदानी क्षेत्रों से प्रभावित हैं। सड़कों का घनत्व प्रति 100 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र पर प्राप्त किया गया है तथा इसे निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या - 4.2

हमीरपुर तहसील में न्याय पंचायतवार सड़कों का घनत्व

क्रम संख्या	न्याय पंचायतें	क्षेत्रफल वर्ग कि0मी0 में	सड़कों की लम्बाईकिमी0	प्रति100 वर्गकि0मी0 सड़क घनत्व
1.	मिश्रीपुर	53.39	08	15
2.	शेखूपुर	69.03	16	23
3.	कुसमरा	78.04	15	19
4.	कुरारा दे0	85.53	22	26
5.	बेरी	79.50	18	23
6.	पतारा	81.65	17	21
7.	छानी बु0	50.76	17	33
8.	पौथिया	55.02	12	22
9.	मवई जार	60.06	19	32
10.	इंगोहटा	73.78	13	18
11.	कलौलीतीर	39.08	05	13

HAMIRPUR TAHSIL
DENSITY OF ROAD
N
79°47'50''E
80°22'E
26°6'N
26°6'N
Y
A
M
U
N
A
R
I
V
E
R
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 KM.
INDEX
VERY LOW ROAD DENSITTY
LOW ROAD DENSITTY
MODERATE ROAD DENSITTY
HIGH ROAD DENSITTY
VERY HIGH ROAD DENSITTY
25°40'40''N
79°47'50''E
80°22'E
25°40'40''N

FIG- 4.2

12.	सुमेरपुर दे0	79.86	24	30
13.	पत्योरा	79.69	15	19
14.	टेढ़ा	87.18	12	14
15.	पंधरी	53.21	07	13
16.	मुण्डेरा	46.41	06	13
	तहसील	**1072.19**	**226**	**0.21**

1. अतिन्यून सड़क घनत्व वर्ग :-

अतिन्यून सड़क घनत्व के अन्तर्गत वे न्याय पंचायतें सम्मिलित हैं, जिनमें टीले और ऊबड़–खाबड़ क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र मुख्य रुप से नदियों और नालों के कटाव क्षेत्र हैं, जो एक कुशल सड़क संजाल के विकास में बाधा उपस्थित करते हैं। ये नदियां और नाले पुल रहित होने के कारण सड़क निर्माण में विशेष बाधा उपस्थित करते हैं। मिश्रीपुर, कलौलीतीर, टेढ़ा, पंधरी और मुण्डेरा न्याय पंचायतें इस वर्ग के अन्तर्गत हैं।

2. न्यून सड़क घनत्व वर्ग :-

इन न्याय पंचायतों में भी भूखण्ड का असमान एवं कटा–पिटा होना मुख्य कारण है। इसके अतिरिक्त ये न्याय पंचायतें दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं। इसलिए सड़कों का समुचित विकास इन क्षेत्रों में नहीं हो सका है। कुसमरा, इंगोहटा और पत्योरा न्याय पंचायतें इस घनत्व वर्ग के अन्तर्गत हैं।

3. सामान्य सड़क घनत्व वर्ग :-

इस वर्ग के अन्तर्गत वे न्याय पंचायतें सम्मिलित हैं, जो किसी न किसी पक्की सड़क की सेवा प्राप्त करती है। इन क्षेत्रों में लिंक रोड भी पाये जाते हैं, जिससे सड़क घनत्व अपेक्षाकृत उच्चतर है। इस वर्ग के अन्तर्गत शेखूपुर, बेरी, पतारा और पौथिया न्याय पंचायतें हैं।

4. उच्च सड़क घनत्व वर्ग :-

इस वर्ग के अन्तर्गत ऐसी न्याय पंचायतें सम्मिलित हैं, जो किसी महत्वपूर्ण राज्य अथवा जिला स्तरीय सड़क की सेवा प्राप्त करती है तथा लिंक रोड से भी सम्बद्ध है। कुरारा देहात और सुमेरपुर देहात इस वर्ग की न्याय पंचायतें हैं।

5. अति उच्च सड़क घनत्व वर्ग :-

इस वर्ग के अन्तर्गत वे क्षेत्र समिलित हैं, जो समतल है तथा सड़कों के निर्माण में विशेष बाधायें नहीं है। इन न्याय पंचायतों से राज्य एवं जनपद मार्ग निकालते हैं, जो अनेक दिशाओं को जाते हैं। ये वे सड़के हैं, जहाँ वर्ष भर निर्बाध रुप से परिवहन होता रहता है, छानी बुजुर्ग और मवई जार ऐसी ही न्याय पंचायतें हैं।

HAMIRPUR TAHSIL
PRESURE OF POPULATION ON ROADS
N
79°47'50"E
80°22'E
26°6'N
25°40'40"N
YAMUNA RIVER
BETWA RIVER
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 KM.
INDEX
BELOW 1000
1000 TO 1500
1500 TO 2000
ABOVE 2000

FIG-4.3

तालिका संख्या – 4.3

हमीरपुर तहसील में सड़क घनत्व – 2002

क्रम संख्या	सड़क घनत्व/100 वर्ग किमी0 क्षेत्र	घनत्व वर्ग
1	15 से कम	अतिन्यून
2	15 से 20	न्यून
3	20 से 25	सामान्य
4	25 से 30	उच्च
5	30 से अधिक	अतिउच्च

सड़कों पर जनसंख्या का दबाव (Pressure of Population on Roads) :-

हमीरपुर तहसील में प्रति कि0मी0 सड़क लम्बाई पर जनसंख्या का दाब ज्ञात किया गया है, जो न्यून (1086) हैं। इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में सड़के अपर्याप्त है। सर्वोच्च दबाव कलौलीतीर न्याय पंचायत में (2189) है। इसका मुख्य कारण सड़कों की कमी है। सड़क घनत्व और जनसंख्या दबाव में प्रायः विलोम सम्बन्ध दिखाई देता है। कलौलीतीर न्याय पंचायत अतिन्यून सड़क घनत्व वर्ग में है। इसके पश्चात क्रमशः मिश्रीपुर, इंगोहटा, रंगोहटा, टेढ़ा, पन्धरी और मुण्डेरा न्याय पंचायतों का स्थान है। ये सभी न्याय पंचायतें उच्च जनसंख्या दबाव वर्ग के अन्तर्गत है। इसके पश्चात सामान्य जनसंख्या दबाव वर्ग है, जो 1000 से 1500 व्यक्ति प्रति किमी0 सड़क लम्बाई पर दबाव को प्रदर्शित करता है। कुसमरा, पौथिया और पत्योरा न्याय पंचायतें इस वर्ग के अन्तर्गत हैं।

न्यून दबाव के क्षेत्र मुख्य रुप से वे हैं, जहां सड़को का निर्माण हुआ है तथा सड़क घनत्व उच्च है। शेखूपुर, कुरारा देहात, बेरी, पतारा, छानी बुजुर्ग, मवईजार और सुमेरपुर देहात न्याय पंचायतें इस वर्ग के अन्तर्गत हैं। ये न्याय पंचायतें लिंक रोड या स्थानीय मार्ग द्वारा मुख्य सड़कों से सम्बद्ध हैं तथा सभी ऋतुयें परिवहन योग्य हैं। (मानचित्र संख्या – 4.3)

तालिका संख्या – 4.4

हमीरपुर तहसील में न्याय पंचायतवार सड़कों पर जनसंख्या का दवाब

क्रम संख्या	न्याय पंचायतें	क्षेत्रफल वर्ग किमी0 में	सड़कों की लं0 किमी0 में	कुल जनसंख्या	सड़कों पर जनसंख्या का घनत्व
1	मिश्रीपुर	53.39	08	12782	1598
2	शेखूपुर	69.03	16	15923	995
3	कुसमरा	78.04	15	19436	1296
4	कुरारा दे0	85.53	22	14574	663

5	बेरी	79.50	18	11684	649
6	पतारा	81.65	17	16174	951
7	छानी बु0	50.76	17	13510	795
8	पौथिया	55.02	12	14248	1187
9	मवई जार	60.06	19	13917	733
10	इंगोहटा	73.78	13	21041	1619
11	कलौलीतीर	39.08	05	10944	2189
12	सुमेरपुर दे0	79.86	24	18228	760
13	पत्योरा	79.69	15	16951	1130
14	टेढ़ा	87.18	12	20493	1708
15	पंधरी	53.21	07	13528	1933
16	मुण्डेरा	46.41	06	11955	1993
	तहसील	**1,072.19**	**2,26**	**2,45,388**	**1,086**

गम्यता (Accessibility) :-

"गम्यता का अर्थ है अपेक्षाकृत घर्षण रहित सम्पर्क की सरलता अर्थात समय और ऊर्जा की कम बर्बादी।"[4]

यह किसी भी प्रदेश में सामाजिक– आर्थिक विकास और परिवहन की प्रभावशीलता का सूचक होता है। यह किसी भी विस्तार शील अर्थ–व्यवस्था का एक आवश्यक कारक है, जो मानव की भौतिक प्रगति में पर्याप्त मदद करता है।[5] गम्यता एक सापेक्ष शब्द है। हमीरपुर तहसील में सड़क से 8 किमी0 दूर के क्षेत्र सम्पर्क की सुविधा को देखते हुए अगम्य माने गये हैं। हमीरपुर तहसील में 4, 8, 12 और 16 के 'आइसोड्रोम्स' खींचे गये हैं, जो गम्यता की मात्रा को व्यक्त करते हैं। सड़क से 8किमी0 की दूरी के क्षेत्र गम्य माने गये हैं। यद्यपि परिवहन के वैकल्पिक साधन तथा तय की जाने वाली दूरी जैसे कारक इसे प्रभावित कर सकते हैं। गम्यता मानचित्र से स्पष्ट है कि मिश्रीपुर, शेखूपुर, बेरी तथा मुण्डेरा न्याय पंचायतों के कुछ क्षेत्र अगम्य हैं। मिश्रीपुर न्याय पंचायत 12किमी0 से अधिक दूर होने के कारण सर्वाधिक अगम्य है। अगम्य क्षेत्र मुख्य रुप से नदियों अथवा नालों के किनारे अथवा ऊबड़–खाबड़ क्षेत्रों में स्थित है।

निम्न लिखित तालिका हमीरपुर तहसील की न्याय पंचायतों में भौतिक गम्यता की स्थिति अभिव्यक्त करती है–

HAMIRPUR TAHSIL
COMPOSITE PHYSICAL ACCESSIBILITY
79°47`50``E
80°22`E
26°6`N
25°40`40``N
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 KM.
MISRIPUR
SHEKHUPUR
KURARA
TO ORAI - KALAPI
KUSMARA
KURARA RURAL
PATARA
KALAULI TEER
TO KANPUR
PATYORA
PAUTHIYA
SUMERPUR RURAL
TENDHA
TO BANDA
SUMERPUR
PANDHARI
MAVAI JAR
CHHANI
TO RATH
TO MAHOBA
MUNDERA
INDEX
ACCESSIBILITY IN K.M.
4
8
12
16

FIG- 4.4

तालिका संख्या- 4.5

हमीरपुर तहसील में भौतिक गम्यता

क्र0 सं0	न्याय पंचायतें	क्षेत्रफल वर्ग किमी0 में	4 किमी0 से कम		4 से 8 किमी0		8 से 12 किमी0		12 से 16किमी0		16 किमी0 से अधिक	
			क्षेत्र	%	क्षेत्र	%	क्षेत्र	%	क्षेत्र	%	क्षेत्र	%
1	मिश्रीपुर	53.39	10.00	—	17.14	—	13.81	—	12.44	—	—	—
2	शेखूपुर	69.03	10.21	1.57	39.94	12.37	18.88	22.44	—	—	—	—
3	कुसमरा	78.04	66.54	10.21	11.50	3.56	—	—	—	—	—	—
4	कुरारा दे0	85.53	83.18	12.76	2.35	0.73	--	—	—	—	—	—
5	बेरी	79.50	1.68	0.25	48.30	14.97	29.52	35.08	—	—	—	—
6	पतारा	81.65	30.63	4.69	47.88	14.84	3.14	3.73	—	—	—	—
7	छानी बु0	50.76	49.28	7.56	1.48	0.46	—	—	—	—	—	—
8	पौथिया	55.02	49.02	7.52	6.00	1.86	—	—	—	—	—	—
9	मवईजार	60.06	20.05	3.07	40.01	12.39	—	—	—	—	—	—
10	इगोहटा	73.78	64.25	9.85	9.53	2.95	—	—	—	—	—	—
11	कलौलीतीर	39.08	39.08	5.99	—	—	—	—	—	—	—	—
12	सुमेरपुर दे0	79.86	79.86	12.25	—	—	—	—	—	—	—	—
13	पत्योरा	79.69	28.21	4.32	51.48	15.95	—	—	—	—	—	—
14	टेंढ़ा	87.18	77.62	11.90	9.56	2.96	—	—	—	—	—	—
15	पन्धरी	53.21	38.96	5.97	14.25	4.42	—	—	—	—	—	—
16	मुण्डेरा	46.41	3.25	0.49	23.25	7.21	18.78	22.32	1.13	8.33	—	—
	तहसील	**1072.19**	**651.82**	**60.79**	**322.67**	**30.09**	**84.13**	**7.84**	**13.57**	**1.26**	—	—

तालिका के प्रेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि वे न्याय पंचायतें, जिनमें असमतल धरातल, कटा–पिटा भूखण्ड, वन अथवा नदी के किनारे स्थिति को प्रदर्शित करती हैं, वे न्यून सड़क घनत्व एवं गम्यता को व्यक्त करती हैं, किन्तु महत्वपूर्ण राज्य एवं जनपदस्तरीय सड़कों से, सेवित न्याय पंचायतें उच्च गम्यता एवं न्यून जनसंख्या दबावों को अभिव्यक्त करती है।

HAMIRPUR TAHSIL
TRAFFIC FLOW
N
79°47'50"E
80°22'E
26°6'N
25°40'40"N
YAMUNA RIVER
BETWA RIVER
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 KM.
FREQUENCY OF VEHICLES
TO ORAI
TO KANPUR
TO RATH
TO BANDA
TO MAHOBA

FIG- 4.5

परिवहन प्रवाह (Traffic Flow) :-

अध्ययन क्षेत्र में मुख्य शिरायें एवं धमनियां, जिनसे स्थानीय परिवहन प्रवाहित होता है। हमीरपुर– सुमेरपुर–इंगोहटा मार्ग, हमीरपुर–राठ मार्ग, हमीरपुर–कुरारा मार्ग तथा सुमेरपुर–टेढ़ा मार्ग हैं। चौबीस घण्टों में परिवहन साधनों की कुल संख्या को देखते हुये प्रति घण्टा परिवहन प्रवाह की दर 236.16 प्राप्त होती है। सर्वेक्षण के दौरान यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि हमीरपुर–सुमेरपुर–इंगोहटा मार्ग सभी मार्गों में व्यस्ततम् है, जबकि छानी–इंगोहटा मार्ग न्यूनतम् प्रवाह दर को व्यक्त करती है। व्यस्ततम् मार्ग की प्रवाह दर 96.87 वाहन प्रति घण्टा तथा न्यूनतम प्रवाह वाले मार्ग छानी–इंगोहटा मार्ग की परिवहन प्रवाह दर 3.75 वाहन प्रति घण्टा है। अन्य मार्गों जैसे हमीरपुर–राठ मार्ग (75.33), हमीरपुर–कुरारा मार्ग (44.08) तथा सुमेरपुर–टेढ़ा मार्ग (16.12) अपेक्षाकृत उच्च मध्यम प्रवाह दर को प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न मार्गों पर वाहनों के प्रकार के आधार पर 24 घण्टे के सर्वेक्षण के आधार पर प्रवाह निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका संख्या -4.6

हमीरपुर तहसील में 'ट्रैफिक फ्लो'

समय एवं अन्तराल	वाहनों की संख्या					
	हमीरपुर–कुरारा मार्ग	हमीरपुर–राठ मार्ग	हमीरपुर–सुमेरपुर इंगोंहटा मार्ग	हमीरपुर–सुमेरपुर टेढ़ा–बाँदा मार्ग	छानी–इंगोहटा मार्ग	योग
12-03A.M.	36	45	64	—	—	145
03-06A.M.	39	84	87	65	09	284
06-09A.M.	145	504	566	60	15	1290
09-12A.M.	240	365	484	92	24	1205
12-03P.M.	210	285	390	71	18	974
03-06P.M.	215	265	324	84	17	905
06-09P.M.	135	195	295	13	07	645
09-12P.M.	138	65	115	02	—	220
योग	1058	1808	2325	387	90	5668

स्रोत– 30 मार्च 2006 को किए गए व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

TRAFFIC FLOW
HAMIRPUR-KURARA ROAD (A)
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
NUMBER OF VEHICLES
12 A.M.
03
06
09
12 P.M.
03
06
09
12
TIME INTERVAL

FIG- 4.6

HAMIRPUR-RATH ROAD (B)
520
480
440
400
360
320
280
240
200
160
120
80
40
NUMBER OF VEHICLES
12 A.M.
03
06
09
12 P.M.
03
06
09
12
TIME INTERVAL

FIG-4.7

HAMIRPUR-SUMERPUR-INGOHTA ROAD (C)
NUMBER OF VEHICLES
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
12 A.M.
03
06
09
12 P.M.
03
06
09
12
TIME INTERVAL

FIG- 4.8

HAMIRPUR-SUMERPUR-TENDHA- BANDA ROAD (D)
NUMBER OF VEHICLES
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
12 A.M.
03
06
09
12 P.M.
03
06
09
12
TIME INTERVAL

FIG-4.9

रेल परिवहन प्रवाह (Rail Traffic Flow) :-

सड़क परिवहन के अतिरिक्त हमीरपुर तहसील में बांदा–कानपुर सेक्शन से रेल परिवहन भी होता है। रेल परिवहन माल की ढुलाई एवं यात्रियों के आवागमन के लिए प्रयुक्त होता है। हमीरपुर तहसील में यमुना साउथ बैंक और इंगोहटा रेलवे स्टेशनों के मध्य रेल परिवहन की सुविधा प्राप्त है। इन स्टेशनों के मध्य 24 घंटों में तीन सवारी गाड़ियां आती हैं, और तीन जाती हैं। सोमवार और बुधवार को यात्री गाड़ी के आने और जाने से संख्या में वृद्धि हो जाती है।

माल ढुलाई के लिए माल गाड़ियां प्रयुक्त होती हैं। निम्न तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आम तौर पर पांच से नौ माल गाड़ियां आती–जाती हैं। 29 मार्च, 2006 को किए गए सर्वेक्षण के आधार पर 5 गाड़ियां इस रेल मार्ग से बांदा की ओर गईं और 9 मालगाड़ियां कानपुर की ओर गईं। निम्नलिखित तालिका रेलगाड़ियों के प्रवाह को व्यक्त करती हैं।

तालिका संख्या- 4.7

हमीरपुर तहसील में रेल परिवहन प्रवाह

समय एवं अन्तराल	मालगाड़ियों की संख्या		सवारी गाड़ियों की संख्या	
	बांदा की ओर जाने वाली गाड़ी	कानपुर की ओर जाने वाली गाड़ी	कानपुर की ओर जाने वाली गाड़ी	बांदा की ओर जाने वाली गाड़ी
12–30A.M.	1	2	–	–
03–6 A.M.	1	–	1 (चित्रकूट एक्स0)	–
06–9 A.M.	1	2	1 (पैसेंजर)	–
09–12A.M.	–	1	–	1 (पैसेंजर)
12–3 P.M.	–	–	–	–
03–6 P.M.	1	1	–	–
06–9 P.M.	–	1	1 (पैसेंजर)	1 (पैसेंजर)
09–12P.M.	1	2	–	1 (चित्रकूट एक्स0)
योग	5	9	3	5

स्रोत– 29 मार्च, 06 को किए गए व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

परिवहन संजाल के विविध पक्षों के उपरोक्त अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आते हैं–

1. परिवहन संजाल का विकास प्रत्यक्ष रूप से हमीरपुर तहसील की धरातलीय दशाओं से सम्बन्धित है। नदियों के निकटवर्ती क्षेत्रों विशेष रूप से मिश्रीपुर, शेखूपुर, पत्योरा जो कि यमुना के किनारे असमान धरातल व्यक्त करती है तथा पौथिया और कलौलीतीर जो बेतवा के कटे–पिटे क्षेत्रों वाली न्याय पंचायतें हैं। अपेक्षाकृत सड़कों के निर्माण में बाधा उपस्थित करती हैं।

2. हमीरपुर तहसील का लगभग 9.10 प्रतिशत क्षेत्र सड़क से 8 किमी0 से अधिक दूरी पर है, जो अगम्य है और सड़कों के अभाव एवं अपर्याप्त बस सेवा को व्यक्त करता है।
3. दूरस्थ क्षेत्रों में अन्तर्क्रिया के लिए संयोजक मार्गों का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। साथ ही वर्तमान सड़कों के पुनर्निमाण की आवश्यकता है।

(ब) विद्युतीकरण (Electrification) :-

ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण एक आधारभूत परिसंरचनात्मक सुविधा है, जिसके उपलब्ध होने पर गांवों के कृषि औद्योगिक विकास में वृद्धि की जा सकती है। हमीरपुर तहसील में अपर्याप्त सिंचन सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रो में एक अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण मांग है। विद्युतीकरण का विश्लेषण यदि वर्तमान संक्षिप्त सर्वेक्षण शक्ति का उपभोग, विद्युत आपूर्ति की अवस्था भविष्य में विद्युतीकरण कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर किया जाए तो अधिक उपयुक्त होगा।

विद्युत आपूर्ति (Electric Supply) :-

हमीरपुर तहसील के कुल 146 आबाद ग्रामों में से 129 ग्राम, जिनके अन्तर्गत 121 हरिजन बस्तियां भी सम्मिलित हैं, विद्युतीकृत हैं। विकास खण्ड के अनुसार कुरारा विकास खण्ड के 62 गांव में से 50 विद्युतीकृत हैं तथा 48 हरिजन बस्तियां हैं। इसी प्रकार से सुमेरपुर विकास खण्ड के 84 गांवों में से 79 विद्युतीकृत हैं, जिनमें 73 हरिजन बस्तियां विद्युतीकृत की गई हैं।

हमीरपुर तहसील में तृतीय पंचवर्षीय योजना के पूर्व हमीरपुर तथा सुमेरपुर में डीजल से पम्प चलाकर बिजली प्रदान की जाती थी। सर्वप्रथम तृतीय योजना काल में माताटीला विद्युत गृह तथा पनकी ताप विद्युत गृह से हमीरपुर नगर को 66केवी0 की लाइन से जोड़ा गया। इसके पश्चात चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1972–73 में हमीरपुर से उरई को 33केवी लाइन से जोड़ा गया साथ ही सुमेरपुर में 33केवी0 का उपस्टेशन 1973–74 में बनाया गया और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अधिकांश न्याय पंचायत मुख्यालयों को विद्युतीकृत करने का प्रयास किया गया। इस समय तक मिश्रीपुर, शेखूपुर, कुसमरा, कुरारा दे0, बेरी पतारा, छानी बुजुर्ग, पौथिया, मवईजार, इंगोहटा, कलौलीतीर, सुमेरपुर दे0, पत्योरा, टेढ़ा, पन्धरी, मुण्डेरा आदि गांवों को विद्युतीकरण किया गया, तब से ग्रामीण विद्युतीकृत का काम जारी है तथा प्रत्येक वर्ष गांवों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकृत किया जा रहा है।

सन् 1981 तक कुरारा विकास खण्ड में 33 तथा सुमेरपुर विकास खण्ड में 49 गांवों को विद्युतीकृत किया जा चुका था। वर्ष 2000–2001 के अन्त तक कुरारा विकास खण्ड के 50 तथा 48 हरिजन बस्तियां तथा सुमेरपुर विकास खण्ड के 79 ग्राम और 73 हरिजन बस्तियां विद्युतीकृत

की जा चुकी थीं। वर्तमान में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकृत योजना के अन्तर्गत कुरारा विकास खण्ड में चन्दूपुर डांडा, इन्द्रपुरा, बिन्दपुरी, जमरेहीतीर डांडा, बण्डा, परसनी, ममरेजपुर डांडा में 2005–06 में इन गांवों में गरीबी रेखा से नीचे 1537 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया तथा 293 परिवारों को कनेक्शन दिए गए। हमीरपुर तहसील में विभिन्न प्रखण्डों में विद्युत कनेक्शानों की संख्या 3947 है। प्रखण्ड अनुसार कनेक्शनों की संख्या 2815 घरेलू, 367 कृषि क्षेत्र में, 285 औद्योगिक क्षेत्र में और 480 बहुउद्देशीय क्षेत्र में हैं। इन प्रखण्डों में विद्युत शक्ति का उपभोग क्रमशः 5448 किलोवाट घरेलू, 1107 किलोवाट गैर घरेलू, 26 किलोवाट मार्ग प्रकाश और 7060 किलोवाट सिंचाई तथा 11493 किलोवाट उद्योगों में है। विकास खण्ड अनुसार विद्युत कनेक्शनों की संख्या कुरारा एवं सुमेरपुर विकास खण्डों में 1232 और 2715 हैं।

तालिका संख्या - 4.8

हमीरपुर तहसील में न्याय पंचायतों के अन्तर्गत विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या

क्र0सं0	न्याय पंचायतें	आबाद ग्रामों की संख्या	विद्युतीकरण ग्रामों की संख्या
1	मिश्रीपुर	11	08
2	शेखूपुर	12	10
3	कुसमरा	11	08
4	कुरारा दे0	11	10
5	बेरी	11	09
6	पतारा	06	05
7	छानी बुजुर्ग	08	08
8	पौथिया	09	09
9	मवईजार	08	08
10	इंगोहटा	06	06
11	कलौलीतीर	09	08
12	सुमेरपुर दे0	16	15
13	पत्योरा	07	06
14	टेढ़ा	08	08
15	पन्धरी	06	06
16	मुण्डेरा	07	05
योग	16	146	129

न्याय पंचायतानुसार विद्युतीकृत ग्रामों का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि सुमेरपुर दे0 में सर्वाधिक 15 ग्राम विद्युतीकृत हैं। इसके पश्चात शेखूपुर और कुरारा दे0 (प्रत्येक में 10

HAMIRPUR TAHSIL
TRANSMISSION LINES & ELECTRIFIED VILLAGES
N
79°47'50''E
80°22'E
26°6'N
25°40'40''N
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 KM.
YAMUNA RIVER
BETWA RIVER
KURARA
HAMIRPUR
PAUTHIYA
SUMERPUR
INGOHTA
INDEX
132 K. V.
33 K. V.
11 K. V.
ELECTRIFIED VILLAGES
132 K. V. LINE PROPOSED

FIG- 4.10

ग्राम), बेरी तथा पौथिया (प्रत्येक में 09 ग्राम), मिश्रीपुर, कुसमरा, छानी बुजुर्ग, मवईजार, कलौलीतीर और टेढ़ा (प्रत्येक में 08 ग्राम) विद्युतीकृत हैं। इसके पश्चात इंगोहटा, पत्योरा एवं पन्धरी (प्रत्येक में 06 ग्राम), पतारा एवं मुण्डेरा न्याय पंचायतों में 05–05 ग्राम विद्युतीकृत हैं।

अध्ययन क्षेत्र में शक्ति की बहुमुखी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए विभिन्न सघनता की विद्युत लाइनें, विभिन्न भागों में फैलाई गई हैं। सुमेरपुर और हमीरपुर के मध्य 132केवी की विद्युत लाइन तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनाई गईं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस लाइन को कुरारा तक बढ़ा दिया गया। सुमेरपुर और पौथिया के मध्य, पौथिया–मवईजार–छानी के मध्य, सुमेरपुर से इंगोहटा के मध्य, सुमेरपुर एवं मुण्डेरा के मध्य 33केवी की लाइनों से जोड़ा गया है। अनेक न्याय पंचायतों में घरेलू तथा सिंचाई की आवश्यकता पूर्ति के लिए 11केवी की विद्युत लाइनें फैलाई गई हैं। सुमेरपुर में 132केवी का सबस्टेशन है, हमीरपुर और कुरारा में 33केवी के सबस्टेशन बनाए गए हैं। 40एमवीए एवं 20एमवीए के ट्रांसफार्मर क्रमशः कुरारा एवं हमीरपुर नगरों में लगाए गए हैं। पौथिया, छानी बुजुर्ग, इंगोहटा, टेढ़ा, पंधरी, बेरी, पतारा डांडा, मुण्डेरा न्याय पंचायतों में 11 केवी के ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं।

हमीरपुर तहसील में तेल मिल, आटा मिल, दाल मिल, फर्नीचर उद्योग, कागज निर्माण, चर्म उद्योग, हड्डी चूरा उद्योग चल रहे हैं तथा भविष्य में इनकी नई इकाइयों के लगने की सम्भावनायें हैं। इन इकाइयों में क्षमता के अनुसार विद्युत की भिन्न–भिन्न आवश्यकता होती है, जो निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित की गई है।

तालिका संख्या - 4.9

विभिन्न उद्योगों के लिए विद्युत शक्ति आवश्यकता का अनुमान

क्र0सं0	उद्योग	क्षमता	विद्युत आवश्यकता
1	चावल मिल	दो टन प्रतिदिन	7.46
2	तेल मिल	दो टन प्रतिदिन	7.46
3	आटा मिल	एक टन प्रतिदिन	3.73
4	लकड़ी आधारित उद्योग	20 कर्मकार	20.00
5	लकड़ी के विद्युत एवं वैज्ञानिक उपकरण	40 कर्मकार	40.00
6	अखबार पेपर मिल	20 टन प्रतिदिन	1000.00
7	चमड़ा उद्योग	एक टन प्रतिदिन	50.00
8	हड्डी चूरा उद्योग	एक टन प्रतिदिन	10.00

स्रोत– उक्त आंकड़े 'टेक्नोइकोनोमिक सर्वे रिपोर्ट्स' पर आधारित हैं।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि चावल मिल को उचित ढंग से चलाने के लिए 7.46 किलोवाट विद्युत प्रतिदिन चाहिए। इसी प्रकार से आटा मिल के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 3.75 किलोवाट बिजली चाहिए।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि हमीरपुर तहसील में विद्युतीकरण की दशा अत्यन्त असन्तोषजनक है। इस तकनीकी विकास के युग में विद्युत एक आवश्यक आवश्यकता है। यह वांछनीय है कि सन् 2010 तक तहसील का प्रत्येक गांव विद्युतीकृत कर दिया जाए तथा ऐसी न्याय पंचायतों को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की जाए जहां के अधिकांश गांव विद्युतीकृत नहीं है। विद्युतीकरण हमीरपुर तहसील के समन्वित क्षेत्रीय विकास के लिए तथा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रखण्डों के समन्वयन के लिए विद्युतीकरण अनिवार्य आवश्यकता है।

(स) शैक्षिक सुविधाएं (Educational Facilities) :-

हमीरपुर तहसील में शिक्षा का इतिहास बहुत प्राचीन है। वेद काल से ही आश्रमों में शिक्षा का कार्य किया जाता था, जो मुख्य रूप से धार्मिक शिक्षा होती थी, इन्हें गुरुकुल कहा जाता था। इन गुरुकुलों में संस्कृत, व्याकरण, खगोल शास्त्र और गणित की शिक्षा दी जाती थी। मुस्लिम साम्राज्य स्थापित होने पर इस तहसील में मकतब या मदरसे भी स्थापित हुए। ये मुख्य रूप से मस्जिदों से सम्बद्ध होते थे तथा इस्लाम धर्म की शिक्षा देते थे।

सर्वप्रथम 1855ई. में सुमेरपुर और हमीरपुर में एक–एक स्कूल खोला गया।[6] तत्पश्चात 1861 तक कुछ गांवों में भी प्राथमिक स्कूल स्थापित किए गए। 1862 में हमीरपुर में एक अंग्रेजी भाषा का स्कूल तथा सरकारी मिडिल स्कूल खोला गया। महिलाओं की शिक्षा के लिए 1864 में कुछ स्कूल खोले गए। 1867 में हमीरपुर के अंग्रेजी स्कूल को जिला स्कूल बना दिया गया।

बीसवीं सदी में स्कूलों और छात्रों की संख्या बढ़ती गई। स्वतंत्रता प्राप्ति तक हमीरपुर तहसील में कोई भी इण्टरमीडिएट एवं डिग्री कालेज नहीं था। केवल हमीरपुर में हाईस्कूल तक शिक्षा बालक–बालिकाओं को संयुक्त रूप से दी जाती थी सन् 1974 तक बालिकाओं के लिए प्रत्येक तहसील में अलग से हाईस्कूल स्थापित किए गए।

वर्ष 1981 में हमीरपुर तहसील के 192 (146 आबाद, 46 गैर आबाद) में से 138 गांवों में प्राइमरी स्कूल 35 में मिडिल स्कूल, 11 में हाईस्कूल थे। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों का अलग–अलग विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि सुमेरपुर विकास खण्ड में 84 गांवों में से 67 में प्राइमरी और 21 में मिडिल स्कूल थे। इसी प्रकार से कुरारा विकास खण्ड में 62 ग्राम हैं, जिनमें से 50 में प्राइमरी, 7 में मिड़िल और 2 में हाईस्कूल थे। नगरीय क्षेत्रों में सुमेरपुर नगर पालिका परिषद में 4 प्राइमरी, 4 जूनियर हाईस्कूल, 4 हाईस्कूल, एक इण्टरमीडिएट कालेज थे। कुरारा नगर पंचायत क्षेत्र में 2 प्राइमरी, एक जूनियर हाईस्कूल तथा एक हाईस्कूल थे। इस प्रकार से स्कूलों का विकास खण्डवार वितरण ज्ञात करने से स्पष्ट होता है कि सुमेरपुर विकास खण्ड में 71 प्राइमरी, 14 जूनियर हाईस्कूल, 11 हाईस्कूल, 2 इण्टरमीडिएट स्कूल तथा कुरारा विकास खण्ड में 67 प्राइमरी स्कूल, 10 मिडिल स्कूल, 7 हाईस्कूल तथा एक इण्टरमीडिएट स्कूल थे।

वर्ष 2001 तक अध्ययन क्षेत्र में शिक्षण सुविधाओं का पर्याप्त विकास हुआ, किन्तु अभी

शिक्षण संस्थाएं प्रत्येक छात्र की पहुंच में नहीं है। अतः अभी प्राइमरी स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जानी है। किसी भी छात्र को प्राइमरी स्कूल पहुंचने के लिए एक किमी0 से अधिक की दूरी न तय करनी पड़े। निम्नलिखित तालिका वर्तमान शैक्षिक सुविधाओं की स्थिति को स्पष्ट करती है।

तालिका संख्या - 4.10

हमीरपुर तहसील में स्थापित शैक्षिक सुविधाएं वर्ष – 2001

क्र0सं0	स्तर	कक्षायें	आयु वर्ग	स्कूल/कालेजों की संख्या	पंजीकृत छात्र
1	प्राथमिक	i-v	6–10	347	43483
2	जूनियर हाईस्कूल	vi-viii	11–13	99	10966
3	हाईस्कूल	vi-x	11–15	19	2702
4	इण्टरमीडिएट	vi-xii	11–17		
5	पोस्ट ग्रेजुएट कालेज	बीए,एमए, एमएससी, बीएड,एमएड	17 से अधिक	02	3442
6	प्रशिक्षण संस्थायें	बीटीसी, एसबीटीसी	18 से अधिक	01	25
	योग			468	60618

स्रोत– डी0आई0ओ0एस0 ऑफिस, हमीरपुर।

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक स्कूलों की स्थिति अधिक असन्तोषजनक नहीं है, तथापि उनकी संख्या और दशा में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। प्राइमरी स्कूलों की तुलना में जूनियर हाईस्कूलों की स्थिति अधिक खराब है। इनमें प्राइमरी स्कूलों की तुलना में कम छात्र पंजीकृत होते हैं तथा स्कूल छोड़ने की दर भी अधिक है। हाईस्कूल में छात्रों की संख्या देखने से स्पष्ट होता है कि प्रति इकाई हाईस्कूल, प्राइमरी और जूनियर की अपेक्षा अधिक संख्या में छात्रों को पंजीकृत करते हैं। प्रति इकाई औसत छात्र संख्या प्राइमरी में 125–3, जूनियर हाईस्कूल में 110.7, इण्टरमीडिएट में 142.2 है, जो इण्टरमीडिएट स्कूल में अधिक छात्र सकेन्द्रण को व्यक्त करता है। यह उच्च संकेन्द्रण इनकी अपर्याप्त संख्या का सूचक है। तालिका संख्या– 4.10 से यह भी स्पष्ट होता है कि छात्रों का पंजीकरण प्राइमरी से जूनियर अथवा हाईस्कूल में क्रमशः घटता जाता है तथा यह प्रक्रिया इण्टरमीडिएट स्तर तक सतत रहती है। यह इस तथ्य का सूचक है कि भारी संख्या में छात्र प्राइमरी के पश्चात स्कूल छोड़ देते हैं। इसके अनेक कारण हैं, जैसे–

1. स्कूलों की कमी।
2. परिवार का निम्न आर्थिक आधार।
3. जागरूकता की कमी।
4. मजदूरी आदि से अर्थार्जन की ओर रुझान।

तालिका संख्या - 4.11

हमीरपुर तहसील में स्थित स्कूलों में शिक्षक–छात्र अनुपात

क्र0 सं0	स्तर	औसत कक्षा–वाइज	प्रति इकाई सेवित जनसंख्या	प्रति स्कूल में शिक्षकों की संख्या	प्रति कक्षा में शिक्षकों की संख्या	कुल शिक्षक
1	प्राइमरी	25.06	707	2.6	0.52	893
2	जू0हाईस्कूल	36.93	2478	3.8	1.26	383
3	हाईस्कूल	35.55	12915	2.5	0.63	49
4	इण्टरमीडिएट					
5	पी0जी0 कालेज	430.25	122694	19.5	2.45	39
6	प्रशिक्षण संस्थान	25.00	245388	6.0	6.00	06

स्रोत– जिला विद्यालय निरीक्षक हमीरपुर के कार्यालय से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर।

अध्ययन क्षेत्र में उपलब्ध शिक्षा की गुणवत्ता ज्ञात करने के लिए शिक्षक छात्र अनुपात का उपयोग किया गया है। प्राइमरी स्तर पर एक कक्षा के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों की संख्या ज्ञात की गई है। तालिका संख्या– 4.11 से ज्ञात होता है कि प्रति स्कूल शिक्षकों की औसत संख्या 2.6 है, जबकि इसे 5 शिक्षक प्रति स्कूल होना चाहिए। इस प्रकार से अध्ययन क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों में 48% शिक्षकों की कमी है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। विश्व बैंक मानदण्डों के आधार पर प्रत्येक 40 छात्र पर इस स्तर पर एक शिक्षक होना चाहिए।

तालिका संख्या– 4.11 का प्रेक्षण करने से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न स्तर की संस्थाओं की संख्या अपर्याप्त है। यहां उपयुक्त अवस्थानों में और अधिक संस्थाओं को स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त स्कूलों का आकार स्थान एवं शिक्षकों की दृष्टि से बढ़ाया जाना चाहिए। यह देखा गया है कि नगरीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल किराये के भवनों में चलाए जा रहे हैं। अनेक स्कूलों के पास किसी प्रकार का भी भवन नहीं है।

स्कूल भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य :-

प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूल स्तर के भवनों के रखरखाव एवं नवीन भवनों के निर्माण के लिए आर्थिक अनुदानों की आवश्यकता होती है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उ0प्र0

सरकार प्रतिवर्ष प्रति प्राथमिक स्कूल 4000 रुपए तथा प्रति जूनियर हाईस्कूल 6000 रुपए का अनुदान प्रदान करती है, जिससे स्कूल भवन का रखरखाव एवं मरम्मत कार्य किया जाता है। नवीन भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार 191000 रुपए प्राथमिक स्कूल के लिए तथा 417000 रुपए जूनियर हाईस्कूल के लिए अनुदान प्रदान करती है।

शैक्षिक विकास की योजनायें :-

शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए उ0प्र0 सरकार ने अनेक योजनायें प्रारम्भ की हैं, जो निम्नलिखित है–

1. मिड–डे मील योजना।
2. सभी वर्ग के लिए 6–14 वय वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा।
3. सभी वर्ग के छात्रों के लिए मुफ्त पुस्तकें।
4. सभी वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति।
5. सभी वर्ग की छात्राओं के लिए निःशुल्क ड्रेस।
6. छात्राओं के उच्च शिक्षा के लिए कन्या विद्याधन योजना जिसके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले माता–पिता की लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए प्रति छात्रा 20,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
7. स्नातक कक्षाओं तक सभी वर्ग की छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम।

शैक्षिक विकास की योजना (Plan for Educational Development) :-

भविष्य में जनसंख्या वृद्धि दर को यदि स्थिर मान लिया जाए तो आगामी दशक तक अध्ययन क्षेत्र में न्यूनतम 20% अतिरिक्त स्कूलों एवं शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाए। निम्नलिखित तालिका 2011 तक अनुमानित स्कूलों, छात्रों एवं शिक्षकों की संख्या का अनुमान प्रदान करती है–

तालिका संख्या– 4.12

हमीरपुर तहसील में सन् 2011 तक अनुमानित स्कूलों, छात्रों एवं शिक्षकों की संख्या

क्र0सं0	स्तर	कक्षायें	स्कूल / कालेजों की संख्या	पंजीकृत छात्र	शिक्षकों की संख्या
1	प्राथमिक	i-v	416	52179	1071
2	जूनियर हाईस्कूल	vi-viii	119	13159	460
3	हाईस्कूल	vi-x	23	3242	59
4	इण्टरमीडिएट	vi-xii			

5.	पोस्ट ग्रेजुएट कालेज	बीए,एमए, एमएससी, बीएड,एमएड	04	4130	47
6	प्रशिक्षण संस्थान	बीटीसी, एसबीटीसी	01	30	7
	योग		563	72740	1644

स्कूलों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों के निरक्षरों एवं स्कूल छोड़ने वालों को शिक्षित करने के लिए अनौपचारिक एवं दूरस्थ शिक्षा की भी आवश्यकता है। प्रौढ़ शिक्षा एवं रात्रि पाठशालाओं को सभी ग्रामीण अंचलों में पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ क्रियान्वित किया जाना चाहिए। रेडियो और टेलीविजन की सहायता से दूरस्थ शिक्षा द्वारा जनसामान्य को शिक्षित किया जाना चाहिए।

(द) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधायें (Medical and Health Facilities) :-

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की अवस्था है। यह केवल बीमारी अथवा दुर्बलता का अभाव नहीं है। यह शरीर एवं मस्तिष्क के सन्तुलित सम्बन्ध को प्रदर्शित करता है तथा पर्यावरण से पूर्ण सामन्जस्य को अभिव्यक्त करता है।[7] एल0डी0 स्टॉम्प के अनुसार अच्छा स्वास्थ्य चाहे वह मानव का हो अथवा किसी जीवित प्राणी या पौधे का, अर्थ है कि– जटिल जीव जगत अपने पर्यावरण के साथ सही ढंग से तथा समरसता के साथ कार्य कर रहा है।[8] यही कारण है कि आज राष्ट्रीय विकास नियोजन का स्वास्थ्य नियोजन एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। स्वास्थ्य नियोजन पदार्थ शक्ति एवं संसाधनों के विवेकपूर्ण एवं आर्थिक उपयोग के लिए बहुत आवश्यक है। इस नियोजन का उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाना तथा जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को नियंत्रित करना है।

किसी भी देश की जनसंख्या का आकार स्पष्ट रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है कि जितनी अधिक जनसंख्या होगी, उतनी ही अधिक बीमारियां होने का खतरा रहेगा। यदि प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में जनसंख्या बहुत अधिक है, तो उसका जीवन स्तर निम्न होगा। यह ऐसी समस्याओं को जन्म देगी, जो शेष संसार के स्वास्थ्य एवं कल्याण को भी प्रभावित करेगा। जी0 मेल्वेन होवे (G. Melven, Hove) के अनुसार –"चीन, भारत, बांग्लादेश, इण्डानेशिया, भूमध्य सागरीय देश और वेस्टइंडीज की मुख्य भूमि में बढ़ती हुई गन्दी बस्तियां, व्यापक बेरोजगारी, निधनता बीमारी बहुत अधिक स्पष्ट है।"[9]

N
79°47'50''E
80°22'E
HAMIRPUR TAHSIL
EXISTING AND PROPOSED HEALTH CENTRES
26°6'N
26°6'N
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 KM.
INDEX
HOSPITAL
PRIMARY HEALTH CENTRE
DISPENSARY
FEMALE HOSPITAL
PROPOSED HOSPITAL
DISTRICT HEAD QUARTER
BLOCK HEAD QUARTER
25°40'40''N
79°47'50''E
80°22'E
25°40'40''N

FIG- 4.11

नवीं विज्ञान कांग्रेस बैंकाक को सम्बोधित करते हुए चिकित्सा पारिस्थितिकी का विधितंत्र विषय को सम्बोधित करते हुए डा0 जेक्वेस मे (Dr. Jaeques May) ने अपने भाषण के अन्तर्गत कहा– "किसके पास क्या है और कहां है, क्यों का प्रश्न इसके बाद आता है।"

चिकित्सा सुविधाओं में प्रगति :-

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व चिकित्सा मुख्य रूप से जंगली जड़ी–बूटियों एवं झाड़ फूंक पर निर्भर थी, किन्तु स्वातंत्रयोत्तर काल में चिकित्सा व्यवस्था में अभूतपूर्व प्रगति हुई। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में चिकित्सा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत चिकित्सा भवनों, अच्छे डाक्टर, चिकित्सा यंत्र तथा दवाइयों की व्यवस्था की गई। हमीरपुर तहसील में मुख्य रूप से चेचक, मलेरिया, फाइलेरिया, गैस्ट्रोटाइटिस की रोकथाम के लिए अच्छे प्रयास किए गए। सन् 1974 तक कुरारा, सुमेरपुर, हमीरपुर, पचखुरा, इंगोहटा और विदोखर में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालय स्थापित किए गए। हमीरपुर नगर में जिला अस्पताल, जिला महिला अस्पताल तथा जिला पुलिस अस्पताल बनवाए गए। कुरारा और सुमेरपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा पचखुरा, इंगोहटा, विदोखर, पौथिया में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय स्थापित किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में हमीरपुर तहसील के बेरी एवं छानी ग्रामों में एलोपैथिक चिकित्सालय स्थापित किए गए।

इसके अतिरिक्त हमीरपुर नगर में एक क्षय नियंत्रण केन्द्र तथा कुष्ठ नियंत्रण केन्द्र की स्थापना भी की गई। सन् 1974 के अन्त तक हमीरपुर के तीनों अस्पतालों में 157 शय्याओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 56 शय्याएं थीं। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में 12 शय्यायें थीं।

हमीरपुर तहसील में फैलने वाली बीमारियों में से चेचक एक व्यापक बीमारी थी, जो सैकड़ों की तादाद में विशेष रूप से बच्चों की जानें ले लेती थी। अतः चतुर्थ एवं पंचम पंचवर्षीय योजना काल में टीकाकरण का व्यापक कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से सामूहिक टीकाकरण एचं चेचक के रोगियों की खोज में विशेष बल दिया गया। परिणामस्वरूप 1974–75 तक हमीरपुर तहसील से चेचक का उन्मूलन सम्भव हो सका। यह कार्यक्रम पांचवीं और छठवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहा। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 987000 टीके तथा छठवीं पंचवर्षीय योजना में 80,000 टीके लगाए गए।

चेचक उन्मूलन के अतिरिक्त पंचवर्षीय योजनाकाल से ही परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम भी हाथ में लिया गया और तीन नगरीय परिवार नियोजन केन्द्र तथा 11 ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित किए गए।

छठवीं एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुसमरा, मोराकांदर पचखुरा तथा कुतुबपुर, झलोखर, कुरारा, कलौलीजार और मुण्डेरा।

वर्तमान समय में हमीरपुर तहसील में अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों औषधालयों, चिकित्सालयों, नर्सों तथा शैयाओं की स्थिति निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होती है।

तालिका संख्या- 4.13

हमीरपुर तहसील में अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों,
औषधालयों, चिकित्सालयों, नर्सों तथा शय्याओं का विवरण

क्र0 सं0	न्याय पंचायत केन्द्र	आयुर्वेदिक स्वा0केन्द्र	प्राथमिक स्वा0 केन्द्र	औषधालय		डाक्टरों की संख्या	शय्याओं की संख्या	नर्सों की संख्या
				आयुर्वेदिक	जिला परिषद			
1	शेखूपुर	–	1	–	–	1	–	–
2	बेरी	–	1	1	–	2	05	1
3	पतारा	–	1	–	–	1	–	–
4	छानी बु0	–	1	1	–	2	05	1
5	पौथिया	–	1	–	–	1	02	–
6	मवईजार	–	1	–	–	1	–	–
7	इंगोहटा	–	1	–	–	1	–	–
8	कलौलीतीर	–	1	–	–	1	–	–
9	टेढ़ा	–	1	–	–	1	–	–
10	मुण्डेरा	–	1	–	–	1	–	–
	योग ग्रामीण	–	10	02	–	12	12	2
	हमीरपुर न0पा0प0	02	05	02	2	11	146	04
	कुरारा न0पं0	01	01	–	1	03	10	01
	सुमेरपुर न0पं0	01	01	–	1	04	10	01
	तहसील योग	04	17	04	04	30	178	08

स्रोत– मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय– हमीरपुर

अध्ययन क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ :-

हमीरपुर तहसील में उत्पन्न होने वाली मुख्य बीमारियों को डाइसेन्ट्री, आन्त्र ज्वर, मलेरिया, टी0बी0, कुकुर खांसी, हैपेटाइटिस आदि वर्गों में रखा जा सकता है। हमीरपुर तहसील में इन बीमारियों के उत्पन्न होने का मुख्य कारण कुपोषण एवं प्रदूषित जल है, जो ग्रामीण समुदाय द्वारा प्रयोग किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय दशायें अस्वास्थ्यकर हैं, और स्वास्थ्य संकट के लिए उत्तरदायी हैं। जाइनोवर्म, इन्फ्लुएन्जा चिकेनगुनिया और मस्तिष्क ज्वर जैसी बीमारियां भी यहां उत्पन्न होती हैं।

उक्त बीमारियों के घातक प्रभाव को कम करने के लिए अध्ययन क्षेत्र में न्यूनतम आंवश्यकता कार्यक्रम की संस्तुतियों को कार्यान्वित करना होगा। यथा–

1. सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए सुविधायें प्रदान करना।
2. सभी को एक जैसी न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करना।
3. पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल प्रदान करना।
4. भूमिहीन श्रमिकों को मकान प्रदान करना।
5. सभी गांवों में सर्वऋत्विक लिंक सड़कों का निर्माण करना।
6. ग्रामीण पर्यावरण को सफाई और कृषकों की जीवन दशाओं में सुधार करना बहुत आवश्यक है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर जीवन के लिए अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए, जिससे वे प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हो सकें, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए–

1. हमीरपुर स्थित जिला अस्पताल में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करना।
2. प्रत्येक विकास खण्ड में न्यूनतम एक–एक स्थायी परिवार नियोजन केन्द्र, जो सभी सुविधाओं से सुसज्जित हो, स्थापित किया जाए।
3. प्रत्येक ग्रामसभा में कम से कम एक स्वास्थ्य निरीक्षक/डाक्टर नियुक्त किया जाए।
4. 1000 या उससे अधिक आबादी वाले ग्रामों में परिवार नियोजन युक्त स्वास्थ्य केन्द्र तथा राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित किया जाना चाहिए।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन के उपाय प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी में लाए जाएं।
6. परिवार नियोजन उपकेन्द्रों की संख्या में वृद्धि की जाए।

चित्र संख्या– 4.11 वर्तमान एवं प्रस्तावित अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मातृत्व केन्द्र, राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, परिवार नियोजन केन्द्र तथा उपकेन्द्र अध्ययन क्षेत्र में प्रदर्शित करता है। प्रत्येक न्याय पंचायत में कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा परिवार नियोजन केन्द्र प्रस्तावित किया गया है, जिससे ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा एवं परिवार नियोजन की सुविधायें सरलता से उपलब्ध हो सकें। कृषकों और कृषि श्रमिकों को अपनी आवासीय दशायें सुधारने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे उनके स्वास्थ्य का संरक्षण हो सके।

(य) संचार सुविधायें (Communicational Facilities) :-

डाक एवं तार सेवायें किसी भी अध्ययन क्षेत्र में संचार एवं सम्पर्क का अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन होती हैं। ये तीव्रतर संचार में सहायक होती हैं, जिससे ये विकास की दर को बढ़ाने में गत्यात्मक स्रोत बनती है।

डाक एवं तार विभाग सन् 1845 में निजी संचार के लिए खोला गया था। इस समय गांवों तथा अन्य स्थानों के पत्र जिला कलेक्टर के न्यायालय में नियुक्त नाजिर या डाक मुहर्रिर को तहसील एवं थानों में प्रेषित करने के लिए दिए जाते थे। ये पत्र चौकीदार, कांस्टेबिल अथवा राजस्व चपरासियों द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को वितरित किए जाते थे। यह प्रबन्ध असुविधाजनक और दुरुपयोग को जन्म देने वाला था। सन् 1864 में यह कार्य डाक विभाग ने अपने हाथ में लिया तथा पत्रों के वितरण की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नियमित डाकघर स्थापित किए, जो बाद में शाखा डाकघर में परिवर्तित कर दिए गए। 1906 में इन्हें शाही डाकघर बना दिया गया।

1908ई0 में हमीरपुर में डाक मुख्यालय खोला गया, इसके अन्तर्गत 17 शाखा कार्यालय तथा 7 उपकार्यालय थे। इनकी संख्या क्रमशः बढ़ती गई। 1975 तक हमीरपुर में मुख्य डाकघर से सम्बद्ध 21 उपडाक घर 179 शाखा डाकघर, 23 तार घर तथा इतने ही टेलीफोन कार्यालय स्थापित किए गए। हमीरपुर तहसील जैसे पिछड़े क्षेत्र में डाक एवं संचार के अन्य साधनों की विश्वसनीयता बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत अनुच्छेद में डाक एवं तार घरों का वितरण उनकी वर्तमान स्थिति के आधार पर उनके द्वारा सेवित जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए न्याय पंचायत स्तर पर किया गया है। वर्तमान समय में संचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। संचार के अत्यन्त प्रभावी एवं दक्ष साधन उपलब्ध हो गए हैं। रेडियो ट्रांजिस्तर, टेलीविजन, समाचार पत्र–पत्रिकायें आदि परम्परागत संचार साधनों के अतिरिक्त कम्प्यूटर, इंटरनेट फोन, मोबाइल फोन, पी0सी0ओ0 फैक्स आदि महत्वपूर्ण साधन विकसित हो गए हैं, किन्तु इनकी सही सांख्यिकी उपलब्ध हो पाना कठिन है। अतः इस अध्ययन में डाक एवं तार घरों तथा टेलीफोन एवं समाचार–पत्र सुविधाओं का ही अध्ययन किया गया है।

हमीरपुर तहसील में वर्तमान समय में डाकघरों की कुल संख्या 35 है, जिसमें 11 कुरारा विकास खण्ड में और 24 सुमेरपुर विकास खण्ड में स्थित हैं। न्याय पंचायतानुसार डाकघरों के वितरण का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि टेढ़ा न्याय पंचायत में सबसे अधिक चार डाकघर हैं। इसके पश्चात क्रमशः शेखूपुर, पतारा, मवईजार, इंगोहटा, पत्योरा तथा मुण्डेरा न्याय पंचायतों में प्रत्येक में 3 डाकघर हैं। बेरी, पौथिया, सुमेरपुर दे0, पंधरी में दो–दो तथा मिश्रीपुर कुसमरा, छानी बुजुर्ग, कलौलीतीर प्रत्येक में एक डाकघर हैं।

इन डाकघरों के द्वारा सेवित औसत प्रति डाकघर जनसंख्या 7011 व्यक्ति है। औसत से अधिक जनसंख्या की न्याय पंचायतें क्रमशः कुसमरा (19436), मिश्रीपुर (12782), कुरारा दे0 (14574), छानी बुजुर्ग (13510), कलौलीतीर (10944), सुमेरपुर दे0 (9114), पौथिया (7124), इंगोहटा (7013), पंधरी (6764) हैं।

औसत से कम सेवित जनसंख्या वाली न्याय पंचायतें ये हैं– बेरी (5842), पत्योरा 5650, पतारा (5391), शेखूपुर (5307), टेढ़ा (5123), मवईजार (4639) आदि हैं। न्यूनतम सेवित

HAMIRPUR TAHSIL
EXISTING AND PROPOSED POST OFFICES
N
79°47`50``E
80°22`E
26°6`N
25°40`40``N
0 1 2 3 4 5 6 7 8 KM.
MISHRIPUR
BHAULI DANDA
BILAUTA
SHEKHUPUR
KHARAUNJ
KURARA
KUSHMARA
JHALOKHAR
HAMIRPUR
RAMERI
KALAULITEER
KUCHHECHHA
PATYORA
TIKRAULI
JALALA
BARUA
SURAULI BUZURG
PACHKHURA
DEO GAON
KAKRAU
BERI
PATARA DANDA
KANDAUR
PAUTHIY
UJNEDI
TENDHA
SWASA BUZURJ
BANKI
SUMERPUR
NADEHRA
PANDHARI
MAVAI JAR
CHHANI BUZURJ
CHAND PURWA
BIRKHERA
KAITHI
BIDOKHAR
INGOHTA
MUNDERA
INDEX
EXISTING POST OFFICES
PROPOSED POST OFFICES
CIRCLE DENOTES THE AREA SERVED BY THE POST OFFICE (5 K.M. RADIOUS)

FIG- 4.12

जनसंख्या मुण्डेरा न्याय पंचायत 3985 द्वारा प्रदशित की गई है। विकास खण्डवार सेवित जनसंख्या की तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि कुरारा विकास खण्ड में प्रति डाकघर औसत सेवित जनसंख्या– 8234 है, जो सुमेरपुर विकास खण्ड की औसत सेवित जनसंख्या 6450 से अधिक है। निम्नलिखित तालिका वर्तमान डाकघरों की न्याय पंचायतवार संख्या एवं सेवित जनसंख्या को प्रदर्शित करती है।

तालिका संख्या- 4.14

हमीरपुर तहसील में न्याय पंचायत तार डाकघर एवं सेवित जनसंख्या वर्ष– 2001

क्र0 सं0	न्याय पंचायत, नगर पालिका तथा टाउन एरिया	उप डाकघर	जनसंख्या 2001	औसत प्रति डाक घर द्वारा सेवित जनसंख्या	फोन कनेक्शनों की संख्या	पी0सी0ओ0
1	मिश्रीपुर	01	12782	12782	35	–
2	शेखूपुर	03	15923	5307	–	–
3	कुसमरा	01	19436	19436	–	–
4	कुरारा देहात	01	14574	14574	–	–
5	बेरी	02	11684	5842	61	–
6	पतारा	03	16174	5391	–	–
	विकास खण्ड कुरारा	11	90573	8234	96	–
7	छानी बुजुर्ग	01	13510	13510	307	06
8	पौथिया	02	14248	7124	194	–
9	मवईजार	03	13917	4639	–	–
10	इंगोहटा	03	21041	7013	88	–
11	कलौलीतीर	01	10944	10944	36	–
12	सुमेरपुर देहात	02	18228	9114	–	–
13	पत्योरा	03	16951	5650	–	–
14	टेढ़ा	04	20493	5123	122	–
15	पंधरी	02	13528	6764	–	–
16	मुण्डेरा	03	11955	3985	–	–
	विकास खण्ड सुमेरपुर	24	154815	6450	747	06
17	हमीरपुर न0पा0प0	02	30664	15332	2375	59
18	सुमेरपुर टाउन एरिया	01	21055	21055	693	32
19	कुरारा टाउन एरिया	01	9626	9626	386	15
	योग तहसील	39	306733	7865	4297	106

स्रोत– डाकघर अधीक्षक कार्यालय, हमीरपुर 2001

डाक एवं तारघर सेवाओं की वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं है, क्योंकि उनकी स्थिति औंसत 3 किमी0 दूरी से अधिक है। तालिका संख्या– 4.14 से स्पष्ट है कि अभी अध्ययन क्षेत्र के कुछ क्षेत्र डाक एवं तार सेवाओं से असेवित है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि डाक एवं तार सेवायें असेवित क्षेत्र में स्थापित की जाएं। हिन्दी तारघर तथा टेलीफोन आफिस भी पर्याप्त नहीं हैं, इनका भी विस्तार किया जाना चाहिए।

वर्तमान समय में मोबाइल फोन, डब्ल्यू0एल0एल0 और पी0सी0ओ0 की सुविधायें सतत रूप से बढ़ रही हैं, जिससे संचार के क्षेत्र में सुविधायें बढ़ी हैं, किन्तु निर्धन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी डाक, तार, टेलीफोन, पी0सी0ओ0, इण्टरनेट और फैक्स जैसे सेवाओं की महती आवश्यकता है। निम्नलिखित तालिका में पोस्ट आफिस तारघर और टेलीफोन आफिस की प्रस्तावित स्थितियां सुनिश्चित की गई हैं। इन स्थितियों में डाक तार एवं टेलीफोन की सुविधाएं उपलब्ध होने पर ग्रामीण विकास तीव्रतर गति से सम्भव है।

तालिका संख्या – 4.15

हमीरपुर तहसील में प्रस्तावित पोस्ट आफिस, तार घर और टेलीफोन आफिस

क्र0 सं0	न्याय पंचायतें	प्रस्तावित पोस्ट आफिस		प्रस्तावित तारघर		प्रस्तावित टेलीफोन आफिस	
		प्रस्तावित केन्द्र	सेवित जनसंख्या	प्रस्तावित केन्द्र	सेवित जनसंख्या	प्रस्तावित केन्द्र	सेवित जनसंख्या
1	मिश्रीपुर	मनकीकलां	1292	मिश्रीपुर	12782	मिश्रीपुर	12782
		सिवनी	2450	–	–	–	–
		टोडरपुर	1116	–	–	–	–
2	शेखूपुर	बचरौली	3491	शेखूपुर	15923	शेखूपुर	15923
3	कुसमरा	सिकरोड़ीदरिया	2822	कुसमरा	19436	कुसमरा	19436
		कनौटा डांडा	1793	–	–	–	–
		चन्दूपुर डांडा	1601	–	–	–	–
4	कुरारा दे0	कुरारा दे0	1606	कुरारा दे0	1606	कुरारा दे0	1606
		खरौंज	2139	–	–	–	–
		भैंसापाली	1338	–	–	–	–
		जखेला	1148	–	–	–	–
5	बेरी	लहरा	1596	बेरी	11684	बेरी	11684
		देवीगंज	833	–	–	–	–
6	पतारा डांडा	पारा	2236	पतारा डांडा	16174	पतारा डांडा	16174
		वि0ख0कुरारा	25461	–	77605	–	77605

7	छानी बु0	मोराकांदर	1300	छानी बु0	13510	–	–
		खड़ेहीजार	1080	–	–	–	–
8	पौथिया	कुम्हऊपुर	1980	पौथिया	14248	–	–
		कलौलीतीर	2324	–	–	–	–
9	मवईजार	बण्डा	1793	मवईजार	13917	मवईजार	13917
		अतरार	2219	–	–	–	–
10	इंगोहटा	पलरा	1189	इंगोहटा	21041	इंगोहटा	21041
		बांक	969	–	–	–	–
11	कलौलीतीर	कुण्डौरा	2669	कलौलीतीर	10944	–	–
12	सुमेरपुर दे0	सौरवर	956	–	–	–	–
		सुमेरपुर दे0	7077	–	–	–	–
13	पत्योरा	–	–	पत्योरा	16951	पत्योरा	16951
14	टेढ़ा	पचखुरा बु0	4078	टेढ़ा	20493	टेढ़ा	20493
		इसौली	415	–	–	–	–
15	पंधरी	पारा रैपुरा	1812	पंधरी	13528	पंधरी	13528
		पचखुरा खुर्द	1555	–	–	–	–
		भौनिया	1368	–	–	–	–
16	मुण्डेरा	धुन्धपुर	2364	मुण्डेरा	11955	मुण्डेरा	11955
		अतरैया	1661	–	–	–	–
		मिहुना	1035	–	–	–	–
सुमेरपुर विकास खण्ड		–	37844	–	136587	–	97885
हमीरपुर तहसील			63305	–	214192	–	175490

(र) बैंकिंग सुविधायें - राष्ट्रीयकृत एवं ग्रामीण (Banking Facilities Nationalised & Rural Banks) :-

बैंकिंग और कृषकों के लिए ऋण सुविधाओं का विकास परिसंरचनात्मक प्राविधानों का एक महत्वपूर्ण कारक है। विभिन्न प्रकार के बैंक स्थानीय संसाधनों के विकास में सहायता प्रदान करती है। अध्ययन क्षेत्र तथा जनपद में इलाहाबाद बैंक को लीड बैंक चुना गया है। हमीरपुर तहसील में 1957 में स्टेट बैंक की स्थापना हुई। 1970 में इलाहाबाद बैंक की शाखा हमीरपुर में स्थापित हुई। 1971–72 में सुमेरपुर में सहकारी बैंक की स्थापना की गई। 1977 में स्टेट बैंक की एक शाखा सुमेरपुर में स्थापित की गई।

वर्तमान समय में अध्ययन क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंक, भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक तथा ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। स्टेट बैंक की एक–एक शाखा क्रमशः हमीरपुर नगर एवं सुमेरपुर में है। इसी प्रकार इलाहाबाद बैंक की हमीरपुर, सुमेरपुर और कुरारा में एक–एक शाखा कार्यरत है। जिला मुख्यालय हमीरपुर में भूमि विकास बैंक की एक शाखा है। अध्ययन क्षेत्र में सहकारी बैंक तथा ग्रामीण बैंक विशेष महत्व रखती है और ग्रामीण क्षेत्र में भी अपनी सेवायें प्रदान करती हैं। कुरारा विकास खण्ड में तीन सहकारी बैंक और दो ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। इसी प्रकार से सुमेरपुर विकास खण्ड में 4 सहकारी बैंक और 6 ग्रामीण बैंक हैं। इस प्रकार से हमीरपुर तहसील में दो स्टेट बैंक, 5 इलाहाबाद बैंक, एक भूमि विकास बैंक तथा 10 सहकारी बैंक और 11 ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं, जो यहां के निवासियों को ऋण आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए छत्रसाल ग्रामीण बैंक की स्थापना 26 मार्च, 1981 को आर0आर0बी0 एक्ट 1976, इलाहाबाद बैंक द्वारा खोली गई। छत्रसाल ग्रामीण बैंक की अनेक शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई हैं। ये ग्रामीण बैंक भूमि विकास तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक कृषकों को बैल एवं कृषि उपकरण क्रय हेतु दुग्ध विकास हेतु, मुर्गीपालन एवं वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए तथा औद्योगिक एवं अन्य आर्थिक क्रियायें, जैसे– रिक्शा, स्वचालित वाहन, बस, टैम्पो, ट्रैक्टर के लिए न्यून ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। वाणिज्यिक एवं ग्रामीण बैंक जो अध्ययन क्षेत्र में स्थित हैं, उनका विवरण तालिका संख्या– 4.16 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका संख्या- 4.16

हमीरपुर तहसील में न्याय पंचायतवार बैंकों का विवरण

क्र0 सं0	न्याय पंचायतें एवं नगर पालिका	राष्ट्रीयकृत बैंक		भूमि विकास बैंक	सहकारी बैंक	सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक शाखायें	ग्रामीण बैंक
		स्टेट बैंक	इलाहाबाद बैंक				
1	मिश्रीपुर	–	–	–	–	–	–
2	शेखूपुर	–	–	–	–	–	–
3	कुसमरा	–	–	–	–	–	–
4	कुरारा दे0	–	–	–	01	–	01
5	बेरी	–	–	–	01	–	–
6	पतारा	–	–	–	01	–	01
कुरारा वि0ख0		–	–	–	03	–	02

7	छानी बुजुर्ग	–	01	–	01	–	01
8	पौथिया	–	01	–	01	–	01
9	मवईजार	–	–	–	–	–	–
10	इंगोहटा	–	–	–	–	–	01
11	कलौलीतीर	–	–	–	–	–	–
12	सुमेरपुर दे0	–	–	–	01	–	01
13	पत्योरा	–	–	–	–	–	–
14	टेढ़ा	–	–	–	–	–	01
15	पन्धरी	–	–	–	–	–	01
16	मुण्डेरा	–	–	–	01	–	–
	सुमेरपुर विकास खण्ड	–	02	–	04	–	06
17	हमीरपुर न0पा0प0	01	01	01	01	01	01
18	कुरारा न0पं0	–	01	–	01	–	01
19	सुमेरपुर न0पं0	01	01	–	01	–	01
	तहसील हमीरपुर	02	05	01	10	01	11

स्रोत– सांख्यिकीय कार्यालय हमीरपुर।

उक्त बैंकों ने कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाओं के लिए ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के लिए, परिवहन के लिए, खुदरा व्यवसाय के लिए तथा अन्य व्यवसायों के लिए ऋण का वितरण किया है। इन बैंकों ने समन्वित ग्रामीण विकास के लिए ऋण का वितरण किया है।

अध्ययन क्षेत्र के परिसंरचनात्मक विश्लेषण के पश्चात वहां विद्यमान सेवा केन्द्रों तथा उनके सेवा क्षेत्रों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। सेवा केन्द्रों में कार्यों एवं सेवाओं का समन्वयन करके क्षेत्रीय विकास को सन्तुलित ढंग से बढ़ावा दिया जा सकता है।

REFRENCES

1- Lowe, J.C. and Moryadas : The Geography of Movement, Houghton mifflin company, Boston, 197 P.P. 2-3.

2- Janelle, D.G. : Spatial reorganization : A model and Concept. Annals of the Association of American Geographers, 59 (2), 1969 P.P. 348-364.

3- Misra, R.P. : In land Transport in India, University of Mysore 1972.

4- Haige, R.M., Major : Economic factor in Metropolitan Growth and Management, Regional Plan of NewYork and its Environment, NewYork- 1927. P. 38.

5- Searly, K.R. : The Geographyl of Air Transport, London- 1957.

6- Distt. Gazetteer (Ed.) Balvant Singh- 1980, Page- 223.

7- Kayastha S.L. and singh M.P. : Spatio Temporal Analysis of Health Facilities in India, National Geographer, vol. XIX, No. 2 (December 1984) P. 115.

8- Stamp, L.D. : The Geography of Life and Death, 1964, P.P. 16-20.

9- Hove, G.M. : A World Geography of Human Diseases (London : Acadmic Press), 1977. P.P. 150-151.

अध्याय-5

सेवा केन्द्र तन्त्र

SYSTEM OF SERVICE CENTRES

अध्याय- 5 सेवा केन्द्र तन्त्र
(CHAPTER- 5 SYSTEM OF SERVICE CENTRES)

समन्वित क्षेत्रीय विकास अध्ययन का मुख्य उद्देश्य परिसंरचनात्मक सुविधाओं का भू–सतह पर सम्यक वितरण ज्ञात करना, आर्थिक क्रियाओं का पोषण तथा क्षेत्र के लोगों की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। परिसंरचनात्मक सुविधायें बहुत कम सम्यक स्थिति में स्थित होती हैं, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्र में। इसलिए परिसंरचनात्मक सुविधाओं का भू–सतही विन्यास चयनित सूचकों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। बड़े क्षेत्र को लघु इकाइयों में बांटा जा सकता है। इनका सीमांकन भौतिक लक्षणों जैसे धरातलीय रचना एवं धरातलीय आकारों के आधार पर, आर्थिक लक्षणों जैसे– फसल प्रतिरूप अथवा सामाजिक विशेषताओं जैसे– प्रजातीय समरूपता आदि के आधार पर किया जा सकता है। कभी–कभी सीमांकन के लिए किसी खास क्रिया जैसे– सामाजिक–आर्थिक संगठन की विशेषताओं के मिश्रित सूचक को लिया जा सकता है। लघु इकाइयों को अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर सीमांकित किया जाना चाहिए, उन्हें चिन्हित करने का आधार समान एवं समरूप होना चाहिए। इस प्रकार से एक इकाई दूसरे से स्वतः ही भिन्न दिखाई देगी। लघु इकाइयों का सीमांकन लाभदायक होता है, क्योंकि शुद्ध अवस्थितियों पर सही परिसंचरचनात्मक सुविधायें सरल हो जाती हैं। इन लघु इकाइयों को नियोजन इकाइयां अथवा उप प्रदेश कहते हैं। ये इकाइयां केन्द्र बिन्दुओं के चारों ओर निर्मित होती हैं, जिनके लिए हम केन्द्र स्थल शब्द का प्रयोग करते हैं। केन्द्र स्थल एवं इसका पृष्ठ प्रदेश एक चिन्हित किए जाने योग्य भू–दृश्य होता है, जो गुरूत्व के सिद्धान्तों और पारस्परिक अन्तक्रिया के आधार पर संगठित होता है। ये पृष्ठ प्रदेश अथवा नियोजन इकाइयां विभिन्न आधारों पर सीमांकित की जा सकती हैं।

केन्द्र स्थल शब्द का अर्थ कुछ सेवाओं अथवा कार्यों से है, जिनमें अपनी जनसंख्या के साथ–साथ सन्निकटवर्ती अधिवासों की जनसंख्या की सेवा करने की क्षमता होती है।

इस प्रकार से केन्द्र स्थल इन सेवाओं अथवा कार्यों के उपयोग कर्ताओं के आचरण को व्यक्त करता है। किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के आचरण के अनुसार किसी समरूप भू–दृश्य के केन्द्र बिन्दु के रूप में केन्द्र स्थल को चिन्हित किया जा सकता है। केन्द्र बिन्दु का कार्य होता है कि यह स्वयं को महत्व देता है तथा पृष्ठ प्रदेश के कुछ गैर केन्द्र स्थलों को भी महत्व प्रदान करता है। ऐसे सेवा केन्द्रों की भूमिका लोगों के आवागमन, वस्तुओं के आवागमन तथा संसाधनों के आवागमन को संगठित करना होती है।

केन्द्र स्थल के एक अथवा अनेक कार्य हो सकते हैं। यह कम महत्वपूर्ण अथवा अधिक महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। किसी सेवित अधिवास की जनसंख्या एवं कार्यों की संख्या के आधार पर केन्द्र स्थल का महत्व मापा जा सकता है। इस महत्व का सांख्यकीय मापन केन्द्रीयता लब्धि (Centrality Score) कहलाता है। इसके महत्व का धरातलीय प्रतिबिम्ब इसके पृष्ठ प्रदेश के आकार एवं विस्तार के आधार पर चिन्हित किया जा सकता है। जनांकिकीय प्रतिबिम्ब जनसंख्या आकार जो, कार्यों की सेवायें प्राप्त कर रही

हैं, के आधार पर अंकित किया जा सकता है। इस प्रकार से सेवाओं के आधार पर केन्द्र स्थल विविध महत्व के हो सकते हैं। इससे सेवित होने वाला पृष्ठ प्रदेश तथा सेवा प्राप्त कर रही जनसंख्या का आकार स्थिर न होकर परिवर्तनशील होते हैं।

इस सन्दर्भ में कार्य का अर्थ कोई भी सेवा अथवा सुविधा से है, जो आर्थिक अथवा सामाजिक उद्देश्य रखती है, तथा लोगों द्वारा प्रयोज्य होती है। शिक्षा एवं विपणन ऐसे ही कार्य हैं। कार्य का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि वह केन्द्रीय कार्य होता है अन्य कोई कार्य नहीं। केन्द्रीय कार्य ऐसा कार्य होता है, जिसे केन्द्र स्थल के बाहरी क्षेत्र के लोग प्राप्त करते हैं। वे सभी कार्य जो सामाजिक महत्व अथवा रुझान रखते हैं, वे केन्द्रीय कार्य कहे जा सकते हैं।

ये कार्य अपने महत्वपूर्ण स्तर रखते हैं, उदाहरणार्थ– शिक्षा एक बहुस्तरीय कार्य है। इसके प्राथमिक, मिडिल, हायर सेकेण्डरी ओर कालेज के स्तर होते हैं। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि कार्यों की एक पदानुक्रमता होती है, जो कम महत्वपूर्ण से अधिक महत्वपूर्ण की ओर होती है। कम महत्वपूर्ण कार्य निम्न स्तरीय कार्य कहलाते हैं, जबकि अधिक महत्वपूर्ण कार्य उच्चक्रम के कार्य कहलाते हैं।

सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर कार्यों को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं–

1. वे कार्य जो सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, सामाजिक सुविधायें कहलाते हैं।
2. वे कार्य जो आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वे परिसंरचना अथवा आर्थिक सेवायें कहलाते हैं।

उक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि केन्द्र स्थल में अधिक अथवा न्यून महत्व के कार्य होते हैं, जबकि दूसरे केन्द्र अनेक अथवा अधिक महत्व के कार्य रख सकते हैं। इस प्रकार से कुछ अनेक अथवा न्यून एवं अधिक के मध्य संख्या एवं महत्व के आधार पर कार्यों के अनेक समूह या वर्ग सम्भव हैं। इस प्रकार से इन स्थलों की पदानुक्रमता की सरलता से पहचान की जा सकती है। केन्द्र स्थलों की पिरैमिड स्तरीय पदानुक्रमता को सरलता से पहचाना जा सकता है। इस आधार पर अनेक छोटे एवं निम्न स्तरीय केन्द्र स्थल होंगे, जिनमें से प्रत्येक न्यून महत्व के केन्द्रीय कार्य करता है। केन्द्र स्थल का अनुकरण अधिक महत्वपूर्ण केन्द्र, जो संख्या में कम होते हैं, किन्तु अधिक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पिरैमिड के शीर्ष पर एक अथवा कुछ उच्च स्तरीय केन्द्र स्थल होंगे, जो अनेक अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। स्वभावतः छोटे केन्द्र स्थल अपने छोटे सेवा केन्द्र रखेंगे तथा अधिक छोटी जनसंख्या की सेवा करेंगे, जो अन्य अधिक महत्वपूर्ण केन्द्र स्थलों की तुलना में कम होगी।

केन्द्र स्थल अपने चारों ओर के क्षेत्र की सेवा करता है। यह सन्निकटवर्ती क्षेत्र उसके पृष्ठ प्रदेश का निर्माण करता है। यह पृष्ठ प्रदेश एक सतत सामाजिक, आर्थिक भू–दृश्य होता है। छोटे केन्द्र स्थल तथा इस पर निर्भर अधिवास इसके घटक होते हैं।

(अ) संकल्पना (The Concept) :-

सेवा केन्द्रों की संकल्पना पीरॉक्स[1] (Perroux) तथा वाडेवाइल[2] (Boude Wille) के भू–क्षेत्रीय वृद्धि ध्रुव, जो आर्थिक विकास के लिए प्रतिपादित किए गए थे, की संकल्पना से ली

गई है। यह क्रिस्टॉलर (Christoller) और लॉस (Losch) के स्थिति सिद्धान्तों तथा आर्थिक क्रिंयाओं के आकार एवं वितरण के सिद्धान्तों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त हैगर स्ट्रेंड (Hager strand) तथा पोटर (Potter) के भौगोलिक प्रवर्तनों के विसरण और अन्वेषण के सिद्धान्तों पर आधारित है। केन्द्र स्थल की संकल्पना गाल्पिन (Galpin) तथा कोल्व (Kolve) के सिद्धान्तों से भी प्रभावित हैं। सेवा केन्द्रों की संकल्पना को समझने के लिए परिकल्पना करना आवश्यक है कि–

1. भू–सतह पर जनसंख्या विभिन्न आकार वाले अधिवासों के रूप में वितरित हैं।
2. इन अधिवासों में रहने वाले लोगों की जैव, भौतिक एवं सामाजिक, आर्थिक आवश्यकताएं हैं।
3. ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक एवं सेवाओं का उपयोग करते हैं।
4. वे अनेक आकार वाले अधिवासों की रचना करते हैं, यथा– पुरवा, गांव, कस्बा अथवा नगर और वे, वहां तब तक रहते हैं, जब तक उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहते हैं।
5. वे वस्तुओं और सेवाओं की अपनी आवश्यकताएं, जो उनके अधिवासों में उपलब्ध नहीं होती हैं, को पूर्ण करने के लिए अन्य स्थानों की ओर प्रव्रजन करते हैं।

इस प्रकार से केन्द्र स्थल लोगों को आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरते हैं। एक ओर तो वे वस्तुओं और सेवाओं का परास (Range) तथा जनसंख्या और संसाधन वृद्धि की दहलीज और दूसरी ओर विभिन्न स्तरीय सेवा केन्द्रों की पदानुक्रमता उभरती है। निम्न स्तरीय सेवा केन्द्र कुछ जोड़े प्रदान करते हैं, जैसे वस्तु एवं कार्य, जो संख्या और प्रकार में सीमित होते हैं। अगले उच्च स्तर के सेवा केन्द्र वे सभी वस्तुएं एवं कार्य प्रदान करते हैं, जो निम्न स्तर के सेवा केन्द्रों में उपलब्ध रहती हैं। साथ ही कुछ अन्य वस्तुएं एवं कार्य जिन्हें अधिक बड़े जनसंख्या दहलीज की अपेक्षाकृत अधिक बड़े अर्धव्यास में आवश्यक होता है। जब जनसंख्या संसाधन के रूप में धरातल पर समान रूप से वितरित होती है तो सेवा केन्द्र क्रमिक रूप से विकसित होते हैं तथा षटभुजों के अन्दर षट्भुजों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इन सेवा केन्द्रों की एक नोडल पदानुक्रमता बन जाती है।

भारतीय सन्दर्भ में सेवा केन्द्रों का वर्तमान प्रतिरूप इतिहास एवं संस्कृति की शक्तियों के परिणाम के रूप में तथा आर्थिक एवं राजनैतिक आवश्यकताओं के परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। परिणामस्वरूप निम्न स्तरीय सेवा केन्द्रों का विकास उपेक्षित रहता है। वर्तमान समय में इन निम्न स्तरीय सेवा केन्द्रों के विकास की आवश्यकता है, जिससे कि भारत में समन्वित ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। सेवा केन्द्रों की पहचान का अर्थ है सेवा क्षेत्रों अथवा पृष्ठ प्रदेशों का सीमांकन, सहयोगी भूमि, जनसंख्या एवं अन्य संसाधन। इस प्रकार से चिन्हित सेवा क्षेत्र, आर्थिक रूप से जीवन्त एवं राजनैतिक दृष्टि

से सार्थक हो, सेवा क्षेत्रों एवं इनके चारों ओर पृष्ठ प्रदेशों के विकास में एक मैत्री सम्बन्ध होता है। सेवा केन्द्रों के विकास का अर्थ है परिसंरचना की उत्पत्ति अर्थात वस्तुओं एवं सेवाओं का प्राविधान, सुविधाओं एवं उपयोगिताओं की व्यवस्था। परिसंरचना एक भौतिक, संस्थागत एवं संगठनात्मक संरचना है, जो वस्तुओं के सेवा केन्द्रों के विर्निर्माण में सहायक होती हैं।

परिसंरचना का उपयोग पृष्ठ प्रदेश में जनसंख्या की योग्यता एवं संसाधनों के विस्तार पर निर्भर करती है। इस प्रकार से सेवा केन्द्र को परिसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना चाहिए जिससे कि जनसंख्या तथा संसाधनों का पूर्णतम उपयोग हो सके एवं आवश्यक तथा वस्तुओं सेवाओं का समान वितरण हो सके। वस्तुओं और सेवाओं को विभिन्न वर्गों जैसे कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसी भी क्षेत्र में सेवाओं की उपलब्धता की विशालता, जो जनसंख्या की सेवा करती है, के अनुसार विविध प्रकार के सेवा केन्द्र चिन्हित किए जा सकते हैं।

(ब) सेवा केन्द्रों की पहचान (Identification of Service Centres) :-

"केन्द्र स्थल उसे कहते हैं, जो केन्द्रीय कार्य करता हो।" (The central place is one which performs a central function)[3] एक केन्द्रीय कार्य वह होता है, जो कुछ अधिवासों में उपलब्ध होता है। क्रिस्टॉलर, केन्द्र स्थल सिद्धान्त के प्रतिपादक ने, इस बात पर जोर दिया कि वे सेवाएं, जो निकटवर्ती क्षेत्र को प्रदान की जाती हैं, केन्द्रीय कार्य कहलाती हैं।[4] एल0एस0 भाट के अनुसार– "केन्द्रीय कार्य वे कार्य हैं, जो स्वभाव से सर्वसुलभ नहीं होते, क्योंकि वे निश्चित स्थानों में ही होते हैं, क्योंकि वे तकनीकी, आर्थिक एवं संस्थागत अवधारणाओं के अनुसार कुछ ही स्थानों पर होते हैं।"[5] खान के अनुसार– केन्द्रीय कार्य स्थिर प्रकार के नहीं होते, जो सेवाएं सर्वत्र उपलब्ध नहीं होती, किन्तु केन्द्र स्थलों के द्वारा उपयोग की जाती हैं, केन्द्रीय कार्य कहलाती हैं।[6] उत्पादन क्रिया को इस विचार से विलग रखा गया है। प्रकाश राव के अनुसार केन्द्रीय कार्य को सर्व सुलभता पर आधारित नहीं होना चाहिए, किन्तु इसे उत्पादक एवं उपभोक्ता की रुचि अथवा वरीयता पर आधारित होना चाहिए।[7]

केन्द्र स्थलों को चिन्हित एवं चयनित करने के लिए तथा उनके पृष्ठ प्रदेशों को सीमांकित करने के लिए तथा इन पृष्ठ प्रदेशों में विभिन्न सुविधाएं, विभिन्न स्तर पर प्रदान करने के लिए तथा इनमें रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से अनेक मानचित्र, कलात्मक तथा सांख्यकीय तकनीकों का उपयोग किया गया है। सेवा केन्द्रों तथा उनकी पृष्ठ प्रदेशों की पहचान करने के लिए अनेक प्रकार के साधन जैसे– दूरी, जनसंख्या आकार, परिसंरचनात्मक सुविधाएं, जनसंख्या प्रवाह आदि का उपयोग किया गया है। अगर हम एक–एक तकनीक को देखें तो हम पाते हैं कि दूरी के आधार पर जनसंख्या और संसाधनों के

भू–सतह पर वितरण की उपेक्षा होती है। यदि केवल जनसंख्या आकार को साधन मानें तो दूरी और संसाधन कारकों की उपेक्षा होती है, यदि परिसंरचनात्मक सुविधाओं को साधन मानें, तो ये भूतकाल के तर्कसंगत स्वभाव पर निर्भर करती है। इसलिए ये भावी विकास के लिए एक आदर्श प्रकृति उत्पन्न करती है। केवल जनसंख्या की गतिशीलता पर आधारित विधि भू–सतह पर भूतकाल में विद्यमान अवसरों के वरीयता कारकों का प्रदर्शन करती है। इसलिए अधिक वैज्ञानिक एवं विश्वसनीय विधि बहु साधन विधि ही हो सकती है, न कि एक साधन आधारित विधि। वर्तमान अध्ययन में किसी भी अधिवास को सेवा केन्द्र के रूप में सुनिश्चित करने के लिए 6 सेवा समूहों को लिया गया है–

1. शिक्षा।
2. चिकित्सा।
3. परिवहन एवं संचार।
4. कृषि एवं उद्योग।
5. वित्त एवं व्यापार।
6. प्रशासन तथा तृतीयक जनसंख्या का प्रतिशत।

कोई भी अधिवास जो निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा करता है उसे सेवा केन्द्र के रूप में चिन्हित किया गया है, यदि वह सड़क अथवा रेल परिवहन से सम्बद्ध है और उसकी 15% जनसंख्या तृतीयक क्रियाओं में संलग्न है–

1. उक्त सभी सेवा समूह 3% तृतीयक क्रियाओं में संलग्न जनसंख्या सहित।
2. उक्त में से कोई चार सेवा समूह 6% तृतीयक कार्यों में संलग्न जनसंख्या सहित।
3. उक्त कोई दो सेवा समूह 9% तृतीयक सेवाओं में संलग्न जनसंख्या सहित।
4. कोई एक सेवा समूह न्यूनतम 12% तृतीयक सेवाओं में संलग्न जनसंख्या सहित।
5. उपरोक्त में से बिना किसी सेवा समूह के 15% तृतीयक क्रियाओं में संलग्न जनसंख्या।

इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हमीरपुर तहसील में 42 अधिवास सेवा केन्द्रों की योग्यता रखते हैं। इसके अतिरिक्त तहसील में अनेक सम्भावित सेवा केन्द्र निम्न आधारों पर निध ारित किए गए हैं–

1. छः में से तीन सेवाओं का पाया जाना।
2. कार्यशील जनसंख्या का 3% तृतीयक कार्यों में संलग्न होने के साथ कम से कम दो सेवाएं।
3. तृतीयक सेवाओं में संलग्न 6% कार्यशील जनसंख्या सहित कम से कम एक सेवा।
4. दो सेवाओं सहित 1000 से अधिक जनसंख्या वाला अधिवास जो रेल या सड़क से सम्बद्ध हो।

केन्द्रीयता लब्धि एवं भारण प्रणाली (Centrality score and weighing system) :-

अधिवासों की केन्द्रीयता एवं पदानुक्रमता का मापन एवं निर्धारण अनेक मात्रात्मक तकनीकों द्वारा किया जा सकता है। अनेक विद्वानों ने अधिवास की केन्द्रीयता के सम्बन्ध में

अपने दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं। प्रकाश राव[8] ने अभिव्यक्त किया कि मात्रा एवं गुणता के सम्बन्ध में केन्द्रीयता, वे केन्द्रीय कार्य होते हैं, जो अधिवास द्वारा किए जाते हैं। भाट[9]– ने "कार्यों की गत्यात्मक प्रकृति और उनकी दक्षता पर जोर दिया। मोसले[10] ने केन्द्रीयता की प्रकृति का उल्लेख करते हुए कहा कि केन्द्रीयता के दो अर्थ हैं– प्रथमतः यह केन्द्रीयता (Nodality) से सम्बन्धित है, जिसे सम्बद्धता (Connectivity) के सन्दर्भ में व्यक्त किया जाता है। द्वितीयतः इसका सम्बन्ध केन्द्रीय कार्यों से है, जो सेवाओं की संख्या के आधार पर व्यक्त किए जाते हैं। केन्द्रीयता उपभोक्ता, व्यवहार (Consumers Behaviour) को अभिव्यक्त करता है, जिसके आधार पर केन्द्र स्थलों को पदानुक्रमता क्रम में किया जा सकता है। क्रिस्टालर के अनुसार एक प्रादेशिक ढांचे में किसी भी अधिवास की केन्द्रीयता, इसके सापेक्ष महत्व को व्यक्त करती है। यह केन्द्रीयता, केन्द्रीय कार्य की गुणता एवं मात्रा का परिणाम होती है[11], जो एक मजबूत आधार के रुप में पदानुक्रमता के क्रम में सेवा केन्द्रों को सुसज्जित करने का आधार प्रस्तुत करती है।

तालिका संख्या- 5.1

कार्य की पदानुक्रमता

क्र0सं0	सेवायें	प्रवेश बिन्द	सम्पृक्तता बिन्दु	माध्यिका	भार
1	दवाखाना	1581	1606	1593.50	2.08
2	जूनियर हाईस्कूल	731	797	765	1.00
3	पोस्ट आफिस	731	853	792	1.03
4	ग्राम विकास अधि0	1103	1292	1197.5	1.56
5	बस स्टाप	291	299	295	0.367
6	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1606	2734	2170	2.83
7	कामर्शियल बैंक	2734	4823	3778.5	4.93
8	अस्पताल	1914	2065	3979	5.20
9	टेलीग्राफ आफिस	21055	30664	25859.5	33.80
10	केमिस्ट/फार्मासिस्ट	733	1581	1157	1.51
11	उद्योग	1606	1914	3520	4.60
12	इण्टर कालेज	4452	9626	7039	9.20
13	कोआपरेटिव बैंक	1606	2734	2170	2.83
14	हाईस्कूल	1080	2236	1658	2.16
15	परिवार नियोजन	9626	21055	15340.5	20.05
16	बाल विकास केन्द्र	2847	4898	3872.5	5.06
17	पशु अस्पताल	1606	2236	1921	2.51

18	रेलवे स्टेशन	491	8866	4678.5	6.11
19	पी0एच0सी0	1606	2015	1810.5	2.36
20	नर्सिंग होम	21055	30664	25859.5	33.80
21	पेट्रोलपम्प	1581	1606	1593.5	2.08
22	पी0जी0 कालेज	1581	7077	4329	5.65
23	सिनेमा	9626	21055	15340.5	20.05
24	भूमि विकास बैंक	30664	30664	30664	40.08
25	ट्रैक्टर रिपेयरिंग	1256	1581	1418.5	1.85
26	पी0सी0ओ0	1581	1606	1593.05	2.08
27	वि0खण्ड मुख्यालय	9626	21055	1534.05	20.05
28	तहसील मुख्यालय	30664	30664	30664	40.08
29	टाउन एरिया	9626	21055	15340.5	20.05
30	नगर पालिका	30664	30664	30664	40.08
31	पुलिस स्टेशन	733	9626	5179.5	6.77

वर्तमान अध्ययन में 42 सेवा केन्द्रों की केन्द्रीयता एवं उनकी पदानुक्रमता की गणना माध्यिका दहलीज तकनीक (Median Thresrold Technigue) की सहायता से की गई है। सर्वप्रथम प्रत्येक सेवा के प्रवेश बिन्दु एवं सम्पृक्त बिन्दु निर्धारित किए गए हैं। प्रवेश बिन्दु का अर्थ, सेवा केन्द्र की जनसंख्या की उस सीमा से है, जिससे सेवायें उत्पन्न होती हैं तथा सम्पृक्त बिन्दु का अर्थ है सेवा केन्द्र की वह जनसंख्या, जिसके ऊपर सेवायें सर्वसुलभ पाई जाती हैं। माध्यिका दहलीज प्राप्त करने के लिए प्रवेश बिन्दुओं और सम्पृक्त बिन्दुओं का माध्य प्राप्त किया जाता है। किसी विशेष सेवा की माध्यिका दहलीज जनसंख्या (हस्तगत अध्ययन में जूनियर हाईस्कूल) स्वैच्छिक ढंग से भारित की गई हैं। इस माध्यिका दहलीज को आधार के रूप में लेकर अन्य सभी सेवाओं को सापेक्ष भार प्रदान किया गया है। (तालिका संख्या– 5.1)

भार के आधार पर सेवायें बढ़ते क्रम में रखी गई हैं। इस भार को सेवाओं की संख्या से गुणा करके वास्तविक भार प्राप्त किया गया है। किसी भी सेवा केन्द्र में ऐसे सभी समुच्चयी भार केन्द्रीयता लविध प्राप्त करने के लिए योग कर दिए गए हैं। इस प्रकार से केन्द्रीयता प्राप्त लब्धि (1.56 अतरार से लेकर 650.46 हमीरपुर न0पा0प0) के मध्य प्राप्त की गई है। इसका उपयोग हमीरपुर तहसील में सेवा केन्द्रों की पदानुक्रमता निर्धारण में किया गया है। केन्द्रीयता लब्धि जितनी अधिक है, सेवा केन्द्र भी उतना ही बड़ा होता है तथा केन्द्रीयता लब्धि जितनी कम होती है, सेवा केन्द्र उतना ही छोटा होता है। (तालिका संख्या– 5.2)

तालिका संख्या- 5.2

अधिवासानुसार संचयी भार एवं उनकी केन्द्रीयता लब्धि

(SETTELMENT WISE CUMULATIVE WEIGHT AND THEIR CENTRALITY SCORE)

क्र0 सं0	प्रत्येक सेवाओं को दिया गया भार	0.37	1.00	1.03	1.51	1.56	1.85	2.08	2.08	2.08	2.16
	नगर/ग्राम	बस स्टाप	जू0हाई0 स्कूल	पोस्ट आफिस	केमि0/फार्मा0	ग्रा0वि0 अधिकारी	ट्रैक्टर रिपेयरिंग	दवा–खाना	पेट्रोल पम्प	पीसीओ एसटीडी	हाई–स्कूल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	हमीरपुर cf	04	08	03	15	–	09	04	02	59	04
	न0पा0प0 w	1.48	08	3.09	22.65	–	16.65	8.32	4.16	122.72	8.64
2	सुमेरपुर cf	02	04	01	05	–	12	02	01	32	04
	न0पं0 w	0.74	04	1.03	7.55	–	22.2	4.16	2.08	66.56	8.64
3	कुरारा cf	02	03	01	03	–	16	02	01	15	02
	न0पं0 w	0.74	03	1.03	4.53	–	29.6	4.16	2.08	31.2	4.32
4	इंगोहटा cf	01	01	01	01	01	02	01	–	05	–
	w	.37	01	1.03	1.51	1.56	3.7	2.08	–	10.4	–
5	सुमेरपुर cf	01	01	01	01	01	01	–	–	06	–
	देहात w	.37	01	1.03	1.51	1.56	1.85	–	–	12.48	–
6	पचखुरा cf	01	01	01	–	01	–	–	–	02	–
	बुजुर्ग w	.37	01	1.03	–	1.56	–	–	–	4.16	–
7	सुरौली cf	01	–	01	–	01	–	–	–	–	–
	w	.37	–	1.03	–	1.56	–	–	–	–	–
8	विदोखर cf	01	01	01	–	01	–	–	–	–	–
	w	.37	01	1.03	–	1.56	–	–	–	–	–
9	पतारा cf	–	01	01	01	01	–	–	–	–	–
	डांडा w	–	01	1.03	1.51	1.56	–	–	–	–	–
10	बेरी cf	01	01	01	–	01	02	01	–	03	–
	w	.37	01	1.03	–	1.56	3.7	2.08	–	6.24	–
11	झलोखर cf	01	01	01	01	01	02	01	–	05	–
	w	.37	01	1.03	1.51	1.56	3.7	2.08	–	10.4	–
12	छानी cf	02	01	01	01	01	02	01	–	06	–
	w	.74	01	1.03	1.51	1.56	3.7	2.08	–	12.48	–
13	पौथिया cf	01	01	01	01	01	01	01	–	07	–
	w	.37	01	1.03	1.51	1.56	1.85	2.08	–	14.56	–
14	पत्योरा cf	–	01	01	–	01	–	–	–	–	–
	w	–	01	1.03	–	1.56	–	–	–	–	–

क्र0 सं0	प्रत्येक सेवाओं को दिया गया भार	0.37	1.00	1.03	1.51	1.56	1.85	2.08	2.08	2.08	2.16
	नगर / पंचायत	बस स्टाप	जू0हाई0 स्कूल	पोस्ट आफिस	केमि0 / फार्मा0	ग्रा0वि0 अधिकारी	ट्रैक्टर रिपेयरिंग	दवा– खाना	पेट्रोल पम्प	पीसीओ एसटीडी	हाई– स्कूल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	टेढ़ा cf	01	01	01	01	01	01	–	–	02	–
	w	.37	01	1.03	1.51	1.56	1.85	–	–	4.16	–
16	पचखुरा cf	01	01	01	–	01	–	–	–	–	–
	खुर्द w	0.37	01	1.03	–	1.56	–	–	–	–	–
17	बचरौली cf	–	–	–	–	01	–	–	–	–	–
	w	–	–	–	–	1.56	–	–	–	–	–
18	कुसमरा cf	–	01	01	–	01	01	–	–	–	–
	w	–	01	1.03	–	1.56	1.85	–	–	–	–
19	रमेड़ी cf	–	01	01	–	01	–	–	–	10	–
	w	–	01	1.03	–	1.56	–	–	–	20.8	–
20	नदेहरा cf	–	01	01	–	01	–	–	–	03	–
	w	–	01	1.03	–	1.56	–	–	–	6.24	–
21	मवईजार cf	–	01	01	01	01	–	–	–	–	–
	w	–	01	1.03	1.51	1.56	–	–	–	–	–
22	बांकी cf	–	01	01	–	01	–	–	–	–	–
	w	–	01	1.03	–	1.56	–	–	–	–	–
23	कैथी cf	–	01	01	–	01	–	–	–	–	–
	w	–	01	1.03	–	1.56	–	–	–	–	–
24	पंधरी cf	01	–	01	–	01	01	–	–	04	–
	w	.37	–	1.03	–	1.56	1.85	–	–	8.32	–
25	मुण्डेरा cf	–	01	01	01	01	–	–	–	02	–
	w	–	01	1.03	1.51	1.56	–	–	–	4.16	–
26	मिश्रीपुर cf	–	01	01	–	01	–	–	–	–	–
	w	–	01	1.03	–	1.53	–	–	–	–	–
27	सिवनी cf	–	01	–	–	01	–	–	–	03	–
	w	–	01	–	–	1.56	–	–	–	6.24	–
28	भौली cf	–	01	01	01	01	–	–	–	–	–
	w	–	01	1.03	1.51	1.56	–	–	–	–	–

क्र0 सं0	प्रत्येक सेवाओं को दिया गया भार	0.37	1.00	1.03	1.51	1.56	1.85	2.08	2.08	2.08	2.16
	नगर/ग्राम	बस स्टाप	जू0हाई0 स्कूल	पोस्ट आफिस	केमि0/ फार्मा0	ग्रा0वि0 अधिकारी	ट्रैक्टर रिपेयरिंग	दवा– खाना	पेट्रोल पम्प	पीसीओ एसटीडी	हाई– स्कूल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	शेखूपुर cf	–	01	01	01	01	–	–	–	–	–
	w	–	01	1.03	1.51	1.56	–	–	–	–	–
30	कुतुबपुर cf	–	–	–	–	01	–	–	–	07	–
	w	–	–	–	–	1.56	–	–	–	14.56	–
31	कुरारा cf	01	01	–	01	01	01	01	–	–	–
	ग्रामीण w	.37	01	–	1.51	1.56	1.85	2.08	–	–	–
32	पारा cf	–	01	01	01	01	–	–	–	–	–
	w	–	01	1.03	1.51	1.56	–	–	–	–	–
33	अतरार cf	–	–	–	–	01	–	–	–	–	–
	w	–	–	–	–	1.56	–	–	–	–	–
34	कुण्डौरा cf	01	01	01	01	01	–	–	–	–	–
	w	.37	01	1.03	1.51	1.56	–	–	–	–	–
35	कुछेछा cf	01	01	01	01	01	01	01	–	10	–
	w	.37	01	1.03	1.51	1.56	1.85	2.08	–	20.8	–
36	गहतौली cf	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	w	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	ललपुरा cf	01	01	–	01	01	01	–	–	03	–
	w	.37	01	–	1.51	1.56	1.85	–	–	6.24	–
38	लहरा cf	–	01	–	01	01	01	–	–	–	–
	w	–	01	–	1.51	1.56	1.85	–	–	–	–
39	खरौंज cf	–	01	01	01	01	01	01	–	04	–
	w	–	01	1.03	1.51	1.56	1.85	2.08	–	8.32	–
40	उजनेड़ी cf	–	01	–	–	01	–	–	–	–	–
	w	–	01	–	–	1.56	–	–	–	–	–
41	चन्दपुरवा cf	–	01	–	–	01	–	–	–	–	–
	बुजुर्ग w	–	01	–	–	1.56	–	–	–	–	–
42	सिकरोढ़ी cf	–	–	–	–	01	–	–	–	–	–
	दरिया w	–	–	–	–	1.56	–	–	–	–	–

क्र0 सं0	2.36	2.51	2.83	2.83	4.60	4.93	5.06	5.20	5.65	6.11	6.77
	पी0एच0 सी0	पशु अस्प0	क्षे0ग्रा0 बैंक	कोआप0 बैंक	उद्योग	कामर्शियल बैंक	बा0वि0 केन्द्र	अस्पताल	पी0जी0 कालेज	रेलवे स्टेशन	पुलिस स्टेशन
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	05	03	01	01	10	02	02	05	01	–	02
	11.8	7.53	2.83	2.83	46.0	9.86	10.12	26	5.65	–	13.54
2	02	01	01	01	46	02	01	01	–	01	01
	4.72	2.51	2.83	2.83	211.6	9.86	5.06	5.2	–	6.11	6.77
3	01	01	01	01	03	01	01	01	01	–	01
	2.36	2.51	2.83	2.83	13.8	4.93	5.06	5.2	5.65	–	6.77
4	01	01	01	–	02	–	01	01	–	01	–
	2.36	2.51	2.83	–	9.2	–	5.06	5.2	–	6.11	–
5	01	–	01	01	–	–	–	–	01	–	–
	2.36	–	2.83	2.83	–	–	–	–	5.65	–	–
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	01	–	01	01	–	–	–	01	–	–	–
	2.36	–	2.83	2.83	–	–	–	5.2	–	–	–
10	01	01	–	01	–	–	01	–	–	–	–
	2.36	2.51	–	2.83	–	–	5.06	–	–	–	–
11	–	–	–	–	02	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	9.2	–	–	–	–	–	–
12	01	01	01	01	01	01	–	01	–	–	–
	2.36	2.51	2.83	2.83	4.6	4.93	–	5.2	–	–	–
13	01	01	01	01	–	01	–	01	–	–	–
	2.36	2.51	2.83	2.83	–	4.93	–	5.2	–	–	–
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

क्र0 सं0	2.36	2.51	2.83	2.83	4.60	4.93	5.06	5.20	5.65	6.11	6.77
	पी0एच0 सी0	पशु अस्प0	क्षे0ग्रा0 बैंक	कोआप0 बैंक	उद्योग	कामर्शियल बैंक	बा0वि0 केन्द्र	अस्पताल	पी0जी0 कालेज	रेलवे स्टेशन	पुलिस स्टेशन
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
15	01	–	01	–	–	–	–	01	–	–	–
	2.36	–	2.83	–	–	–	–	5.2	–	–	–
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	01	–	–	–	01	–	–	–	–	–	–
	2.36	–	–	–	4.6	–	–	–	–	–	–
19	–	–	–	–	03	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	13.8	–	–	–	–	–	–
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	–	–	–	–	–	–	–	01	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	5.2	–	–	–
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	–	–	–	–	01	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	4.6	–	–	–	–	–	–
24	–	–	01	–	01	–	–	–	–	–	–
	–	–	2.83	–	4.6	–	–	–	–	–	–
25	01	–	–	01	–	–	–	01	–	–	–
	2.36	–	–	2.83	–	–	–	5.2	–	–	–
26	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2.36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	–	–	–	–	01	–	01	–	–	–	–
	–	–	–	–	4.6	–	5.06	–	–	–	–

क्र0 सं0	2.36	2.51	2.83	2.83	4.60	4.93	5.06	5.20	5.65	6.11	6.77
	पी0एच0 सी0	पशु अस्प0	क्षे0ग्रा0 बैंक	कोआप0 बैंक	उद्योग	कामर्शियल बैंक	बा0वि0 केन्द्र	अस्पताल	पी0जी0 कालेज	रेलवे स्टेशन	पुलिस स्टेशन
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
29	01	–	–	–	–	–	–	01	–	–	–
	2.36	–	–	–	–	–	–	5.2	–	–	–
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	–	01	01	01	01	–	–	–	–	–	–
	–	2.51	2.83	2.83	4.6	–	–	–	–	–	–
32	–	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	2.51	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	01	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.11	–
37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	01
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.77
38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

क्र0 सं0	9.20	20.05	20.05	20.05	20.05	33.80	33.80	40.08	40.08	40.08	
	इण्टर कालेज	परिवार नियोजन	सिनेमा	वि0ख0 मुख्यालय	टाउन एरिया	टेलीग्रा0 आफिस	नर्सिंग होभ	भूमिवि0 बैंक	तहसील मुख्या0	नगर पालिका	केन्द्रीयता लविध
	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1	04	02	01	–	–	01	02	01	01	01	
	36.8	40.1	20.05	–	–	33.8	67.6	40.08	40.08	40.08	650.46
2	02	01	01	01	01	–	01	–	–	–	
	18.4	20.05	20.05	20.05	20.05	–	33.8	–	–	–	506.85
3	01	01	–	01	01	–	01	–	–	–	
	9.2	20.05	–	20.05	20.05	–	33.8	–	–	–	235.75
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54.92
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33.47
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	08.12
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	02.96
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	02.96
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18.32
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28.74
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30.85
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49.36
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44.62
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	03.59

क्र0 सं0	9.20	20.05	20.05	20.05	20.05	33.80	33.80	40.08	40.08	40.08	
	इण्टर कालेज	परिवार नियोजन	सिनेमा	वि0ख0 मुख्यालय	टाउन एरिया	टेलीग्रा0 आफिस	नर्सिंग होम	भूमिवि0 बैंक	तहसील मुख्या0	नगर पालिका	केन्द्रीयता लविध
	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21.87
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	03.96
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	01.56
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12.40
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38.19
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	09.83
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10.30
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	03.59
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	08.19
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20.56
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19.65
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	05.95
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	08.80
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14.76

क्र0 सं0	9.20	20.05	20.05	20.05	20.05	33.80	33.80	40.08	40.08	40.08	
	इण्टर कालेज	परिवार नियोजन	सिनेमा	वि0ख0 मुख्यालय	टाउन एरिया	टेलीग्रा0 आफिस	नर्सिंग होम	भूमिवि0 बैंक	तहसील मुख्या0	नगर पालिका	केन्द्रीयता लविध
	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12.66
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16.12
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21.14
32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	07.61
33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	01.56
34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	05.47
35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11.48
36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	06.11
37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19.30
38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	05.92
39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17.35
40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	02.56
41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.56
42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.56

जनसंख्या आकार बनाम केन्द्रीयता लब्धि :-

सेवा केन्द्र की केन्द्रीयता जनसंख्या आकार तथा इसके द्वारा किए गए कार्यों की जटिलता से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है।[12] सेवा केन्द्र की जनसंख्या का आकार किसी भी वर्तमान एवं दक्ष कार्य के लिए सम्भाव्य चर के रूप में कार्य करता है। यह इसलिए होता है कि जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा सेवा की मांग भी उतनी ही बड़ी होगी तथा केन्द्र की गुरुत्व शक्ति उतनी ही बड़ी होगी तथा केन्द्र की गुरुत्व शक्ति उतनी ही शक्तिशाली होगी, जो उन्हें अधिक समय तक आकृष्ट करेगी केन्द्रीयता लब्धि और जनसंख्या आकार का प्रतीपगमन (Regression Analisys) विश्लेषण उच्च स्तरीय धनात्मक सह सम्बन्ध प्रदर्शित करता है, किन्तु ऐसे भी उदाहरण हैं, जहां जनसंख्या आकार छोटा है तथा केन्द्रीयता लब्धि उच्च है, ऐसा उनकी परिवहन मार्गों पर लाभकारी परिवहन स्थिति एवं बेहतर आर्थिक क्रियाओं के कारण है। कुछेछा, कुरारा ग्रामीण, रमेड़ी, गहतौली आदि बेहतर गम्यता के कारण उच्चतर केन्द्रीयता लब्धि रखते हैं, जबकि पन्धरी, मुण्डेरा, पतारा डांडा, कुसमरा, भौली, शेखूपुर, मवईजार, मिश्रीपुर आदि बड़े जनसंख्या आकार के बावजूद भी या तो मुख्य परिवहन मार्गों से दूर स्थित हैं अथवा इनमें क्रियायें कम विकसित हैं। परिहवन के दक्ष साधन, प्रशासन तथा ग्रामीण बैंकों की स्थापना ने अध्ययन क्षेत्रों में सेवा केन्द्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इंगोहटा, छानी, पौथिया, झलोखर, कुछेछा, बेरी, रमेड़ी ऐसे ही सेवा केन्द्र हैं। हमीरपुर, सुमेरपुर, कुरारा तीन नगरीय क्षेत्र हैं जहां सेवाओं की संख्या अधिक और जनसंख्या आकार बड़ा होने से ये वृद्धि केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं।

सेवा केन्द्रों का पदानुक्रम (Hierarchy of service centres) :-

सेवा केन्द्रों का पदानुक्रम सुनिश्चित करने के लिए अनेक विधियों का उपयोग किया जाता है। गटमैन[13] ने स्कैलोग्राम तकनीक का विकास किया, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग हैसिंगर[14] ने सेवा केन्द्रों की केन्द्रीयता का मापन करने के लिए किया। बेरी और गैरीसन[15] ने जनसंख्या दहलीज विधि (Population Thresold Method) का प्रयोग किया। गॉडलुड[16] ने अधिवासों के अनुक्रम का अध्ययन करने के लिए आर्थिक क्रियाओं के आधार पर प्राप्त किए गए केन्द्रीयता सूचकांक का उपयोग किया, जिसका सिंह[17] ने भारत में अनुकरण किया। बाद में दत्त[18] ने अधिवासों के पदानुक्रमीय स्तर को निर्धारित करने के लिए परिवहन सूचकांक का उपयोग किया।

केन्द्रीयता लब्धि के आधार पर हमीरपुर तहसील के सभी सेवा केन्द्र पांच स्तरीय

HAMIRPUR TAHSIL
SPATIAL DISTRIBUTION AND HIERARCHY OF SERVICE CENTRES
& PROPOSED SERVICE CENTRES
N
79°47'50"E
80°22'E
26°6'N
25°40'40"N
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 KM.
INDEX
CENTRALITY SCORE
HIERARCHICAL ORDER
500-Above
FRIST
100-500
SECOND
50-100
THIRD
25-50
FOURTH
1-25
FIFTH
PROPOSED SERVICE CENTRES

FIG- 5.1

पदानुक्रम में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। हमीरपुर नगर पालिका परिषद जो अध्ययन क्षेत्र में सबसे बड़ा अधिवास है तथा एक बड़ा व्यापारिक, परिवहन, शैक्षिक तथा चिकित्सा का केन्द्र है, अध्ययन क्षेत्र में प्रमुख स्थान रखता है। इसकी केन्द्रीयता लब्धि भी सर्वाधिक 650.46 है। हमीरपुर नगर प्रथम स्तरीय सेवा केन्द्र है।

सुमेरपुर न0पं0 भी प्रथम स्तरीय सेवा केन्द्र है, जिसकी केन्द्रीयता लब्धि 506.85 है, यह विकास खण्ड मुख्यालय है तथा इस तहसील का मुख्य औद्योगिक, व्यापारिक, परिवहन का केन्द्र है तथा समृद्ध कृषि क्षेत्र से घिरा हुआ है। यहां पर औद्योगिक आस्थान (Industrial Estate), डाक एवं तारघर, बैंक, इण्टरमीडिएट स्कूल तथा पशु बाजार केन्द्र हैं।

कुरारा न0पं0 द्वितीय क्रम का सेवा केन्द्र है जिसकी केन्द्रीयता लब्धि 235.75 है। यहां पर बस स्टॉप, जूनियर हाईस्कूल, पोस्ट आफिस, पेट्रोलपम्प, हाईस्कूल, पशु अस्पताल, कामर्शियल बैंक, अस्पताल, डिग्री कालेज आदि केन्द्र हैं। यह विकास खण्ड मुख्यालय भी है।

तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत इंगोहटा न्याय पंचायत मुख्यालय आता है। यह एक बड़ा कृषि प्रधान ग्राम है। रेलवे स्टेशन पर स्थित होने के कारण यह व्यापारिक केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है, यहां पर बस स्टॉप, जूनियर हाईस्कूल, पोस्ट आफिस, ट्रैक्टर रिपेयरिंग, दवाखाना, हाईस्कूल, पी0एच0सी0, को–आपरेटिव बैंक, बाल विकास केन्द्र अस्पताल आदि केन्द्र हैं।

चतुर्थ क्रम के छः सेवा केन्द्र हैं, ये छानी, पौथिया, रमेड़ी, सुमेरपुर देहात, झलोखर और बेरी हैं। ये मुख्यतया बड़े कृषि प्रधान ग्राम है तथा लिंक रोड द्वारा प्रमुख सड़क मार्गों से जुड़े हुए हैं, इन गांवों में पोस्ट आफिस, ग्रामीण बैंक तथा स्वास्थ्य केन्द्रों की सुविधायें उपलब्ध हैं। भविष्य में इनके बड़े सेवा केन्द्रों के रूप में विकसित होने की सम्भावनायें हैं।

पंचम क्रम के अन्तर्गत 30 लघु सेवा केन्द्र हैं। ये टेढ़ा, कुरारा देहात, पन्धरी, मुण्डेरा, ललपुरा, पतारा डांडा, खरौंज, कुतुबपुर, भौली, शेखूपुर, कुसमरा, कुछेछा, मवईजार, नदेहरा, सिवनी, कैंथी, पचखुरा बु0, पारा, गहतौली, मिश्रीपुर, लहरा, कुण्डौरा, पचखुरा खुर्द, पत्योरा, बांकी, सुरौली, विदोखर, उजनेड़ी, बचरौली, अतरार आदि हैं, इनकी केन्द्रीयता लब्धि 1 से लेकर 25 के मध्य है।

उक्त अधिकांश सेवा केन्द्रों में साप्ताहिक बाजारें लगती हैं। इस प्रकार से ये विकासशील व्यापारिक केन्द्र न केवल स्थानीय कृषि उत्पादों के विनियम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, किन्तु नवीन प्रवर्तनों एवं कृषि तकनीकों के बिसरण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। (मानचित्र संख्या– 5.1) यद्यपि ये पदानुक्रम में सबसे नीचे हैं, फिर भी ये अध्ययन क्षेत्र में महत्वपूर्ण सेवायें प्रदान करते हैं।

तालिका संख्या- 5.3

हमीरपुर तहसील में सेवा केन्द्रों की पदानुक्रमता

क्र0	ग्राम / नगर	सेवाओं का योग	केन्द्रीयता लब्धि	जनसंख्या	रैंक
1	हमीरपुर न0पा0प0	27	650.46	30664	1
2	सुमेरपुर न0पं0	25	506.85	21055	2
3	कुरारा न0पं0	24	235.75	9626	3
4	इंगोहटा	15	54.92	8866	4
5	छानी	15	49.36	6872	5
6	पौथिया	14	44.62	4823	6
7	रमेड़ी	05	38.19	3379	7
8	सुमेरपुर ग्रामीण	11	33.47	7077	8
9	झलोखर	09	30.85	4452	9
10	बेरी	11	28.74	4898	10
11	टेढ़ा	10	21.87	6796	11
12	कुरारा ग्रामीण	10	21.14	1606	12
13	पंधरी	07	20.56	3707	13
14	मुण्डेरा	08	19.65	3164	14
15	ललपुरा	07	19.30	733	15
16	पतारा डांडा	08	18.32	5905	16
17	खरौंज	07	17.35	2139	17
18	कुतुबपुर	02	16.12	2058	18
19	भौली	06	14.76	2847	19
20	शेखूपुर	06	12.66	2065	20
21	कुसमरा	06	12.40	3507	21
22	कुछेछा	08	11.48	1581	22
23	मवईजार	05	10.30	3147	23
24	नदेहरा	04	09.83	3370	24
25	सिवनी	03	08.80	2450	25
26	कैथी	04	08.19	3584	26
27	पचखुरा बुजुर्ग	05	08.12	4078	27

28	पारा	05	07.61	2236	28
29	गहतौली	01	06.11	491	29
30	मिश्रीपुर	04	05.95	2015	30
31	लहरा	04	05.92	1596	31
32	कुण्डौरा	05	05.47	2669	32
33.	पचखुरा खुर्द	04	03.96	1555	33
34	पत्योरा	03	03.59	4081	34
35	बांकी	03	03.59	3833	35
36	सुरौली	03	02.96	5705	36
37	विदोखर	04	02.96	6184	37
38	उजनेड़ी	02	02.56	1428	38
39	चन्दपुरवा बुजुर्ग	02	02.56	4890	39
40	बचरौली	01	01.56	3491	40
41	अतरार	01	01.56	2219	41
42	सिकरोढ़ी डांडा	01	01.56	2822	42

सेवा केन्द्रों का वितरण प्रतिरूप (Distributional Pattern of Service centres) :-

भारत में वर्तमान सेवा केन्द्रों का वितरण प्रतिरूप एक ओर ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शक्तियों तथा दूसरी ओर आर्थिक एवं राजनैतिक शक्तियों का परिणाम है। परिणामतः निम्न स्तरीय सेवा केन्द्रों का विकास उपेक्षित रहा है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि निम्न स्तरीय सेवा केन्द्रों की पहचान की जाए और उनका क्रमबद्ध ढंग से विकास किया जाए जिससे भारत में समन्वित ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जा सके।[19] अनेक विद्वानों ने सेवा केन्द्रों को पहचान करने का कार्य भारत में किया है। वनमाली[20], सेन[21], सिंह[22], त्रिपाठी[23], नित्यानंद[24], खान[25] सिंह एस0वी0[26], कुमार और शर्मा[27] आदि ने ग्रामीण सेवा केन्द्रों को पहचानने तथा पंचम स्तरीय पदानुक्रम प्रदान करने का प्रयास सेवा केन्द्रों द्वारा किए जाने वाले चयनित कार्यों के भार के आधार पर उनकी संख्या और गुणता को ध्यान में रखकर किया है।

हमीरपुर तहसील में सेवा केन्द्रों का क्षेत्रीय वितरण असमान है, वे न्याय पंचायतें जिनमें केवल एक सेवा केन्द्र है। प्रायः कृषि प्रधान केन्द्र है तथा परिवहन के समुचित साधन उपलब्ध नहीं हैं तथा भू–सतह भी असमान है। इन न्याय पंचायतों के मुख्यालय प्रायः निकटवर्ती

क्षेत्रों के लिए सेवा केन्द्रों का कार्य करते हैं।

सेवा केन्द्रों का वितरण प्रतिरूप निकटतम पड़ोसी विश्लेषण (Nearest Neighbour Analisis) के आधार पर भी परीक्षण किया गया है। निकटतम पड़ोसी विश्लेषण– निम्न सूत्र के आधार पर किया गया है–

$$RN = \frac{D}{0.5(1/\sqrt{A/N})}$$

इसमें– **D** = निकटतम पड़ोसी दूरियों का माध्य।
A = अध्ययन क्षेत्र का क्षेत्रफल।
N = अध्ययन क्षेत्र में सेवा केन्द्रों की संख्या।

यदि RN- 1.0 आता है तो इसका अर्थ होता है, स्वेच्छाचारी (Random) वितरण की दशा से वास्तविक वितरण का ठीक–ठीक मिलना। RN मूल्य 1.0 के जितना निकट होगा स्वेच्छाचारिता की मात्रा उतनी ही अधिक होगी तथा 1.0 से अधिक होने पर उतनी ही कम होगी।

न्याय पंचायत स्तर पर सेवा केन्द्रों के वितरण का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि न्याय पंचायतानुसार इनका वितरण 1 से 4 सेवा केन्द्र प्रति न्याय पंचायत के मध्य है। सर्वाधिक सेवा केन्द्र टेढ़ा न्याय पंचायत में हैं, जिनकी संख्या– 4 है, जो गहतौली, पचखुरा बु0, टेढ़ा, कैथी हैं। ये चारों पंचम स्तर के सेवा केन्द्र हैं। तीन सेवा केन्द्रों वाली न्याय पंचायतें 6 हैं, जो क्रमशः मिश्रीपुर, कुरारा दे0, पतारा डांडा, पौथिया, मवईजार, इंगोहटा हैं। दो सेवा केन्द्रों वाली न्याय पंचायतें भी 6 हैं, जो क्रमशः शेखूपुर, कुसमरा, बेरी, सुमेरपुर दे0, पत्योरा, पंधरी हैं। मिश्रीपुर में पंचम स्तर के सेवा केन्द्र हैं। कुरारा दे0, पतारा डांडा न्याय पंचायतों में भी पंचम स्तर के सेवा केन्द्र हैं। पौथिया न्याय पंचायत में पौथिया चतुर्थ श्रेणी का सेवा केन्द्र तथा शेष उजनेड़ी, ललपुरा पंचम स्तर के सेवा केन्द्र हैं। मवईजार न्याय पंचायत में– मवईजार, अतरार, नदेहरा सेवा केन्द्र हैं, जो सभी पंचम स्तर के हैं। इंगोहटा न्याय पंचायत में इंगोहटा, बांकी, विदोखर सेवा केन्द्र हैं– जिनमें इंगोहटा तृतीय स्तर का तथा बांकी, विदोखर, पंचम स्तर के सेवा केन्द्र हैं।

दो सेवा केन्द्रों वाली न्याय पंचायतों में क्रमशः शेखूपुर न्याय पंचायत में शेखूपुर, भौली सेवा केन्द्र हैं, जो पंचम स्तर के सेवा केन्द्र हैं। कुसमरा न्याय पंचायत के अन्तर्गत– कुसमरा, रमेड़ी सेवा केन्द्र हैं, जिनमें रमेड़ी सेवा केन्द्र चतुर्थ स्तर का है तथा कुसमरा पंचम स्तर का सेवा केन्द्र है। बेरी न्याय पंचायत में बेरी तथा लहरा सेवा केन्द्र हैं। बेरी चतुर्थ श्रेणी का सेवा केन्द्र है तथा लहरा पंचम श्रेणी का सेवा केन्द्र है। सुमेरपुर देहात न्याय पंचायत में कुछेछा तथा सुमेरपुर देहात सेवा केन्द्र हैं, जिनमें सुमेरपुर दे0 चतुर्थ स्तर का सेवा केन्द्र और कुछेछा पंचम

स्तर का सेवा केन्द्र है। पत्योरा डांडा न्याय पंचायत में दो सेवा केन्द्र हैं, जो क्रमशः पत्योरा डांडा, सुरौली हैं, ये दोनों पंचम स्तर के सेवा केन्द्र है। पंधरी न्याय पंचायत में पंधरी तथा पचखुरा खुर्द सेवा केन्द्र हैं, जो पंचम स्तर के हैं। वे न्याय पंचायतें जिनमें केवल एक सेवा केन्द्र तीन हैं, जो क्रमशः छानी बु0 (चतुर्थ स्तर), कलौलीतीर तथा मुण्डेरा हैं। (दोनों पंचम स्तर के सेवा केन्द्र हैं।

तालिका संख्या- 5.4

हमीरपुर तहसील में न्याय पंचायतवार सेवा केन्द्रों का वितरण और घनत्व

क्र0 सं0	न्याय पंचायत	प्रथम स्तर	द्वितीय स्तर	तृतीय स्तर	चतुर्थ स्तर	पंचम स्तर	योग	घनत्व/ 100किमी0
1	मिश्रीपुर	–	–	–	–	2	2	
2	शेखूपुर	–	–	–	–	3	3	
3	कुसमरा	–	–	–	1	2	3	
4	कुरारा देहात	–	–	–	–	3	3	
5	बेरी	–	–	–	1	1	2	
6	पतारा डांडा	–	–	–	1	2	3	
7	छानी	–	–	–	1	–	1	
8	पौथिया	–	–	–	1	2	3	
9	मवईजार	–	–	–	–	3	3	
10	इंगोहटा	–	–	1	–	2	3	
11	कलौलीतीर	–	–	–	–	1	1	
12	सुमेरपुर देहात	–	–	–	1	1	2	
13	पत्योरा	–	–	–	–	2	2	
14	टेढ़ा	–	–	–	–	4	4	
15	पन्धरी	–	–	–	–	3	3	
16	मुण्डेरा	–	–	–	–	1	1	
17	कुरारा. न0पं0	–	1	–	–	–	1	
18	हमीरपुर न0पा0	1	–	–	–	–	1	
19	सुमेरपुर न0पं0	1	–	–	–	–	1	
	योग	2	1	1	6	32	42	

HAMIRPUR TAHSIL
HINTERLANDS OF SERVICE CENTRES
N
79°47'50''E
80°22'E
26°6'N
26°6'N
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 KM.
INDEX
FIRST ORDER
SECOND ORDER
THIRD ORDER
FOURTH ORDER
FIFTH ORDER
25°40'40''N
79°47'50''E
80°22'E
25°40'40''N

FIG- 5.2

सेवा केन्द्रों का पृष्ठ प्रदेश (Hinterlands of service Centres) :-

इनके द्वारा सेवित एक भौगोलिक क्षेत्र होता है। इसके अन्तर्गत इसकी अपनी निजी सीमा होती है तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्र होते हैं, जो इसकी केन्द्रीय सेवाओं द्वारा लाभान्वित होते हैं। सामान्यतया पृष्ठ प्रदेश एक सतत् सामाजिक, आर्थिक भू–दृश्य है, जो सेवा केन्द्र के चारों ओर होता है। इस प्रकार से इसके प्रमुख घटक सेवा केन्द्र और इस पर निर्भर अधिवास होते हैं।

विद्वानों द्वारा अनेक प्रकार की गुणात्मक एवं संख्यात्मक विधियों का प्रयोग पृष्ठ प्रदेश की सीमांकन हेतु किया गया है। 1993 में क्रिस्टालर ने सेवा केन्द्रों की केन्द्रीयता एवं पदानुक्रमता का उपयोग सेवा केन्द्रों के पृष्ठ प्रदेश के सीमांकन के आधारों के रुप में किया। 1952 में ग्रीन[28] और 1956 में गॉडलुण्ड[29] ने बस सेवा के आंकड़ों का उपयोग करके पृष्ठ प्रदेशों का सीमांकन किया। 1953 ब्रेसी[30] ने केन्द्रीयता के ग्रामीण घटकों का प्रयोग पृष्ठ प्रदेश के सीमांकन हेतु किया।1967 में बेरी[31] ने रेली के फुटकर गुरुत्व का नियम (Law of Retail gravitation) तथा ब्रेकिंग प्वाइंट्स सिद्धान्त का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया। यहां पर शोधकर्ता ने ब्रेकिंग प्वाइंट्स सिद्धान्त के परिस्कृत रुप का उपयोग सेवा केन्द्रों के पृष्ठ प्रदेश के सीमांकन के लिए किया है। पृष्ठ प्रदेश के सीमांकन के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया गया है।

$$B = \frac{DXAC}{AC+BC}$$

जब कि **B = A** और **B** बिन्दुओं का ब्रेकिंग बिन्दु।

D = A और **B** सेवा केन्द्रों के बीच की दूरी।

AC = A बिन्दु की केन्द्रीयता लब्धि।

BC = B बिन्दु की केन्द्रीयता लब्धि।

सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश प्रथम श्रेणी के सेवा केन्द्र हमीरपुर नगर का है। यह सेवा केन्द्र 407.42वर्ग किमी0 क्षेत्र की सेवा करता है। यह नगर हमीरपुर जनपद का मुख्यालय होने के कारण प्रशासनिक केन्द्र भी है। अतः उत्तर में यमुना नदी इसके सेवा क्षेत्र को सीमित कर दिये जाने के बावजूद अध्ययन क्षेत्र का यह सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश है। यह सड़क परिवहन का केन्द्र है। सड़क परिवहन द्वारा यह नगर कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ और दिल्ली से जुड़ा

हुआ है। इसके दक्षिण में फैला इसका सेवा क्षेत्र कृषि क्रिया में भी समृद्ध है। यह उच्च शिक्षा का केन्द्र भी है। जिला चिकित्सालय होने के कारण भी यह बहुत बड़े क्षेत्र की सेवा करता है।

प्रथम श्रेणी के सेवा केन्द्रों में सुमेरपुर दूसरे स्थान पर है। यह बांदा, कानपुर, रेल सेक्शन पर स्थित है, इसका पृष्ठ प्रदेश 369.83 वर्ग किमी0 में फैला हुआ है। यहाँ औद्योगिक आस्थान है, जिसमें अनेक औद्योगिक इकाईयाँ जैसे–हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, सुशीला पल्प एण्ड पेपर मिल, वन्दना स्टील्स प्रा0 लि0,बीनस कास्टिंग प्रा0 लि0, ऐश्वर्या इस्पात प्रा0 लि0, रिमझिम इस्पात लि0, जय दुर्गे सेवा संस्थान, अर्चना आयल मिल, पूनम आयल मैन्यू प्रा0 लि0, वृन्दावन इडिबल आयल प्रा0 लि0, हिन्दुस्तान मारबल्स, बीनस लोहा उद्योग आदि उद्योग है। यह नगर भी कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस और दिल्ली नगरों से सड़क मार्ग द्वारा सम्बद्ध है। यह एक व्यापारिक एवं वाणिज्यिक केन्द्र के रुप में भी सेवा करता है। यहां महिला महाविद्यालय, इण्टर कॉलेज आदि होने के कारण यह शिक्षा के क्षेत्र में भी सेवा प्रदान करता है। यह नगर भरुवाशाही जूता उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है।

द्वितीय स्तर का एक मात्र सेवा केन्द्र कुरारा है, जो विकासखण्ड मुख्यालय होने के साथ–2 सड़क परिवहन का केन्द्र है। इसका पृष्ठ प्रदेश 263.25 वर्ग किमी0 में विस्तृत है। यमुना और बेतवा नदियों के मध्य में स्थित होने के कारण इसका सेवा क्षेत्र सीमित कर दिया गया है, इसका पृष्ठ प्रदेश कृषि क्रियाओं में धनी है। यहॉ एक महाविद्यालय, इण्टर कालेज, प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र है। यहां पर रविवार को साप्ताहिक बाजार भी लगती है। इसके पृष्ठ प्रदेश को नियोजित ढंग से विकसित करने की आवश्यकता है।

तृतीय स्तर का एक मात्र सेवा केन्द्र इंगोहटा है, यह रेल्वे स्टेशन है। यहां इण्टरमीडिएट कालेज और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं तथा बस स्टेशन भी है।

चतुर्थ श्रेणी के सेवा केन्द्रों में छानी, पौथिया, रमेड़ी, सुमेरपुर दे0, झलोखर, बेरी सेवा केन्द्र हैं। चतुर्थ श्रेणी के इन छः सेवा प्रदेशों का विवरण निम्न प्रकार है–

1. छानी सेवा प्रदेश :-

चतुर्थ स्तर के छः सेवा केन्द्रों में से छानी सेवा केन्द्र सबसे बड़ा है, इसका क्षेत्रफल 50. 76 वर्ग किमी0 है तथा यह 13510 जनसंख्या की सेवा करता है। इस सेवा केन्द्र में जूनियर हाईस्कूल, पोस्ट एवं टेलीफोन सेवा, पशु अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इलाहाबाद केन्द्र,

सहकारी बैंक आदि के द्वारा यह सेवा क्षेत्र अपने सेवा क्षेत्र को सेवायें प्रदान करता है। छानी समृद्ध कृषि क्षेत्र से घिरा हुआ है। अतः यह एक कृषि विपणन केन्द्र के रुप में विकसित हो रहा है। इस सेवा में लगभग आठ गाँव है। (मानचित्र संख्या–5.1)

2. पौथिया सेवा प्रदेश :-

यह हमीरपुर तहसील के मध्य भाग में स्थित है,इसका सेवा क्षेत्र 55.02 वर्ग किमी0 में फैला है तथा दो पंचम स्तरीय सेवा केन्द्रों पर नियन्त्रण रखता है, इसमें कुल सेवित गावों की संख्या–9 है तथा जनसंख्या–14248 है। इसके अन्तर्गत एक न्याय पंचायत है। इस सेवा प्रदेश में जूनि0 हाईस्कूल, पोस्ट एवं टेलीफोन ऑफिस, त्रिवेड़ी ग्रामीण बैंक, किसान सहायता केन्द्र, सहकारी बैंक आदि हैं। पौथिया कपड़े की रंगाई का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। यह हमीरपुर–राठ रोड से सम्बद्ध है। यह सेवा केन्द्र एवं प्रदेश भविष्य का सम्भावित सेवा प्रदेश है।(मानचित्र संख्या–5.1)

3. रमेड़ी सेवा प्रदेश :-

यह हमीरपुर प्रथम स्तरीय सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत हमीरपुर नगर के निकट एक उपग्रह सेवा केन्द्र के रुप में कार्य करता है। यह सड़क परिवहन से सुसम्बद्ध है। इस सेवा क्षेत्र का क्षेत्रफल 6.04 वर्ग किमी0 है, इसमें पंचम स्तरीय सेवा केन्द्र शून्य है। इस सेवा प्रदेश की कुल जनसंख्या 3379 है, जो एक आबाद ग्राम में निवास करती है। यहां पर बैंक, स्कूल एवं टेलीफोन की सुविधायें हैं। रमेड़ी में अनेक प्रशासनिक कार्यालय जैसे– सिंचाई, परिवहन आदि हैं। (मानचित्र संख्या–5.1)

4. सुमेरपुर देहात सेवा प्रदेश :-

सुमेरपुर देहात सुमेरपुर नगर परिषद के निकट न्याय पंचायत मुख्यालय है, जो अपने निकटवर्ती 79.86 वर्ग किमी0 क्षेत्र और 18228 जनसंख्या की सेवा करता है। इसके क्षेत्र में 16 गांव हैं। यह सड़क मार्ग से सम्बद्ध है तथा यह रेलवे स्टेशन तथा महिला महाविद्यालय, ग्रामीण बैंक, पोस्ट ऑफिस, जूनियर हाईस्कूल आदि सेवाओं द्वारा अपने क्षेत्र की सेवा करता है। (मानचित्र संख्या–5.1)

5. झलोखर सेवा प्रदेश :-

झलोखर सेवा केन्द्र हमीरपुर एवं कुरारा कस्बे के मध्य में स्थित है।यह 7.43वर्ग किमी0 तथा 4452जनसंख्या की सेवा करता है। इस सेवा केन्द्र में एक गांव है। झलोखर सेवा केन्द्र में

इण्टरमीडिएट कालेज, ग्रामीण बैंक, पोस्ट एवं टेलीफोन आफिस, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि हैं। इसका निकटवर्ती क्षेत्र कृषि उत्पादन में संलग्न है। भविष्य में इसके अच्छे विकास की सम्भावनायें हैं। (मानचित्र संख्या– 5.1)

6. बेरी सेवा प्रदेश :-

बेरी प्राचीन रजवाड़ा क्षेत्र रहा है। यह अपेक्षाकृत एक बड़ा गांव है, जिसमें ग्रामीण बैंक, जूनियर हाईस्कूल, किसान सहायता केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महिला एवं बाल कल्याण केन्द्र तथा डाकघर आदि सेवायें उपलब्ध हैं। इस सेवा प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 79.5वर्ग किमी0 है, तथा कुल जनसंख्या–11684 है। इस सेवा प्रदेश में 11 गांव हैं। (मानचित्र संख्या–5.1)

तालिका संख्या- 5.5

चतुर्थ एवं पंचम स्तरीय सेवा केन्द्र एवं उनके प्रदेश

क्रम संख्या	प्रदेश	केन्द्र			क्षेत्र (वर्ग किमी0)	जनसंख्या 2001	तहसील की जनसंख्या का %	तहसील के क्षे0 का प्रतिशत	गावों की संख्या
		चतुर्थ	पंचम स्तर	योग					
1	छानी	1	–	1	50.76	13510	5.51	4.74	8
2	पौथिया	1	2	3	55.02	14248	5.81	5.13	9
3	रमेड़ी	1	–	1	6.04	3379	1.38	0.56	1
4	सुमेरपुर दे0	1	1	2	79.86	18228	7.43	7.45	16
5	झलोखर	1	–	1	7.43	4452	1.81	0.69	01
6	बेरी	1	1	2	79.50	11684	4.76	7.41	11

भू-सतही-कार्थिक अन्तराल (Spatio Functional Gaps) :-

वर्तमान सेवा केन्द्रों का वितरण विस्तृत असेवित क्षेत्र दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में पाये जाते हैं। पूर्व में पत्योरा डांडा, टेढ़ा न्याय पंचायतें विशाल असेवित क्षेत्रों को प्रदर्शित करती है। पश्चिम में बेरी न्याय पंचायत, दक्षिण छानी न्याय पंचायतों में असेवित क्षेत्र पाये जाते हैं। उत्तर में मिश्रीपुर, शेखूपुर न्याय पंचायतों के बड़े हिस्से सेवाओं से वंचित हैं।अनेक न्याय पंचायतों में पंचम स्तरीय एक मात्र सेवा केन्द्र है। कलौलीतीर, मुण्डेरा न्याय पंचायतों में पंचम

स्तरीय एक –एक सेवा केन्द्र है, जो अति लघु क्षेत्र की सेवा कर पाते हैं। इन न्याय पंचायतों में बहुत सा क्षेत्र असेवित रह जाता है। अनेक न्याय पंचायतों में चतुर्थ स्तरीय सेवा केन्द्रों का अभाव है। मिश्रीपुर, शेखूपुर, पतारा डांडा, मवईजार, कलौलीतीर, पत्योरा, टेढ़ा, पन्धरी, मुण्डेरा न्याय पंचायतों में चतुर्थ स्तरीय सेवा केन्द्र भी नहीं पाये जाते। अतः ये न्याय पंचायतें नवीन प्रवर्तनों के विसरण, आर्थिक विकास एवं कृषि नियोजन कार्यक्रमों से वंचित रह जाते हैं।

औसतन एक सेवा केन्द्र 5843 लोगों की सेवा करता है, जो इतनी बड़ी जनसंख्या की सेवा करना कठिन कार्य है। अतः कुछ नवीन विकासशील सेवा केन्द्र, जिनकी जनसंख्या 1000 से लेकर सेवारहित 4000 तक है तथा पारस्परिक दूरी 3 किमी0 या उससे अधिक है, वे सेवा केन्द्र भविष्य में आर्थिक क्षेत्र व नियोजन क्षेत्र में प्रस्तावित किये गये हैं। इन सेवा केन्द्रों के विकसित हो जाने से , जो क्रियात्मक अन्तराल रह गया है, वह भी समाप्त हो जायेगा। निम्नलिखित तालिका प्रस्तावित सेवा केन्द्रों की स्थिति स्पष्ट करती है। (मानचित्र संख्या–5.1)

तालिका संख्या- 5.6

हमीरपुर तहसील के न्याय पंचायतों के असेवित क्षेत्रों में प्रस्तावित सेवा केन्द्र

क्रम संख्या	प्रस्तावित सेवा केन्द्र	जनसंख्या (2001)	न्याय पंचायतें
1	मनकी कलां	1292	मिश्रीपुर
2	टोडरपुर	1116	"
3	बिलौटा	1751	शेखूपुर
4	जमरेही	1391	"
5	सरसई	1256	कुरारा दे0
6	डामर	1719	"
7	भैंसापाली	1338	"
8	रिठारी	1440	"
9	ककरऊ	1547	बेरी
10	जल्ला	1256	पतारा डांडा
11	कण्डौर डांडा	1804	"

12	कनौटा डांडा	1793	कुसमरा
13	कल्ला	1352	छानी बु0
14	धनपुरा	1490	"
15	मोरा कांदर	1300	"
16	कुम्हऊपुर	1980	पौथिया
17	सहुरापुर	1305	"
18	स्वासा बुजुर्ग	1697	मवई जार
19	बण्डा	1793	"
20	बांक	1189	इंगोहटा
21	कलौलीतीर	1914	कलौलीतीर
22	दरियापुर	1754	"
23	चन्दौखी	1385	सुमेरपुर दे0
24	पारा (रैपुरा)	1812	पंधरी
25	सिमनौड़ी	1843	पत्योरा डांडा
26	बरुवा	1285	"
27	देवगाँव	2618	टेढ़ा
28	बदनपुर	1242	मुण्डेरा
29	धुन्धपुर	2364	"

तालिका संख्या- 5.7

हमीरपुर तहसील में प्रस्तावित सेवा केन्द्र तथा उनसे लाभान्वित ग्राम

क्र0 सं0	प्रस्तावित सेवा केन्द्र का नाम	प्रस्तावित सेवाएं	लाभान्वित ग्राम
1	मनकीकलां	जू0हा0स्कूल, अस्पताल, बैंक पोस्ट आफिस, परिवार कल्याण केन्द्र	मनकीकलां, मनकीखुर्द, हरौलीपुर उमराहट
2	टोडरपुर	पी0एच0सी0, सहकारी बैंक, जू0	टोडरपुर, पंचखर

		हा0स्कूल	
3	बिलौटा	पोस्ट आफिस, बैंक, स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल	बिलौटा, भितरी, बम्हनपुरा
4	जमरेही	स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल, सहकारी बैंक, परिवार कल्याण केन्द्र, पो0आ0, टेलीफोन	जमरेही, अब्दुल्लापुर, भटपुरा, सिकरा डांडा
5	सरसई	हाईस्कूल, अस्पताल, टेलीफोन, बैंक	सरसई, कुतुबपुर
6	डामर	अस्पताल, पोस्ट आफिस, सहकारी बैंक, किसान सहायता केन्द्र, पुलिस स्टेशन	डामर, चकोठी
7	भैंसापाली	परिवार नियोजन केन्द्र, भूमि विकास बैंक, जूनियर हाईस्कूल, दवाखाना	भैंसापाली, खरेहटा, जखेला, करियापुर, गुलाबगंज
8	रिठारी	जूनियर हाईस्कूल, पोस्ट आफिस, बैंक	रिठारी
9	ककरऊ	पी0एच0सी0, पोस्ट आफिस, सह0बैंक	ककरऊ, गुजौरा
10	जल्ला	हाईस्कूल, बाल विकास केन्द्र, बैंक	जल्ला, चकोठी
11	कण्डौर डांडा	स्वास्थ्य केन्द्र, किसान सहायता केन्द्र, पोस्ट आफिस, तारघर, टेलीफोन	कण्डौर डांडा, ममरेही, पारा
12	कनौटा डांडा	सहकारी बैंक, पोस्ट आफिस, स्कूल, बैंक	कनौटाडांडा, गिमुहा,रिठारी, मंझूपुर
13	कल्ला	जू0हा0स्कूल, परिवार नियोजन, दवाखाना	कल्ला, खड़ेही जार
14	धनपुरा	पोस्ट आफिस, दवाखाना, किसान सहायता केन्द्र, सहकारी बैंक, टेलीफोन	धनपुरा
15	मोराकांदर	स्वास्थ्य केन्द्र, पोस्ट एवं टेलीकाम, हाईस्कूल, पशु अस्पताल, बैंक	मोराकांदर, मेदनी, परसनी
16	कुम्हऊपुर	पोस्ट आफिस, स्कूल, पी0एच0सी0	कुम्हऊपुर, बहरौली
17	सहुरापुर	किसान सहायता केन्द्र, परिवार नियोजन जू0हा0 स्कूल, पी0एच0सी0, बैंक, पो0आ0	सहुरापुर
18.	स्वासा बुजुर्ग	जूनियर हाईस्कूल, परिवार कल्याण, किसान सहायता केन्द्र	स्वासा बुजुर्ग
19.	बण्डा	पोस्ट आफिस, सहकारी बैंक, पी0एच0सी0	बण्डा, शादीपुर
20.	बांक	प्रा0स्वा0 केन्द्र, बैंक, किसान सहा0, पोस्ट	बांक, बिलहड़ी, रगोरा

21.	कलौलीतीर	हाईस्कूल, पो0आ0, दवाखाना, पी0एच0सी0 पशु अस्पताल, क्षे0ग्रा0 बैंक, बाल विकास	कलौलीतीर, बहदीना, कीरतपुर, टोडरपुर, महमूदपुर
22.	दरियापुर	जू0हा0 स्कूल, पोस्ट आफिस, पी0एच0सी0	दरियापुर, भकौल
23.	चन्दौखी	हा0 स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, सह0बैंक, पोस्ट एवं टेलीकाम, परिवार कल्याण केन्द्र	चन्दौखी, पारा, ओझी, कंजोली
24.	पारा (रैपुरा)	इण्टर कालेज, पी0एच0सी0, बाल विकास	पारा, विरखेरा
25.	सिमनौड़ी	प्रा0स्वा0 केन्द्र, किसान सहायता, बैंक पोस्ट आफिस, इण्टर कालेज	सिमनौड़ी, भंभौरा, रिगनी
26.	बरुवा	हाईस्कूल, पी0एच0सी0, बैंक, पोस्ट आ0	बरुवा, भौंसा, चन्दपुरवा खुर्द
27.	देवगांव	पोस्ट आफिस, पी0एच0सी0, बैंक, स्कूल	देवगांव, गहतौली
28.	बदनपुर	इण्टर कालेज, स्वा0 केन्द्र, पशु अस्पताल, किसान सहायता, बैंक,	बदनपुर, अतरैया, गौरी, मिहुना
29.	धुन्धपुर	इण्टर कालेज, पशु अस्पताल, बैंक, स्वा0 केन्द्र, परिवार कल्याण, पोस्ट आफिस, पुलिस स्टेशन, दवाखाना, टेलीफोन	धुन्धपुर, मौहर, बिरखेरा

उपरोक्त तालिका में प्रस्तावित किये गये सेवा केन्द्रों के सम्यक् विकास से हमीरपुर तहसील का भी सम्यक् विकास हो सकेगा तथा विकास की दर भी दढ़ेगी। नवीन प्रवर्तनों एवं तकनीकों के असेवित क्षेत्रों में पहुँचने से कृषि ढ़ाचा तो मजबूत होगा ही कृषि आधारित उद्योग भी विकसित होगे, जो कृषि अर्थव्यवस्था को जीवन्त बनायेंगें। परिणाम स्वरुप अभी तक सेवाओं से वंचित रहे ग्रामों और ग्रामवासियों का त्वरित विकास होगा तथा जीवन स्तर उन्नत हो सकेगा।

REFRENCES

1- Perroux, F: Note sur La Notion de Pole de croissance Economic Applique -1955.

2- Boudeville, J.R. ; Problems of Regional Economic Planning, Edingburg University Press, 1966.

3- Wanmali, S.; Regional Planning for Social Facilities : A case study of Eastern Maharastra (Hyderabad, N.I.C.D.), 1970, P, 79.

4- Christaller, W.;Central Places in Southern Germany, cited in Readings in Urban Geography edited by Nayer and kohn-1967, P.204.

5- Bhat,L.S.et.al. : Micro Level Planning : A case study of Karnal Area, Haryana India, Newdelhi- 1967, P.-45.

6- Khan, W. :Extension Lecture on IRD, Hyderabad- 1977, P.1.

7- Prakash Rao, V.L.S. : Problems of Micro-Level Planning in Behavioural sciences and Community Development, vol-6, No1-1972,P,151-

8- op. cit.,fn.3,P.19.

9- op.cit., fn.5,P.45.

10- Moseley, J.M.: Growth centres in spatial Planning, New York-1974, P.-11.

11- christaller, W.: Die zentralem orte in seddeuts chand, Jena translated by C.W. Baskin : Central Places in Southern Germany (New Jersey, 1966)-1973,P.147.

12- Tiwari, R.C. and Khan,N.U. : Spatial organization of Rural Service centres in Pratap Garh Distt., National Geographer, vol.xiv, No.-2- 1984, P.90.

13- Stouffer,S.A. et.al. : Studies in social Psychalogy in world war II, vol 4, cited in sen. L.K. et. al.. : Planning Rural Growth Centres for Integrated Area Development, Hyderabad. NICD-1971, P.-83.

14- Hassinger, E. : The Relationship of Retail Service Patterns in Trade Centre Population Rural Sociology, vol. 22-1957, PP.-235-40.

15- Berry, B.J.L. and Garrison, w. cited in sen, L.K. et.al.: Planning Rural Growth Centres for Integrated Area Development (Hyderabad, NICD, 1971) P-84 op.cit.,fn.3,25, 26 and 27.

16- Godlund, S. : The Functions and Growth of Bus Traffic within the sphere of Influence, Lund studies in Geog., Series B, Human Geog., vol. 18, P.-18.

17- Singh K.N.: spatial Patterns of central places in the middle Ganga Valley,

N.G.I-1., vol. 12, No.4- 1966, PP. 218-26.

18- Dutta, K.N. et. al. Transportation Index in west Bengal: A means to deter-

19- Roy,P. and Patil, B.R.: Manual for Block Level Planning New Delhi,-1977, P.25.

20- op. cit., fn.3, P.19.

21- Sen, L.K. et. al.: Determination of Population Threshold for Settlement Func tions by Red-Muench method, Professional Geographer voll. 16-1964, PP.-6-9.

22- Singh, S.M.: Growth Centres for Faizabad District, 21st I.G.C. vol. 2,1970, PP.-266-67.

23- Sen, L.K. and Tripathi, R.N. et. al.: Growth Centres in Raichur District: An Integrated Area Development Plan for a District in Karnataka, Hyderabad, N.I.C.D.-1975.

24- Nityanand,P. and Bose,S. Integrated Tripal Development Plan Keonjhar District Orrisa, Hyderabad, N.I.C.D. -1976.

25- Khan, W.et.al.: Plan for Integrated Rural Development in Pauri Garhwal. Hyderabad, N.I.C.D.-1976.

26- Singh, S.B.: Spatial Organisation of Sattlement systems, National Geographer, vol. II, No-2-1976, PP.-130-40.

27- Kumar, A. and Sharma, N.: Rural Centres of Services, Geographical Review of India, vol 39, No. 1- 1977,PP.-19-29.

28- Green, F.H.W.: Bus service as an index of Changing Urban Hinterland, T.P.R.-1952, vol.22, PP.345-356.

29- God Lund, S.,: The Functions and Growth of Bus Traffic within the sphere of Urban Influence, Lund studies in Geography, Series B, Human Geography, 1956, No.-18,PP.12-24

30- Bracey, H.E.: Towns and Rural service centres Transactions of the institute of British Geographers-1953, vol.19, PP. 95-105.

31- Reilly,W.J.: The Law of Retail Gravitation (New York: Reilly)-1931.

अध्याय-6

समन्वित विकास नियोजन

PLANNING FOR INTEGRATED DEVELOPMENT

अध्याय-6 समन्वित विकास नियोजन

(CHAPTER-6 PLANING FOR INTEGRATED DEVELOPMENT)

(अ) संकल्पना (Concept) :-

समन्वित क्षेत्र विकास उपागम वस्तुतः किसी भी नियोजित आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। क्षेत्र विकास का समन्वित दृष्टिकोण मात्र तकनीकी सुधारों अथवा कृषि विकास पर ही नहीं समाप्त होता, वरन इसके अन्तर्गत ग्रामीण समाज की रचना, भू-मानव सम्बन्ध, विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक सम्बन्ध, संसाधनों एवं लाभ का समान प्रवाह आदि सभी कारकों को समन्वित ग्रामीण विकास नियोजन के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। समन्वय केवल क्षैतिज रुप से नहीं बल्कि लम्बवत् रुप से भी विचार किया जाना चाहिए, इसके अन्तर्गत संस्थागत परिवर्तन तथा प्रवर्तनात्क संगठन प्रतिरुपों की आवश्यकता होती है। समन्वित क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत कृषि एवं संयुक्त खण्ड, शिक्षा तथा संस्थागत परिवर्तन कार्यक्रम किये जाते हैं। उक्त सभी खण्डों को आपस में एक साथ संयोजित करके ही स्थानीय संसााधनों, मानव, पदार्थ, भूमि और जल की पूर्णतम उत्पादन क्षमताओं का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कृषि एवं उद्योग आपस में अन्तः सम्बन्धित हैं। यह अन्तः सम्बन्ध न केवल कच्चे पदार्थों की आपूर्ति के आधार पर सम्बन्धित है, बल्कि इनका सम्बन्ध उपभोग, विपणन, श्रम उपयोग, प्रतिरुप तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक सुविधाओं से भी है। समन्वित क्षेत्रीय विकास नियोजन के निम्नलिखित तीन उद्देश्य हैं –

1. बेरोजगारी एवं अर्धबेरोजगारी को दूर करना।
2. ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धनतम लोगों के जीवन स्तर को सन्तोषजनक स्थिति तक उठाना।
3. सरकार द्वारा आधारभूत आवश्यकताओं जैसे-स्वच्छ जल, प्रौढ़ शिक्षा, तात्विक शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण सड़कें और ग्रामीण भवन, भूमिहीन और निर्धन लोगों को प्रदान करना।

अध्ययन क्षेत्र मुख्य रुप से ग्रामीण कृषि क्षेत्र है, जिसकी अर्थव्यवस्था का कृषि मेरुदण्ड है। अतः अध्ययन क्षेत्र का आर्थिक विकास इसके कृषि प्रखण्ड के विकास पर विशेष रुप से निर्भर करता है। अनेक अवसर ऐसे हैं, जिनका उपयोग करके हम कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और भोजन, रोजगार तथा आय की समस्याओं को हल कर सकते हैं। गुन्नार मिर्डल ने ठीक ही उल्लेख किया है– दक्षिणी एशिया के दीर्घकालिक आर्थिक विकस के लिए संघर्ष कृषि में जीता या हारा जा सकता है, क्योंकि लाखों लोग जो इस देश में पैदा हुए हैं, उनके लिए इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है।[1]

कृषि विकास के साथ-साथ कृषि आधारित लघु पैमाने के उद्योगों के विकास का मार्ग सभी विद्वानों ने संस्तुत किया है, चूंकि कृषि प्रखण्ड में विकास के उच्च अवसर बहुत अधिक

कृषि विकास मॉडल
कृषि
परिसंरचना
कृषित भूमि का विस्तार
1. कृषि योग्य बर्बाद भूमि का सुधार
2. पड़ती भूमि पर कृषि
विभिन्न अन्तर्निवेश
1. सिंचाई
2. उर्वरक
3. बीज
4. यन्त्र
5. ऋण
कृषि सघनी करण
1. फसल उत्पादन वृद्धि
2. फसल सघनता वृद्धि
3. फसल प्रतिरूप में तर्कसंगत परिवर्तन
4. उपयुक्त फसल चक्र
फसलोपरान्त क्रियायें
1. प्रशंस्करण
2. भण्डारण
3. विपणन
कृषि अन्तर्निवेश
अनुमाप अन्तर्निवेश
1. स्वामित्व की सुरक्षा
2. प्रसार एवं प्रशिक्षण सेवाएं
कृषि आधारित औद्योगीकरण

Fig. - 6.1

सीमित हैं, इसलिए स्वस्थ्य कृषि औद्योगिक संबंधों का विकास एवं रोजगार संबंधी वृद्धि वर्तमान समय की आवश्यकता है।[2] कृषि आधरित औद्योगीकरण प्रादेशिक अर्थव्यवस्था को उत्प्रेरित करता है तथा इस गतिहीनता से बाहर निकालता है। इसलिए किसी भी विकास रणनीति के लिए कृषि औद्योगिक विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है।[3] अध्ययन क्षेत्र का कृषि औद्योगिक विकस ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर पलायन रोकेगा साथ ही परिवहन, सिंचाई, संचार, विद्युत आपूर्ति एवं संसाधन आपूर्ति की आवश्यकतायें पूरी करेगा। यह कृषि उत्पादन के लिए उत्प्रेरक के रुप में कार्य करेगा। अतः इस अध्याय में समन्वित सेवाओं के साथ–साथ क्षेत्रीय विकास के लिए कृषि एवं औद्योगिक प्रखण्डों के विकास पर विशेष बल दिया गया है।

अध्याय दो में भूमि संसाधनों यथा –भू–संसाधन, जलं संसाधन एवं जैव संसाधनों का विवेचन किया गया है। यहां पर कृषि नियोजन के तीन मुख्य्य बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है–

1. **विस्तारशील कृषि नियोजन (Extensive Agricultural Planning) :-**

इसके अन्तर्गत परती भूमि को कम करके शुद्ध बोये गये क्षेत्र के विस्तार के सुझाव दिये गये हैं। साथ ही बंजर भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनाने के तरीके बताये गये हैं।

2. **सघन कृषि नियोजन (Intensive Agricultural Planning) :-**

जिसके अन्तर्गत बहुफसली प्रतिरुप का अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करके विकसित करने के सुझाव दिये गये हैं। अन्ततः बीजों एवं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के सुझाव भी दिये गये हैं।

3. **परिसंरचनात्मक नियोजन (Infrastructural Planning) :-**

इसके अन्तर्गत उचित मशीनरी, वैज्ञानिक तकनीकों तथा अन्य तर्क संगत सुविधाओं को विकसित करने के सुझाव दिये गये हैं।

1. विस्तारशील कृषि नियोजन (Extensive Agricultural Plan ning) :-

कृषि वैज्ञानिक मुख्य रुप से उत्पादन वृद्धि पर ध्यान देते हैं, वे शुद्ध बोये गये क्षेत्र के विस्तार पर अधिक ध्यान देते हैं, क्योंकि ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिये सरल उपाय है।[4] वस्तुतः नियोजक का कार्य भू–सतह के प्रत्येक एकड़ का राष्ट्रीय हित में उचिततम उपयोग करना है।[5]

अध्ययन क्षेत्र में परती भूमि एवं कृषि योग्य बरबाद भूमि का क्षेत्र क्रमशः शुद्ध बोये गये क्षेत्र का 15.23% और 1.22% है। ये दो विकल्प कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए एवं शुद्ध बोये गये क्षेत्र के विस्तार के लिए अच्छे विकल्प प्रस्तुत करते हैं। यदि कतिपय सरकारी एजेन्सियां बंजर एवं बरबाद भूमियों के सुधार में सहायता करे, तो अध्ययन क्षेत्र को खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में सर्वथा जीवन्त बनाया जा सकता है। एक मात्र कठिनाई आर्थिक साध्यता की है। यदि

सरकारी एजेन्सियां, भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा आर्थिक एवं यान्त्रिक सुविधायें उन ग्राम वासियों को प्रदान करें, जिनमें ये भूमियां है, तो अध्ययन क्षेत्र का शुद्ध बोया गया क्षेत्र 94.16% बढ़ाया जा सकता है। यह एक अच्छी उपलब्धि होगी।

इसके अतिरिक्त ऐसे गांवों में किसान सहायता केन्द्र ग्रामीण बैंक, स्कूल एवं स्वास्थ्य केन्द्र खोलकर तथा सम्पर्क मार्गों द्वारा ऐसे गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़कर इनके विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है।

कृषि योग्य बरबाद भूमि का सुधार (Reclaimation of Waste Lands) :-

अध्ययन क्षेत्र में उत्तम मृदा दशाओं वाले क्षेत्र प्राचीन काल से ही कृषि के अन्तर्गत ले लिए गये हैं। वे क्षेत्र, जो भौतिक रुप से नदी और नालेां के कटाव के कारण विकलांग हो गये है, उन्हें सुधार कर कृषि के अन्तर्गत लाया जा सकता है। अध्ययन क्षेत्र की नदियों और नालों ने अपने निकटवर्ती क्षेत्रों को निर्दयता पूर्वक काट दिया है तथा इन्हें उत्खात क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया है। हमीरपुर तहसील में ऐसे क्षेत्र यमुना, बेतवा, महिला नाला (कलौलीतीर), करोरन नाला (सुमेरपुर दे0) आदि के किनारे–किनारे, रोहाइन नाला (कुसमरा) यमुना के किनारे मिश्रीपुर, शेखूपुर, कुसमरा, पत्योरा डांडा आदि न्याय पंचायतें हैं।

इसी तरह करोरन नाला (सुमेरपुर दे0), रोहाइन नाला (कुसमरा), महिला नाला (कलौलीतीर) ऐसे ही कटे–पिटे क्षेत्र हैं, यदि इन कटे–पिटे क्षेत्रों का समुचित ढंग से प्रबन्धन किया जाये तो ये क्षेत्र कृषि के अन्तर्गत लाये जा सकते हैं। इन नदियों और नालों में बाढ़ों के द्वारा होने वाले कटाव को रोकने के लिए तटबन्ध बनाकर बाढ़ के जल को फैलने से रोका जा सकता है। ऊबड़–खाबड़ क्षेत्रों को श्रमिकों अथवा यान्त्रिक विधियों से समतल करके लगभग 980हेक्टेअर कृषि योग्य बरबाद भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाया जा सकता है। यह कार्य एक से दो पंचवर्षीय योजनायें बनाकर पूर्ण यिा जा सकता है।

तालिका संख्या- 6.1

कृषि विकास के लिए भूमि उपयोग नियोजन

क्रम संख्या	न्याय पंचायत	मिट्टी के प्रकार	भूमि उपयोग क्षेत्र (हे0में)		बंजर एवं अकृष्य भूमि (हे0में)	शुद्ध बोया गया क्षेत्र(हे0में)
			कृषि योग्य बर्बाद भूमि	पड़ती भूमि		
1	मिश्रीपुर A	रांकर, मार, दुमट	44	863.40	556.58	3529.30
	P		00.0	000.00	556.58	4436.20
2	शेखूपुर A	रांकर,काबर,मार	63	1175.50	740.99	4394.65
	P		00.0	000.00	740.99	5633.15
3	कुरारादे0A	रांकर,मार,दुमट	14	557.97	102.86	8014.05
	P		00.0	000.00	102.86	8586.02

4	बेरी A	रांकर,काबर,दुमट	94	777.43	1021.40	5179.36
	P		00.0	000.0	1021.40	6050.79
5	पतारा A	रांकर,काबर,मार	111	1167.56	1174.79	5418.13
	P		000.0	000.0	1174.79	6696.69
6	कुसमरा A	काँप,काबर,दुमट	32	1736.56	443.38	5312.51
	P		00.0	000.0	443.38	7081.07
7	छानी बु0A	मार,रांकर,काबर	54	383.67	491.58	4404.77
	P		00.0	0000	491.58	4842.44
8	मवईजारA	काबर,रांकर,मार	57	369.49	519.68	5388.99
	P		00.0	000.0	519.68	5815.48
9	पौथिया A	दुमट,रांकर,काबर	52	1114.12	468.49	4195.95
	P		00.0	000.0	468.49	5362.07
10	कलौलीतीरA	मार,कांप,दुमट	31	535.83	286.16	3384.20
	P		00.0	000.0	286.16	3951.03
11	इंगोहटा A	मार,काबर,दुमट	88	525.28	723.45	6300.35
			00.0	000.0	723.45	6913.63
12	कुछेछा A	मार,काबर,रांकर	64	485.68	580.20	7189.41
	P	काँप,बलुई,रांकर	00.0	000.0	580.20	7739.09
13	पत्योरा A	रांकर,मार,काबर	51	1573.06	377.82	5951.62
	P	रांकर,मार,काबर	00.0	000.0	377.82	7575.68
14	टेढ़ा A	मार,दुमट,रांकर	143	525.69	1227.45	7114.20
	P		000.0	000.0	1227.45	7782.89
15	पन्धरी A	मार,काबर,रांकर	38	401.05	549.30	4661.04
	P		00.0	000.0	549.30	5100.09
16	मुण्डेरा A	रांकर,काबर,मार	44	354.52	361.92	4210.47
	P		00.0	000.00	361.92	4608.99
	योग A		980	12546.81	9626.05	84649
	P				9626.05	98175.81

Where - A = (2000-2001 Actual)

P = (2000-2005 Proposed)

उक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पश्चिम में बेरी (94हे0), पूर्व में टेंढ़ा (143हे0), दक्षिण में इंगोहटा (88हे0), कुछेदा (64हे0), मवईजार (52हे0), शेखूपुर (63हे0) आदि क्षेत्रों में कटाव की समस्या है। इन क्षेत्रों को कृषि के अन्तर्गत लाने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए–

1. क्षेत्र में नदी और नालों के दोनों किनारों पर तटबन्ध बनाये जायें।
2. तटबन्धों पर सघन वृक्षारोपण किया जाये।
3. ऊबड़–खाबड़ क्षेत्र को बुल्डोजर और मानव शक्ति द्वारा समतल किया जाये।
4. फैलने वाली घासें, बेलें आदि कम से कम दो वर्ष के लिए उगायी जायें, जिससे मृदा उर्वरता बढ़ सके।

पड़ती भूमि को कम करना (Minimization of Fallow Land) :-

अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई की समुचित सुविधाओं के अभाव के कारण कृषकों को मजबूर होकर परती भूमि छोड़नी पड़ती है। यह पड़ती वार्षिक तथा अर्धवार्षिक प्रकार की होती है। हमीरपुर तहसील में जुलाई से सितम्बर तक वर्षा होती है। शेष महीने शुष्क प्राय होते हैं, कोई वैकल्पिक सिंचाई के स्रोत न होने के कारण कृषक केवल एक फसल ही उगा पाते हैं, जिसका उत्पादन भी न्यून प्राप्त हो पाता है। यदि सिंचाई के साधन उपलब्ध करा दिये जायें और शुष्क कृषि पद्धति अपना ली जाये तो परती भूमि को शुद्ध कृषि के रुप में परिवर्तित की जा सकती है और परती भूमि समाप्त हो जायेगी। इस प्रकार से 12248.43 हेक्टेअर परती भूमि को कृषि क्षेत्र में, शुद्ध बोये गये क्षेत्र में परिवर्तित किया जा सकता है। कुसमरा, पत्योरा, पौथिया, पतारा, शेखूपुर जैसे न्याय पंचायतों में बड़े–बड़े क्षेत्र परती के रुप में विद्यमान हैं, इन्हें समाप्त कर पांच वर्षों के अन्तर्गत शुद्ध बोये गये क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है।

बंजर एवं अकृष्य भूमि का सुधार (Reclaimation of Barren and Un-cutivable Land) :-

प्रायः प्रत्येक न्याय पंचायत में बंजर एवं अकृष्य क्षेत्र हैं, जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बंजर क्षेत्रों की ऊपरी पर्त हटाकर तथा सिंचाई एवं कम्पोस्ट खाद का प्रयोग करके उन्हें कृषि योग्य बनाया जा सकता है। कहीं–कहीं पर रेह के छोटे क्षेत्र भी पाये जाते हैं, जिनके सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग करके तथा जलभराव की क्रिया को रोककर कृषि क्रिया के अन्तर्गत लाया जा सकता है। हमीरपुर तहसील में 9626.05 हे0 क्षेत्र का सुधार करके शुद्ध बोये गये क्षेत्र में बढ़ोत्तरी की जा सकती है। टेंढ़ा, पतारा, बेरी न्याय पंचायतों में ऐसे बड़े बंजर क्षेत्र हैं, जिनको सुधार कर भूमिहीन कृषकों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध करायी जा सकती है।

2.सघन कृषि नियोजन (Intensive Agricultural Planning) :-

चूंकि अध्ययन क्षेत्र का क्षेत्रफल सुनिश्चित एवं सीमित है, जिसमें विस्तार एवं वृद्धि की संभावनायें सीमित हैं। अतः सघन कृषि नियोजन को बढ़ावा देना आवश्यक हो जाता है। आधुनिक कृषि प्रवर्तनों जैसे उन्नत बीज, उर्वरकों का प्रयोग, वैज्ञानिक विधि, कीटनाशकों का प्रयोग, रोगनाशकों का प्रयोग, थ्रेसर, विन्नोइन पंखों आदि का उपयोग करके कृषि सघनीकरण किया जा सकता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाना तथा बहुफसली कृषि को अपनाना सघन नियोजन का मुख्य उद्देश्य है– इसमें फसल चक्र का विशेष ध्यान रखा जाता है। अध्ययन क्षेत्र में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र शुद्ध बोये गये क्षेत्र का मात्र 11.99% है। सामान्यतया द्वितीय फसल का उत्पादन विकास अवधि कम होने के कारण पर्याप्त न्यून होता है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि के सघनीकरण के पर्याप्त अवसर विद्यमान हैं, किन्तु जब तक एक सुसंगठित कृषि परिसंरचना प्रदान नहीं की जाती, तब तक सघनीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि केवल सिंचाई की ही व्यवस्था कर दी जाये तो सकल बोये गये क्षेत्र में पर्याप्त सीमा तक वृद्धि की जा सकती है। सिंचाई की सुविधा बढ़ जाने से एक फसली क्षेत्र को दो फसली क्षेत्र में तथा दो फसली क्षेत्र को तीन फसली क्षेत्र में परिवर्तित किया जा सकता है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाने पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी सरलता से किया जा सकेगा, जो फसलोत्पादन में वृद्धि करेगा। इस प्रकार से सघनीकरण के द्वारा उच्च उत्पादकता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित सुझावों का अनुपालन करके फसल सघनता को बढ़ाया जा सकता है।

फसल सघनता में वृद्धि (Increasing Cropping Intensity) :-

फसल सघनता का अर्थ है एक वर्ष में किसी खेत में बोयी जाने वाली फसलों की संख्या। फसलों की संख्या में वृद्धि करना कृषकों की अर्थव्यवस्था के सृदृढ़ीकरण का मुख्य आधार है। अध्ययन क्षेत्र में एक से अधिक बार बोये जाने के लिए पर्याप्त क्षेत्र विद्यमान है, क्योंकि शुद्ध बोये गये क्षेत्र का बहुत थोड़ा भाग ही दो फसली क्षेत्र के अन्तर्गत है। यह मात्र 11.99% है, जबकि सिंचित क्षेत्र शुद्ध बोये गये क्षेत्र का 29.12% है। अतः इस सिंचित क्षेत्र को अविलम्ब दो फसली क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जा सकता है। (तालिका संख्या– 6.2)

दो फसली क्षेत्र के आधार पर हमीरपुर तहसील की न्याय पंचायतों को निम्नलिखित पाँच वर्गों में रखे सकते हैं–

1. 5% से कम दो फसली क्षेत्र न्यायपंचायतें :-

जिन न्याय पंचायतों में दो फसली क्षेत्र 5% से कम है वे हैं–पंधरी, टेढ़ा और पत्योरा इन न्याय पंचायतों में सिंचाई के साधनों की पर्याप्त कमी है। इन न्याय पंचायतों में फसल सघनता में वृद्धि की उच्च क्षमतायें हैं। यदि परिसंरचनात्मक अन्तनिर्वेश विशेष रुप से

HAMIRPUR TAHSIL
CROPPING INTENSITY
N
79°47'50''E
80°22'E
26°6'N
25°40'40''N
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 KM.
YAMUNA RIVER
BETWA RIVER
HAMIRPUR
INDEX
BELOW 5%
5% TO 10%
10% TO 15%
15% TO 20%
ABOVE 20%

FIG-6.2

सिंचाई की सुविधायें बढ़ा दी जायें, तो इन न्याय पंचायतों के बड़े हिस्से को दो फसली क्षेत्रों में परिवर्तित किया जा सकता है। इन न्याय पंचायतों में करोरन नाला और लरहार नाला प्रवाहित हैं, जिनके किनारे कटी–पिटी भूमियां हैं, जहां नहर और कुओं का निर्माण अत्यन्त कठिन है। अतः इन नालों के जल को चेकडेम्स के द्वारा रोककर सिंचन क्षमता बढ़ायी जा सकती है। ये चेकडेम्स न केवल दो फसली क्षेत्र मे वृद्धि करेंगे, बल्कि ग्रामवासियों की जल की आवश्यकताओं की आपूर्ति भी करेंगे। पशुओं के लिए जल उपलब्ध होगा। अधोभौमिक जल रिचार्ज होगा। मृदा कटाव में कमी आयेगी। वनावरण में वृद्धि होगी तथा सम्पूर्ण पर्यावरण संरक्षित होगा।

2. 5% से 10% दो फसली क्षेत्र न्याय पंचायतें :-

पाँच से दश प्रतिशत दो फसली क्षेत्र रखने वाली न्याय पंचायतों में पतारा, बेरी, कुसमरा और इंगोहटा हैं। कुसमरा न्याय पंचायत में सिंचित क्षेत्र 28.03% है, जबकि दो फसली क्षेत्र मात्र 6.37% है। इस न्याय पंचायत के कृषकों को प्रसार एवं प्रशिक्षण सेवायें उपलब्ध कराकर दो फसली क्षेत्र में चार से पाँच गुनी तक वृद्धि की जा सकती है। इसी प्रकार से बेरी न्याय पंचायत में सिंचित क्षेत्र दो फसली क्षेत्र का लगभग चार गुना है, जिसे बहुफसली तन्त्र के अन्तर्गत लाया जा सकता है। पतारा न्याय पंचायत में भी लगभग यही स्थिति है। यहां भी सिंचित क्षेत्र दो फसली क्षेत्र से लगभग चार गुना है, जिसे दो फसली क्षेत्र में परिवर्तित करना सरल है। इंगोहटा न्याय पंचायत में सिंचित क्षेत्र दो फसली क्षेत्र का लगभग 1½ गुना है, जिसे तदनुसार बढ़ाया जा सकता है। कृषकों को प्रोत्साहित करके एवं समुचित फसलों का ज्ञान कराकर इस क्षेत्र को बहुफसली क्षेत्र में सरलता पूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है। ये न्याय पंचायतें यमुना एवं बेतवा नदियों के निकट स्थित हैं। उचित स्थानों का सर्वेक्षण करके पम्प नहरें बनाकर सिंचित क्षेत्र एवं बहुफसली क्षेत्र में और अधिक वृद्धि की जा सकती है।

तालिका संख्या- 6.2

हमीरपुर तहसील की विभिन्न न्याय पंचायतों में शुद्ध बोया गया क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र एवं दो फसली क्षेत्र वर्ष– 2001

क्रम संख्या	न्याय पंचायतें	शुद्ध बोया गया क्षेत्र (हे0में)	सिंचित क्षेत्र		दो फसली क्षेत्र	
			हे0 में	शुद्ध बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत	हे0में	शुद्ध बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत
1	मिश्रीपुर	3323.30	1354.33	40.75	448.33	13.49
2	शेखूपुर	4188.65	1425.57	34.03	519.57	12.40
3	कुसमरा	5106.51	1431.25	28.03	325.25	6.37
4	कुरारा देहात	7806.56	1336.06	24.80	1046.06	13.39

5	बेरी	4973.36	1249.52	25.12	343.52	6.91
6	पतारा	5212.13	1089.27	20.89	310.27	5.95
7	छानी बु0	4075.77	2290.63	56.20	1121.63	27.52
8	मवईजार	5059.99	1959.55	38.73	890.55	17.59
9	पौथिया	3866.95	2365.05	61.16	1196.05	30.95
10	कलौलीतीर	3055.20	2133.51	69.83	964.51	31.57
11	इंगोहटा	5971.35	1345.65	22.54	545.65	9.14
12	सुमेरपुर दे0	6856.42	2108.34	30.75	1038.64	15.15
13	पत्योरा	5622.62	268.80	4.78	133.77	2.38
14	टेढ़ा	6785.20	590.21	8.69	190.21	2.80
15	पन्धरी	4332.04	533.77	12.32	140.50	3.24
16	मुण्डेरा	3881.47	1248.49	32.17	398.49	10.27
	योग	80117.52	23330	29.12	9613.00	11.99

स्रोत–सांख्यकीय पत्रिका, जनपद–हमीरपुर–2001.

3. 10% से 15% दो फसली क्षेत्र न्याय पंचायतें :-

इस वर्ग के अन्तर्गत मिश्रीपुर, शेखूपुर, कुरारा दे0 और मुण्डेरा न्याय पंचायतें हैं। मिश्रीपुर न्याय पंचायत में सिंचित क्षेत्र दो फसली क्षेत्र का लगभग तीन गुने से अधिक है, जिसे बहुफसल प्रणाली के अन्तर्गत लाना सरल है। इसी प्रकार से शेखूपुर न्याय पंचायत में भी सिंचित क्षेत्र दो फसली क्षेत्र का तीन गुना है, जिसे दो फसली क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जा सकता है। कुरारा दे0, न्याय पंचायत में सिंचित क्षेत्र लगभग दो गुना है। इसी प्रकार मुण्डेरा न्याय पंचायत में भी सिंचित क्षेत्र लगभग तीन गुना है, जिसमें फसलों का सघनीकरण किया जा सकता है। कुसमरा, मिश्रीपुर और शेखूपुर न्याय पंचायतें यमुना नदी के सन्निकटवर्ती क्षेत्रों में हैं, जहां पम्प कैनाल द्वारा सिचाई की व्यवस्था करना सरल होगा।

4. 15% से 20% दो फसली क्षेत्र न्याय पंचायतें :-

इस वर्ग के अन्तर्गत, सुमेरपुर दे0 एवं मवई जार न्याय पंचायतें जिनमें से सुमेरपुर दे0 में दो फसली क्षेत्र– 15.15% एवं सिंचित क्षेत्र– 30.75% है तथा मवईजार न्याय पंचायत में दो फसली क्षेत्र 17.59% तथा सिंचित क्षेत्र 38.73% है। सम्पूर्ण सिंचित क्षेत्र को दो फसली के अन्तर्गत सम्यक् अन्तर्निवेश द्वारा लाया जा सकता है।

5. 20% से अधिक दो फसली क्षेत्र न्याय पंचायतें :-

20% से अधिक दो फसली क्षेत्र प्रदर्शित करने वाली न्याय पंचायतों में छानी बु0, पौथिया और कलौलीतीर हैं। छानी बु0 में दो फसली क्षेत्र 27.52% है, जबकि सिंचित क्षेत्र 56.2% है।

उन्नत बीजों, मशीनों तथा प्रसार सेवायें प्रदान करके 56.2% क्षेत्र को बहुफसली क्षेत्र बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से पौथिया और कलौलीतीर में सिंचित क्षेत्र दो फसली क्षेत्र से दोगुना है, जिसमें बहुफसल प्रणाली विकसित की जा सकती है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि सिंचन सुविधाओं, मशीनों, उर्वरकों, प्रसार सेवाओं एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करके अध्ययन क्षेत्र में फसलों का सघनीकरण किया जा सकता है और उत्पादन में बहुगुणित वृद्धि की जा सकती है। कृषकों को प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण इस लक्ष्य की प्राप्ति में विशेष लाभदायक सिद्ध होगें।

परिसंरचनाओं का प्राविधान (Provision of Infrastructure) :-

अध्ययन क्षेत्र प्रधानतः कृषि अर्थव्यवस्था वाला होने के कारण परिसंरचनात्मक सुविधाओं को दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं।

1. कृषिगत परिसंरचनायें या कृषिगत अन्तर्निवेश।
2. सेवा केन्द्रों एवं सेवाओं का प्राविधान।

1. कृषिगत परिसंरचनायें (Agricultural Infrastructures) :-

कृषकों की कृषिगत आपूर्ति के लिए तथा कृषि क्षेत्र का विस्तार तथा फसलों का सघनीकरण तभी सम्भव हो सकता है, जबकि आवश्यक परिसंरचनायें एवं अन्तनिर्वेश कृषि क्षेत्र को प्रदान किया जाये।

कृषि निवेशों के अन्तर्गत वे सभी सुविधायें सम्मिलित हैं, जो वर्तमान कृषि प्रणाली को दक्ष एवं कुशल बना सकें। ये कृषि अर्न्तनिवेश दो वर्गों में विभक्त किये जा सकते हैं–

(i) चर अन्तर्निवेश (Variable Inputs).

(ii) परिमापकीय अन्तर्निवेश (Parametric Inputs).

चर अन्तर्निवेश वे हैं, जो प्रत्यक्ष रुप से कृषि उत्पादन करते हैं, तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न–भिन्न होते हैं। ऐसा इनकी आपूर्ति एवं मांग के आधार पर होता है। सिंचाई के साधन, उर्वरक, उन्नत बीज, कृषि यन्त्र, ऋण सुविधायें, महत्वपूर्ण चर अन्तर्निवेश हैं। परिमापकीय अन्तर्निवेश वे हैं, जो स्थायी अन्तर्निवेश होते हैं तथा कृषि कार्यों के लिए एक सामान्य ढ़ांचा तैयार करते हैं, जिसमें चर अन्तर्निवेश कार्य करते हैं। भू–स्वामित्व, नवीन प्रवर्तन, ज्ञान का प्रसारण, विविध प्रकार की प्रसार एवं प्रशिक्षण सेवायें आदि परिमापकीय अन्तर्निवेशों के अन्तर्गत हैं। इन अन्तनिर्वेशो के लिए कृषकों को कुछ भी निवेश नहीं करना पड़ता।

सिंचाई (Irrigation) :-

अध्याय दो में सिंचाई के विविध साधन,सिंचित क्षेत्र, फसल प्रतिरुप पर सिंचाई का प्रभाव तथा अध्ययन क्षेत्र में फसल सघनता का विवरण दिया गया है। वर्तमान समय में उन्नत बीजों एवं रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग फसलों के प्रचुर उत्पादन के लिए अत्यन्त आवश्यक है, जो

HAMIRPUR TAHSIL
PROPOSED LIFT CANALS
N
79°47'50''E
80°22'E
26°6'N
25°40'40''N
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 KM.
Y A M U N A R I V E R
B E T W A R I V E R
MISRIPUR
BILAUTA
BHAUNU
SHEKHUPUR
KURARA
KURARA RURAL
KUSMARA
MERAPUR
HAMIRPUR
PATYORA
SURAULI BUZURG
KALAULI TEER
PATARA DANDA
KANDAUR
PAUTHIYA
SUMERPUR RURAL
SUMERPUR
TENDHA
BERI
INDRAPURI
CHHANI
SAHURAPUR
PANDHARI
MAVAIJAR
CHHANI BUZURG
INGHOTA
MUNDERA
INDEX
PROPOSED LIFT CANAL
NYAY PANCHAYAT HEAD QUARTER
BLOCK HEAD QUARTER
DISTRICT HEAD QUARTER

FIG- 6.3

अन्ततः सिंचन सुविधाओं के समुचित प्रबन्धन पर निर्भर है। लगभग 29.12% शुद्ध बोया गया क्षेत्र ही सिंचाई प्राप्त करता है। शेष 70.88% सिंचाई की सुविधा की आवश्यकता महसूस कर रहा है। छानी बु0, पौथिया और कलौलीतीर न्याय पंचायतें नलकूपों और लिफ्ट नहर की सुविधा के कारण 50% से 70% शुद्ध बोया गया क्षेत्र सिंचाई प्राप्त कर लेता है। मिश्रीपुर, शेखूपुर, सुमेरपुर दे0 और मुण्डेरा न्याय पंचायतों में 30% से 40% शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। न्याय पंचायतों में नलकूपों की सफलता के कारण सिंचित क्षेत्र बढ़ा है। यदि इन न्याय पंचायतों में पम्प कैनाल अथवा चेकडेम्स का प्रबन्ध कर दिया जाये तो इनमें फसल सघनता और उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। पन्धरी, टेंढ़ा, पतारा, बेरी और कुसमरा न्याय पंचायतें में ट्यूबबेल अथवा पम्प कैनाल के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराना अत्यन्त आवश्यक है। यमुना, बेतवा नदियों में कुछ स्थलों पर लिफ्ट नहर के लिए (चित्र संख्या– 6.3) स्थानों का सुझाव दिया गया है। वहां से यदि लिफ्ट नहरें निकाल दी जायें तो कुसमरा, शेखूपुर, मिश्रीपुर, पतारा, बेरी, पत्योरा, कुछेछा, कलौलीतीर आदि न्याय पंचायतें सिंचाई प्राप्त कर सकती हैं। निम्नलिखित तालिका में न्यायपंचायतवार प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र तथा प्रस्तावित सिंचित गावों का विवरण दिया गया है।

तालिका संख्या- 6.3

हमीरपुर तहसील में प्रस्तावित लिफ्ट नहरों से सम्भावित सिंचित क्षेत्र

क्रम संख्या	लिफ्ट कैनाल	न्यायपंचायतें (लाभान्वित)	कुल क्षेत्र (हे0में)	शुद्ध बोया गया क्षेत्र (हे0 में)	सिंचित क्षेत्र (हे0 में)	लाभान्वित ग्रामों के नाम	सिंचित क्षेत्र (हे0 में)
1	बिलौटा पम्प कैनाल	शेखूपुर, मिश्रीपुर	6121	3961	2969	बिलौटा, भितरी बचरौली, बरुवा सिमरा, निरनी सिवनी	1389
2	भौली पम्प	शेखूपुर	3551	2155	1866	भौली, कोतूपुर, जमरेही, भटपुरा, शेखूपुर	725
3	मेरापुर पम्प	कुसमरा	4100	2756	2542	मेरापुर, चन्दूपुर, कुसमरा, सिकरोढ़ी, कनौटा	831
4	रमेड़ी पम्प	कुसमरा	3704	2445	2231	रमेड़ी, गिमुहा, रिठौरा,	629
5	कण्डौर पम्प	पतारा डांडा	8165	5418	4659	कण्डौर, पारा, पतारा, नैठी	1089

6	इन्द्रपुरी पम्प	बेरी	7950	4979	4169	इन्द्रपुरी,देवीगंज रानीगंज, बेरी ककराऊ	1249
7	छानी पम्प	छानी	5076	4404	4001	मोराकादर,परसनी धनपुरा, छानी, खड़ेही	2290
8	सहुरापुर पम्प	पौथिया	3500	4195	3866	पौथिया,कुम्हऊपुर कलौलीजार, ललपुरा,उजनेड़ी	2365
9	पत्योरा पम्प	पत्योरा,	10343	8951	7933	पत्योरा, जलाला,	789
		टेढ़ा,				भभौरा,गहलौती,	
		पन्धरी				बड़ागांव,रिगनी, देवगाँव,पंधरी	
10	सुरौली बुजुर्ग	पत्योरा,	8145	6569	5989	सुरौली बु0,	695
		टेढ़ा				पचखुरा बु0, टेढ़ा, इसौली	
	योग		60655	45833	40225		12051

उक्त तालिका में दिये गये सुझाव के अनुसार कुल शुद्ध बोये गये क्षेत्र का 87.7% क्षेत्र सिंचित क्षेत्र एवं बहुफसली क्षेत्र के अन्तर्गत आ जायेगा, जिससे अध्ययन क्षेत्र का आर्थिक स्तर उन्नत होगा। अतिरिक्त कृषि उत्पाद कृषि आधारित उद्योगों के लिए सुदृढ़ आधार प्रस्तुत करेंगे, जिससे अन्ततः जनसामान्य का जीवन स्तर उठ सकेगा। सिंचाई की इन सुविधाओं का प्रबन्ध करने के साथ–साथ अशिक्षित एवं अर्धशिक्षित कृषकों को प्रसार एवं प्रशिक्षण प्रदान करना भी अत्यन्त आवश्यक होगा।

प्रसार प्रशिक्षण एवं परिसंरचनात्मक प्रबन्धन (Extension Training and Infrastructural Management) :-

प्रारम्भ में कृषक नवीन प्रर्वतनों एवं तकनीकी आविष्कारों को अपनाने में उदासीन होते हैं।[6] ''कृषकों में गतिशीलता एवं रुचिहीन दृष्टिकोण के मुख्य कारण धर्म एवं मानसून का प्रभाव एवं प्रकृति कहे जा सकते हैं।[7] लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि तकनीकी प्रवर्तन सघन प्रशिक्षण एवं शिक्षा कार्यक्रमों की मांग करते हैं। यह कार्य कुशल प्रसार तन्त्र द्वारा किया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश अध्ययन क्षेत्र में यह सेवायें अत्यन्त कमजोर हैं। समाज अथवा उसकी इकाई किस सीमा तक रुपान्तरित होगी। यह तथ्य नवीन प्रवर्तनों के व्यक्ति

से व्यक्ति तक विसरण की शुद्धता, गति और प्रभावशीलता पर निर्भर करता है,[8] जैसा कि योजना आयोग द्वारा सुझाव दिया गया है[9] – कि तकनीक के प्रभावी अन्तरण कि लिए यान्त्रिक विधियां को शक्ति प्रदान करना अत्यन्त आवश्यक होगा। यह कार्य शोध केन्द्रों से लेकर कृषकों तक करना पड़ेगा।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्पादन सहित प्रसार तकनीक में संलग्न कर्मियों को आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक होगा।[10] केवल प्रशिक्षित एवं समर्पित अभिकर्ता ही कृषकों के बीच में नवीन प्रवर्तनों का विसरण कर सकते हैं। इसके लिए खेतों में प्रदर्शन, आधारभूत शिक्षा, सम्बन्धित साहित्य, दृश्य–श्रव्य सहायता और कृषकों का औपचारिक प्रशिक्षण आवश्यक होगा। इस प्रकार की परिसंरचना एवं सेवायें प्रदान करने के लिए सेवा केन्द्रों का एक संजाल प्रस्तावित किया गया है, जिनमें कृषि प्रशिक्षण एवं प्रसार सेवाओं के साथ–साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवहन एवं संचार सेवाओं का सुझाव दिया गया है।

विपणन सुविधायें (Marketing Facilities) :-

हमीरपुर तहसील में हमीरपुर नगर जिला मुख्यालय है, जहॉ एक स्थायी बाजार है। तहसील के कृषक अपने कृषि उत्पादों को बैलगाड़ियों, ट्रेक्टर, इक्का, तांगा और घोड़े में लादकर हमीरपुर विपणन केन्द्र में लाते है, और विक्रय करते हैं। यहाँ पर बया एवं अन्य मध्यस्थ लोगों के माध्यम से अपने उत्पादों का विक्रय करते हैं, जिससे उनको लाभ का पूर्णतम हिस्सा प्राप्त नहीं हो पाता। इनके लाभ का कुछ अंश बिचौलिये ले जाते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उत्तर–प्रदेश सरकार ने कृषकों के उत्पादन का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए अध्ययन क्षेत्र में कुरारा एवं सुमेरपुर विकास–खण्ड मुख्यालयों में मण्डी समितियों का निर्माण किया है, जहाँ पर कृषक अपने उत्पाद लाकर सीधे सरकारी एजेन्सियों को विक्रय कर सकते हैं और अपने उत्पादन का सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इन मण्डी समितियों में विक्रय शेड, पक्के मार्ग, सही माप तौल के लिए सही बांट और चेक द्वारा तुरन्त भुगतान की व्यवस्था की गयी है। राज्य सरकार प्रतिवर्ष प्रत्येक फसल का समर्थन मूल्य घोषित करती है। इस मूल्य पर कोई भी कृषक आकर अपना उत्पाद विक्रय कर सकता है और अन्य किसी प्रकार की कटौती किये बगैर अपने उत्पाद का मूल्य प्राप्त कर सकता है।

उक्त दो मण्डी समितियां तहसील में अपर्याप्त हैं। तहसील के सभी कृषक इन मण्डियों तक नही पहुँच पाते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि छानी, हमीरपुर, बेरी तथा पत्योरा में मण्डी समितियों की स्थापना एवं निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे कृषक को उचित मूल्य पर अपनी फसलों के विक्रय का अवसर प्राप्त हो सके।

कुरारा, सुमेरपुर और छानी में लगने वाली साप्ताहिक एवं द्विसाप्ताहिक बाजारों में पक्के मार्गों, जलापूर्ति, विक्रय प्लेटफार्मों तथा बैलों आदि को बांधने के लिए समुचित व्यवस्था करके इनकी गुणवत्ता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। सुमेरपुर में प्रत्येक बुधवार को लगने

वाली पशु बाजार में पशुओं के बांधने, सानी–भूषा देने, गोबर निस्तारण एवं बैंकिंग की सुविधायें बढ़ाकर इसे और अधिक लोकप्रिय बनाया जा सकता है। यहां पर एक सरकारी एजेन्सी स्थापित की जाये, जो आने वाले पशुओं एवं विक्रय होने वाले पशुओं का पंजीकरण एवं क्रेता–विक्रेता के पते एवं पशु के मूल्य का विवरण अंकित करे, जिससे किसी प्रकार का विवाद होने पर इस एजेन्सी की मदद ली जा सके।

सहकारिता (Co-operation) :-

यद्यपि हमीरपुर तहसील में सहकारी समितियों तथा अन्य सहकारी संस्थाओं का अभाव है, फिर भी कृषि औद्योगिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एवं कृषकों को आवश्यक सुविधायें जैसे–बीज, उर्वरक, ऋण, प्रसार सेवायें आदि प्रदान करने के लिए कृषक सेवा समितियों तथा वृहद बहुउद्देशीय समितियों की आवश्यकता है। ऐसी ही सहकारी समितियां कृषकों को न्यून ब्याज पर ऋण प्रदान करा सकती है। बैल और भैंस खरीदने के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध करा सकती हैं, अनेक योजनाओं द्वारा दी जाने वाली छूट (सब्सिडी) दिला सकती है तथा कृषि आधारित, पशु आधारित एवं वनाधरित उद्योगों को लगाने के लिए वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने में मदद कर सकती है। ये समितियां मिलकर मुर्गीपालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, बागानी कृषि, रेशम के कीड़े पालना, नर्सरी लगाना, बेयर हाउस बनाना, शीत गृह बनाना जैसे महत्वपूर्ण व्यवसाओं को प्रोत्साहित कर सकती हैं। ये समितियां शुष्क एवं परित्यक्त कुओं, तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं, जिससे अध्ययन क्षेत्र में जल राशियों की जलधारण क्षमता में वृद्धि होगी तथा औद्योगिक जल स्तर में भी वृद्धि होगी। ये समितियां बंजर सुधार तथा भूमि सुधार के अन्य कार्यक्रम अपने हाथ में ले सकती हैं एवं कृषि क्षेत्र का विस्तार कर सकती हैं।

स्थानीय कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए सहकारी समितियां छोटे मोटर वाहनों का प्रबन्ध करके नकदी फसलों, सब्जियों, दुग्ध उत्पादों आदि को शीघ्रातिशीघ्र विपणन केन्द्रों तक पहुँचा सकती हैं। इस प्रकार से ये समितियां फसलों के उत्पादन के साथ–साथ लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, वनोद्योग आदि के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर सकती हैं। मृदा एवं जल प्रबन्धन की परियोजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र में प्राप्त कर सकती हैं। लघु कृषकों, सीमान्त कृषकों एवं कृषि श्रमिकों के लिए चलने वाली योजनाओं से उन्हें अवगत कराकर लाभ प्रदान कर सकती हैं। सामाजिक वानिकी, पुनः वृक्षारोपण तथा मत्स्य विकास सम्बन्धी योजनाओं का भरपूर लाभ अपने गांव को प्रदान कर सकती हैं।

सहकारी समितियां, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओं जैसे–सूती, ऊनी और रेशमी खादी, खाद्यान्नों एवं दालों का प्रसंस्करण, तेलधानी, खाण्डसारी एवं गुड़–निर्माण, माचिस निर्माण, अखाद्य तेल एवं साबुन निर्माण, हस्तनिर्मित कागज निर्माण,

कुम्हार गिरी, चर्मशोधन, रेशा आधारित उद्योग, गोंद एवं रालनिर्माण उद्योग, चूना तैयार करना, चिकित्सकीय महत्व के वन्य जड़ी–बूटियों एवं फलों का संग्रह, लोहार गिरी, बढ़ईगिरी, मीथेन गैस का निर्माण एवं गोबर खाद निर्माण, बांस एवं बेत का कार्य, कत्था निर्माण, फल प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण, घरेलू बर्तनों का निर्माण जैसे कार्य सकुशल संचालित कर सकती हैं।

उपरोक्त उद्योगों के संचालन में कृषि मंत्रालय, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय हस्त शिल्प बोर्ड, जिला उद्योग केन्द्र, कृषि सेवा केन्द्र जैसी संस्थायें, सहकारी समितियों को पर्याप्त सुविधायें देकर ग्रामीण औद्योगिक विकास के संवर्धन में सहयोग दे सकती हैं। अतः आवश्यक है कि हमीरपुर तहसील में सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहित किया जाये और यहां की कृषि औद्योगिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जाये।

(स) औद्योगिक विकास नियोजन (Planning for Industrial Development) :-

विकासशील देशों में जहाँ कृषि, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। कृषि आधारित औद्योगीकरण, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साधन है। चूंकि कृषि प्रखण्ड में रोजगार के अवसर सीमित हैं तथा यह किसी भी दशा में ग्रामीण अंचलों में बढ़ती श्रम शक्ति को समाहित नहीं कर सकता। कृषि औद्योगिक सम्बन्धों का सशक्तीकरण, रोजगार क्षमताओं के कृष्येत्तर वृद्धि के लिए समय की मांग एवं आवश्यकता है।[11] कृषि आधारित औद्योगीकरण चारों ओर उत्प्रेरकों का विकिरण करेगा तथा अर्थव्यवस्था को गति शून्यता से बाहर निकालेगा। इस प्रकार से किसी भी विकास रणनीति के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होगा।[12] यह न केवल ग्रामीण पूंजी एवं व्यक्तियों के नगरों की ओर प्रवाह को रोकेगा, बल्कि कृषि, सिंचाई, परिवहन, इत्यादि की बढ़ती आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा तथा कृषि उत्पादों में उत्प्रेरक वृद्धि करेगा।

यह खेद का विषय है कि वर्तमान समय तक औद्योगिक क्रियायें नगरीय क्षेत्रों तक ही सीमित है और वह भी कुछ गिने–चुने नगरों में है। यह सन्तुलित आर्थिक विकास के लिए हितकर नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु, मध्यम एवं कुटीर पैमाने के स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योग लगाये जाने चाहिए।[13] इस प्रकार से स्थानीय स्तर पर रोजगार उत्पन्न होगा। स्थानीय संसाधनों का उपयोग होगा। श्रम आधारित तकनीक प्रयोग में लायी जायेगी। स्थानीय लोगों के मांग की वस्तुयें पैदा होंगी तथा कृषि क्षेत्र के लिए भी इसका लाभदायक पश्च प्रभाव होगा।[14] यह तथ्य गाँधी जी के ग्राम स्वराज्य और आत्मनिर्भर ग्रामों की संकल्पना को भी पूर्ण करेगा।

औद्योगिक विकास के लिए सम्भावनायें (Prospects for Industrial Development) :-

अग्रगामी वर्तमान औद्योगिक संरचना से यह स्पष्ट होता है कि हमीरपुर तहसील की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्रियाओं का योगदान नगण्य है। यह कच्चे पदार्थों के अभाव के कारण

नहीं है, क्योंकि हमीरपुर तहसील में कृषि क्षेत्र में अच्छी दक्षतायें एवं सम्भावनायें हैं। वास्तव में यह औद्योगिक प्रोत्साहन के अभाव के कारण है, यथा–वित्तीय सुविधायें, सस्ती एवं निःशुल्क भूमियां, लघु पैमाने के उद्योगों में प्रबन्धन की सहायता, बेहतर संचार एवं विपणन सुविधायें आदि, जो ग्रामीण औद्योगीकरण प्रक्रिया के आधार स्तम्भ हैं। हमीरपुर तहसील मे औद्योगीकरण दो प्रकार से हो सकता है–

1. उन उद्योगों के लगाने से जो कृषि, पशु एवं मत्स्य और वन उत्पादों को कच्चे पदार्थ के रुप में प्रयोग करते हों।
2. ऐसे उद्योग लगाने से, जो कृषि प्रखण्ड की सेवा करते हों, जो कृषि यन्त्र बनाने के उद्योग तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि में सहायक उद्योग हों।

कृषि, पशु, मत्स्य एवं वनोत्पादों का उपयोग करने वाले उद्योग :-

यद्यपि हमीरपुर तहसील खनिज एवं वन संसाधनों में निर्धन है, किन्तु यह कृषि क्षेत्र में अच्छी सम्भावनयें रखती है। गेंहूँ, चना, तिलहन, ज्वार जो कृषि आधारित उद्योगों को आधार प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त तिलहनों एवं दलहनों के क्षेत्र के विस्तारीकरण एवं सघनीकरण की व्यापक सम्भावनायें हैं। तिलहनों एवं दलहनों का अतिरिक्त उत्पादन औद्योगीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान कर सकता है।

पशु आधारित उद्योगों के विकास की भी हमीरपुर तहसील में अच्छी सम्भावनाये हैं। हमीरपुर, सुमेरपुर, कुरारा, कुछेछा आदि नगरीय क्षेत्रों में दूध और डेरी उद्योग की बढ़ती हुई मांग को देखकर अच्छी सम्भावनायें मालूम होती हैं, किन्तु इसके लिए उचित संगठनात्मक एवं विपणन तन्त्र की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त तहसील में यमुना, बेतवा नदियों में मत्स्य पालन की अच्छी सम्भावनायें हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों के पुनरोद्धार की योजनायें क्रियान्वित हैं। अतः इन तालाबों में भी मत्स्य पालन करके इसको बढ़ावा मिल सकता है। हमीरपुर, कुरारा और सुमेरपुर मत्स्य उत्पादों के अच्छे संग्रह के रुप में कार्य कर सकते हैं। अध्ययन क्षेत्र में मत्स्य उत्पादों के लिए समुचित विपणन सुविधाओं और मत्स्य विकास के कार्यक्रमों का अभाव है, जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए।

हमीरपुर तहसील में लगभग 9% वनावरण है, जिसके विस्तार एवं सुधार की आवश्यकता है। वन क्षेत्रों में आयुर्वेदिक औषधियों का संग्रह, मधुमक्खी पालन, महुवा बीज का संग्रह, गोंद संग्रह, नीम के बीज इकट्ठे करके औद्योगिक आधार को मजबूत किया जा सकता है।

कृषि सेवक उद्योग :-

चूंकि हमीरपुर तहसील मुख्य रुप से कृषि प्रधान क्षेत्र है। अतः कृषि की सेवा करने वाले उद्योगों की व्यापक सम्भावनायें हैं। कृषि यन्त्रों का निर्माण एवं सुधार, स्वचालित वाहनों की मरम्मत, लकड़ी के फर्नीचर एवं सजावट का सामान बनाने सम्बन्धी उद्योगों के विकास की अच्छी

सम्भावनायें हैं।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में औद्योगिक विकास की अच्छी सम्भावनायें हैं। यदि स्थानीय संसाधनों का समुचित उपयोग एवं प्रोत्साहन किया जाये तो ग्रामीण पूँजी और लोगों के प्रवाह में रुकावट आयेगी, लघु कृषकों के लिए सहायक व्यवसाय एवं रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।[15]

तालिका संख्या- 6.4

हमीरपुर तहसील में प्रस्तावित मध्यम आकार की आटा मिलें वर्ष– 2004–05

क्र0	न्याय पंचायतें	वास्तविक / प्रक्षेपित वार्षिक उत्पादन (मीट्रिक टन में)	मिलिंग के लिए उपलब्ध मात्रा (कुल उत्पादन का 15%)	नयी मिलों के लिए उपलब्ध वार्षिक क्षमता (2014–15)	प्रस्तावित मिलों की संख्या	रोजगार पाने वाले व्यक्ति	प्रस्तावित स्थिति
1	मिश्रीपुर	1698 / 4246	254.8	637	–	–	
2	शेखूपुर	4068 / 10170	610.2	1525	1	7	शेखूपुर
3	कुसमरा	2400 / 6001	360.1	900	–	–	
4	कुरारादे0	5403 / 13509	810.6	2026	2	14	कुरारानं0पं0
5	बेरी	9747 / 2436	146.2	365	–	–	
6	पतारा	1705 / 4264	255.9	639	–	–	
कुरारा वि0 ख0		16252 / 40631	2437.9	6094	3	21	
7	छानीबु0	2262 / 5656	339.4	848	–	–	
8	पौथिया	2928 / 7321	439.3	1098	1	8	पौथिया
9	मवईजार	3925 / 9813	588.8	1472	1	7	मवई
10	इंगोहटा	5781 / 14453	867.2	2168	2	14	इंगोहटा
11	कलौलीतीर	2021 / 5053	303.2	758	–	–	
12	सुमेरपुरदे0	3392 / 8481	508.9	1272	1	7	सुमेरपुरनं0प0
13	पत्योरा	2016 / 5040	302.4	756	–	–	
14	टेंढ़ा	4300 / 10750	645.0	1612	1	7	टेढ़ा
15	पंधरी	3129 / 7823	469.4	1173	1	7	पंधरी
16	मुण्डेरा	2785 / 6963	417.8	1044	1	7	मुण्डेरा
सुमेरपुर वि0 ख0		32542 / 73356	4081.4	11003	8	57	
तहसील हमीरपुर		48795 / 121988	7319.3	18298	11	78	

कृषि आधारित उद्योगों के लिए प्रस्ताव :-

उपरोक्त विवेचन में औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए हमीरपुर तहसील में आटा मिलें, दाल मिलें, तेल घानी मिलें, दुग्ध उद्योग, चर्म उद्योग आदि उचित स्थानों पर लगाए जा सकते हैं। इनका विवरण निम्नवत है–

1. प्रस्तावित मध्यम आकार की आटा मिलें :-

हमीरपुर तहसील में गेहूं का कुल उत्पादन 48,795 मीट्रिक टन सन् 2004–05 में था, जो आगामी एक दशक में प्रस्तावित फसल प्रतिरूप अपनाए जाने पर बढ़कर लगभग 1,21,988 मीट्रिक टन हो जाएगा। क्षेत्र सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि कुल गेहूं का 75% हस्तचालित चक्की अथवा प्रारम्भिक आटा मिलों में पीसा जाता है। यदि यह मान लें कि कुल उत्पादन का 10% गेहूं बीज एवं अन्य उद्देश्यों के लिए संरक्षित कर लिया जाता है, तो शेष 15% नवीन आटा मिलों के लिए उपलब्ध हो सकता है। तालिका संख्या– 6.4 से स्पष्ट है कि कुल गेहूं उत्पादन का 15% आधार माना जाए तो अध्ययन क्षेत्र में आगामी दस वर्षों में 11 मध्यम आकार की आटा मिलें स्थापित की जा सकती हैं। सामान्यतया एक मध्यम आकार की आटा मिल के लिए 1000 मीट्रिक टन गेहूं एक वर्ष के लिए पर्याप्त होता है। इस प्रकार गणना करने से कुरारा विकास खण्ड में 3 तथा सुमेरपुर विकास खण्ड में 8 मध्यम आकार की आटा मिलें क्रमशः कुरारा देहात, शेखूपुर (कुरारा विकास खण्ड), पौथिया, मवईजार, इंगोहटा, सुमेरपुर देहात, टेढ़ा, पंधरी, मुण्डेरा (सुमेरपुर विकास खण्ड) में मध्यम आकार की आटा मिलों के सम्भावित केन्द्र हैं। इन केन्द्रों पर अन्य गांवों अथवा सेवा केन्द्रों की अपेक्षा परिसंरचनात्मक सुविधायें जैसे– परिवहन, बैंकिंग, सहकारिता, किसान सहायता केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र आदि भी अधिक हैं।

2. प्रस्तावित मध्यम आकार की दाल मिलें :-

हमीरपुर तहसील में विस्तारीकरण एवं सघनीकरण के प्रस्तावों को लागू करके दालों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि की जा सकती है, तथा इसे एक दशक में दोगुना किया जा सकता है। इस अतिरिक्त उत्पादन के आधार पर हमीरपुर तहसील में 7 दाल मिलें क्रमशः तीन कुरारा विकास खण्ड में (हमीरपुर न0पा0प0, कुरारा न0पं0, झलोखर) तथा चार सुमेरपुर विकास खण्ड (सुमेरपुर न0पं0, टेंढ़ा, कुछेछा, इंगोहटा) में स्थापित की जा सकती हैं। दालों का प्रचुर उत्पादन वर्तमान में भी नवीन दाल मिलों की स्थापना को प्रोत्साहित करता है। वर्ष 2004–05 में दालों का कुल उत्पादन 61,213 मीट्रिक टन हुआ, जो 6 दाल मिलों के लिए पर्याप्त है। आगामी दस वर्षों में दालों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि की सम्भावनाएं हैं, जो बढ़कर लगभग 73,458 मीट्रिक टन हो जाएगा, जो 7 दाल मिलों के लिए पर्याप्त होगा। इससे लगभग 140 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा तथा दाल की अन्य जिलों में आपूर्ति भी हो सकेगी।

तालिका संख्या- 6.5

हमीरपुर तहसील में प्रस्तावित मध्यम आकार की दाल मिलें वर्ष– 2004–05

क्र0 सं0	न्याय पंचायतें	वास्तविक/प्रक्षेपित वार्षिक उत्पादन (मीट्रिक टन में)	मिलिंग के लिए उपलब्ध मात्रा (कुल उत्पादन का 60%)	नई मिलों के लिए उपलब्ध वार्षिक क्षमता प्रक्षेपित 10% वार्षिक उत्पादन वृद्धि (2014–15)	प्रस्तावित मिलों की संख्या	प्रस्तावित स्थिति	रोजगार में लगे व्यक्ति
1	मिश्रीपुर	2740	1644	3288			
2	शेखूपुर	2987	1792	3584			
3	कुसमरा	3847	2308	4616			
4	कुरारा दे0	5586	3352	6704			
5	बेरी	4178	2507	5014			
6	पतारा	6155	3693	7386			
	कुरारा विकास खण्ड	25493	15296	30592	3	हमीरपुरन0पा0 कुरारा न0पं0 झलोखर	60
7	छानी बुजुर्ग	2971	1783	3566			
8	पौथिया	3632	2179	4358			
9	मवईजार	3468	2081	4162			
10	इंगोहटा	3321	1993	3986			
11	कलौलीतीर	2241	1345	2690			
12	सुमेरपुर देहात	5591	3355	6710			
13	पत्योरा	2839	1703	3406			
14	टेढ़ा	5789	3473	6946			
15	पन्धरी	2990	1794	3588			
16	मुण्डेरा	2878	1727	3454			
	सुमेरपुर विकास खण्ड	35720	21433	42866	4	सुमेरपुर, न0पं0 टेढ़ा, कुछेछा, इंगोहटा	80
	तहसील हमीरपुर	61213	36729	73458			

HAMIRPUR TAHSIL
PROPOSED AGRICULTURAL INDUSTRIES
N
79°47'50"E
80°22'E
26°6'N
25°40'40"N
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 KM.
Y A M U N A R I V E R
B E T W A R I V E R
MISRIPUR
BHAULI
SHEKHUPUR
KURARA
JHALOKHAR
HAMIRPUR
RAMERI
PATYORA
KUCHHECHHA
PAUTHIYA
KANDAUR
BERI
SUMERPUR
TENDHA
PANDHRI
CHHANI BUZURG
MAVAIJAR
INGOHTA
MUNDERA
INDEX
PROPOSED FLOUR MILLS
PROPOSED DALL MILLS
PROPOSED OIL MILLS
PROPOSED FISHERY CENTRES
PROPOSED ANIMAL-BASED INDUSTRY

FIG- 6.4

3. प्रस्तावित खाद्य तेल मिलें :-

हमीरपुर तहसील तिलहन उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तहसील के शुद्ध बोये गए क्षेत्र के 40% भाग पर तिलहन का उत्पादन किया जाता है। सन् 2004–05 में 1575 मीट्रिक टन तिलहन का उत्पादन हुआ, जिस पर आधारित 5 खाद्य तेल मिलें, 300 मीट्रिक टन वार्षिक उपभोग की दर से वर्तमान में चलाई जा सकती है। यदि तिलहन उत्पादन में वार्षिक वृद्धि 10% मानी जाए तो आगामी एक दशक में तिलहन का उत्पादन दोगुना हो जाएगा। यदि 40% तिलहनों का उपयोग कोल्हू और तेल घानी उद्योग में खपत में ले लिया जाता है, तो 60% तिलहन जो, लगभग 1890 मीट्रिक टन हो जाएगा, जिस पर आधारित 6 मध्यम आकार की तेल मिलें लगाई जा सकती हैं, जो मुख्य रूप से मिश्रीपुर, शेखूपुर, छानी, इंगोहटा और सुमेरपुर सेवा केन्द्रों में स्थापित की जा सकती हैं, जहां पर कच्चा माल, परिवहन, श्रम, बाजार और पूंजी आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक तेल मिल में न्यूनतम 7 लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाता है। अतः इन मिलों में 42 लोगों को स्थायी रोजगार प्राप्त हो जाएगा। निकटवर्ती कानपुर मण्डी में उत्पाद सरलता से विक्रय किया जा सकेगा।

तालिका संख्या- 6.6

हमीरपुर तहसील में प्रस्तावित मध्यम आकार की तेल घानी मिलें वर्ष– 2004–05

क्र० सं०	न्याय पंचायतें	वास्तविक / प्रक्षेपित वार्षिक उत्पादन (मीट्रिक टन में) प्रक्षेपित	मिलिंग के लिए उप–लब्ध मात्रा (कुल उत्पादन का 60%)	प्रस्तावित मिलों की संख्या	प्रस्तावित स्थिति	रोजगार में लगे लोग
1	मिश्रीपुर	188 / 376	226	1	मिश्रीपुर	7
2	शेखूपुर	204 / 408	245	1	शेखूपुर	7
3	कुसमरा	71 / 142	85			
4	कुरारा देहात	71 / 142	85			
5	बेरी	96 / 192	115			
6	पतारा	60 / 120	72			
	कुरारा वि0ख0	690 / 1380	828	2	कुरारा न0पं0	14
7	छानी बुजुर्ग	61 / 122	73	1	छानी	7
8	पौथिया	66 / 132	79			
9	मवईजार	67 / 134	80			
10	इंगोहटा	124 / 248	149	1	इंगोहटा	7

11	कलौलीतीर	30/60	36			
12	सुमेरपुर देहात	63/126	76	1	सुमेरपुर न0पं0	07
13	पत्योरा	112/224	134			
14	टेढ़ा	166/232	139			
15	पंधरी	147/294	176			
16	मुण्डेरा	49/98	59			
	सुमेरपुर वि0 ख0	885/1770	1062	3		22
	हमीरपुर तहसील	1575/3151	1890	5		36

पशु आधारित उद्योग :-

कृषि प्रधान अध्ययन क्षेत्र पशुधन में धनी है। अतः पशु आधारित उद्योगों के विकास की यहां अच्छी सम्भावनाएं हैं। दुग्ध उत्पादों एवं चर्म वस्तुओं की मांग लगातार बढ़ रही है, किन्तु इन उद्योगों के नियोजित विकास के लिए समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः इन उद्योगों के वैज्ञानिक प्रबन्धन एवं समुचित अवस्थापना की महती आवश्यकता है। अध्याय– 2 की तालिका संख्या– 2.15 में प्रदर्शित कुल पशुओं की संख्या 162711 है, जिसमें से गोजातीय पशुओं की संख्या 70% और महिष जातीय पशुओं की संख्या 30% है। इन पर आधारित दुग्ध उत्पाद, खालें एवं चमड़ा, जूता उद्योग तथा अन्य चर्म उद्योग के कारखाने लगाए जा सकते हैं, जैसा कि तालिका संख्या– 2.15 में प्रदर्शित किया गया है। तहसील में 75469 गायें, 39356 भैंसें, 4218 भेड़ें, 35517 बकरियां, 7899 सुअर तथा 9588 कुक्कुट हैं, जिन पर आधारित घी, पनीर, क्रीम, खोया, चमड़ा, हड्डी चूरा, बटन, मांस, ऊन, ब्रश तथा अण्डे का व्यवसाय नियोजित ढंग से किया जा सकता है। सुमेरपुर, कुरारा, छानी, इंगोहटा, टेढ़ा, झलोखर, कुछेछा सेवा केन्द्र दुग्ध उत्पाद एवं चर्म तथा हड्डी चूरा उद्योगों के केन्द्र हो सकते हैं, क्योंकि इनमें सड़क एवं रेल परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

मत्स्य उद्योग :-

हमीरपुर तहसील में यमुना और बेतवा दो बड़ी सदावाही नदियां प्रवाहित हैं, जो मत्स्य उद्योग के लिए अच्छे अवसर प्रदान करती है। वर्तमान समय में अनेक घाटों पर ठेके पर मत्स्य उत्पादन किया जाता है। बेरी, मनकी खुर्द, भौली, पत्योरा आदि ऐसे ही घाट हैं। इन घाटों में मल्लाह मछलियां पकड़कर अपनी नावों में हमीरपुर तक ले आते हैं, जहां से पैकिंग करके ट्रकों द्वारा कानपुर मण्डी भेज दी जाती हैं। इस उद्योग में केवट जाति के लोग प्रत्यक्ष रूप से लगे हैं, लेकिन ठेका प्रथा के चलते अनेक बिचौलिये लाभ का अधिकांश भाग ले जाते हैं। अतः

मत्स्य विभाग को चाहिए कि उत्पादक क्षेत्रों में वैज्ञानिकों को ले जाकर मत्स्य उत्पादन के लिए वैज्ञानिक तरीके बतलाएं। मछुआरों को मत्स्य पालन तथा पकड़ने का समुचित प्रशिक्षण दें तथा बिचौलिये रहित क्रय–विक्रय की व्यवस्था करें, जिससे मत्स्य उद्योग में संलग्न मल्लाहों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। बेरी, मिश्रीपुर, भौली, कण्डौरा, पौथिया, रमेड़ी, कुछेछा, पत्योरा आदि केन्द्रों को मत्स्य उद्योग केन्द्रों के रूप में विकसित किया जा सकता है। क्योंकि ये केन्द्र नदी के निकट हैं एवं सड़क परिवहन से सम्बद्ध हैं।

कृषि की सेवा करने वाले उद्योग (कृषि अभियंत्रण उद्योग) :-

कृषि के विकास के साथ–साथ उन्नत कृषि यंत्रों की मांग बढ़ रही है। समय से कृषि कार्य सम्पादित करने तथा उत्पादन प्राप्त करने के लिए ऐसे यंत्र बहुत उपयोगी हैं। वर्तमन समय में तहसील में कृषि यंत्रों के निर्माण एवं मरम्मत में लगभग 148 छोटी–बड़ी इकाइयां अध्ययन क्षेत्र में कार्यरत हैं। बैलगाड़ी, हल, जुआंरी, पाठा आदि का निर्माण परम्परा से बढ़ईगिरी में निपुण बढ़ई जाति के लोग लगभग प्रत्येक गांव में करते हैं। इसी प्रकार से हंसिया, खुर्पी, कुसिया, हल्ल आदि का निर्माण एवं मरम्मत लोहार लोग परम्परागत ढंग से करते हैं। नगरीय क्षेत्रों में ट्रैक्टर मरम्मत की दुकानें हैं, जो ट्रैक्टर के बिगड़ने पर उसकी मरम्मत एवं सर्विसिंग करते हैं। इन कार्यों में पर्याप्त संख्या में लोगों को रोजगार प्राप्त होता है।

तालिका संख्या– 6.7

हमीरपुर तहसील में कृषि की सेवा करने वाले (कृषि अभियन्त्रण उद्योग) उद्योगों की स्थिति

क्र0	नगर/ग्रामों के नाम	उद्योगों के नाम एवं संख्या	रोजगार में लगे व्यक्ति
1	हमीरपुर नगर	ट्रैक्टर रिपेयरिंग सेन्टर (9), बढ़ईगिरी (10) लोहार गिरी (68)	18+10+12 = 40
2	सुमेरपुर नगर	ट्रैक्टर रिपेयरिंग सेन्टर (12), बढ़ईगिरी (7) लोहार गिरी (11)	24+11+10 = 45
3	कुरारा नगर	ट्रैक्टर रिपेयरिंग सेन्टर (16), बढ़ईगिरी (9) लोहार गिरी (7)	32+7+12 = 51
4	इंगोहटा	ट्रैक्टर रिपेयरिंग (2), बढ़ईगिरी (3) लोहार गिरी (2)	4+2+5 = 11
5	मिश्रीपुर	लोहारगिरी, बढ़ईगिरी	2+2 = 4
6	कुतुबपुर	लोहारगिरी, बढ़ईगिरी	1+1 = 2
7	खरौंज	ट्रैक्टर रिपेयरिंग, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी	2+2+2 = 6

8	बचरौली	लोहारगिरी, बढ़ईगिरी	1+1 = 2
9	शेखूपुर	लोहारगिरी, बढ़ईगिरी	1+1 = 2
10	डामर	लोहारगिरी, बढ़ईगिरी	1+1 = 2
11	बेरी	लोहारगिरी, बढ़ईगिरी	1+1 = 2
12	लहरा	लोहारगिरी, बढ़ईगिरी	1+1 = 2
13	पारा	लोहारगिरी, बढ़ईगिरी	1+1 = 2
14	पतारा	लोहारगिरी, बढ़ईगिरी	1+1 = 2
15	कुसमरा	लोहारगिरी, बढ़ईगिरी	1+1 = 2
16	पौथिया	लोहारगिरी, बढ़ईगिरी	1+1 = 2
17	छानी बुजुर्ग	ट्रैक्टर रिपेयरिंग, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी	2+2+2 = 6
18	मवईजार	लोहारगिरी, बढ़ईगिरी	1+1 = 2
19	नदेहरा	लोहारगिरी, बढ़ईगिरी	1+1 = 2
20	विदोखर	लोहारगिरी, बढ़ईगिरी	1+1 = 2
21	बांकी	लोहारगिरी, बढ़ईगिरी	1+1 = 2
22	कलौलीतीर	लोहारगिरी, बढ़ईगिरी	1+1 = 2
23	पत्योरा	लोहारगिरी, बढ़ईगिरी	1+1 = 2
24	टेढ़ा	ट्रैक्टर रिपेयरिंग, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी	2+2+2 = 6
25	पचखुरा	लोहारगिरी, बढ़ईगिरी	1+1 = 2
26	सुरौली	लोहारगिरी, बढ़ईगिरी	1+1 = 2
27	पन्धरी	लोहारगिरी, बढ़ईगिरी	1+1 = 2
28	कैथी	लोहारगिरी, बढ़ईगिरी	1+1 = 2
29	मुण्डेरा	लोहारगिरी, बढ़ईगिरी	1+1=2
	योग तहसील		210

अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि सुधरे कृषि यंत्रों का निर्माण नियोजित ढंग से स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाना चाहिए तथा इसमें संलग्न लोगों को उन्नत यंत्र, पूंजी की सुविधा एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तहसील में 8 बड़े इंजीनियरिंग 'वर्क साप्स' 2010 तक स्थापित किए जाने चाहिए, जिसमें से 2 हमीरपुर, 2 सुमेरपुर, 2 कुरारा, एक छानी तथा एक झलोखर सेवा केन्द्रों में स्थापित किया जाना चाहिए। इन केन्द्रों में आधारभूत सेवा केन्द्र पहले से विद्यमान हैं तथा विकास की सम्भावनाएं विद्यमान हैं, ये वर्कशाप लोहे के हल तथा अन्य यंत्र बनाएंगे साथ ही ये मरम्मत की सुविधाएं भी प्रदान करेंगे। उक्त आठ बड़े अभियंत्रण केन्द्रों के उपकेन्द्र भी स्थापित किए जाने

चाहिए, जो कृषकों को तात्कालिक सेवाएं प्रदान करेंगे। ये उपकेन्द्र– मिश्रीपुर, बचरौली, शेखूपुर, भौली, सिवनी, खरौंज, डामर, लहरा, बेरी, पारा, पतारा, कुसमरा, पौथिया, उजनेड़ी, मवईजार, नदेहरा, बांकी, विदोखर, पत्योरा, सुरौली, टेढ़ा, पन्धरी, पचखुरा, मुण्डेरा आदि केन्द्रों में स्थापित किए जा सकते हैं। ये केन्द्र न केवल कृषकों को सेवाएं प्रदान करेंगे, बल्कि ग्रामीण शिल्पियों जैसे– लोहार, बढ़ईयों को कृषि यंत्र बनाने के लिए आवश्यक यंत्र तथा साजसज्जा की सामग्री भी प्रदान करेंगे।

उक्त प्रस्तावित उद्योगों के अतिरिक्त अध्ययन क्षेत्र में कुछ अन्य उद्योगों के विकास की भी अच्छी सम्भावनाएं हैं। मुर्गीपालन, सुअर पालन, बीड़ी निर्माण, आइसक्रीम बनाना, नील उद्योग, हस्त निर्मित कागज, कार्ड बोर्ड आदि उद्योगों का विकास भी यहां सरलतापूर्वक किया जा सकता है। प्रशिक्षण एवं प्रसार सेवाओं की सुविधा प्रदान करके भूमिहीन कृषकों तथा ग्रामीण बेरोजगार नवयुवकों को इन उद्योगों की ओर प्रवृत्त किया जा सकता है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गतिशील, जीवन्त एवं समृद्ध बनाया जा सकता है एवं बेरोजगारों के लिए रोजगारों के बेहतर अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं।

(य) निष्कर्ष

हमीरपुर तहसील के संसाधन आधार, परिसंरचना, सेवा केन्द्र एवं उद्योगों और औद्योगिक विकास का अध्ययन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि–

1. हमीरपुर तहसील में परिसंरचनात्मक ढांचा अभी भी अपर्याप्त एवं कमजोर है, जिसे सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
2. वर्तमान एवं प्रस्तावित सेवा केन्द्रों को समुचित सुविधाएं प्रदान करते हुए विकसित किया जाना चाहिए, जो सम्पूर्ण तहसील में विकास एवं वृद्धि की तरंगें फैलाएंगे।
3. अध्ययन क्षेत्र में कृषि एवं पशु आधारित उद्योगों के विकास की अच्छी सम्भावनाएं हैं। अतः प्रस्तावित केन्द्रों पर उद्योगों की स्थापना करके अध्ययन क्षेत्र की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को कृषि औद्योगिक अर्थव्यवस्था के रूप में जीवंत बनाया जा सकता है। यह प्रस्तावित उद्योग न केवल स्थानीय पूंजी के प्रवाह को रोकेंगे, बल्कि ग्रामीण पूंजी और प्रतिभा को स्थानीय रूप से उपयोग करेंगे तथा प्रवर्तनात्मक एवं उत्पादनात्मक लक्षणों वाली आधुनिक अर्थव्यवस्था का विकास करेंगे।
4. तहसील के औद्योगिक विकास के लिए सेवा केन्द्रों में प्रशिक्षण एवं प्रसार की सुविधाएं राजकीय स्तर पर उपलब्ध कराई जाएं, जिससे कृषि औद्योगिक विकास का गतिरोध दूर हो सके।
5. शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, प्रशिक्षण एवं प्रसार के क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर शोध कार्य

जारी रहने चाहिए तथा समय–समय पर कृषि एवं औद्योगिक अर्थव्यवस्था एवं सेवा केन्द्रों के विकास के लिए शोध के निष्कर्षों का अनुप्रयोग जारी रहना चाहिए।

6. तहसील में कृषि क्षेत्र के विस्तारीकरण एवं सघनीकरण की पर्याप्त सम्भावनाएं हैं यदि प्रस्तावित सिंचाई के साधनों का समुचित विकास कर दिया जाए, तो अध्ययन क्षेत्र का कृषि उत्पादन शीघ्र ही द्विगुणित हो जाएगा, जो कृषि आधारित उद्योगों के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करेगा।

7. संसाधन आधार तथा सेवा प्रखण्डों– शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, परिवहन, बैंकिंग, प्रसार प्रशिक्षण आदि को प्रस्तावित सेवा केन्द्रों को सुदृढ़ करके हमीरपुर तहसील का समन्वित एवं सन्तुलित विकास सम्भव हो सकेगा। रोजगार के नवीन अवसर स्थानीय रुप से उपलब्ध होने से प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि होगी, जिससे अध्ययन क्षेत्र का पिछड़ापन तो दूर होगा ही, क्षेत्र के निवासियों का जीवन स्तर उन्नत होगा। जीवन स्तर उन्नत होने से शिक्षा तथा स्वास्थ्य के प्रति क्षेत्रवासियों में जागरुकता उत्पन्न होगी। साथ ही सरकारी विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में लोग सहगामी होगें।

REFRENCES

1- Myrdal, Gunnar: Asian drama. An Inquiry into the poverty of Nations. Abridged in one volume by seth S.K.Penguin Books-1977, P.-213.

2- Sivaraman, v: Role of Rural and small industries Productivity- 1979, XIX(4), P.P. 441-56.

3- Ibid, op. cit., 1. P. 248.

4- Ibid, op. cit., 1. P. 275.

5- Stamp, L.D. : Applied Geography. Penguin books, 1969, P. 65.

6- Ibid, op. cit., 1. P. 221.

7- Nath, v. : Population, natural resources and economic Development in India. IN.W. Zelinsky et. al (ed.)- 1970, P.402.

8- Mishra, R.P. : Diffusion of agricultural innovations, University of Mysore-1968, P.-3.

9- Planning commission : Draft sixth Five Year Plan- 1978-83 Revised- 1979, P.-270.

10- Roy, Prodipto, J. kivlin, F. Fliegel and Lalit sen, Two blades of Grass: a summary of two studies on agricultural innovation in India, N.I.R.D. Hyderabad -1968, P.37.

11- Sivaramam, v: Role of Rural and small industries, Productivity- 1979,XIX(4), PP. 444-456.

12- Mydral Gunnar: Asian Drama- An inquiry into the poverty of nations, Abridged in one volume by seth S, king Penguin books- 1977, PP.- 248.

13- Rondinelli, Dennis, A.: Small industries in rural development, assessment and perspective. Productivity XXX(4)- 1979, PP. 457-480.

14- Dandekar, H. and Brahme, S.: Role of rural industries in rural Development. in R.P. Mishra and K.V. Sundram (ed.), Rural area Development. Perspective and approaches. Starling publishers Pvt. Ltd. -1979, P.-123.

15- Kayastha, S.L. and J.P. Prasad: Approach to area Planning and Development strategy: A case study of Phulpur block, Allahabad District. N.G.J.1 XXIV (1 and 2)- 1978, PP.-16-28.

परिशिष्ट

APPENDICES

परिशिष्ट-1 (a)

हमीरपुर तहसील का न्याय पंचायतवार सामान्य भूमि उपयोग वर्ष– 2001

विकास खण्ड	न्याय पंचायतें	कुल भौगोलिक क्षेत्र (हे0 में)	वन क्षेत्र (हे0 में)	शुद्ध बोया गया क्षेत्र (हे0 में)	परती भूमि (हे0 में)	कृषि योग्य बर्बाद भूमि (हे0 में)	स्थायी चारागाह (हे0 में)	बंजर भूमि (हे0 में)	अकृष्य कार्यों में संलग्न क्षेत्र (हे0 में)
	मिश्रीपुर	5508.20	795.85	3323.30	788.47	44	–	398	158.58
	शेखूपुर	6621.00	452.86	4188.65	1175.50	63	–	570	170.99
	कुरारा	8553.71	145.32	7806.56	457.97	14	27	62.72	40.14
	बेरी	8120.34	1254.15	4973.36	777.43	94	–	851	170.40
	पतारा	8335.88	670.40	5212.13	1167.56	111	–	1003	171.79
	कुसमरा	7974.87	656.42	5106.51	1736.56	32	–	293	150.38
कुरारा वि0ख0		45114.00	3975.00	30610.51	6103.49	358	27	3177.72	862.28
	छानी बु0	5076.25	71.23	4075.77	383.67	54	–	367.08	124.50
	मवईजार	6006.16	00.00	5059.99	369.49	72	–	392.38	127.30
	पौथिया	5502.39	100.83	3866.95	1014.12	52	–	345.29	123.20
	कलौली तीर	3908.19	0.00	3055.20	535.83	31	–	155.16	131.00
	इंगोहटा	7308.08	0.00	5971.35	525.28	88	–	613.15	110.30
	सुमेरपुरदे0	7986.30	0.00	6856.42	485.68	64	–	463	117.20
	पत्योरा	7869.35	244.85	5622.62	1573.06	51	–	263.82	114.00
	टेढ़ा	8718.98	61.09	6785.20	502.24	143	–	1101.45	126.00
	पन्धरी	5320.39	0.00	4332.04	401.05	38	–	395.80	153.50
	मुण्डेरा	4641.91	0.00	3881.47	354.52	44	–	252.77	109.15
सुमेरपुर वि0ख0		62338.00	478.00	49507.01	6144.94	622	–	4349.90	1236.15
	तहसील	107452	4453.00	80117.52	12248.43	980	27	7527.62	2098.43

स्रोत– जिला सांख्यकीय पत्रिका एवं जनगणना पुस्तिका, जनपद हमीरपुर– 2001

परिशिष्ट-1 (b)
Traffic flow Hamirpur- Kurara Road

Time Interval	Cycle		Bus		Bullock-Cart		Truck and Tractor	
	F.	C.F.	F.	C.F.	F.	C.F.	F.	C.F.
06-09 a.m.	22	22	09	09	12	12	102	102
09-12 a.m.	65	87	12	21	25	37	138	240
12-03 p.m.	61	148	14	35	28	65	107	347
03-06 p.m.	69	217	18	53	31	96	97	444
06-09 p.m.	76	293	06	59	19	115	34	478
09-12 p.m.	11	304	03	62	-	-	24	502
12-03 a.m.	03	307	02	64	-	-	31	533
03-06 a.m.	09	316	04	68	-	-	26	559
Total	316	-	68	-	115	-	559	-

परिशिष्ट-1 (c)

Traffic flow Hamirpur- Rath Road

Time Interval	Cycle		Bus		Truck and Tractor	
	F.	C.F.	F.	C.F.	F.	C.F.
06-09 a.m.	59	59	12	12	433	433
09-12 a.m.	75	134	18	30	272	705
12-03 p.m.	63	197	12	42	210	915
03-06 p.m.	73	270	14	56	178	1093
06-09 p.m.	61	331	09	65	125	1218
09-12 p.m.	11	342	04	69	50	1268
12-03 a.m.	03	345	01	70	41	1309
03-06 a.m.	09	354	03	73	72	1381
Total	354	-	73	-	1381	-

परिशिष्ट-1 (d)

Traffic flow Hamirpur- Sumerpur-Ingohta Road

Time Interval	Cycle		Bus		Bullock-Cart		Truck and Tractor	
	F.	C.F.	F.	C.F.	F.	C.F.	F.	C.F.
12-03 a.m.	03	03	02	02	-	-	59	59
03-06 a.m.	13	16	09	11	04	04	61	120
06-09 a.m.	83	99	19	30	12	16	452	572
09-12 a.m.	119	218	21	51	17	33	327	899
12-03 p.m.	79	297	20	71	19	52	272	1171
03-06 p.m.	149	446	18	89	22	74	135	1306
06-09 p.m.	94	540	18	107	13	87	170	1476
09-12 p.m.	10	550	03	110	-	-	102	1578
Total	550	-	110	-	87	-	1578	-

परिशिष्ट-1 (e)

Traffic flow Hamirpur- Sumerpur-Tenda-Banda Road

Time Interval	Cycle		Bus		Bullock-Cart		Truck and Tractor	
	F.	C.F.	F.	C.F.	F.	C.F.	F.	C.F.
12-03 a.m.	-	-	-	-	-	-	-	-
03-06 a.m.	13	13	01	01	02	02	49	49
06-09 a.m.	15	28	03	04	05	07	37	86
09-12 a.m.	27	55	08	12	13	20	44	130
12-03 p.m.	17	72	09	21	07	27	38	168
03-06 p.m.	23	95	12	33	11	38	38	206
06-09 p.m.	05	100	03	36	01	39	04	210
09-12 p.m.	-	-	-	-	-	-	02	212
Total	100	-	36	-	39	-	212	-

परिशिष्ट-1 (f)

Traffic flow Chhani-Ingohta Road

Time Interval	Cycle		Bus		Bullock-Cart		Truck and Tractor	
	F.	C.F.	F.	C.F.	F.	C.F.	F.	C.F.
12-03 a.m.	-	-	-	-	-	-	-	-
03-06 a.m.	05	05	-	-	02	02	02	02
06-09 a.m.	06	11	05	05	02	04	02	04
09-12 a.m.	11	22	07	12	05	09	01	05
12-03 p.m.	07	29	06	18	03	12	02	07
03-06 p.m.	08	37	05	23	02	14	02	09
06-09 p.m.	03	40	02	25	01	15	01	10
09-12 p.m.	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	40	-	25	-	15	-	10	-

where,

F = Frequency

CF = Cumulative Frequency

परिशिष्ट-1 (g)

हमीरपुर तहसील में ग्रामवार विभिन्न प्रखण्डों में संलग्न विद्युत

क्र0 सं0	विद्युतीकृत ग्रामों के नाम	कृषि कार्यों हेतु विद्युत	उद्योगों हेतु	क्र0 सं0	विद्युतीकृत ग्रामों के नाम	कृषि कार्यों हेतु विद्युत	उद्योगों हेतु
1	मनकी खुर्द	EAG	–	23	झलोखर	EA	EA
2	मनकी कलां	EAG	–	24	पतारा डांडा	EAG	–
3	उमराहर	EAG	–	25	कण्डौरा डांडा	EAG	–
4	हरौलीपुर	EAG	–	26	सिकरोढ़ी डांडा	EAG	–
5	मिश्रीपुर	EAG	–	27	कुसमरा	EAG	–
6	निरनी	EAG	–	28	कनौरा डांडा	EAG	–
7	बरुवा	EDEO	EO	29	रिठौरा डांडा	EAG	–
8	भौली डांडा	EAG	–	30	मंझूपुर डांडा	ED	ED
9	शेखूपुर	EA	EA	31	भिलावा डांडा	ED	ED
10	कुरारा देहात	EA	EA	32	मेरापुर डांडा	EA	EA
11	डामर	EA	EA	33	रमेड़ी डांडा	ED	ED
12	चकोठी	EA	EA	34	ममरेजपुर	EAG	–
13	रिठारी	ED,EAG	EDE	35	मोरा कांदर	EAG	–
14	लहरा	EAG	–	36	परसनी	EAG	–
15	ककरऊ	EAG	–	37	धनपुरा	ED	ED
16	गुजरौरा	EAG	–	38	छानी खुर्द	EA	EA
17	खरेहटा	EAG	–	39	छानी बुजुर्ग	ED, EAG	ED
18	बेरी	EAG	–	40	कल्ला	ED	ED
19	करियापुर	EA	EA	41	खड़ेही जार	ED	ED
20	जखेला	EA	EA	42	स्वासा बुजुर्ग	ED, EAG	ED
21	पारा	ED	ED	43	स्वासा खुर्द	ED, EAG	ED
22	जल्ला	EA	EA	44	नदेहरा	ED	ED

45	चन्दौलीजार	ED	ED	64	कुछेछा डांडा	EA	EA
46	मवईजार	ED	ED	65	अमिरता	EA	EA
47	अतरार	ED	ED	66	चन्दौखी	EA	EA
48	बण्डा	ED	ED	67	टिकरौली	EAG	–
49	पौलिया बुजुर्ग	EA	EA	68	नरायनपुर	ED	ED
50	उजनेड़ी	EAG	–	69	सुमेरपुर दे0	EA	EA
51	ललपुरा	EAG	–	70	सिमनौड़ी	EAG	–
52	कलौलीजार	EAG	–	71	बड़ागांव	EAG	–
53	हेलापुर डांडा	EA	EA	72	देवगांव	EAG	–
54	कलौलीतीर डांडा	EA	EA	73	पचखुरा बु0	ED	ED
55	कीरतपुर	EAG	–	74	टेढ़ा	EAG	–
56	कण्डौरा	ED	ED	75	मौहर	EAG	–
57	बिलहड़ी	ED	ED	76	पथरी	ED, EAG	ED
58	बांकी	ED	ED	77	चन्दपुरवा बु0	EAG	–
59	बांक	ED	ED	78	धुन्धपुर	EAG	–
60	विदोखर पुरई	EAG	–	79	अतरैया	ED	ED
61	इंगोहटा	ED	ED	80	गौरी	EAG	–
62	सिडरा डांडा	EAG	–	81	मिहुना	EAG	–
63	पाराओझी डांडा	EA	EA	82	मुण्डेरा	EAG	–

जहां पर–

ED = घरेलू प्रयोजनों के लिए विद्युत

EAG= कृषि कार्यों हेतु विद्युत

EO = अन्य प्रयोजनों जैसे औद्योगिक व्यावसायिक आदि के लिए विद्युत

ED = उपर्युक्त सभी उपभोग हेतु विद्युत

परिशिष्ट-1 (h)

हमीरपुर तहसील में स्थापित शैक्षिक सुविधायें

क्र0 सं0	न्याय पंचायतें	गांव	प्राइमरी स्कूल	जूनियर हा0स0	मेटिकुलेशन हा0स0	इण्टर मीडिएट	कालेज एवं पी0जी0 कालेज	औद्योगिक स्कूल	प्रशिक्षण स्कूल	साक्षरता प्रौढ़कक्षा /केन्द्र	अन्य शैक्षिक संस्थायें
1.	मिश्रीपुर	(i) मनकीखुर्द	P	–	–	–	–	–	–	–	–
		(ii) मनकीकलां	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		(iii) उमराहर	P	–	–	–	–	–	–	–	–
		(iv) मिश्रीपुर	P	M	–	–	–	–	–	–	–
		(v) बरुवा	P	–	–	–	–	–	–	–	–
		(vi) पचखुरा	P	–	–	–	–	–	–	–	–
		(vii) शिवनी	P	–	–	–	–	–	–	–	–
		(viii) टोडरपुर	P	–	–	–	–	–	–	–	–
		(ix) हरौलीपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		(x) निरनी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		(xi)सिमरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		11	7	1	–	–	–	–	–	–	–
2.	शेखुपुर	(i) भितरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		(ii) बिलौटा	P	–	–	–	–	–	–	–	–
		(iii) शंकरपुर	P	–	–	–	–	–	–	–	–
		(iv) रंधवा	P	–	–	–	–	–	–	–	–
		(v) बचरौली	P	–	–	–	–	–	–	–	–
		(vi) नरसरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		(vii) कोतुपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		(viii) पटिया	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		(ix) भौलीदरिया	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		(x) जमरेही तीरमऊ	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		(xi) जमरेहीतीरहरिया	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		(xii) भौली डांडा	P	M	–	–	–	–	–	–	–
		(xiii)चकजमरेहीतीर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		(xiv)जमरेही ऊपर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		(xv) शेखूपुर	P	M	–	–	–	–	–	–	–
		16.अब्दुल्लापुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–

		17.भदरपुरा परिया	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		18.भदपुरा डांडा	P	–	–	–	–	–	–	–	–
		18	07	02	–	–	–	–	–	–	–
3.	कुसमरा	1.सिकरोढ़ी दरिया	–	–	–	–	–	–	--	–	–
		2.सिकरोढ़ी डांडा	P	–	–	–	–	–	–	–	–
		3.मचौट	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		4.कुसमरा	P	M	–	–	–	–	–	–	–
		5.चन्दपुर डांडा	P	–	–						
		6.चन्दपुर डांडा	–	–	–						
		7.मंझपुरा दरिया	–	–	–						
		8.कनौरा डांडा	P_1+P_2	–	–						
		9.गिमुहा डांडा	–	–	–						
		10.रिठौरा दरिया	--	–	–						
		11.रिठौरा डांडा	P	–	–						
		12.गिमुहा दरिया	–	–	–						
		13.कनौरा दरिया	–	–	–						
		14.बादनपुर	–	–	–						
		15.मंझूपुर डांडा	P	–	–						
		16.भिलावां डांडा	–	–	–						
		17.भिलावां दरिया	–	–	–						
		18.मेरापुर डांडा	P	–	–						
		19.मेरापुर दरिया	–	–	–						
		20.रमेड़ी डांडा	P	–	–						
		21.रमेड़ी दरिया	–	–	–						
		21	09	01	–	–	–	–	–	–	–
4	कुरारा	1.कुतुबपुर	P	–	–						
	देहात	2.वाहनपुर	–	–	–						
		3.खरौंज	P	M	–						
		4.कुरारा दे0	P	–	–						
		5.डामर	P	–	–						
		6.सरसई	P	–	–						
		7.भैंसापाली	P	–	–						
		8.कुसौली	P	–	–						
		9.तिकोनाहार	–	–	–						

		10.चकोठी	P	–	–						
		11.रिठारी	P	–	–						
		11	09	01	–	–	–	–	–	–	–
5.	बेरी	1.लहरा	P	–	–						
		2.ककरऊ	P	–	–						
		3.गुजरौरा	P	–	–						
		4.खरेहटा	–	–	–						
		5.बेरी	P	–	–						
		6.रानीगंज	–	–	–						
		7.बिन्दपुरी	P	–	–						
		8.करियापुर	P	–	–						
		9.गुलाबगंज	P	–	–						
		10.जखेला	P	M	–						
		11.इन्द्रपुरी	P	–	–						
		12.देवीगंज	P	–	–						
		13.वैजेइस्लामपुर	P	–	–						
		14.मगरेडी	–	–	–						
		14	11	01	–	–	–	–	–	–	–
6.	पतारा	1.पारा	P	M	H						
	डांडा	2.जल्ला	P	–	–						
		3.झलोखर	P_1+P_2	–	H						
		4.पतारा डांडा	P	–	H						
		5.कण्डौरा डांडा	P	–	–						
		6.कण्डौरा दरिया	–	–	–						
		7.नैठी डांडा	P	–	–						
		8.नैठी दरिया	–	–	–						
		9.पतारा दरिया	–	–	–						
		09	07	01	03	–	–	–	–	–	–
7.	छानी	1.ममरेजपुर दरिया	–	–	–						
	बुजुर्ग	2.ममरेजपुर डांडा	–	–	–						
		3.मोराकांदर	P	–	–						
		4.परसनी	P	–	–						
		5.धनपुरा	P	–	–						
		6.अराजी सागर	–	–	–						

		7.छानी खुर्द	P	M	–						
		8.छानी बुजुर्ग	P	M	–						
		9.अराजी खड़ेही जार	–	–	–						
		10.अराजी धनपुरा	–	–	–						
		11.अराजीरानीधनपुरा	–	–	–						
		12.कल्ला	P	–	–						
		13.खड़ेही जार	P	–	H						
		13	07	02	01	–	–	–	–	–	–
8.	पौथिया	1.कुम्हऊपुर	P	–	–						
		2.बहरौली डांडा	–	–	–						
		3.बहरौली	–	–	–						
		4.सहुरापुर दरिया	–	–	–						
		5.सहुरापुर डांडा	P	–	–						
		6.पौथिया	P	M	H						
		7.सिकरी	P	–	–						
		8.उजनेड़ी	$P_1+P_2+P_3$	M_1+M_2	–						
		9.ललपुरा	P	–	–						
		10.कलौलीजार	P	–	–						
		10	09	03	01	–	–	–	–	–	–
9.	मवईजार	1.स्वासा बुजुर्ग	P	M	–						
		2.स्वासा खुर्द	–	M	–						
		3.कुआं खेड़ा	–	–	–						
		4.नदेहरा	P	M	–						
		5.बबीना	–	–	–						
		6.रगोरा	–	–	–						
		7.चन्दौलीजार	–	–	–						
		8.मवईजार	P	–	–						
		9.अतरार	P	–	–						
		10.बण्डा	P	–	–						
		10	05	03	–	–	–	–	–	–	–
10.	इंगोहटा	1.बांकी	P	M	–						
		2.बांक	P	–	–						
		3.पलरा	P	–	–						

		4.शादीपुर	–	–	–						
		5.विदोखर मेदनी	–	–	–						
		6.विदोखर पुरई	P	M	–						
		7.इंगोहटा	P	M	–						
		07	05	03	–	–	–	–	–	–	–
11.	कलौली	1.बरदहा	–	–	–						
	तीर	2.कलौलीतीर दरिया	–	–	–						
		3.हेलापुर दरिया	–	–	–						
		4.हेलापुर डांडा	P	–	–						
		5.कलौलीतीरडांडा	P	–	–						
		6.बरदहासहिनाडांडा	P	–	–						
		7.कीरतपुर	–	–	–						
		8.महमूदपुर	P	–	–						
		9.भकौल	–	–	–						
		10.दरियापुर	P	–	–						
		11.कन्डौरा	P	–	–						
		12.बिलहड़ी	P	–	–						
		12	07	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	सुमेरपुर	1.मजरा कुण्डौरा	–	–	–						
	देहात	दरिया									
		2.मजरा कुण्डौरा	–	–	–						
		डांडा									
		3.सूरजपुर डांडा	–	–	–						
		4.कुछेछा दरिया	–	–	–						
		5.सिडरा डांडा	–	–	–						
		6.पारा ओझी डांडा	P	–	–	–	–	–	–	–	–
		7.कुछेछा डांडा	P	M	–	–	C	–	–	–	–
		8.सूरजपुर दरिया	–	–	–						
		9.अमिरता	–	–	–						
		10.चन्दुलीतीर	P	–	–						
		11.चन्दौसी	P	–	–						
		12.पाराओझी दरिया	–	–	–						
		13.खिडरा दरिया	–	–	–						
		14.सुरौलीखुर्द डांडा	P	–	–						

		15.सुरौलीखुर्ददरिया	–	–	–						
		16.टिकरौली	P	M	–						
		17.रिगना	P	–	–						
		18.कजौली	–	–	–						
		19.सौखर	P	–	–						
		20.नरायनपुर	P	–	–						
		21.नजरपुर	–	–	–						
		22.सुमेरपुर ग्रामीण	P	–	–		C				
		22	10	02	–	–	02	–	–	–	–
13.	पत्योरा	1.सिमनौड़ी	P	–	–						
		2.बड़ागांव	P	–	–						
		3.भभौरा	P	–	–						
		4.पत्योरा डांडा	P	M	–						
		5.सुरौलीबुजुर्गडांडा	P	M	–						
		6.सुरौलीबुजुर्गदरिया	–	–	–						
		7.बरुवा	P	–	–						
		8.चन्दपुरवाखुर्द	–	–	–						
		9.भौंरा डांडा	P	–	–						
		10.भौंरा दरिया	–	–	–						
		11.पत्योरा दरिया	–	–	–						
		11	07	02	–	–	–	–	–	–	–
14.	टेढ़ा	1.देवगांव	P	M	–						
		2.गहतौली	P	–	–						
		3.जलाला	P	–	–						
		4.पचखुरा बु0	P	M_1+M_2	–						
		5.टेढ़ा	P	M	–						
		6.इसौली	P	–	–						
		7.मौहर	P	–	–						
		8.कैथी	–	M	–						
		08	07	02	–	–	–	–	–	–	–
15.	पन्धरी	1.मुतनाजा पन्धरी	–	–	–						
		2.पथरी	P	–	–						
		3.पारा रैपुरा	P	–	–						
		4.पदखुरा खुर्द	P	–	–						

		5.भौनिया	P	–	–						
		6.चंदपुरवा बु0	P	–	–						
		7.इटरा	–	–	–						
		07	05	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	मुण्डेरा	1.विरखेरी	P	–	–						
		2.धुन्धपुर	P	–	–						
		3.अतरैया	P	–	–						
		4.पढ़ौली	–	–	–						
		5.बदनपुर	P	–	–						
		6.गौरी	P	–	–						
		7.मिहुना	P	–	–						
		8.मुण्डेरा	–	M	–						
	योग–	08	05	01	--	–	–	–	–	–	–
	कुलयोग–	192	117	28	05	–	02	–	–	–	–
	हमीरपुर न0पा0प0	–	15	08	04	04	01	–	–	–	–
	कुरारा न0पं0	–	05	03	02	1	1	–	–	–	–
	सुमेरपुर न0पं0	–	06	04	04	02	–	–	01 DIET	–	–
	कुल योग		143	43	15	07	4	–	01	–	–
	तहसील										
			P	M	H	PWC	C	I	TR	A	O
कुरारा विकास खण्ड का योग			गांव 84	P 50	M 07	H 02	C 0				
सुमेरपुर विकास खण्ड का योग–			108	67	21	0	01				
न0पा0प0 सहितकुरा वि0खण्ड–			–	P	M	H	C	TR			
			–	67	10	07	1	–			
			–	71	14	11	02	01			

परिशिष्ट-1 (i)

हमीरपुर तहसील में चिकित्सा सुविधायें 1981

क्र0 सं0	न्याय पंचायतें	चिकित्सालय (H)	मातृ एवं बाल कल्याण केन्द्र (MCW)	बाल कल्याण केन्द्र (CWC)	स्वास्थ्य केन्द्र (HC)	प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र (PHC)	औषधालय (D)	क्षय रोग चिकित्सालय (TB)	आर्थिक सहायता प्राप्त चि0 (SMP)	सामु0 स्वा0 कर्मचारी (CHW)
1.	मिश्रीपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	शेखूपुर	1+	1+	–	–	–	–	–	–	–
3.	कुसमरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	कुरारा दे0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	बेरी	–	–	1	–	–	1	–	1	–
6.	पतारा	1	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	छानी बु0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	पौथिया	1	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	मवईजार	1	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	इंगोहटा	1	1	–	–	–	–	–	–	–
11.	कलौलीतीर	1	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	सुमेरपुर दे0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	पत्योरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	टेढ़ा	1	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	पन्धरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	मुण्डेरा	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	ग्रामीणयोग	08	02	01	–	–	02	–	01	–
त0	हमीरपुर न0पा0प0	5(100)	–	2	–	–	–	–	–	–
कुरारा न0पं0		–	–	–	1(5)शै0	1	–	–	–	–
सुमेरपुर न0प0		–	–	–	–	1(4)शै0	–	–	–	–
कुल योग– सम्पूर्ण तहसील		13	02	01	03	02	02	01	01	--
		एलोपैथिक चिकित्सा	शैयायें	आयु0चिकि0	शैया0	होम्यो0				
हमीरपुर न0पा0प0		01	146	01	–	01	–	–	–	–
कुरारा न0पं0		01	04	–	–	–	–	–	–	–
सुमेरपुर न0पं0		01	04	01	–	–	–	–	–	–
योग नगर क्षेत्र		03	154	02	–	01	–	–	–	–
				2000–2001 के अनुसार						
कुरारा वि0ख0							06			05+1
सुमेरपुर वि0ख0							07			07+5
योग तहसील ग्रामीण							13			18

परिशिष्ट-1 (j)

हमीरपुर तहसील में न्याय पंचायतवार कृषि आधारित उद्योग– 2000

न्याय पंचायत	औद्योगिक इकाइयों की संख्या	संलग्न पूंजी	रोजगार में में लगे व्यक्तियों की संख्या	वार्षिक उत्पादन	उत्पादन का मूल्य
मिश्रीपुर	–	–	–	–	–
शेखूपुर	–	–	–	–	–
कुसमरा	1	40,000	2	–	–
कुरारा देहात	2	70,000	5	–	–
बेरी	–	–	–	–	–
पतारा	–	–	–	–	–
छानी बुजुर्ग	–	–	–	–	–
पौथिया	–	–	–	–	–
मवईजार	–	–	–	–	–
इंगोहटा	1	70,000	5		
कलौलीतीर	–	–	–	–	–
सुमेरपुर देहात	8	3,62,58,000	105	9970मी0टन	
पत्योरा	–	–	–	–	
टेढ़ा	–	–	–	–	
पंधरी	–	–	–	–	
मुण्डेरा	1	60,000	4	–	
कुरारा न0पं0	–	–	–	–	–
हमीरपुर न0पा0प0	6	2,30,000	17	–	–
सुमेरपुर न0पं0	2	1,00,000	7	–	–
योग	21	36828000	145	–	–

परिशिष्ट-1 (k)

हमीरपुर तहसील में न्याय पंचायतवार वनाधारित उद्योग– 2000

न्याय पंचायत	औद्योगिक इकाइयों की संख्या	संलग्न पूंजी	रोजगार में में लगे व्यक्तियों की संख्या	वार्षिक उत्पादन	उत्पादन का मूल्य
मिश्रीपुर	–	–	–	–	–

शेखूपुर	–	–	–	–	–
कुसमरा	–	–	–	–	–
कुरारा देहात	–	–	–	–	–
बेरी	–	–	–	–	–
पतारा	–	–	–	–	–
छानी बुजुर्ग	–	–	–	–	–
पौथिया	–	–	–	–	–
मवईजार	–	–	–	–	–
इंगोहटा	–	–	–	–	–
कलौलीतीर	–	–	–	–	–
सुमेरपुर देहात	1	14100000	125	4500मी0टन	
पत्योरा	–	–	–	–	–
टेढ़ा	–	–	–	–	–
पंधरी	–	–	–	–	–
मुण्डेरा	–	–	–	–	–
कुरारा न0पा0प0	–	–	–	–	–
हमीरपुर न0पा0प0	3	195000	11	–	–
सुमेरपुर न0पा0प0	3	155000	13	–	–
योग–	07	14450000	149	–	–

परिशिष्ट-1 (I)

हमीरपुर तहसील में न्याय पंचायतवार पशु आधारित उद्योग– 2000

न्याय पंचायत	औद्योगिक इकाइयों की संख्या	संलग्न पूंजी	रोजगार में में लगे व्यक्तियों की संख्या	वार्षिक उत्पादन	उत्पादन का मूल्य
मिश्रीपुर	–	–	–	–	–
शेखूपुर	1	50,000	3	–	–
कुसमरा	–	–	–	–	–
कुरारा देहात	2	100000	6	–	–
बेरी	–	–	–	–	–
पतारा	2	65000	5	–	–

छानी बुजुर्ग	1	30000	2	–	–
पौथिया	1	35000	2	–	–
मवईजार	–	–	–	–	–
इंगोहटा	–	–	–	–	–
कलौलीतीर	1	30000	2	–	–
सुमेरपुर देहात	1	50000	3	–	–
पत्योरा	–	–	–	–	–
टेढ़ा	–	–	–	–	–
पंधरी	1	40000	2	–	–
मुण्डेरा	–	–	–	–	–
कुरारा न0पा0प0	–	–	–	–	–
हमीरपुर न0पा0प0	2	100000	5	–	–
सुमेरपुर न0पा0प0	5	190000	14	–	–
योग–	17	690000	44	–	–

परिशिष्ट-1 (m)

हमीरपुर तहसील में न्याय पंचायतवार इंजीनियरिंग उद्योग– 2000

न्याय पंचायत	औद्योगिक इकाइयों की संख्या	संलग्न पूंजी	रोजगार में में लगे व्यक्तियों की संख्या	वार्षिक उत्पादन	उत्पादन का मूल्य
मिश्रीपुर	–	–	–	–	–
शेखूपुर	–	–	–	–	–
कुसमरा	–	–	–	–	–
कुरारा देहात	–	–	–	–	–
बेरी	–	–	–	–	–
पतारा	–	–	–	–	–
छानी बुजुर्ग	–	–	–	–	–
पौथिया	–	–	–	–	–
मवईजार	–	–	–	–	–
इंगोहटा	–	–	–	–	–
कलौलीतीर	–	–	–	–	–

सुमेरपुर देहात	12	156943000	607	147845.8मी0टन	
पत्योरा	–	–	–	–	–
टेढ़ा	–	–	–	–	–
पंधरी	–	–	–	–	–
मुण्डेरा	–	–	–	–	–
कुरारा न0पा0प0	–	–	–	–	–
हमीरपुर न0पा0प0	–	–	–	–	–
सुमेरपुर न0पा0प0	–	–	–	–	–
योग	12	156943000	607	147845.8मी0टन	

परिशिष्ट-1 (n)

हमीरपुर तहसील में न्याय पंचायतवार रासायनिक उद्योगों की स्थिति– 2000

न्याय पंचायत	औद्योगिक इकाइयों की संख्या	संलग्न पूंजी	रोजगार में में लगे व्यक्तियों की संख्या	वार्षिक उत्पादन	उत्पादन का मूल्य
मिश्रीपुर	–	–	–	–	–
शेखूपुर	–	–	–	–	–
कुसमरा	–	–	–	–	–
कुरारा देहात	–	–	–	–	–
बेरी	–	–	–	–	–
पतारा	–	–	–	–	–
छानी बुजुर्ग	–	–	–	–	–
पौथिया	–	–	–	–	–
मवईजार	–	–	–	–	–
इंगोहटा	–	–	–	–	–
कलौलीतीर	–	–	–	–	–
सुमेरपुर देहात	05	87917000	243	38500मी0टन	
पत्योरा	–	–	–	–	–
टेढ़ा	–	–	–	–	–
पंधरी	–	–	–	–	–
मुण्डेरा	–	–	–	–	–

कुरारा न0पा0प0	–	–	–	–	–
हमीरपुर न0पा0प0	–	–	–	–	–
सुमेरपुर न0पा0प0	–	–	–	–	–
योग	05	87917000	243	38500मी0टन	

परिशिष्ट-1 (o)

हमीरपुर तहसील में न्याय पंचायतवार अन्य उद्योगों की स्थिति– 2000

न्याय पंचायत	औद्योगिक इकाइयों की संख्या	सलग्न पूंजी	रोजगार में में लगे व्यक्तियों की संख्या	वार्षिक उत्पादन	उत्पादन का मूल्य
मिश्रीपुर					
शेखूपुर					
कुसमरा					
कुरारा देहात					
बेरी					
पतारा					
छानी बुजुर्ग					
पौथिया					
मवईजार					
इंगोहटा	1	50000	4	–	–
कलौलीतीर					
सुमेरपुर देहात	07	55352000	171	240000मी0टन	
पत्योरा					
टेढ़ा					
पंधरी					
मुण्डेरा					
कुरारा न0पा0प0					
हमीरपुर न0पा0प0	1	40,000	2	–	–
सुमेरपुर न0पा0प0	–	–	–	–	–
योग	9	55442000	177	240000	

परिशिष्ट-1 (p)

हमीरपुर तहसील के ग्रामों की सूची

क्र0सं0	ग्राम का नाम	क्र0सं0	ग्राम का नाम
1.	मनकी खुर्द	29.	भटपुरा डांडा
2.	मनकी कलां	30.	कुतुबपुर
3.	उमराहार	31.	बम्हनपुर
4.	हरौलीपुर	32.	खरौंज
5.	मिश्रीपुर	33.	कुरारा ग्रामीण
6.	निरनी	34.	डामर
7.	सिमरा	35.	सरसई
8.	बरुवा	36.	भैंसा पाली
9.	पचखुरा	37.	कुसौली
10.	शिवनी	38.	तिकोना हार
11.	टोडरपुर	39.	चकोठी
12.	भितरी	40.	रिठारी
13.	बिलौटा	41.	लहरा
14.	शंकरपुर	42.	ककरऊ
15.	रघवा	43.	गुजरौरा
16.	बचरौली	44.	खरेहटा
17.	नरसरा	45.	बेरी
18.	कोतूपुर	46.	रानीगंज
19.	पटिया	47.	बिन्दपुरी
20.	भौली दरिया	48.	करियापुर
21.	जमरेही तीर मऊ	49.	गुलाबगंज
22.	जमरेही तीर हरिया	50.	जखेला
23.	भौली डांडा	51.	इन्द्रपुरी
24.	चक जमरेहीतीर	52.	देवीगंज
25.	जमरेही ऊपर	53.	बैजेइस्लामपुर
26.	शेखूपुर	54.	मगरेड़ी
27.	अब्दुल्लापुर	55.	पारा
28.	भटपुरा परिया	56.	जल्ला

क्र0सं0	ग्राम का नाम	क्र0सं0	ग्राम का नाम
57.	झलोखर	87.	मोराकांदर
58.	पतारा डांडा	88.	परसनी
59.	कण्डौरा डांडा	89.	धनपुरा
60.	कण्डौरा दरिया	90.	अराजी सागर
61.	नैठी डांडा	91.	छानी खुर्द
62.	नैठी दरिया	92.	छानी बुजुर्ग
63.	पतारा दरिया	93.	अराजी खड़ेही जार
64.	सिकरोढ़ी दरिया	94.	अराजी धनपुरा
65.	सिकरोढ़ी डांडा	95.	अराजी रानी धनपुरा
66.	नचौट	96.	कल्ला
67.	कुसमरा	97.	खड़ेही जार
68.	चन्दपुर डांडा	98.	स्वासा बुजुर्ग
69.	चन्दपुर दरिया	99.	स्वासा खुर्द
70.	मंझूपुर दरिया	100.	कुआं खेरा
71.	कनौटा डांडा	101.	नदेहरा
72.	गिमुहा डांडा	102.	बबीना
73.	रिठौरा दरिया	103.	रगौरा
74.	रिठौरा डांडा	104.	चन्दौली जार
75.	गिमुहा दरिया	105.	मवईजार
76.	कनौरा दरिया	106.	अतरार
77.	बदनपुर	107.	बण्डा
78.	मंझूपुर डांडा	108.	कुम्हऊपुर
79.	भिलावा डांडा	109.	बहरोली डांडा
80.	भिलावा दरिया	110.	बहरोली दरिया
81.	मेरापुर डांडा	111.	सहुरापुर दरिया
82.	मेरापुर दरिया	112.	सहुरापुर डांडा
83.	रमेड़ी डांडा	113.	पोलिया बुजुर्ग
84.	रमेड़ी दरिया	114.	सिकरी
85.	ममरेजपुर दरिया	115.	उजनेड़ी
86.	ममरेजपुर डांडा	116.	ललपुरा

क्र0सं0	ग्राम का नाम	क्र0सं0	ग्राम का नाम
117.	कलौलीजार	147.	चन्दौखी
118.	बरदहा सहिना दरिया	148.	पारा ओझी दरिया
119.	कलौलीतीर दरिया	149.	सिडरा दरिया
120.	हेलापुर दरिया	150.	सुरौली खुर्द डांडा
121.	हेलापुर डांडा	151.	सुरौली खुर्द दरिया
122.	कलौलीतीर डांडा	152.	टिकरौली
123.	बरदहा सहिना डांडा	153.	रिंगना
124.	कीरतपुर	154.	कजौली
125.	महमूदपुर	155.	सौखर
126.	भकौल	156.	नरायनपुर
127.	दरियापुर	157.	नजरपुर
128.	कण्डौरा	158.	सुमेरपुर (ग्रामीण)
129.	बिलहड़ी	159.	सिमनौड़ी
130.	बांकी	160.	बड़ागांव
131.	बांक	161.	भभौरा
132.	पलरा	162.	पत्योरा डांडा
133.	विदोखर मेदनी	163.	पत्योरा दरिया
134.	शादीपुर	164.	सुरौली बुजुर्ग डांडा
135.	विदोखर पुरई	165.	सुरौली बुजुर्ग दरिया
136.	इंगोहटा	166.	बरुवा
137.	मजरा कुण्डौरा दरिया	167.	चन्दपुरवा खुर्द
138.	मजरा कुण्डौरा डांडा	168.	भौंरा डांडा
139.	सूरजपुर डांडा	169.	भौंरा दरिया
140.	कुछेछा दरिया	170.	देवगांव
141.	सिडरा डांडा	171	गहतौली
142.	पारा ओझी डांडा	172.	जलाला
143.	कुछेछा डांडा	173.	पचखुरा बुजुर्ग
144.	सूरजपुर दरिया	174.	टेढ़ा
145.	अमिरता	175.	इसौली
146.	चन्दुलीतीर	176.	मौहर

क्र0सं0	ग्राम का नाम	क्र0सं0	ग्राम का नाम
177.	कैथी	185.	बिरखेरा
178.	अराजी मुतनाजा पंधरी	186.	धुन्धपुर
179.	पंधरी	187.	अतरैया
180.	पारा रैपुरा	188.	पढ़ौली
181.	पचखुरा खुर्द	189.	बदनपुर
182.	भौनिया	190.	गौरी
183.	चन्दपुरवा बुजुर्ग	191.	मिहुना
184.	इटरा	192.	मुण्डेरा

परिशिष्ट-2 (a)

ग्राम सर्वेक्षण प्रश्नावली तहसील हमीरपुर

1. परिचय

ग्राम का नाम..

स्थिति, कूट संख्या ....

न्याय पंचायत..

विकास खण्ड..

2. व्यावसायिक संरचना वर्ष 2000–2001

वर्ग	पुरूष	स्त्री	योग
जनसंख्या			
श्रमिक			
कृषक			
कृषि श्रमिक			
पशुधन, वानिकी आदि			
खनन			
गृह उद्योग			
विनिर्माण (गृह उपयोग के अतिरिक्त)			
निर्माण			
वाणिज्य एवं व्यापार			
परिवहन एवं संचार			
अन्य सेवायें			
अर्कमशील			

भाग 'अ' कृषि क्रियायें

3. कृषि भूमि उपयोग (वर्ष 1999–2000)

(i) कुल भौगोलिक क्षेत्रफल..

(ii) शुद्ध बोया गया क्षेत्र..

(a) खरीफ फसल का क्षेत्रफल..

(b) रबी फसल का क्षेत्रफल..........

(c) जायद फसल का क्षेत्रफल..........

(d) सकल बोया गया क्षेत्रफल..........

(e) दो फसली क्षेत्रफल..........

(iii) वन क्षेत्र..........

(iv) बागों के अन्तर्गत क्षेत्रफल..........

(v) परती भूमि..........

(vi) विविध प्रयोगों के अन्तर्गत क्षेत्रफल..........

4. भूमि अधिग्रहण (**Holdings**) क्षेत्रफल

आकार	अधिग्रहण संख्या (No. of Holdings)		
	वर्षा पर आधारित	सिंचित	योग
2 एकड़ से कम			
2–4 एकड़			
4–6 एकड़			
6 एकड़ से अधिक			

5. (**a**) फसल प्रतिरूप तथा आधुनिक कृषि निवेशों का उपयोग वर्ष 1999–2000

फसलें	कुल बोया गया क्षेत्र (हे0में)	सिंचित क्षेत्र (हे0में)	उन्नत किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र (हे0में)	उर्वरक प्रयोग		रोग नाशक प्रयोग	
				क्षेत्रफल (हे0में)	मात्रा (कि0ग्रा0में)	क्षेत्रफल (हे0में)	मात्रा (कि0ग्रा0में)
1	2	3	4	5	6	7	8
'अ' खरीफ							
1. धान							
2. ज्वार							
3. बाजरा							
4. मक्का							
5. अन्य							

'ब' रबी	
1. गेहूं	
2. चना	
3. जौ	
4. तिलहन	
5. अन्य	
'स' वार्षिक फसले	
1. गन्ना	
2. अरहर	
3. अन्य	
योग	

5. **(b)** उन्नत कृषि यन्त्रों का उपयोग

क0सं0	यन्त्र	प्रयोग करने वाले कृषकों की संख्या				अन्य विवरण
		1997	1998	1999	2000	
1	2	3	4	5	6	7
1.	उन्नत हल					
2.	कल्टीवेटर्स					
3.	ट्रैक्टर					
4.	थ्रेसर					
5.	विन्नोइंग फैन					
6.	लैंबलर					
7.	अन्य (हैरो, शीड्रिल, चैफ कटर)					

6. स्रोत एवं ऋतुअनुसार सिंचित क्षेत्र वर्ष 1999–2000

क0 सं0	सिंचाई के साधन	संख्या	सिंचित क्षेत्र हे0में				अन्य विवरण
			खरीफ	रबी	जायद	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कुयें						
2.	नलकूप						

	(a) सरकारी नलकूप						
	(b) व्यक्तिगत नलकूप						
3.	नहरें						
4.	तालाब / जलाशय						
5.	अन्य						
	योग						

7. पशुधन, जनसंख्या वर्ष 1999–2000

क0सं0	पशु	संख्या	योग का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	गायें		
	(अ) सामान्य नस्ल		
	(ब) उन्नत नस्ल		
2.	बैल		
3.	भैसें		
	(अ) सामान्य नस्ल		
	(ब) उन्नत नस्ल		
4.	भेंड़ें		
5.	बकरियां		
6.	सुअर		
7.	अन्य मुर्गी आदि		
	योग		

8. प्रसार सेवायें एवं ऋण सुविधायें वर्ष 1999–2000

सुविधा का प्रकार	प्राप्त है अथवा नहीं	यदि नहीं तो सुविधा प्रदान करने वाले स्थान का नाम एवं दूरी		क्या आप सुविधा से सन्तुष्ट हैं–हाँ / नही यदि नही तो आप क्या सुधार चाहते हैं।
		स्थान	दूरी (किमी0में)	
1	2	3	4	5
1. बीज वितरण केन्द्र				
2. उर्वरक वितरण केन्द्र				

3. रोगनाशक वितरण केन्द्र 4. कृषि यन्त्र 5. भण्डार गृह एवं शीतगृह 6. सहकारी समिति 7. सहकारी बैंक 8. भूमि गिरवी बैंक 9. वाणिज्यिक बैंक 10. ग्रामीण बैंक				

भाग 'ब' औद्योगिक क्रियाकलाप

1. फर्म /उद्योग/शिल्प का नाम एवं पता :..
2. उद्योग की श्रेणी–बड़े पैमाने की/मध्यम पैमाने की/लघु पैमाने की/कुटीर :........................
3. निर्मित उत्पाद/शिल्प का प्रकार एवं प्रकृति :...
4. स्वामित्व की प्रकृति–पूर्ण स्वामित्व/साझेदारी/व्यक्तिगत/सरकारी :......................................
5. क्या उद्योग मौसमी है ? हाँ/नहीं :...

   यदि मौसमी है तो कार्य के महीने :...
6. उत्पादन प्रारम्भ होने का वर्ष :...

   पूंजी विनिवेश (रूपयों में) :...

   स्थाई पूंजी (रूपयों में) :..

   कार्यशील पूंजी (रूपयों में) :..
7.

उत्पादन	मात्रा	मूल्य रूपयों में
निहित क्षमता		
वार्षिक उत्पादन		

8. कार्य व्यय वर्ष 1999–2000

मद	व्यय (रूपयों में)
किराया मजदूरी ईंधन व्यय	

कर परिवहन लागत अन्य व्यय	
योग	

9. विक्रय वर्ष 1999–2000

उत्पादित वस्तु का प्रकार	उत्पादित मात्रा	घेरलू उपभोग की मात्रा	उत्पादन का विक्रय			अन्य विवरण
			मात्रा	मूल्य (रू0में)	परिवहन प्रकार	
1	2	3	4	5	6	7

10. शुद्ध वार्षिक आय (रूपयों में) वर्ष 1999–2000

11. रोजगार

लिंग	मजूदरी पर लगे श्रमिकों की संख्या				अन्य विवरण
	कुशल	अकुशल	पूर्ण कालिक	अंशकालिक	
1	2	3	4	5	6
पुरूष स्त्री					
योग					

12. उपलब्ध सुविधायें :–

सुविधायें	कहां से प्राप्त हैं	अन्य विवरण
कच्चा माल जल आपूर्ति विद्युत आपूर्ति तकनीकी सहायता वित्तीय सहायता विपणन सुविधा अन्य		

13. उद्योग के समक्ष कठिनाइयाँ एवं समस्यायें

मद	विवरण
कच्चा माल	
श्रमिक आपूर्ति	
विपणन	
व्यापार कर	
उपयोगितायें	
अधिकारियों का दृष्टिकोण	
अन्य	

14. क्या आप व्यवसाय से सन्तुष्ट हैं ? यदि नहीं तो क्यों ? :..

सुधार के लिए सुझाव..

15. भविष्य में विस्तार के कार्यकम

....

....

भाग 'स' विविध सुविधायें

सुविधा का प्रकार	क्या गांव में सुविधा उपलब्ध है हाँ/नहीं	यदि नही तो निकटतम स्थान की दूरी		क्या आप प्राप्त सुविधाओं से सन्तुष्ट हैं–हाँ/नहीं यदि नही तो आप कैसे सुधार का सुझाव देते है।
		स्थान	दूरी (कि0मी0 में)	
1	2	3	4	5
1. प्रशासनिक (i) ग्राम विकास अधिकारी कार्यालय (ii) खण्ड विकास कार्यालय				
1	2	3	4	5
(iii) तहसील मुख्यालय (iv) जिला मुख्यालय				

1.	2	3	4	5
(v) पुलिस चौकी				
(vi) थाना				
(vii) कोतवाली				
(viii) कचेहरी				
2. शैक्षिक				
(i) नर्सरी/प्राइमरी स्कूल				
(ii) जूनियर हाईस्कूल				
(iii) हायर सेकेण्डरी/इण्टर कालेज				
(iv) पोस्ट ग्रेजुएट कालेज				
(v) राजकीय आयुर्वेदिक कालेज				
3. चिकित्सकीय				
(i) प्राइवेट प्रैक्टिसनर				
(ii) दवाखाना				
(iii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र				
(iv) मातृत्व एवं शिशु कल्याण केन्द्र				
(v) सिविल हास्पिटल				
(vi) पशु चिकित्सालय				
(vii) कत्रिम गर्भाधान केन्द्र				
(viii) आयुर्वेदिक चिकित्सालय				
4. परिवहन				
(i) निवेदन बस स्टाप				
(ii) नियमित बस स्टाप				
(iii) बस डिपों				
(iv) रेलवे हाल्ट				
(v) रेलवे स्टेशन				
(vi) रेलवे जंक्शन				
(vii) नदी में पीपे का पुल				

1	2		3 4	5
"अ" नियमित				
"ब" मौसमी				
"स" व्यावसायिक				
5. डाक एवं संचार				
(i) शाखा डाक घर				
(ii) उप डाक घर				
(iii) डाक एवं तारघर				
(iv) टेलीफोन एक्शचेंज				
(v) समाचार पत्र, प्रेस				
6. विपणन एवं व्यापार सुविधायें				
(i) मेले				
(ii) हाट/साप्ताहिक बाजार				
(iii) फुटकर, दैनिक बाजार				
(iv) थोक की नियन्त्रित बाजार				
(v) बाजार यार्ड				
(vi) भण्डार गृह एवं शीतगृह				
7. विद्युत				
(i) उपकेन्द्र				
(ii) जल विद्युत केन्द्र				

भाग 'द' समस्यायें एवं विकास के सुझाव

1. कृषि सम्बन्धी

(i) जल भराव :..

(ii) भूमि सुधार :...

(iii) सिंचाई :...

(iv) वन्य पशु :...

(v) अन्य :...

2. जल प्रबन्धन

(i) ....

(ii) ....

(iii) ....

3. मृदा

(i) ....

(ii) ....

(iii) ....

4. वृक्षारोपण

(i) ....

(ii) ....

(iii) ....

5. वनीकरण

(i) ....

(ii) ....

(iii) ....

6. सामाजिक सुविधायें

(i) स्कूलों की कमी :..

(ii) स्वास्थ्य सुविधायें :...

(iii) जलापूर्ति :..

(iv) विद्युत आपूर्ति :..

(v) आपसी सहयोग का अभाव :...

(vi) प्रशासन का दृष्टिकोण :...

7. अन्य समस्यायें

(i) ....

(ii) ....

(iii) ....

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

(BIBLIOGRAPHY)

1- Ahmad.E. 1955: Grography and planning in E.Ahmad Some Aspects of Indian Geography. Central Book Depot, Allahabad, 1976.

2- Arora, R.C. : Intregrated Rural Development, 1979 P.4.

3- A Major Change in School Education, Ministry of Education and Social Welfare, Govt. of India, New Delhi 1975.

4- Agrawal, P.C. : Geography and Planning for Regional Development of Baster District, Madhya Pradesh, In V.C. Mishra et. (ed.) Essays in Applied Geography, University of Saugar.1976.

5- Alves, W.R. and R.L. Morrill, : Diffusion Jheory and Planning Eco. Geog. 51 (3), 1975 P.P. 290-304.

6- Boudeville, J.R. : Problems of Regional Economic Planning Edinburgh University Press. 1966 .

7- Barthakur, M : A strategy of Industrial and Regional Development of Assam, Dec. Geog. X (I). 1972.

8- Brahme, S. Kumud Pore and S.H. Pore, : Regional Planning A case study of Maharashra Region. Artha Vijnana. xvii (182) 1975.

9- Brockman, Dark D.L. : Banda A Gazatteer, volume xxi, Allahabad. 1928 P.P. 76.

10- Banarjee, S. and H.B. Fischer, : Spetial Analysis for Integrated Planning in india, Urb. Rur. Plg. 1974.

11- Bhat, L.S. : Central Place Model as a spetial framework for regional and National Planning in India. Paper Prasented at the Confrence on city as a entre of change in Asia, Hong Kong. 1969.

12- Berry B.J.L. : Geography of Market centres and retail Distribution Englewood, Olitts : Prentice Hall. 1967.

13- Boserup, Ester, : Present and Potential food Production in Developing countries. In W. Zelinsky et. al., (ed.) Geography and a crowing World. Oxford University Press. 1970.

14- Christaller, N. 1933: Die Zentralen orte in Suddeut Sch Land Jana, G. Fisher. Translated by C. W. Baskim, Englewood Cliffs, N.J. 1966.

15- Cooley, C.M. : The Theory of Transport in M.E.E. Hurst (ed.) Transportation Geography, Comments and Readings, MEG raw-Hill Book Company, 1974 P.28

16- Clark, P.J. and F.C. Evans : Distance to Nearese Neighbour Asameasure of spatial relationships in Populations, Ecology, 35, 1954, P.P. 445-453.

17- Chattopadhyay, B and Moonis Raza, : Regional Development Analytical frame work and indicators. Ind Jl. of Reg. Sc., Vii (I), 1975 P.P. 11-34.

18- Carruthers, W. I. : A Classification of service centres in England and Wales. Geog. Journ., 1957 P.P. 123, 371-385.

19- Galpin, C.J.. : The Social Anatomy of an Agricutural Experiment station of university of wisconsin. 1975.

20- Dol, K. : The Industrial Structure of Japanese Prefecture Proceeding of the IGU Regional conference in Japan, 1957 P.P. 85.

21- Devics, W.K.D. : The Ranking of service centres. A critical Review. Trans. Inst. Brit. Geog., 1966 P.P. 40, 51-65.

22- Dandekar, H. and Brahme, S., Role of rural industries in rural Development. Prespective and approaches. Starling Publishers Pvt. ltd. 1979. P.P. 123.

23- Friedmann. J. 1956 : The concept of a Planning Region - the Evolution of an idea in the United States, Reprinted in J. Friedmann and W. Alonso (ed.) Regional Development & Planning A reader The M.I.T. Press 1964.

24- Friedmann, J 1961: The concept of a Planning Region - cities in social Trans formation. Reprinted in J. Friedmann et (ed.) 1964. PP. 343-360.

25- F.A.O. : Equipment for the processing of rice, Agricultural Development Paper No. 27. Rome. 1953.

26- F.A.O. : Agricultural and Industrialization, Basic Study No. 17, Rome, 1967. P.P., 55.

27- Godlund, S. : The functions and Growth of Bus Traffic within the sphere of Influence. Lund studies in Geog., series B, Human Geo., vol. 18, 1956. P. 18.

28- Green, F.H.W. : Bus service as an index of changing urban Hinterland, T.P.R., vol. 22, 1952. P.P. 345-356.

29- Geits, A. and J. Geits, : Christallor's central Place Theory Jl of Geog., 65, 220-6. 1966.

30- Ghai, D. Khan Azizur Rahman, Lee Eddy Rodwan samir, : Agraian system and Rural Developmen. The macmilan Press Ltd. London. 1979.

31- Godgil, D.R. : Planning and Economic Policy in india Asia Publishing House, Poona. 1961.

32- Garrison, W.L. and D.P. Marble, : Graph theoratic Concepts. In M.E.E. Hurst (ed.) Transportation Geography, op. cit. 1974.

33- Hanson, N.M. : Development Pole Theory in a Regional context. Kyklos, xx, 1967, 709-25.

34- Hirschmann, A.O. : Strategy of Economic Development. New Haven : Yale University Press. 1958.

35- Haige, R.M. Major, : Economic factor in Metropolitan Growth and Managment, Regional Plan of New York & its Environment, New York, 1927, P.P.38.

36- Howe, G.M. : A world Geography of Human Diseases (London : Academic Press), 1977, PP. B-9.

37- Hassinger, E. : The Relationship of Retail Service Patterns in Trade Centre Population, Rural Sociology, vol.22, 1957, PP 235-40.

38- Harvey, D. : Social Justice in spatial systems. R. Pect (ed.) Geographical Perspectives on American Poverty, Antipode Monograph in social Geography 1, Worcester, Mars. 1972, P.P. 87-106.

39- Haggett, P.A.D. Cliff and Allen Frey, : Locational Analysis in Human Geography vol.-1, Arnold Heinman. 1979.

40- Hertley, G. and A.E. Smailes, : Shopping centres in Greater London areas. Trans. Inst. Br. Geog., 1961, P.P. 29, 201-13.

41- Hermansen, Tormod, : Inter Regional allocation of Investment for Social and Economic Development-1, Pariyojan, 1 (1) 1980, P.P. 37-70.

42- Hart, John Fraser, : The Adjustment of Rural Population to diminishing land resources. In W. Zenlinsky et. al. (ed.) op. cit. 1970.

43- Information received through personal survey.

44- Jackson. G. : Regional Policy and Planning in Israel Oxford Polythechnic

O.P. 1970.

45- Janelle. D.G. : Spetial reorgnization : A Model and Concept Annals of the Association of American Geographers. 59 (2), 1969, P.P. 348-364.

46- Johnson, R.J. and P. Scott: The Measurement of Hierarchy of Central Places, Auster. Geog., 10, 315-17.

47- Johnson, E.A.J. : The Organization of space in Developing countries, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. 1970.

48- Johnson, B.L.C. : Crop Association Regions in East Pakistan, Geography, 43, 1958 P.P. 86-103.

49- Khan, Waheedudeen and K.S. Ramesh, Integrated Area Development Plan for the west District, Manipur, N.I.C.D.A. Hyderabad. 1976.

50- Kayastha, S.L. and J. Prashad, : Approach to Area Planning and Development Strategy : A case Study of Phulpur Block, Allahabad District, N.G.J.I. XXIV (162). 1978, PP. 16-28.

51- Khan, W. : Extension Lecture on IRD, Hyderabad, P.L. 1977.

52- Kumar, A. band Sharma, N. : Rural centres of services, Geographical Review of India, vol. 39, No. 1, 1977, PP. 19-29.

53- Khan, W. and R.N. Tripathi, : Instensive Agriculture and Modern inputs: Prospects of small farmers- a study in west Godavari District N.I.R.D. Hyderabad. 1972.

54- Kansky, K.J. : Structure of Transport Network : relationship between network geomatry and Regional characteristics, university of chicago Department of Geography, Research Paper. 84, 1963.

55- Loash, A. : Die Raumliche ordung Derwichaft, Jena, 1940.

56- Lowe, J.C. and Moryads, : The Geography of Movement, Haughton Mifflin company, Boston, 1975, PP. 2-3.

57- Logan, M.I. : The spatial system and Planning Strategies in Developing countries-Geog. Rev. 62, 1972, P.P. 229-244.

58- Milharst, J.C.M. : Regional Planning : A system Approach, Rottorchlam University Press, 1971, P.P. 121.

59- Myrdal, G. : Economic Theory and under Develoed Regions London. 1957.

60- Morill, R.L. Waves of spatial Diffusion, 11 of Reg. Se. B, 1969 P.P. 1-18.

61- Mathur, O.P. : Natioanl Policy for Backward area development : A Structural analysis. Ind. J.I. of Reg. Sc., VI (I), 1974, PP.73-90.

62- Mukharjee, A.B. : The Chandigarh Siwalikh Hill : Some aspects of Rural Development, Ind. of Reg. Sc., VI(2), 1974, P.P.. 206-222.

63- Mishra, R.P. : Diffusion of Agricultural innovations, University of Mysore, 1968, P.P. 3.

64- Mishra, R.P. and M. Shivlingaih, : Growth Pole Strategy for Rural Development, Paper presented at the Pre-cong. symp. On Regional Planing. New Delhi, 21st I.G.C. India. 1968.

65- Misra G.K. : A Methodology for identifying service centres in Rural areas- A study in Miryalguda Taluka Behaviroural sciences and community Development 6 (1), 1972, 48-63.

66- Mc Loughl in Petar, F.M. : Increasing Agricultural output to help with the population 'Problem' in w. zenlinsky etcol. (ed.) op. cilt. 1970.

67- Morgam, W.B. and R.J.C. Munton, : Agricultural geography Methuen & Co. Ltd. 1971.

68- Nath, V. : Population, Natural resources and economics development in India in W. Zelinsky et. al (ed.), 1970, P.P. 402.

69- Op. cit., fn. 4, p. 80.

70- Op. cit., fn. 4, pp. 81-82

71- Op. cit., fn. 5, p. 45

72- Op. cit., fn. 6, p.2

73- Pederson, P.O. : Innovation Diffusion within and between National Urban systems. Geographical Analysis.2. 1970, P.P. 203-54.

74- Patnaik, N. and S. Bose, : An Intregrated Tribal Development Plan for Keonjhar District, Prissa N.I.C.D. Hyderabad. 1976.

75- Planning commission, : Draft Sixth Five year plan 1978-83, Revised, 1979, P.P. 270.

76- Pal. M.N. : A method of Regional Analysis of Economic Development with special reference to south India, JI of Reg. Sc. 5, 1963, P.P. 41-58.

77- Pandit, P. : Planning for Micro-Regions and the plans of Infrastructure in wardha (Micro) Wardha. 1968.

78- Popper, K. : Objective Knowledge : An Evolutionary Approach, oxford University Press, London. 1972.

79- Preston, R.E. : The structure of central places systems. Eco. Geog., 47 (2), 1971, P.P. 136-55.

80- Ram K. Vepa. : The village of my dreams : In new Technology : A Gandhian Concept, Gandhi Book House, New Delhi, chap. 5, 1975, P.P. 65.

81- Rogers E.M. and F. Shomaker, : Communication of Innovations. A Cross-oultural Approach, New York, Free Press. 1968.

82- Roy, P. and B.R. Patil, : Mannual for Block Level Planning. The Macmillan company of India. 1977.

83- Reddy, Y.N. : Regional Development plan for Rayaseema A case study In R.P. Mishra et. al. (ed.) Regioanl Planning concept techniques, Pobicies and case studies, Mysore, Psaranga. 1978.

84- Roninelli, Dennis, A., : Small industries in rural development: assessment and perseptive. Productivity XXX(4), 1979, P.P. 457.80.

85- Ram Chandran, R. : Identification of growth centres and Growth points in south East Resource Region, N.G.J.I., XXII (1&2), 1976, P.P. 15-24.

86- Rao, V.L.S.P. : Planning for an Agricultur Region, in R.P. Mishra et. al. 1974 op. cit. 1974.

87- Subramaniam, C. : Strategy for integrated Rural Development, Presented to the Budget session of the Parliament of India, March 1976.

88- Saha, M. : Planning Approaches for rural Development. Ind. Geog. studies, 5, 1975, PP. 43-49.

89- Sen, L.K. and A.R. Jhana. : Regional planning for a hill area- a case study of Pauri tahsil in Pauri Garhwal District N.I.C.D. Hyderabad. 1976.

90- Satya Narayan, B. : Telengana's Development Problems and Possibilities INI. J.I. of Reg. Sc., V. (2), 1972, P.P. 103-111.

91- Sarkar, B.B.: Problems of Rural Development in Backward Districts of Bankura and Purulia in West Bengal. Ind. JI of Reg. Sc. VI (I), 1973, P.P.49-50.

92- Searly, K.R. : The Geography of Air Transport, London. 1957.

93- Stamp. L.D. : The Geography of life and Death (Foutano Library), 1964, PP. 16 and 20.

94- Singh. R.P. : IInd Annual Report of tulsi Gramin Bank, Banda, 1982, P.P. 5.

95- Tiwari, R.C. & Khan. N.U. : Spatial Organisation of Rural Service centres in Pratap Garh Distt. National Geography, vol XIV, No. 2, 1984, P. 90.

96- Trewartha, G.T. : The case for Population Geography Annals, Asso. Am. Geog., 43 (71), 1953.

97- UNCRD, : Report of the Expert Group Meeting on Regional Development alternatives in Predominantly rural socities, held at Nagoya (Japan) From 23 to 26. August 1980, Meeting report series No. 5, 1980.

98- Ullman, E.L. : Trade centres and Tributary areas of Philippines, Geog. Rev., 50, 1960, P.P. 203-18.

99- United States Department of Agriculture, : A manual on coservation of soil and water oxford and 1BH Publishing Co. 1974.

100- Vishwanath, M.S. : A Geographical Analysis of rural markets and Urban centres in Mysore, Ph.D. Thesis (Unpub.). B.H.U. Varanasi. 1967.

101- Wanmali, S. : Regional Planning for Social Facilities : A case study of Eastern Maharashtra (Hyderabad, N.C.D.), 1970, P.P. 79.

102- Wood, J, : The development of Urban and Regional Planning in India, Land Economics, 34, 1958, P.P. 310-315.

103- Yeates Marice, : An introduction to Quantitative analysis in Human Geography. Mc. Grew Hill INC. 1974.

104- Zimmerman, F.W. : World Resources and Industries, Harper and Roy, New York, 1961, P.P. 23.

105- Zobler, L. : An Economics Historical View of Natural Resources and Conversation Economics Geography, vol.38, 1962, P.P.191-192.